सत्यमेव जयते

जनजातीय कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

भारत के महामहिम राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति भवन में जनजातीय अतिथि

''प्रकृति 2009'' का उद्घाटन करते हुए जनजातीय कार्य मंत्री श्री पी.आर. किंडिया

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

सत्यमेव जयते

जनजातीय कार्य मंत्रालय

छायाचित्र सौजन्य से:

आवरण पृष्ठ - श्री गुंटका गोपाला रेड्डी द्वारा ओल्ड बोंडा

पिछला पृष्ठ - श्री वनाम पापाराव द्वारा शस्य भूमि में धा जनजाति

विषय सूची

अध्याय

1	वर्ष 2008-2009 की विशेषताएं	1-4
2	जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप - सिंहावलोकन	5-7
3	मंत्रालय : एक परिचय	8-16
4	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	17-19
5	जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम	20-23
6	अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र	24-86
7	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत कार्यक्रम	87-98
8	शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम	99-114
9	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. तथा राज्य स्तरीय निगमों को समर्थन के लिए सहायता हेतु कार्यक्रम	115-124
10	स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम	125-164
11	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए कार्यक्रम	165-175
12	अनुसंधान, सूचना और जनसंचार	176-187
13	पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान	188-191
14	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	192-195
15	प्रारूप राष्ट्रीय जनजातीय नीति	196-197
16	अनुसूचित जनजातियों का विस्थापन, पुनर्स्थापना और पुनर्वास	198
17	जेंडर संबंधी मामले	199-205

अनुबंध

3-क	जनजातीय कार्य मंत्रालय संगठनात्मक संरचना	13
3-ख	जनजातीय कार्य मंत्रालय वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान बजट आबंटन, संशोधित आबंटन तथा व्यय (योजना) दर्शाने वाला विवरण	14-16
5-क	वर्ष 2008-09 के योजनागत (वार्षिक योजना) परिव्यय का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा और राज्यों द्वारा वार्षिक योजना (एपी) 2008-09 के लिए बनाई गई जनजातीय उपयोजना की स्थिति	23
6-क	जनसांख्यिकीय आंकड़े : जनगणना 2001	38-39

6-ख	शिशु लिंग अनुपात (0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या)	40-41
6-ग	कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर तथा दोनों की साक्षरता की दरों में अंतर-भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र : 1991.2001	42-43
6-घ	पुनर्संरचित बीस सूत्री कार्यक्रम, 2006 2008-09 के दौरान लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य	44-45
6-ङ	राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश	46
6-च	भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची	47-58
6-छ	अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची	59-86
7-क	जनजातीय क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय सलाहकार परिषद वाले जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों तथा राज्यों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं/अभिकरण (आईटीडीपी/आईटीडीए), संशोधित क्षेत्र विकास अप्रोच (माडा) पॉकेट, क्लस्टर तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) की स्थिति के ब्यौरे	96
7-ख	वर्ष 2006-07 से वर्ष 2008-09 के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत निर्मुक्त की गई निधियां	97
7-ग	वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्त की गई धनराशियां	98
8-क	जनजातीय लड़के एवं लड़कियों के छात्रावास की योजना के तहत वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां	110
8-ख	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक की उपलब्धियों सहित निर्मुक्त की गई निधियां	111
8-ग	अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां	112
8-घ	प्रतिभा उन्नयन की योजना के तहत वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां	113
8-ङ	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के तहत वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां	114
9-क	'लघु वन उत्पादों के प्रचालनों के लिए एसटीडीसीसी को सहायता-अनुदान' योजना के तहत राज्यों को वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा	124
10-क	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान वित्त-पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	139-154

10-ख	अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान निर्मुक्त किया गया अनुदान	155-156
10-ग	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा को सुदृढ़ करने की योजना के तहत वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान वित्तपोषित संगठनों की राज्यवार सूची	157-161
10-घ	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	162-164
11-क	भारत में वर्ष 1961 से 1991 तक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) और उनकी जनसंख्या	169-171
11-ख	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पूर्ववर्ती आदिम जनजातीय समूह) के विकास की योजना के अंतर्गत जनश्री बीमा योजना के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और कवर किए गए पीटीजी परिवारों के मुखियाओं को 2004-05 से निर्मुक्त की गई राशि दर्शाने वाला विवरण	172
11-ग	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण	173-175
12-क	वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सहायता-अनुदान योजना के तहत जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को निर्मुक्त निधियां	182
12-ख	वर्ष 2007-08 व 2008-09 के दौरान प्रायोजित कार्यशालाओं/सेमिनारों तथा शोध अध्ययनों की सूची	183-187
13-क	वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को वर्षवार निर्मुक्त की गई राशि	190
13-ख	वर्ष 2008-09 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त की गई राशि	191
14-क	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपीलीय प्राधिकारी (अ.प्रा.) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची	193-195
17-क	वर्ष 2008-2009 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्धियां	202-204
17-ख	वर्ष 2007-08 के लिये जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता के अधीन लाभार्थी	205

अध्याय 1

वर्ष 2008-2009 की विशेषताएं

1.1 अनुसूचित जनजातियों के अधिकार, कल्याण और विकास पर और अधिक ध्यान देने के लिए इस वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा कई नई पहलों सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं।

1.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसका उद्देश्य ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों, जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया गया है, को वन भूमि पर उनके अधिकारों को मान्यता देना तथा उन्हें वन अधिकार सौंपना है, के प्रचालन हेतु इसे 31.12.2007 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 को भी दिनांक 1 जनवरी, 2008 को अधिसूचित कर दिया गया है।

1.2.1 इस अधिनियम और इसके तहत अधिसूचित किए गए नियमों के अनुसार इन अधिकारों को मान्यता तथा वन अधिकारों को प्रदान करने और भूमि अधिकारों के संवितरण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों में निहित है। इस अधिनियम को प्रचालित करने और नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 11.1.2008 को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए समयबद्ध समय-सीमा के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा था। इसके बाद, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के संबंध में समय-सीमा के साथ-साथ कार्रवाई किए जाने वाले बिन्दुओं को भी अग्रेषित किया गया था। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह निदेश दिया गया था कि वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों तथा इस अधिनियम के तहत संबंधित प्राधिकरणों के मध्य इस अधिनियम के उद्देश्यों, प्रावधानों और प्रक्रियाविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। उन्हें यह भी सलाह दी गई थी कि इस अधिनियम और नियमों के सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद तथा पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जनजातीय और समाज कल्याण तथा वन विभाग सहित सभी ग्राम सभाओं, वन अधिकार समितियों तथा सरकार के सभी विभागों को इसके वितरण की व्यवस्था करने और अधिकारियों, नागरिक प्रतिनिधियों तथा राज्य के गैर-सरकारी संगठनों के प्रबोधन को सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें जागरूकता कार्यक्रमों इत्यादि में संसाधन व्यक्तियों के रूप में अन्य व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए बुलाया जा सके।

1.2.2 प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और योजना आयोग इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुवीक्षण जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा भेजी जा रही मासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से कर रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों के सचिवों/जनजातीय कल्याण/विकास विभाग के आयुक्तों की समीक्षा बैठकें आयोजित करके इस अधिनियम के कार्यान्वयन की सावधिक समीक्षा कर रहा है। अब तक इस प्रकार की चार समीक्षा बैठक दिनांक 18/19.2.2008, 16.5.2008, 27.6.2008 और 11.11.2008 को आयोजित की गई हैं।

1.2.3 वेब आधारित एम.आई.एस., जिसे दिनांक 4 जून, 2008 से **http:forestrights.gov.in** पर प्रचालित कर दिया गया है, के माध्यम से भी इस अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण किया जा रहा है।

1.2.4 इस अधिनियम को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया जारी है। मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्यों ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी

(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को कार्यान्वित करने में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रगति हासिल की है। इस बेमिसाल विधान की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से सराहना की गई है। अनेक राज्यों ने इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में उत्साह दिखाया है और इसके तहत बनाए गए नियम भी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। राज्यों से दिनांक 31 मार्च, 2009 तक प्राप्त सूचना के अनुसार, 20.50 लाख दावे पेश किए गए हैं और लगभग 1.53 लाख अधिकार-पत्रों को संवितरित कर दिया गया है। 1.93 लाख से अधिक अधिकार-पत्र वितरण के लिए तैयार हैं। यह आशा है कि अधिकांश राज्य वर्ष 2009 में इस प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे।

1.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2006 के दौरान, प्रारूप "राष्ट्रीय जनजातीय नीति" तैयार की है, जिसमें जनजातियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल किए गए हैं। इस नीति ने संविधान में निहित सिद्धांतों और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों से शक्तियां प्राप्त की हैं। साथ ही नीति में जनजातीय परंपराओं और संस्कृति की शक्ति का भी पता लगाया गया है। इस नीति में कवर किए गए मुख्य मुद्दे निम्नलिखित से संबंधित हैं: जनजातीय भूमि का अन्य संक्रमण; जनजातीय-वन अंतरापृष्ठ; विस्थापन; पुनर्स्थापन और पुनर्वास; मानव विकास सूचकांक की वृद्धि; महत्वपूर्ण अवसंरचना का सृजन, प्रबल अभिव्यक्तियां; विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का संरक्षण और विकास, जनजातीय उपयोजना रणनीति को अपनाना, सशक्तिकरण; लिंग समानता, गैर-सरकारी संगठनों का समर्थन प्राप्त करना, जनजातीय संस्कृति और परंपरागत ज्ञान; जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन विनियामक और संरक्षणात्मक प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि। इस नीति का मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया और व्यापक स्तर पर परामर्श किया गया। इस नीति का अंतिम मसौदा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष 31.5.2007 को अनुमोदन के लिए रखा गया। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने यह नीति राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के साथ सुमेलित करने के लिए मंत्रियों के समूह के विचारार्थ भेजी है। मंत्रियों के समूह ने काफी विचार-विमर्श करने के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। तद्नुसार मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को मंत्रिमंडल नोट में शामिल किया गया था और इसे दिनांक 14.7.2008 को तथा पुनः 7.11.2008 को मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्तुत किया गया था ताकि इसे मंत्रिमंडल को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा सके। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस मंत्रिमंडल नोट को मार्च, 2009 में इस अभ्युक्ति के साथ वापस किया कि इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री कार्यालय से और परामर्श किया जाना अपेक्षित है और यदि आवश्यक हो तो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई सरकार बनने पर मंत्रिमंडल सचिवालय को संशोधित नोट प्रस्तुत किया जाए।

1.4 देश के चिह्नित वन ग्रामों में जनजातियों की दशाओं में सुधार करने के लिए मंत्रालय ने वन ग्रामों के विकास के लिए वर्ष 2005-06 में शुरू किए गए कार्यक्रमों को जारी रखा। राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए गठित की गई समिति की सिफारिशों के मद्देनजर मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का 11वीं योजना अवधि तक विस्तार किया है ताकि इन राज्यों में विकास संबंधी कार्यकलापों में वृद्धि करके इन्हें समेकित किया जा सके। अब तक 2413 वन ग्रामों के विकास के लिये 608.76 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

1.5 मंत्रालय पिछले वर्षों की तरह, इस वर्ष के दौरान प्रभावी जनजातीय उपयोजना संघटक (केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए 8 प्रतिशत और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में) को अलग बजट शीर्ष में रखने की और जनजातियों के कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन को अधिक केन्द्रीयकृत तथा एकीकृत रूप से समर्थ बनाने के लिए सक्रिय रूप से वकालत करता रहा है ताकि संसाधनों के बिखराव से बचा जा सके। ऐसे राज्यों, जो अपनी जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में जनजातीय उप-योजना के लिए निधियां अभिनिर्धारित नहीं कर रहे हैं, को भी मंत्रालय की चिंता से अवगत करा दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि योजना आयोग द्वारा जनजातीय उप-योजना से संबंधित राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अनुमोदित करने से पहले इन राज्यों के साथ बैठक आयोजित करने सहित जनजातीय उपयोजना दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाए।

1.6 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

की योजना में मौजूदा आय सीमा 1,00,000/– रु. को संशोधित करके 1,08,000/– रु. किया है। यह संशोधन वर्ष 2007–08 से प्रभावी है।

1.7 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए मंत्रालय ने पीटीजी आबादी वाले सभी राज्यों में तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों के संघ राज्य में 11वीं योजना अवधि के लिए संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी) योजना की तैयारी सुनिश्चित की है। ये सीसीडी योजनाएं राज्यों द्वारा इस उद्देश्यार्थ आधारभूत सर्वेक्षणों पर आधारित आवास विकास दृष्टिकोण के आधार पर तैयार की गई हैं।

1.8 जनजातीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फोटो प्रभाग के सहयोग से अक्तूबर, 2008 में **"वन निवासी जनजाति"** विषय पर द्वितीय राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस फोटो प्रतियोगिता के माध्यम से जनजातियों की जीवन शैली के सांस्कृतिक और सांकेतिक घटकों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार की फोटो प्रतियोगिताओं से शौकिया और जनजातीय फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि भविष्य में जनजातीय जीवन शैली के बेमिसाल पहलुओं को देखा जा सके और उन्हें प्रदर्शनी, सम्प्रेषण तथा आनंद के लिए कलात्मक रूप में बनाए रखा जा सके। पूरे देश के 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 191 प्रतिभागियों से प्राप्त 1165 फोटो में से विशेषज्ञ जूरी ने 13 पुरस्कार विजेता प्रविष्टियों, 3 मुख्य पुरस्कार तथा 10 प्रशंसनीय पुरस्कार प्रविष्टियों को चुना। पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को दिनांक 21 फरवरी, 2009 को आयोजित किए जाने वाले जनजातीय त्यौहार **"प्रकृति"** के दौरान अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

1.9 राष्ट्रीय जनजातीय त्यौहार **"प्रकृति"** का आयोजन 21 से 23 फरवरी, 2009 के बीच मेघदूत ओपन थियेटर, रविन्द्र भवन कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस राष्ट्रीय जनजातीय त्यौहार में देश के विभिन्न भागों के विभिन्न नृत्य और संगीत कलाकारों ने भाग लिया। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने इस त्यौहार का उद्घाटन किया और वर्ष 2008 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फोटो प्रभाग द्वारा आयोजित फोटो प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए।

(जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा 21-23 फरवरी, 2009 के दौरान संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय जनजाति त्यौहार "प्रकृति, 2009" के उद्घाटन समारोह में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री पी.आर. कींडिया)

1.10.1 मंत्रालय ने जब से संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान से 100 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु विभिन्न राज्यों को स्वीकृति दी है, उस समय से लेकर अब तक प्रत्येक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में मासिक धर्म स्वास्थ्य विज्ञान तथा वर्षा जल संग्रह संरचना पर विशेष ध्यान देते हुए देश में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की प्रगति की समीक्षा हेतु तमिलनाडु के कृष्णा गिरि जिले में होसुर मवेशी फार्म, होसुर में दिनांक 22 तथा 23 सितम्बर, 2008 के दौरान राष्ट्रीय स्तर की दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की।

1.10.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रधानाचार्यों /शिक्षकों सहित 108 छात्रों एवं 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया। धर्मपुरी जिला के समाहर्ता सुश्री पी अमुधा तथा **यूनीसेफ** चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडिया लिमिटेड के प्रमुख सुश्री लिज्जत वर्जर्स ने मासिक धर्म स्वास्थ्य विज्ञान पर प्रस्तुति दी। होल इन द वाल एजुकेशन लिमिटेड के श्री अभिषेक गुप्ता ने कम्प्यूटर के माध्यम से स्वयं सीखने की अवधारणा पर प्रस्तुति दी। विभिन्न राज्यों के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य/शिक्षकों ने भी अपने राज्यों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की प्रगति पर प्रस्तुति दी।

1.10.3 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मुख्यत: जनजातीय क्षेत्रों में है, जहां पेयजल की कमी है और इसका सबसे उत्तम समाधान इन क्षेत्रों में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रह करना है। इस कार्यशाला में छात्राओं को मासिक धर्म स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी देने तथा वर्षा जल संग्रह पर विशेष ध्यान दिया गया। जहां तक विद्यालयों मे कम्प्यूटर प्रशासन के माध्यम से स्वयं सीखने की अवधारणा की बात है, इसमें भाग लेने वालों ने कुछ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में परीक्षण के आधार पर शुरू की गई इस प्रणाली, जिसका विस्तार कर सभी विद्याालयों में इसे ले जाने की संभावना है, की प्रशंसा की है।

अध्याय 2

जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप - सिंहावलोकन

2.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन करने एवं उन्हें पूरक बनाने तथा अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने से संबंधित हैं। यद्यपि, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संवर्धन के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी केन्द्रीय मंत्रालयों की होती है, तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से बनाई गई अनुकूल योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से उनके प्रयासों को पूरक बनाता है। आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित ये योजनाएं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं और राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

2.2 मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त सिंहावलोकन नीचे दिया गया है और इनका ब्यौरा अनुवर्ती अध्यायों में दिया गया है।

2.3 चूंकि शिक्षा का विकास आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रगति का सोपान है तथा जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए सर्वाधिक कारगर उपाय है, इसलिए उनकी शिक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए इस वर्ष के दौरान अधिकतम प्रयास किए गए।

2.4 अनुसूचित जनजातियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्वोपरि स्कीम **"मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति"** (पीएमएस) को एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में जारी रखा गया। पीएमएस की योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में 225.86 करोड़ रुपए व्यय किए गए। **"अनुसूचित जनजातीय लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास"** की योजना का लक्ष्य अनुसूचित जनजातीय लड़कों और लड़कियों को शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धि में वृद्धि करके अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों की मिडिल/उच्च स्तर पर स्कूल बीच में ही छोड़ने की वर्तमान दर को कम करना है। अनुसूचित जनजातियों के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास के निर्माण पर वर्ष 2008-09 में 65 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई।

2.5 आश्रम विद्यालयों की योजना ऐसी एक अन्य योजना है, जिसका लक्ष्य अनुसूचित जनजातीय लड़कों और लड़कियों को दी जा रही शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करना है। यह विस्तार उनकी शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाकर इस उद्देश्य हेतु समर्पित आवासीय विद्यालयों के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2008-09 में आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (वीटीसी) की योजना के अंतर्गत, जिसका लक्ष्य अनुसूचित जनजातियों के युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उनके रोजगार की संभावना में वृद्धि करना है, 790 लाभार्थियों को कवर करने वाली गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित 9 परियोजनाओं हेतु वर्ष 2008-09 के दौरान 1.47 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए तथा 5,290 लाभार्थियों को कवर करने वाले 75 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु 7.00 करोड़ रुपए राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त किए गए हैं।

2.6 वर्ष 2008-09 के दौरान, मंत्रालय ने जनजातीय क्षेत्रों में कम साक्षरता वाले पॉकेटों में महिला साक्षरता के विकास हेतु 'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा को सुदृढ़ करने' की योजना के तहत 126 शैक्षिक परिसरों को निधियाँ उपलब्ध कराई हैं। राज्य सरकारों की स्वायत्त संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों को 40 करोड़ रुपए का अनुदान देकर अनुसूचित जनजाति

की लगभग 26272 छात्राओं को इसके अंतर्गत लाया गया।

2.7 "स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" योजना के तहत वर्ष 2008-09 के दौरान लगभग 354 परियोजनाओं, यथा-आवासीय विद्यालय और गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय, सचल औषधालय तथा 10 या अधिक बिस्तरों वाले चिकित्सालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, ग्रामीण रात्रि विद्यालय, कृषि प्रशिक्षण आदि हेतु 43.11 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया है और इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 6.05 लाख अनुसूचित जनजातीय व्यक्तियों को लाभ मिला है।

2.8 "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास" योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-2009 के दौरान मंत्रालय ने "आदिम जनजातियों के लिए संरक्षण-सह-विकास योजनाओं" (सी.सी.डी.) के अनुसार प्राथमिकता वाले कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए 13 राज्यों को 192.07 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की है।

2.9 मंत्रालय "**अनुसंधान और जन-शिक्षा, जनजातीय त्यौहार और अन्य**" योजना के तहत अनेक कार्यकलाप करता है जिनमें अन्य कार्यकलापों के साथ-साथ विख्यात संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंधान और मूल्यांकन, सम्मेलन/कार्यशालाएं और प्रकाशन, फोटो प्रतियोगिताएं, जनजातीय त्यौहार, जनजातीय खेलकूद, जनजातियों द्वारा दौरों का आदान-प्रदान और राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार शामिल हैं। राज्य सरकारों के साथ 50:50 की हिस्सेदारी पैटर्न के आधार पर 18 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को भी अनुदान प्रदान किया जाता है। ये जनजातीय अनुसंधान संस्थान अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन करते हैं, आंकडे एकत्र करते हैं, परम्परागत कानून को संहिताबद्ध करते हैं और प्रशिक्षण, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करते हैं तथा इस प्रकार राज्य सरकारों को योजना-इनपुट प्रदान करते हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान उपर्युक्त कार्यकलापों को करने के लिए 10.40 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया जो वर्ष 2007-08 के दौरान किए गए उपयोग की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है।

2.10 मंत्रालय द्वारा यथा-निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में आय अर्जित करने वाले अवसरों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली पहलों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले वर्षों की तरह ही मंत्रालय ने जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता(एससीए टू टीएसपी) योजना के तहत जनजातीय उप-योजना राज्यों को निधियों को निर्मुक्त करना जारी रखा। दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2008-09 के कुल परिव्यय 900.00 करोड़ रुपए में से 631.35 करोड़ रुपए निर्मुक्त कर दिए गए हैं और वन ग्रामों के विकास के लिए 149.52 करोड़ रुपए वर्ष 2008-09 के दौरान निर्मुक्त कर दिए गए हैं।

2.11 संविधान के **अनुच्छेद 275(1)** के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के आधार पर धनराशि निर्मुक्त करने की प्रथा को वर्ष 2008-09 में जारी रखा गया। वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न राज्यों को अपने यहां की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को उन्नत करने के लिए 339.78 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई।

2.12 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) नामक राष्ट्रीय स्तर का एक अन्य संगठन ने अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त प्रदान करने, सरलीकरण एवं निधियां जुटाने के लिए एक उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में कार्य करना जारी रखा। मंत्रालय द्वारा की गई पहल पर, विभिन्न राज्य सरकारों के जनजातीय कल्याण विकास सचिवों/प्रभारी आयुक्तों और एनएसटीएफडीसी के राज्य चैनेलाइजिंग अभिकरणों (एस.सी.ए.) की एक राष्ट्रीय कार्यशाला 17.12.2007 को आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के कार्यान्वियन में राज्य चैनेलाइजिंग अभिकरणों द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है, उनसे संबंधित विभिन्न मामलों और योजनाओं के संचालन में सुधार करने से संबंधित सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया था। इस बैठक से राज्य अभिकरणों द्वारा स्कीमों के कार्यान्वयन में समस्याओं को अभिनिर्धारित करने के संबंध में एनएसटीएफडीसी का मार्ग प्रशस्त हुआ। दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार, इससे निगम वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान 162.35 करोड़ रुपए संस्वीकृत करने और 92.74 करोड़ रुपए निर्मुक्त करने में सक्षम हुआ।

2.13 मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बहु-राज्य सहकारी समिति, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) लिमिटेड को ट्राइफेड के नए रोड मैप के अंतर्गत निम्नलिखित चार मुख्य कार्यकलाप करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम **"जनजातीय उत्पादन/उत्पादों का विपणन विकास"** के तहत सहायता-अनुदान प्रदान किया है:

(i) खुदरा विपणन विकास

(ii) एमएफपी विपणन विकास

(iii) अनुसूचित जनजातीय शिल्पकारों/एमएफपी संग्राहकों का व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण

(iv) अनुसंधान और विकास/बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर)

मंत्रालय ने वर्ष 2008-09 के दौरान ट्राइफेड को इस स्कीम के तहत 21.20 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है।

2.14 केन्द्रीय क्षेत्र की योजना **"राज्य जनजातीय विकास निगमों (एसटीडीसीसी) इत्यादि को लघु वन उत्पाद (एमएफपी) प्रचालनों के लिए सहायता-अनुदान"** के तहत मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से एसटीडीसीसी को लघु वन उत्पाद प्रचालनों (एमएफपी का प्रापण और प्रसंस्करण, भण्डारण भवनों का निर्माण, अनुसंधान और विकास कार्यकलाप इत्यादि) को करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है। वर्ष 2008-09 में विभिन्न एसटीडीसीसी को 16 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे।

2.15 जनजातीय विकास से संबंधित अंतर क्षेत्रक मुद्दों पर स्थायी समिति, जिसके अध्यक्ष डॉ. भालचंद्र मुंगेकर, सदस्य, योजना आयोग हैं और कुछ मुख्य मंत्रालयों के सचिव इसके सदस्य हैं, भी इस मंत्रालय की सहायता कर रही है। यह समिति विचार-विमर्श करते समय अपनी बैठक में कुछ विख्यात व्यक्तियों को भी शामिल करती है। इस समिति ने "अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और शासन के मानक" विषय पर अपनी तीसरी रिपोर्ट दिनांक 31.03.2009 को प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत कर दी है।

अध्याय 3

मंत्रालय : एक परिचय

टिप्पणी: जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों के लिए समग्र नीति, आयोजन और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। क्षेत्रक कार्यक्रमों और इन समुदायों की नीति, आयोजना, निगरानी, मूल्यांकन आदि के विकास की योजनाओं के विषय में, इनका समन्वय संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का दायित्व होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग जो इस क्षेत्रक से संबंध रखता है, नोडल मंत्रालय या विभाग होगा।

अधिदेश

3.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन अक्तूबर, 1999 में किया गया था और इसका उद्देश्य एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत अल्पसुविधा प्राप्त वर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजातियों के समेकित सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इस उद्देश्य हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अंतर्गत आबंटित विषयों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप करता है। इनमें शामिल हैं -

(1) अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ।

(2) जनजातीय कल्याण: जनजातीय कल्याण योजना बनाना, परियोजनाओं का प्रतिपादन करना, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी एवं प्रशिक्षण।

(3) जनजातियों के कल्याण में स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन एवं विकास।

(4) अनुसूचित जनजातियां, जिसमें इन जनजातियों के लिए छात्रवृत्तियां शामिल हैं।

(5) अनुसूचित जनजातियों का विकास।

5(क) वन भूमियों पर वनों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संबंध में विधान सहित सभी मामले।

6(क) सड़कों, पुल निर्माण कार्य तथा उन पर नौघाटों को छोड़कर असम के स्वायत्त जिलों से संबंधित मामले; और

(ख) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए और संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 से संलग्न सारणी के भाग "क" में विनिर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के लिए राज्यों के राज्यपालों द्वारा बनाए गए विनियम।

7(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग जहां तक कि वे अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं; तथा

(ख) किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के संबंध में निर्देश जारी करना।

8 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।

9 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955(1955 का 22) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989(1989 का 33) का कार्यान्वयन, जिसमें अनुसूचित जनजाति से संबंधित

अपराधों के संबंध में आपराधिक मामलों का न्याय करना शामिल नहीं है।

भूमिका

3.2 इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन देने और उन्हें पूरक बनाने के लिए हैं तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए हैं। **इस प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों की है।** यह मंत्रालय विशेष रूप से अनुकूल बनाई गई योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के जरिए अपने प्रयासों को पूरक बनाता है। इनमें आर्थिक, शिक्षा और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाएं सम्मिलित हैं और ये जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं तथा इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जाता है ।

संगठन

3.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री पी.आर. किंडिया और माननीय राज्य मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव तथा मंत्रालय के सचिव श्री गौतम बुद्ध मुखर्जी के समग्र मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। सचिव के कार्य में संयुक्त सचिव डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव, श्रीमती रुचिरा पंत, उपमहानिदेशक (सांख्यिकी) श्री एच.के. शर्मा और आर्थिक सलाहकार श्रीमती उर्वशी साधवानी सहायता करते हैं। संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में श्री एस. के. राय और मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में श्री ए. एस. चौहान सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की सहायता करते हैं। इस मंत्रालय के संगठन में प्रभाग, अनुभाग और एकक हैं। प्रत्येक प्रभाग के अध्यक्ष उपसचिव/निदेशक स्तर के अधिकारी हैं । जनजातीय कार्य मंत्रालय में (5 वेतन एवं लेखा कार्यालय के पदों सहित) कुल 134 कर्मचारी हैं, और कार्यशील संख्या 113 है, जिसमें समूह "क" के 33 पद, समूह "ख" के 51 पद, समूह "ग" के 31 पद तथा समूह "घ" के 16 पद हैं। मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना **अनुबंध: 3-क** पर दी गई है।

प्रशासन

3.4.1 मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के स्थापना और सामान्य प्रशासन से संबंधित मामलों पर प्रशासन प्रभाग में कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, विभाग के लिए केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों और संवर्ग बाह्य पदों जैसे आर्थिक सलाहकार संवर्ग, सांख्यिकीय संवर्ग आदि के स्थापना संबंधी मामलों पर इस प्रभाग में कार्रवाई की जाती है।

3.4.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय आरंभ से ही स्थान की समस्या से जूझ रहा है। राज्य मंत्री का कार्यालय निर्माण भवन में है और कुछ प्रभाग अर्थात् अनुसंधान और मीडिया प्रभाग, निगरानी एवं मूल्यांकन प्रभाग और सहकारी विपणन एवं नियमन प्रभाग अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस में स्थानांतरित कर दिये गये हैं, वाहनों की अतिरिक्त संख्या है और उचित समन्वय के लिए स्टाफ प्रयासरत रहता है।

कंप्यूटर केन्द्र (एनआईसी)

3.5.1 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) ने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, विकास और प्रचालन के लिए शास्त्री भवन में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए कंप्यूटर केन्द्र स्थापित किया है। एनआईसी 'लैन' तथा 'वैन' के कार्यकरण का रख रखाव कर रही है। नये एंटी वायरस सर्वर और पैच प्रबंधन सर्वर की स्थापना शास्त्री भवन में विंडोज और एंटी वायरस सॉफ्टवेयर के ऑनलाइन उन्नयन के लिए की गई है।

3.5.2 एनआईसी ने इंटरनेट कनेक्शन के लिए 24 नोड वाले अगस्त क्रांति भवन में 20 एमबीपीएसआरएफ के बैक-अप सहित 2 एफबीपीएस लीज्ड लाइन के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए भी 'लैन' की स्थापना की है।

3.5.3 मंत्रालय की वेबसाइट का नियमित अद्यतनीकरण (**URL: http://www.tribal.gov.in**) किया जाता है जैसे कि (अनुसूचित जनजातियां और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006) शिक्षा प्रभाग, अनुसंधान और मीडिया की अधिसूचनाएं, नियम, समाचार, योजनाएं आदि समय-समय पर वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं।

3.5.4 एनआईसी; ट्राइफेड, एनसीएसटी, एनएसटीएफडीसी को आईटी सहायता भी प्रदान करता है और इनकी वेबसाइट जैसे **http://www.trifed.nic.in, http://www.tribes.nic.in, http://www.ncst.nic.in, http://www.nstfdc.nic.in** का रखरखाव करता है।

3.5.5 वन अधिकार के कार्यान्वयन के लिए वेब आधारित पोर्टल अनुवीक्षण प्रणाली को लागू किया गया है और विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। समग्र डीडीओ (कॉम.डीडीओ) को भी कार्यान्वित किया गया है। गैर-सरकारी संगठन प्रभाग (गैर-सरकारी संगठन सहभागिता) की स्कीम अनुवीक्षण प्रणाली को भी लागू किया गया है। राज्य अनुदान प्रभाग के लिए वेब आधारित स्कीम अनुवीक्षण के डिजाइन और विकास से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है और इसे शीघ्र शुरू किया जाएगा।

3.5.6 मंत्रालय की नई वेबसाइट के डिजाइन और विकास से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है । इसे शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

बजट आबंटन

3.6.1 मंत्रालय की वर्ष 2008-09 की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 2121.00 करोड़ रुपए का बजट आवंटन था और संशोधित अनुमान 1970.00 करोड़ रुपए था। वर्ष 2008-09 (अनंतिम) के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई कुल निर्मुक्तियां 1805.9124 करोड़ रुपए हैं, जो संशोधित अनुमान का 91.67 प्रतिशत है। इसकी तुलना में, वर्ष 2007-08 के दौरान की गई कुल निर्मुक्तियां 1524.3187 करोड़ रुपए थी जो कि संशोधित अनुमान की तुलना में 88.63 प्रतिशत थी। वर्ष 2009-10 के लिए बजट-आबंटन 3205.50 करोड़ रुपए है।

3.6.2 वर्ष 2006-07, वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान योजना-वार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय का ब्यौरा **अनुबंध-3 (ख)** में दिया गया है।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

3.7.1 हिन्दी संघ की राजभाषा है इसलिए सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए मंत्रालय सक्रियता से कार्य कर रहा है। हिन्दी अनुभाग में एक सहायक निदेशक (राजभाषा), एक वरिष्ठ अनुवादक, दो कनिष्ठ अनुवादक एवं एक हिन्दी आशुलिपिक है। सभी पदों पर व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। यह अनुभाग अनुवाद का कार्य और राजभाषा नीति तथा अधिनियम का कार्य कर रहा है। यह मंत्रालय के अधीन संगठनों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति को भी मानीटर करता है।

3.7.2 मंत्रालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या 134 है जिनमें से अधिकांश को या तो हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है अथवा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है ।

राजभाषा अधिनियम/नियम तथा वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3.8.1 राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम, 2008-09 में विभिन्न कार्यालयों/क्षेत्रों आदि के साथ किए जाने वाले पत्राचार संबंधी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में दिया जा रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को अधिकतर पत्र हिन्दी में भेजे गए। सभी प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट द्विभाषी रूप में तैयार की जा रही हैं। रबड़ की सभी मोहरें तथा मुद्रित स्टेशनरी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाई गईं हैं। मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है।

3.8.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी/समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है।

हिन्दी पखवाड़ा

3.9 मंत्रालय में दिनांक 15 से 29 सितम्बर, 2008 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान राजभाषा प्रश्नोत्तरी, हिन्दी में टिप्पण लेखन, हिन्दी निबंध लेखन और हिन्दी टंकण जैसे कार्यकलाप और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बहुत उत्साह से भाग लिया।

सतर्कता कार्यकलाप

3.10.1 डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव को दिनांक 28.03.2007 से मंत्रालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया। सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय के सचिव की सहायता करते हैं और मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच सम्पर्क-सूत्र का कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपने सामान्य कार्य करने के अतिरिक्त सतर्कता संबंधी कार्य भी देखते हैं। मंत्रालय में निदेशक (सतर्कता) मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यों को निभाने में सहायता करते हैं। जनता की जानकारी के लिए कार्यालय परिसर में मानक सूचना पटल लगाए गए हैं।

3.10.2 केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त अनुदेशों के अनुसरण में मंत्रालय ने दिनांक 03.11.2008 से 07.11.2008 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया। सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 03.11.2008 को मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को शास्त्री भवन में और उप-महानिदेशक (डीडीजी) ने अगस्त क्रांति भवन में मंत्रालय के कर्मचारियों को शपथ दिलाई।

लोक शिकायत निवारण प्रक्रिया

3.11 डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव को दिनांक 16.1.2007 से निदेशक, शिकायत के तौर पर नामोद्दिष्ट किया गया है। डॉ. सिंह के सम्पर्क विवरण जैसे कमरा नंबर, टेलीफोन नंबर आदि व्यापक रूप से परिचालित किए गए हैं। शिकायत निदेशक अधिकारियों/कर्मचारियों से और कभी-कभार उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनते हैं।

गणतंत्र दिवस समारोह, 2009

3.12.1 मंत्रालय ने इस वर्ष भी पहले से अनुसरण की जा रही प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दो-दो जनजातीय प्रतिनिधियों, एक पुरुष और एक महिला को भारत सरकार के जनजातीय अतिथियों के रूप में गणतंत्र दिवस परेड और समारोह, 2009 को देखने के लिए आमंत्रित किया। 30 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से 51 जनजातीय अतिथियों ने गणतंत्र दिवस परेड 2009 देखी।

3.12.2 नई दिल्ली में अपने रहने की अवधि के दौरान जनजातीय अतिथि भारत के राष्ट्रपति से भी मिलने गए थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय मेहमानों के गणतंत्र दिवस समारोह में भागीदारी के लिए एक प्रमाणपत्र, एक शॉल और एक कलाई घड़ी भी उपहार-स्वरूप प्रदान की। दिनांक 26 जनवरी, 2009 को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड देखने के अलावा, जनजातीय मेहमानों ने 30.01.2009 को राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

3.12.3 मेहमानों को दिल्ली और उसके आसपास तथा आगरा के दर्शनीय स्थानों पर ले जाया गया। उन्होंने आगरा के किले का भ्रमण किया और मथुरा के मंदिरों में दर्शन किए।

संसदीय स्थायी समिति

3.13.1 श्रीमती सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति

(2008-09) ने वर्ष 2008-09 के लिए मंत्रालय की "अनुदान की मांगे" की जांच करने के संबंध में मंत्रालय के विभिन्न प्रतिनिधियों का 02.04.2008 को साक्ष्य लिया। स्थायी समिति ने अपनी चौंतीसवीं रिपोर्ट लोकसभा में 27.04.08 को पेश की, जो इसी दिन राज्यसभा के पटल पर भी रख दी गई ।

3.13.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें' 2007-08 से संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2007-08) ने समिति की पच्चीसवीं रिपोर्ट में दिए गए विचार/सिफारिश पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित अपनी तीसवीं रिपोर्ट दिनांक 4.3.2008 को लोकसभा को प्रस्तुत की और इसी दिन राज्य सभा के सभा पटल पर प्रस्तुत की गई।

3.13.3 माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें' (2007-08) से संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर विभाग संबंधी संसदीय समिति की पच्चीसवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में दिनांक 24.10.2008 को लोक सभा में और दिनांक 15.12.2008 को राज्य सभा में वक्तव्य दिया।

3.13.4 माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें' (2008-09) से संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर विभाग संबंधी संसदीय समिति की चौंतीसवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में दिनांक 15.12.2008 को राज्य सभा में और दिनांक 19.12.2008 को लोकसभा में भी वक्तव्य दिया।

3.13.5 जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2008-09 की 'अनुदानों की मांगें' से संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति ने दिनांक 19.12.2008 को लोकसभा में अपनी चालीसवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे उसी दिन राज्य सभा के सभा पटल पर रखा गया।

संसद की परामर्शदात्री समिति की बैठक

3.14 जनजातीय कार्य मंत्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिनांक 30.6.2008 को आयोजित की गई जिसमें "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता योजना" विषय पर विचार-विमर्श किया गया।

अनुबंध: 3-क

जनजातीय कार्य मंत्रालय
संगठनात्मक संरचना

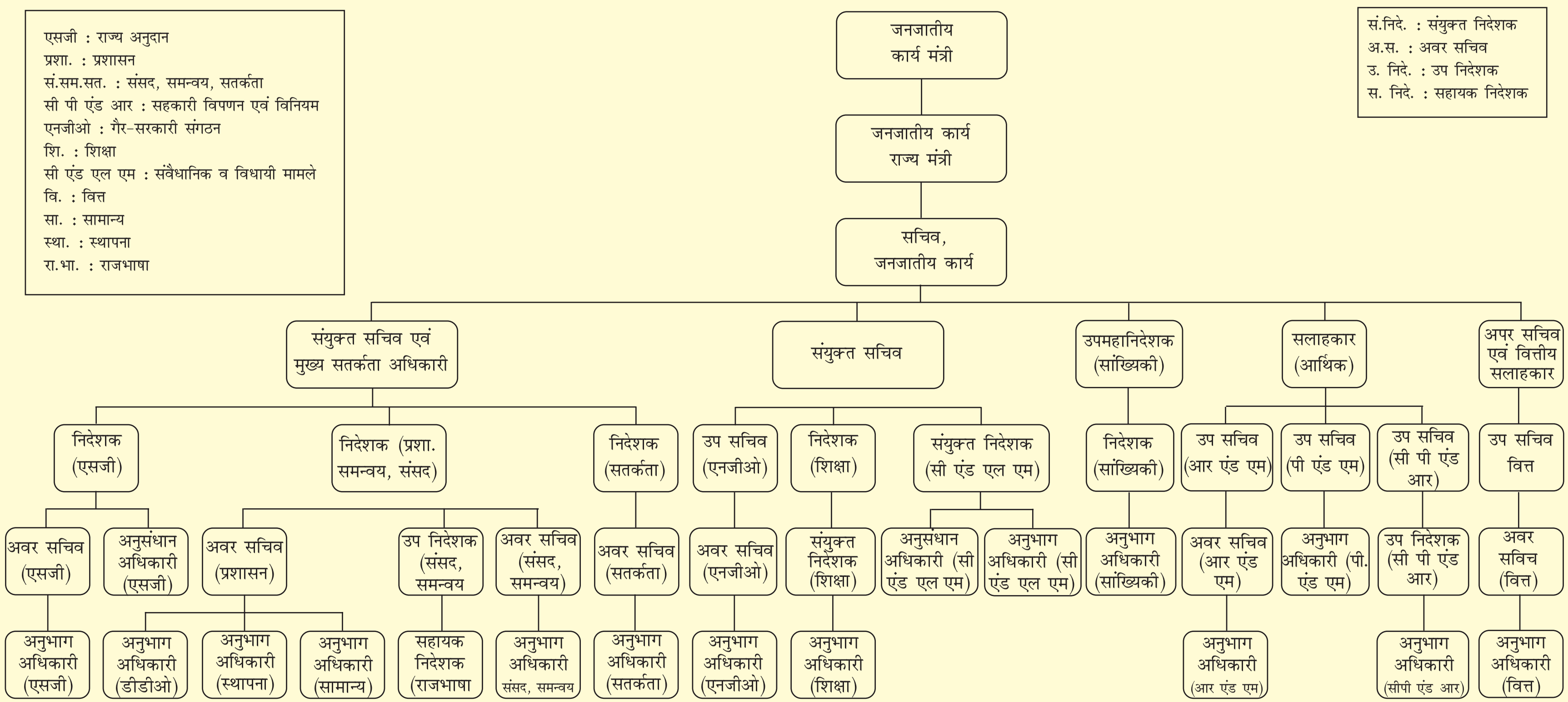

अनुबंध: 3-ख

जनजातीय कार्य मंत्रालय वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान बजट आबंटन, संशोधित आबंटन तथा व्यय (योजना) दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/योजनाएं	अनुमोदित योजना का नाम	2006-07			2007-08			2008-09*		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं										
2225	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	कोचिंग और सम्बद्ध योजनाओं और अनुकरणीय सेवा सहित अनुसूचित जनजाति के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	24.00	26.77	30.7670	30.00	30.00	34.00	26.10	29.10	40.30
2225	अनुकरणीय सेवा के लिए गैर-सरकारी संगठनों को विशेष प्रोत्साहन		0.50	0.50		0.50	0.50	0.4993	0.70	0.70	
2225	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाएं		0.50	0.20	0.1976	1.30	1.30	1.2999	2.5	3.00	2.6088
	2225 का कुल		**25.00**	**27.47**	**30.9646**	**31.80**	**31.80**	**35.80**	**29.30**	**32.80**	**42.91**
3601	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाएं		**0.90**	0.53	0.50	1.00	1.00	1.00	0.19	0.2	0.2
3602	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाएं		**0.10**	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.01	0	0
	2225, 3601, 3602 का कुल		**26.00**	**28.00**	**31.4664**	**33.00**	**33.00**	**36.80**	**29.50**	**33.00**	**43.1088**
2225	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	1.50	1.50	1.50	2.25	2.25	2.25	3.00	1.50	1.474
3601			4.00	6.50	7.00	6.00	6.00	6.75	6.00	6.00	6.972
	कुल		**5.50**	**8.00**	**8.50**	**8.25**	**8.25**	**9.00**	**9.00**	**7.50**	**8.446**
2225	जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	**32.00**	**8.00**	**7.91**	**19.75**	**19.75**	**19.75**	60.00	40.00	40.00
2225	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	ट्राइफेड में निवेश/ समर्थन मूल्य (08-09 से नया नाम- जनजातीय उत्पादों/उत्पाद का बाजार विकास)	8.00	8.98	8.98	29.99	21.70	20.5084	18.99	21.20	21.20
4225	ट्राइफेड में निवेश		2.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
	कुल		**10.00**	**8.98**	**8.98**	**30.00**	**21.70**	**20.51**	**19.00**	**21.21**	**21.20**
3601	लघु उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम	लघु उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम	**16.00**	**16.00**	**17.91**	**20.00**	**20.00**	**18.48**	**40.00**	**16.00**	**16.00**
2225	ग्रामीण अन्न बैंक	ग्रामीण अन्न बैंक	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2225	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	आदिम जनजातीय समूहों का विकास		4.00 4.00	3.89	6.00	6.00	5.4389	4.00	4.00	3.0412
3601			27.50		27.50	34.00 27.43	52.42	52.42	169.00	185.00	189.03
	कुल		**31.50**	**31.50**	**31.32**	**40.00**	**58.42**	**57.86**	**173.00**	**189.00**	**192.0678**
4225	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को समर्थन	8.50	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	50.00	0.00	0.00
4225	राज्य जनजाति वित्त एवं विकास निगम		3.00	0.00	0.00						
	कुल		**11.50**	**0.00**	**0.00**	**35.00**	**35.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**

*अनन्तिम

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/योजनाएं	अनुमोदित योजना का नाम	2006-07			2007-08			2008-09*		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
4225	आदिवासी भवन का निर्माण	आदिवासी भवन का निर्माण	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2225	जनजातीय संस्कृति का उन्नयन	जनजातीय संस्कृति का उन्नयन	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601			0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2225 तथा 3601 का कुल		**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2225	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप	15.90	15.90	15.90	**26.00**	**26.00**	**26.00**	**29.00**	**29.00**	**31.03**
2225	एनआईटीए	एनआईटीए				**1.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2225	उत्कृष्ट संस्थान/उच्च स्तर के संस्थान की योजना	उत्कृष्ट संस्थान/उच्च स्तर के संस्थान की योजना				**10.00**	**1.50**	**1.0490**	**10.00**	**2.50**	**1.2161**
2225	राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना	राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना	**1.00**	**0.23**	**0.1359**	**2.00**	**0.15**	**0.0117**			
	क का कुल (केन्द्रीय क्षेत्र की योजना)		**116.39**	**121.99**	**224.01**	**224.86**	**189.58**	**421.50**	**338.36**	**353.0831**	
ख	**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं**										
2225	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना	0.08	0.04	.0330	1.25	0.10	0.0038	0.10	0.10	0.0314
2225	पुस्तक बैंक										
	2225 का कुल		**0.08**	**0.04**	**0.0000**	**1.2500**	**0.1000**	**0.0038**	**0.10**	**0.10**	**0.0314**
3601	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति		188.20	220.20	255.00	160.19	160.19	199.99	192.90	192.90	225.8317
3601	पुस्तक बैंक										
3601	अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए प्रतिभा उन्नयन की योजन		1.50	1.50	1.50	1.75	1.75	1.3588	2.00	2.00	0.7330
	3601 का कुल		**189.70**	**221.70**	**256.50**	**161.94**	**161.94**	**201.35**	**194.90**	**194.90**	**226.5647**
	2225 तथा 3601 का कुल		**189.78**	**221.74**	**256.500**	**163.190**	**162.040**	**201.353**	**195.000**	**195.000**	**226.5961**
2225	लड़कियों के छात्रावास	अनुसूचित जनजातीय लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	8.00	8.41	5.4091	11.00	11.00	11.00	7.00	6.00	6.00
2225	लड़कों के छात्रावास		3.00								
	2225 का कुल		**11.00**	**8.41**	**5.41**	**11.00**	**11.00**	**11.00**	**7.00**	**6.00**	**6.00**
3601	लड़कियों के छात्रावास		8.00	20.00	22.70	23.50	23.50	26.00	54.00	54.00	59.00
3601	लड़कों के छात्रावास		12.00								
	3601 का कुल		**20.00**	**20.00**	**22.70**	**23.50**	**23.50**	**26.00**	**54.00**	**54.00**	**59.00**
	2225 तथा 3601 का कुल		**31.00**	**28.41**	**28.11**	**34.50**	**34.50**	**37.00**	**61.00**	**60.00**	**65.00**
2225	आश्रम स्कूलों की स्थापना	आश्रम स्कूलों की स्थापना	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601			15.50	15.50	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	
	कुल		**16.00**	**15.50**	**15.50**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**30.00**	**30.00**	**30.00**

*अनन्तिम

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/योजनाएं	अनुमोदित योजना का नाम	2006-07			2007-08			2008-09*		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
2225	राष्ट्रीय जनजातीय कार्य पुरस्कार					0.14	0.00		0.14	0.14	0.00
2225	उत्कृष्टता केन्द्र					0.20	0.20		0.60	0.60	0.4790
2225	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण		0.05	0.30	0.295	0.26	0.30		0.60	0.00	0.00
2225	अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय प्रकृति या अंतर्राज्यीय प्रकृति की समर्थक योजनाएं		0.05	0.70	0.5387	1.00	1.00	1.6939	1.00	1.00	0.65
2225	सूचना एवं मास मीडिया	अनुसंधान सूचना व जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार व अन्य	0.50	1.00	0.9777	1.00	1.26		1.25	1.50	1.37
2225	जनजातीय त्यौहारों का आयोजन		0.30	0.23	0.2238	0.60	0.60		0.70	0.70	0.6992
2225	जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान		0.50	0.30	0.00	0.30	0.30		0.45	0.45	0.00
	2225 का कुल		**1.85**	**2.53**	**2.0352**	**3.5000**	**3.6600**	**1.6939**	**4.74**	**4.39**	**3.2025**
3601	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण		**4.65**	**5.10**	**5.10**	6.00	6.00	5.5461	10.26	8.00	6.87
	2225 तथा 3601 का कुल		**6.50**	**7.63**	**7.1352**	**9.5000**	**9.6600**	**7.2400**	**15.00**	**12.39**	**10.0725**
2225	मूल्यांकन एवं अनुवीक्षण	मूल्यांकन एवं अनुवीक्षण	0.50	0.30	0.04	0.50	0.64	0.05	0.50	0.75	0.33
2251	सूचना प्रौद्योगिकी	सूचना प्रौद्योगिकी	2.00	2.00	1.9783	**1.00**	**1.00**	**0.5545**	**1.50**	**0.50**	**0.1817**
	ख का कुल (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं)		**245.78**	**275.58**	**309.298**	**228.69**	**227.84**	**266.20**	**303.00**	**298.64**	**332.1769**
	ग-एकमुश्त प्रावधान										
2552	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एकमुश्त प्रावधान	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एकमुश्त प्रावधान	44.50	44.00	0.00	50.30	50.30	0.00	80.50	80.50	0.00
4522		पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एकमुश्त प्रावधान (पूंजी	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2552 तथा 4522 का कुल		**45.00**	**44.00**	**0.00**	**50.30**	**50.30**	**0.00**	**80.50**	**80.50**	**0.00**
	क+ख+ग का कुल		**440.19**	**435.97**	**431.293**	**503.000**	**503.000**	**455.778**	**805.00**	**717.50**	**685.26**
घ	**विशेष केन्द्रीय सहायता**										
2225	जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601			816.71	816.71	816.71	816.71	816.71	678.264	900.00	860.50	780.8693
	कुल		**816.71**	**816.71**	**816.71**	**816.71**	**816.71**	**678.26**	**900.00**	**860.50**	**780.8693**
3601	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत योजना	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अंतर्गत योजना	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**390.28**	**416.00**	**392.00**	**339.7841**
	घ का कुल (विशेष केन्द्रीय सहायता)		**1216.71**	**1216.71**	**1216.71**	**1216.71**	**1216.71**	**1068.54**	**1316.00**	**1252.50**	**1120.6534**
	क, ख तथा ग का सकल योग		**1656.90**	**1652.68**	**1648.00**	**1719.71**	**1719.71**	**1524.3187**	**2121.00**	**1970.00**	**1805.9134**

*अनन्तिम

अध्याय 4

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

4.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य संरक्षणात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में स्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय के अतिरिक्त, 1978 में एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। तथापि, 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु–सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए। चूंकि अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं और समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं और उनके समाधानों की तुलना में कहीं अधिक भिन्न थे, जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के विशेष अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए विशेष स्वतंत्र तंत्र का होना आवश्यक समझा गया, इसलिए संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338(क) का समावेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 से एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी।

4.2 आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसे कार्यालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में अपने पद पर बने रहते हैं।

4.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में श्रीमती उर्मिला सिंह, अध्यक्ष, श्री मौरिस कुजुर, उपाध्यक्ष और श्री शैरिंग सैम्फेल तथा श्री ओरिस सियीन मिराइव, सदस्य हैं, तथा इसमें सदस्य का एक पद रिक्त है। उपाध्यक्ष तथा दो सदस्यों के पद रिक्त पड़े हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्त्तव्य, कार्यकलाप और शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 338(क) के उपखंड (5), (8) और (9) में दी गई हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अन्य कार्यों का विनिर्देशन) नियमावली, 2005 के अनुसार आयोग सुरक्षा, कल्याण, विकास एवं उन्नयन से संबंधित कुछ अन्य कार्य भी करेगा, अर्थात् :

(क) वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व अधिकार देने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपाय;

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि के संबंध में जनजातीय समुदायों को सुरक्षा अधिकार देने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) जनजातियों के विकास के लिए किए जाने वाले उपाय और अपेक्षाकृत अधिक व्यवहार्य आजीविका नीति के लिए कार्य करना;

(घ) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ड.) जनजातीय लोगों का भूमि से हस्तांतरण रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और उन लोगों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करना जिनके मामले में पहले ही हस्तांतरण हो चुका है;

(च) वनों के संरक्षण और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजातीय समुदायों का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने और शामिल करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ज) जनजातियों द्वारा खेती को बंटाई पर देने, जिसके कारण उनकी अधिकारिता निरंतर कम होती है और भूमि तथा पर्यावरण का क्षय होता है, की प्रक्रिया को कम करने और अन्ततः समाप्त करने के लिए किए जाने वाले उपाय।

4.4 आयोग के मुख्य कर्त्तव्य हैं अनुसूचित जनजातियों को दी गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच-पड़ताल करना और मॉनीटर करना और ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना; और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से वंचन और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। आयोग के पास अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के वंचन और सुरक्षोपायों से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच-पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर करने के सभी अधिकार हैं, अर्थात् :

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाना एवं बुलावा भेजना तथा उसे शपथ दिलाकर जांच करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सरकारी रिकार्ड अथवा उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना;

(च) कोई अन्य मामला, जिसे राष्ट्रपति नियमानुसार निर्धारित कर सकता है।

4.5 338 के खंड (9) में यह प्रावधान है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

4.6 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची और शिलांग में स्थित हैं। इन कार्यालयों के स्थान और क्षेत्राधिकार नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते	क्षेत्राधिकार
1.	कमरा नं.309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 (टेलीफोनः 0755-2578272/2576530)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा तथा संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप
2.	एन-1/297, आईआरसी ग्राम, भुवनेश्वर-751015 (टेलीफोनः 0674-2551616/2551818)	आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ शासित क्षेत्र और पुदुचेरी
3.	सी-29, लाल कोठी योजना, एसएमएस स्टेडियम के पीछे, पंकज सिंघवी मार्ग, जयपुर-302015 (टेलीफोनः 0141-2741173/2743199)	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र और दमन और दीव
4.	आर-26, सैक्टर-2, अवंती विहार, पोस्ट ऑफिस रविग्राम, रायपुर-492006 (टेलीफोन + 0755-2560869)	छत्तीसगढ़
5.	14, न्यू ए.जी. को-ऑपरेटिव कॉलोनी, कदरू, रांची (टेलीफोनः 0651-2340368/2341677)	बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश

6.	रबेका विला, टेम्पल रोड, लोअर लचुमैरी, शिलांग-793001 (टेलीफोन: 0364-2221362/2504202)	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।

4.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की वर्ष 2006-07 के लिए द्वितीय रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को दिनांक 3.9.2008 को प्रस्तुत कर दी गई है।

अध्याय 5

जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम

जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति तथा कार्यक्रम

5.1 प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनजातीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्पष्ट जनजातीय विकास कार्यनीति तैयार करने के स्थान पर सामुदायिक विकास दृष्टिकोण के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन के प्रावधानों पर जोर दिया गया। इस योजना के अंत तक (1954), 43 विशेष बहुउद्देश्यीय जनजातीय विकास परियोजनाएं बनाई गईं। इन विशेष बहुउद्देश्यीय जनजातीय विकास परियोजनाओं से जनजातीय लोगों के हितों का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा जा सका क्योंकि इन योजनाओं की संख्या ज्यादा थी और ये लगभग एक ही प्रकार की थी। यही दृष्टिकोण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रहा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, जनजातीय विकास के लिए एक अलग कार्यनीति तैयार की गई जिसमें उन सामुदायिक विकास ब्लॉकों, जिनमें जनजातीय जनसंख्या की बहुलता 66 प्रतिशत और उससे अधिक थी, को जनजातीय विकास ब्लॉकों में परिवर्तित किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में जनजातीय विकास ब्लॉकों की संख्या 504 तक बढ़ गई। जनजातीय विकास ब्लॉकों के माध्यम से विकास की इस कार्यनीति की अपनी सीमाएं थीं और इसलिए यह जनजातीय विकास ब्लॉकों के बाहर रहने वाली देश की जनजातीय आबादी जिसमें 60 प्रतिशत से ज्यादा जनजातीय जनसंख्या सम्मिलित है, के हितों का समाधान करने में विफल रही है।

विद्यमान कार्यनीति - जनजातीय उपयोजना

5.2.1 जनजातीय लोगों के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रो. एस.सी. दुबे की अध्यक्षता में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1972 में गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जनजातीय उपयोजना कार्यनीति तैयार की गई जिसे पहली बार पांचवी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। यह कार्यनीति तब से जारी है। जनजातीय उपयोजना कार्यनीति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(i) किसी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के सीमा क्षेत्र के भीतर जनजातियों के कल्याण और विकास से संबंधित योजना तैयार करना उस राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र की समग्र योजना का एक भाग है और इसलिए इसे उपयोजना कहा जाता है।

(ii) जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत प्रदान की गई निधियां कम से कम प्रत्येक राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र की जनजातीय आबादी के अनुपात के बराबर होनी चाहिए।

(iii) किसी राज्य अथवा किसी संघ शासित क्षेत्र की जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों को जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाते हैं। ये लाभ किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र, की समग्र योजना से मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त होते हैं।

(iv) जनजातीय उपयोजना में निम्नलिखित कार्यनीतियों की व्यवस्था होनी चाहिए :-

(क) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिए संसाधनों की पहचान करना;

(ख) विकास के लिए मोटे तौर पर नीतिगत ढांचा तैयार करना; तथा

(ग) इसके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक कार्यनीति को परिभाषित करना।

(v) जनजातीय उपयोजना कार्यनीति को 22 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। टीएसपी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तालिका 5.1 में दिए गए हैं।

तालिका 5.1 : टीएसपी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश
असम	महाराष्ट्र
बिहार	मणिपुर
छत्तीसगढ़	राजस्थान
गोवा	सिक्किम
गुजरात	तमिलनाडु
हिमाचल प्रदेश	त्रिपुरा
जम्मू और कश्मीर	उत्तर प्रदेश
झारखंड	उत्तराखंड
कर्नाटक	पश्चिम बंगाल
केरल	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
उड़ीसा	दमन और दीव

(vi) अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों और लक्षद्वीप तथा दादरा व नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र में जनजातीय उपयोजना की अवधारणा लागू नहीं होती क्योंकि इन राज्यों में जनजातीय जनसंख्या यहां की कुल जनसंख्या के 80 प्रतिशत से अधिक है और इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में वार्षिक योजना स्वयं में जनजातीय योजना है।

5.2.2 जबकि राज्यों से अपने यहाँ की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर जनजातीय उपयोग के तहत निधियां प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है और जबकि जनजाति कार्य मंत्रालय तथा योजना आयोग दोनों ने ही राज्यों को ऐसा करने के लिए पत्र लिखा था तथापि राज्यों ने वर्ष 2008-09 की वार्षिक योजना तैयार करते समय दुर्भाग्यवश इसका अनुपालन नहीं किया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वर्ष 2008-09 की वार्षिक योजना के परिव्यय और जनजातीय उपयोजना के तहत संबंधित अनुपात अथवा प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध: 5-क** में दिया गया है।

केन्द्रीय मंत्रालयों का जनजातीय उपयोजना घटक

5.3.1 जनजातीय उपयोजना की कार्ययोजना का पालन केन्द्रीय मत्रालयों/विभागों में भी किए जाने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में निधियों का पर्याप्त प्रवाह बनाए रखने की जरूरत है। योजना आयोग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को ऐसा करने का अनुरोध किया था, कि वे अपनी वार्षिक योजनाओं में देश में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता अर्थात वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 8.2 प्रतिशत के अनुसार जनजातीय उपयोजना के लिए निधियों का निर्धारण करें।

5.3.2 अनेक मंत्रालयों ने परियोजनाओं के अलग-अलग स्वरूप का उल्लेख करते हुए इनमें जनजातीय उपयोजना घटक का अलग से प्रावधान करने में कठिनाई के बारे में सूचित किया है, क्योंकि उनकी परियोजनाएं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित सभी समुदायों पर लागू होती हैं। मंत्रालय ने इसे ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए जनजातीय उपयोजना के संबंध में अलग तरह की कार्यनीति का सुझाव देने के लिए योजना आयोग से सम्पर्क किया है।

राज्य सरकारों की जनजातीय उपयोजना

5.4.1 योजना आयोग ने भी राज्यों को निर्देश देते हुए आदेश जारी किया है कि राज्य के कुल बजट परिव्यय में से जनजातीय उपयोजना हेतु राशि आरक्षित रखें, जो अलग बजट शीर्ष कोड 796 में रखी जानी है। योजना आयोग द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार जनजातीय उपयोजना की निधियां अपरिवर्तनीय तथा अव्यपगत है। इन दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था भी की गई है कि राज्यों में जनजातीय उपयोजना के निरूपण एवं कार्यान्वयन हेतु जनजातीय कल्याण विभाग नोडल विभाग होगा।

5.4.2 जनजातीय उपयोजना को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्ति के लिए यह व्यवस्था की गई है कि कुल आबंटन के 10 प्रतिशत के बराबर राशि निर्धारित की

जाए तथा इसे जनजातीय उपयोजना को अपनाने हेतु संस्थागत ढांचे में परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है और उसे केवल उन राज्यों में आबंटित किया जाना है, जो पूर्ववर्ती वर्ष में कार्यान्वियन एजेंसियों को राज्य के जनजातीय विकास विभाग के बजट शीर्ष के माध्यम से अनुमोदित जनजातीय उपयोजना निधियों की कम से कम 75 प्रतिशत से अधिक राशि वास्तविक रूप से निर्मुक्त करते हैं। जनजातीय बहुल राज्यों के मामले में मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत निर्मुक्त अनुदानों में 75 प्रतिशत का उपयोग अभिनव परियोजनाओं हेतु/प्रोत्साहन अनुदान के रूप में करने के लिए विचार किया जाएगा।

जनजातीय विकास कार्यक्रमों का वित्त पोषण

5.5 जनजातीय विकास के लिए निधियां निम्नलिखित स्रोतों से आती हैं

(i) राज्य योजना।

(ii) जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, (एससीए) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान तथा मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत निधियां।

(iii) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के क्षेत्रीय कार्यक्रम, और

(iv) संस्थागत वित्त।

परिणाम

5.6.1 प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों के आधार पर विकास कार्यक्रमों से सम्बद्ध मंत्रालयों द्वारा बजटिंग निष्पादन की प्रणाली 1969 में प्रारंभ की गई थी। तत्पश्चात, वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण (2005-06) में कही गई बातों के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री ने विकास संबंधी कार्यक्रमों की अवधारणा, डिजाइन तथा इनके कार्यान्वयन को परिणाम 'उन्मुख' बनाकर इनकी गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया।

5.6.2 तद्नुसार, जनजातीय कार्य मंत्रालय का पहला परिणामी बजट दस्तावेज फरवरी, 2006 के बजट सत्र में प्रस्तुत किया गया था ।

5.6.3 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा अपने 12.12.2006 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि अब परिणामी और निष्पादन बजट एक ही दस्तावेज में दिए जाएंगे और इसका शीर्षक होगा परिणामी बजट 2007-08।

5.6.4 तदनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय ने परिणामी बजट 2007-08 तैयार किया और इसे फरवरी 2007 के बजट सत्र में संसद में प्रस्तुत किया गया।

5.6.5 वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 12.12.2007 के परिपत्र के जरिए परिणामी बजट 2008-09 को तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए। इस परिपत्र में निहित अनुदेशों के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा परिणामी बजट 2008-09 तैयार किया गया और इसे संसद के बजट सत्र 2008 में प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष 2008-09 के योजनागत (वार्षिक योजना) परिव्यय का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा और राज्यों द्वारा वार्षिक योजना (एपी) 2008-09 के लिए बनाई गई जनजातीय उपयोजना की स्थिति

(क) राज्य, जिन्होंने पर्याप्त प्रावधान नहीं किए हैं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		वार्षिक योजना 2008-09 (करोड़ रु. में)		
		अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत में	राज्य योजना परिव्यय	जनजातीय उपयोजना को जारी निधियां	वार्षिक योजना में जनजातीय उपयोजना का प्रतिशत
1	असम	12.4	5011.51	38.14	0.76
2	छत्तीसगढ़	32.4	9600.00	उ.न.	उ.न.
3	गोवा	12.1	1737.65	उ.न.	उ.न.
4	गुजरात	14.8	21000.00	उ.न.	उ.न.
5	जम्मू और कश्मीर	10.9	4500.00	0.00	0.0
6	कर्नाटक	6.6	26188.83	1263.90	4.80
7	केरल	1.1	7700.00	उ.न.	उ.न.
8	महाराष्ट्र	8.9	25000.00	1941.50	7.76
9	राजस्थान	12.6	14000.00	1706.60	12.2
10	सिक्किम	20.6	852.00	83.62	9.8
11	तमिलनाडु	1.0	16000.00	32.11	0.20
12	उत्तर प्रदेश	3.0	35000.00	40.00	0.14
	कुल		**166589.99**	**5105.87**	**3.06**

(ख) राज्य जिन्होंने पर्याप्त/अतिरिक्त प्रावधान किए हैं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		वार्षिक योजना 2008-09 (करोड़ रु. में)		
		अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत में	राज्य योजना परिव्यय	जनजातीय उपयोजना को जारी निधियां	वार्षिक योजना में जनजातीय उपयोजना का प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	6.60	44000.00	3331.96	7.6
2	बिहार	0.09	13500.00	203.99	1.5
3	हिमाचल प्रदेश	5.60	2400.00	216.00	9.0
4	झारखण्ड	26.30	8015.00	4111.84	51.30
5	मध्य प्रदेश	20.30	14182.61	3137.06	22.20
6	मणिपुर	34.20	1660.00	731.73	44.10
7	उड़ीसा	22.10	7500.00	1699.73	22.70
8	त्रिपुरा	31.10	1450.00	501.34	34.60
9	उत्तराखंड	0.10	4775.00	143.25	3.00
10	पश्चिम बंगाल	5.50	11602.38	1385.22	11.90
11	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.30	672.62	66.72	9.90
	कुल		109757.61	15528.84	14.15

(स्रोत: योजना आयोग)

अध्याय 6

अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियां

6.1.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के लिए किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया है, अनुसूचित जनजाति के माने जाएंगे।

6.1.2 अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशेष से संबंधित है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति का घोषित किया हो तो जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय के लोग अनुसूचित जाति के माने जाएं। अनुसूचित जनजाति का पता लगाने की जो जरूरी विशेषताएं होनी चाहिए और जिनका पहली बार निर्धारण लोकुर समिति द्वारा किया गया था, इस प्रकार हैं :

(क) आदिम जनजातीय गुण;

(ख) अनूठी संस्कृति;

(ग) आम लोगों से संपर्क करने से कतराना;

(घ) भौगोलिक अलगाव; और

(ङ) पिछड़ापन।

6.1.3 अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय को शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है और इसकी प्रक्रिया इसी अध्याय में आगे दर्शायी गई है।

जनजातियों का वितरण

6.2.1 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की कुल जनसंख्या 8.43 करोड़ है जो कुल आबादी का 8.2 प्रतिशत है। जनजातियों की जनसंख्या में वर्ष 1991 से 2001 के बीच 24.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आधी से ज्यादा जनजातीय आबादी की बहुलता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात राज्यों में है।

6.2.2 जनजातीय समुदाय देश के लगभग 15% क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालात में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों और अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। जबकि कुछ जनजातीय समुदायों ने जीवन की मुख्यधारा की शैली अपना ली है वहीं दूसरी और 75 ऐसे विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह हैं जो अपनी निम्नलिखित विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं:-

(क) कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी;

(ख) स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या;

(ग) बहुत ही कम साक्षरता; तथा

(घ) अर्थव्यवस्था का न्यूनतम स्तर

6.2.3 भारत के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जनजातियों की जनसंख्या तालिका 6.1 में दर्शायी गयी है।

तालिका 6.1: विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जनजातीय आबादी वितरण

क्र.सं.		देश की कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या में राज्य/संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत
1	मध्य प्रदेश	14.51
2	महाराष्ट्र	10.17
3	उड़ीसा	9.66
4	गुजरात	8.87
5	राजस्थान	8.42
6	झारखण्ड	8.40
7	छत्तीसगढ़	7.85
8	आन्ध्र प्रदेश	5.96
9	पश्चिम बंगाल	5.23
10	कर्नाटक	4.11
11	असम	3.92
12	मेघालय	2.36
13	नागालैंड	2.10
14	जम्मू और कश्मीर	1.31
15	त्रिपुरा	1.18
16	मिजोरम	1.00
17	बिहार	0.90
18	मणिपुर	0.88
19	अरुणाचल प्रदेश	0.84
20	तमिलनाडु	0.77
21	केरल	0.43
22	उत्तरांचल	0.30
23	हिमाचल प्रदेश	0.29
24	दादरा और नगर हवेली	0.16
25	सिक्किम	0.13
26	उत्तर प्रदेश	0.13

6.2.4 जबकि कुछ राज्यों में जनजातीय आबादी, जब भारत की कुल जनजातीय आबादी की प्रतिशतता की गणना की जाती है तो राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों की कुल जनजातीय आबादी की प्रतिशतता की तुलना में कम है (उदाहरण के लिए लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली)। इसके बावजूद कुछ राज्यों में जनजातीय आबादी की बहुलता है जैसा पहले बताया गया है, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में निवास करती है।

प्रमुख जनजातियां

6.3 भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित 700 से अधिक जनजातियां हैं जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैली हुई हैं। अनेक जनजातियां एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं। उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक संख्या (अर्थात् 62) है। इन 700 समानार्थी अथवा इसी प्रकार की बहुत अधिक जनजातियां हैं जो अनुसूची में सूचीबद्ध की गई हैं।

जनसंख्या संबंधी प्रवृत्तियां तथा वर्तमान स्थिति

6.4.1 **जनसंख्या प्रोफाइल :** वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 8.43 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का 8.2% है। जनजातीय जनसंख्या 1961 से लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित राज्यवार कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या, 1991-2001 के बीच की वृद्धि दर इत्यादि **अनुबंध-6(क)** में दी गई है।

6.4.2 **वृद्धि :** जनजातीय जनसंख्या के संबंध में वर्ष 1971 से 1981 की जनगणना के बीच के दशक के दौरान बढ़ोतरी (35.79%) कुल जनसंख्या के मुकाबले (25.0%) से अधिक रही है। जनगणना वर्ष 1981-1991 के बीच जनजातीय जनसंख्या वृद्धि (31.64%) रही है जोकि समस्त जनसंख्या के संदर्भ में (23.51%) है। इसी प्रकार वर्ष 1991 से 2001 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या वृद्धि दर 22.66% की तुलना में यह 24.45% रही है। जनजातियों के संबंध में सबसे उच्च वृद्धि दर कर्नाटक राज्य 80.82% तथा इसके बाद नागालैंड में (67.23%) रही है। कुछ मामलों में

आबादी की वृद्धि दर का कारण अनुसूचित जनजातियों की सूची में नए समुदायों को शामिल करना है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर अंडमान व निकोबार (10.08%) तथा हिमाचल प्रदेश (12.02%) रही है।

6.4.3 **लिंग अनुपात :** (2001 की जनगणना के अनुसार) समग्र जनसंख्या के लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुष, 933 महिलाएं) की तुलना में जनजातियों में लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुष, 977 महिलाएं इस प्रकार की गिरावट के बावजूद ज्यादा अनुकूल है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड को छोड़कर देश के अन्य समस्त राज्यों में 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातियों के संदर्भ में लिंग अनुपात सामान्य लिंग अनुपात से बेहतर रहा है।

6.4.4 **बाल लिंग अनुपात :** वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, पूरे देश की सामान्य आबादी में से 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 940 लड़कियां हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए यह अनुपात प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 985 लड़कियों का होना अधिक अनुकूल है। वर्ष 2001 में बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 919 लड़कियां होने पर और भी गिर गया। अनुसूचित जनजातियों के बीच हालांकि इसमें गिरावट आयी है, तथापि प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 972 लड़कियों का होना बेहतर स्थिति को दर्शाता है।

6.4.5 दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में 0 से 6 वर्ष आयु समूह में अनुसूचित जनजातीय लिंग अनुपात सकारात्मक है। इस संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 1991 में 1000 लड़कों की तुलना में 1018 लड़कियां थीं जिसमें वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार गिरावट आई और 1000 लड़कों की तुलना में 1009 लड़कियां रह गई। तथापि इस राज्य क्षेत्र में सामान्य लिंग अनुपात 1005 लड़कियां (1991) और 911 लड़कियां (2001) प्रति 1000 लड़कों की तुलना में अधिक ही था। बाल लिंग अनुपात के वर्ष 1991 तथा 2001 की जनगणना के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाले आंकड़े **अनुबंध-6(ख)** में दिए गए हैं।

6.4.6 **साक्षरता :** समस्त जनसंख्या के संदर्भ में जनगणना के अनुसार 1991 से 2001 तक साक्षरता दर 52.21% से बढ़कर 64.84% हो गई है और जनजातियों में साक्षरता दर 29.60% से बढ़कर 47.10% हो गई। वर्ष 1991 से 2001 की अवधि के दौरान जनजातियों में पुरुष साक्षरता 40.65% से बढ़कर 59.17% हो गई। इसी अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों की पुरुष साक्षरता 40.65% से बढ़कर 59.17% तथा महिला साक्षरता 18.19% से बढ़कर 34.76% हो गई है। अनुसूचित जनजातीय महिला साक्षरता सामान्य जनसंख्या की समग्र महिला साक्षरता की तुलना में लगभग 21% विन्दु कम है। तथापि कुल प्रतिशतता में वृद्धि और अनुसूचित जनजातियों की महिला साक्षरता में वृद्धि महत्वपूर्ण है।

6.4.7 अनुसूचित जनजातियों की साक्षारता दर 1961 में 8.53% से बढ़कर 2001 में 47.10% हो गई है जबकि इसी अवधि के दौरान कुल जनसंख्या की साक्षरता 1961 में 28.30% से बढ़कर 2001 में 64.84% हो गई है। इसका ब्यौरा नीचे तालिका 6.2 में दिया गया है :-

तालिका 6.2 : अनुसूचित जनजातियों तथा सभी सामाजिक समूहों में साक्षरता

वर्ष	अनुसूचित जनजातियां			सभी सामाजिक समूह		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1961	13.83	3.16	8.53	40.40	15.35	28.30
1971	17.63	4.85	11.30	45.96	21.97	34.45
1981	24.52	8.04	16.35	56.38	29.76	43.57
1991	40.65	18.19	29.60	64.13	39.29	52.21
2001	59.17	34.76	47.10	75.26	53.67	64.84

स्रोत : भारत का महापंजीयक

6.4.8 वर्ष 1991 से 2001 के बीच अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि समान अवधि के दौरान कुल आबादी की साक्षरता दर में 12.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अनुसूचित जनजाति के लिए वर्ष 1991 में 22.46 प्रतिशत की साक्षरता दर में पुरुष-महिला अंतराल वर्ष 2001 में बढ़कर 24.41 प्रतिशत हो गया जबकि कुल आबादी के लिए इसका प्रतिशत 1991 में 24.84 प्रतिशत से घटकर 2001 में 21.59 प्रतिशत रह गया।

6.4.9 अनुसूचित जनजातियों तथा समग्र जनसंख्या के बीच साक्षरता अंतराल का प्रतिशत 2001 के दौरान 0.5 से बढ़कर 31.9 प्रतिशत हो गया। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू तथा कश्मीर जैसे राज्यों में अनुसूचित जनजाति और कुल आबादी के बीच वर्ष 2001 के दौरान साक्षरता दर का प्रतिशत अंतराल 17.7 (अर्थात् अखिल भारतीय साक्षरता अंतराल) से अधिक है। उत्तर प्रदेश, बिहार और दादरा तथा नगर हवेली के अलावा 1991 से 2001 के बीच सभी राज्यों में साक्षरता अंतराल में गिरावट दर्ज की गई है। जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार ने 1991 की जनगणना की तुलना में उतना ही अंतराल बनाए रखा किन्तु यह अंतराल दादरा और नगर हवेली के मामले में बढ़ गया। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अनुसूचित जनजातियों और इन राज्यों की समग्र जनसंख्या के बीच साक्षरता अंतराल का प्रतिशत 25 से अधिक है। राज्यवार ब्यौरे विवरण अनुबंध-6(ग) में दिए गए हैं।

पिछड़ेपन के संकेतक

6.5 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातीय आबादी का 44.70% वर्ग कृषक तथा 36.9% कृषि मजदूर थे, 2.1% घरेलू उद्योगों में कामगार तथा 16.3% अन्य धन्धों में कामगार थे। अतः इन समुदायों के प्रमुख कामगारों का लगभग 81.6% प्राइमरी क्षेत्र के कार्यकलापों में लगा था। ये असमानताएं औपचारिक शिक्षा बीच में छोड़ने की दर में बढ़ोतरी से और बढ़ जाती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों में उनका प्रतिनिधित्व कम रह जाता है। यह हैरानी की बात नहीं है कि इसका समग्र प्रभाव यह होता है कि गरीबी रेखा के नीचे अनुसूचित जनजातियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। योजना आयोग से जारी किए गए विवरण में यह देखा गया है कि वर्ष 1993-94 में अनुसूचित जनजातीय गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 51.94 था, जबकि उसी वर्ष शहर में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 41.14 था। वर्ष 2004-05 के दौरान जारी किए गए गरीबी रेखा के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 47.2% तथा 39.9% पाया गया है। इस तरह वर्ष 1993-94 से 2004-05 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों में क्रमशः 4.7% एवं 1.15% की गिरावट आई है। राज्यवार ब्यौरा तालिका 6.3 में नीचे दिया गया है।

तालिका 6.3 : वर्ष 2004-05 राज्यवार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी (सामाजिक समूह वार) का प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण				शहरी			
		अनु. ज. जाति	अनु. जाति	अ.पि. वर्ग	अन्य	अनु. ज. जाति	अनु. जाति	अ.पि. वर्ग	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	**30.5**	15.4	9.5	4.1	50.0	**39.9**	28.9	20.6
2	असम	**14.1**	27.7	18.8	25.4	4.8	**8.6**	8.6	4.2
3	बिहार	**53.3**	64.0	37.8	26.6	57.2	**67.2**	41.4	18.3
4.	छत्तीसगढ़	**54.7**	32.7	33.9	29.2	41.0	**52.0**	52.7	21.4
5	दिल्ली	**0.0**	0.0	0.0	10.6	9.4	**35.8**	18.3	6.4
6	गुजरात	**34.7**	21.8	19.1	4.8	21.4	**16.0**	22.9	7.0
7	हरियाणा	**0.0**	26.8	13.9	4.2	4.6	**33.4**	22.5	5.9

8	हिमाचल प्रदेश	**14.9**	19.6	9.1	6.4	2.4	**5.6**	10.1	2.0
9.	जम्मू और कश्मीर	**8.8**	5.2	10.0	3.3	0.0	**13.7**	4.8	7.8
10.	झारखंड	**54.2**	57.9	40.2	37.1	45.1	**47.2**	19.1	9.2
11.	कर्नाटक	**23.5**	31.8	20.9	13.8	58.3	**50.6**	39.1	20.3
12.	केरल	**44.3**	21.6	13.7	6.6	19.2	**32.5**	24.3	7.8
13.	मध्य प्रदेश	**58.6**	42.8	29.6	13.4	44.7	**67.3**	55.5	20.8
14.	महाराष्ट्र	**56.6**	44.8	23.9	18.9	40.4	**43.2**	35.6	26.8
15.	उड़ीसा	**75.6**	50.2	36.9	23.4	61.8	**72.6**	50.2	28.9
16.	पंजाब	**30.7**	14.6	10.6	2.2	2.1	**16.1**	8.4	2.9
17.	राजस्थान	**32.6**	28.7	13.1	8.2	24.1	**52.1**	35.6	20.7
18.	तमिलनाडु	**32.1**	31.2	19.8	19.1	32.5	**40.2**	20.9	6.5
19.	उत्तर प्रदेश	**32.4**	44.8	32.9	19.7	37.4	**44.9**	36.6	19.2
20.	उत्तराखंड	**43.2**	54.2	44.8	33.5	64.4	**65.7**	46.5	25.5
21.	पश्चिम बंगाल	**42.4**	29.5	18.3	27.5	25.7	**28.5**	10.4	13.0
	अखिल भारत	**47.3**	36.8	26.7	16.1	33.3	**39.9**	31.4	16.0

संक्षेपाक्षर अ.ज.- अनुसूचित जाति अ.ज.जा.- अनुसूचित जनजाति ओबीसी- अन्य पिछड़ा वर्ग

स्रोत : योजना आयोग

अन्यों के बनाम अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वास्थ्य संकेत

6.6 बाल मृत्यु, 5 वर्ष से नीचे बाल मृत्यु और मात्र बाल मृत्यु, दरों के साथ-साथ अन्य वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों को तालिका 6.4 में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.4 : कुछ स्वास्थ्य संकेतक

संकेतक	**शिशु मृत्यु दर/ 1000**	**5 वर्ष से नीचे उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर/ 1000**	**कम वजन के बच्चों का प्रतिशत**
भारत	57.0	74.3	18.4
अनुसूचित जाति	66.4	88.1	23.2
अनुसूचित जनजाति	62.1	95.7	35.8
अन्य पिछड़ा वर्ग समूह	56.6	72.8	17.3
अन्य	48.9	59.2	10.8

स्रोत : एन.एफ.एच.एस 3, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

शिक्षा

6.7 प्रारंभिक स्तर के लिए (कक्षा I-VIII) सकल नामांकन अनुपात को 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में बच्चों की अनुमानित जनसंख्या में प्रारंभिक स्तर पर नामांकन की प्रतिशतता के रूप में परिभाषित किया गया है। सकल नामांकन अनुपात सभी जनजातियों के संबंध में वर्ष 2000-01 में 88 प्रतिशत से वर्ष 2004-05 में 102.04 प्रतिशत और कुल जनसंख्या के संबंध में वर्ष 2000-01 में 81.6 प्रतिशत से वर्ष 2004-05 में 93.5 प्रतिशत हो गया है। सभी श्रेणियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में प्रारंभिक स्तर (I-VIII) पर सकल नामांकन अनुपात नीचे तालिका 6.5 में दिया गया है :-

इन अवस्थाओं में नामांकन में आयु से नीचे और आयु से ऊपर शामिल हैं, अत: कुछ मामलों में कुल प्रतिशत 100% से अधिक हो सकता है।

तालिका 6.5 : प्रारंभिक स्तर (I-VIII) के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) (आंकडे प्रतिशत में)

(आंकडे प्रतिशत में)

अनुसूचित जनजाति				कुल आबादी		
वर्ष	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1995-96	105.7	75.1	90.9	86.9	69.4	78.5
1999-2000*	99.3	70.9	85.2	90.1	72.0	81.3
2000-01*	102.5	73.5	88.0	90.3	72.4	81.6
2001-02*	99.8	77.3	88.9	90.7	73.6	82.4
2002-03*	86.7	73.9	80.5	85.4	79.3	82.5
2003-04*	90.6	81.1	86.1	87.9	81.4	84.8
2004-05	108.5	95.8	102.4	96.9	89.9	93.5

*अनंतिम

स्रोत : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

आारंभिक स्तर पर जीईआर में वर्ष 2001-01 की अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए जेंडर असमानता 29.0 प्रतिशत से घट कर 2004-05 वर्ष में 12.7 प्रतिशत रह गई और 2000-01 में कुल आबादी के लिए 17.9 प्रतिशत से घट कर 2004-05 में 7.0 प्रतिशत रह गई।

पुनर्रचित 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006

6.8.1 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। कार्यक्रमों की निगरानी पुनर्रचित 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत शामिल की गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से जनजातीय उपयोजना वाले 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है।

6.8.2 20 सूत्रीय कार्यक्रम को सरकार द्वारा पुनर्रचित किया गया है और यह मंत्रालय निम्नलिखित मदों का अनुवीक्षण करता है :-

1. अनुसूचित जनजाति के सहायता प्राप्त परिवार
2. वन निवासियों के अधिकार - लघु वन-उत्पाद के स्वामी
3. विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह

6.8.3 राष्ट्रीय जनजाति वित्त और विकास निगम ने वर्ष 2008-09 के दौरान 52,000 लाभार्थियों को आय अर्जित करने वाले कार्यकलापों के तहत और 1,60,000 लाभार्थियों को विपणन सहायता कार्यकलाप के तहत अनुसूचित जनजातीय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका ब्यौरा **अनुबंध-6(घ)** में दिया गया है।

संवैधानिक गारंटी :

6.9.1 भारत के संविधान में समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक गारंटी प्रदान की गई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट कुछ प्रावधान इस आकार हैं :

(i) सामाजिक :

- कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)

- राज्य को नागरिकों के शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करने हैं {अनुच्छेद 15(4)}।

- राज्य के अधीन किसी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)।

- राज्य को किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्ति, पदों के संबंध में आरक्षण के लिए प्रावधान करना जिसे राज्य की राय में राज्य के अधीन, सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया हैं {अनुच्छेद 16(4)}।

- राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदों की किसी श्रेणी या श्रेणियों में पदोन्नति के मामले में प्रावधान करने हैं {अनुच्छेद 16(4क)}।

- अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध कराए गए संवैधानिक सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच, मानीटरिंग और मूल्यांकन करना है {अनुच्छेद 338(क)}।

- राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति {अनुच्छेद 339(1)}।

- सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की तथा उन कठिनाइयों जिनके अंतर्गत वे श्रम करते हैं, की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति और ऐसी कठिनाइयों को दूर करने तथा उनकी दशा में सुधार लाने के लिए सिफारिश करना (अनुच्छेद 340)।

- अनुसूचित जनजातियां समझे जाने के लिए जनजातियों या जनजातीय समुदायों को विनिर्दिष्ट करना (अनुच्छेद 342)।

(ii) आर्थिक :

- राज्य को समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखकर इन्हें बढ़ावा देना है और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करना है (अनुच्छेद 46)।

- अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष भारत की समेकित निधि से सहायता अनुदान तथा अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन (अनुच्छेद 275(1)।

- प्रशासन की दक्षता के अनुरक्षण से सामंजस्य रखने को ध्यान में रखते हुए संघ के या एक राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के दावे (अनुच्छेद 335)।

(iii) राजनीतिक :

- संविधान की पांचवीं अनुसूची में निर्धारित किए गए विशेष प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य (असम, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर) में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित इस प्रकार के मामलों पर सलाह देने के लिए (विशेष रूप से पांचवीं अनुसूची के राज्यों के संबंध में) जनजातीय सलाहकार परिषदों का गठन करना अपेक्षित है {अनुच्छेद 244(1)}।

- कतिपय जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में घोषित करके और साथ ही जिला परिषदों, स्वायत्त परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों का गठन करके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए छठी अनुसूची और विनिर्दिष्ट प्रावधान {अनुच्छेद 244(2)}।

- लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 330)।

- राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 332)।

- प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 243 घ)।
- आयोजना और नीति निर्माण की प्रक्रिया में जनजातियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के माध्यम से संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों का विस्तार।

6.9.2 जनजातियों का सूचीकरण एवं गैर-सूचीकरण: "अनुसूचित जनजातियां" शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में इस प्रकार की गई है, "ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंतर्गत भागों या समूहों, जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां होना समझा जाता है" अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अनुसरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

6.9.3 संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, तथा जहां यह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श से जनजातियों या जनजातीय समुदायों या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। इससे जनजाति या इसके भाग को संविधान में किए गए रक्षोपायों के प्रावधान का आह्वान करते हुए उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

6.9.4 संविधान के अनुच्छेद 342 का खण्ड (2) संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या शामिल नहीं करने के लिए कानून पारित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

6.9.5 इस प्रकार, किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों की सूची **अनुबंध-6 (ङ)** में दी गई है। इसके बाद आदेशों को संसद के अधिनियम द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। उपर्युक्त अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का सूचीकरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार करने का प्रावधान है न कि अखिल भारतीय आधार पर करने का।

6.9.6 किसी समुदाय को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं-

(क) आदिम विशेषताओं के संकेत

(ख) विशिष्ट संस्कृति

(ग) भौगोलिक एकाकीपन

(घ) बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सम्पर्क में संकोच, तथा

(ङ) पिछड़ापन ।

6.9.7 इस मानदंड का उल्लेख संविधान में नहीं है, परन्तु यह सुस्थापित और स्वीकृत हो चुका है। यह 1931 की जनगणना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर) 1955, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची के संशोधन संबधी सलाहकार समिति (लोकूर समिति) 1965 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के आदेश (संशोधन) विधेयक 1967 (चंदा समिति) 1969 में उल्लिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखा जाता है।

6.9.8 अनुसूचित जनजातियों की सूची **अनुबंध-6 (च)** में दर्शाई गई है। अनुसूचित जनजातियों की इस सूची में हाल ही में जोड़े/घटाए गए नाम मोटे अक्षरों में दिए गए हैं ।

6.9.9 हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

व्यक्तियों की अनुसूचित जनजाति की स्थिति का पता लगाना

6.10.1 (क) **सामान्य :** जहां कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है वहां यह प्रमाणित किया जाना चाहिए :-

(i) कि वह व्यक्ति या उसके माता-पिता दावा किए गए समुदाय से वास्तव में संबंधित हैं;

(ii) कि वह समुदाय अपने संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है;

(iii) कि वह व्यक्ति उस राज्य तथा उस राज्य के अंतर्गत उस क्षेत्र से संबंधित है जिसका समुदाय अनुसूचित किया गया है;

(iv) वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है;

(v) कि वह या उसके माता-पिता/दादा-दादी आदि उसके मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करने की तारीख को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिए।

(vi) वह व्यक्ति जो अपने मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थाई रूप से अर्थात् उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त करने आदि के कारण दूर होता है तो उसे भी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, यदि उसकी जनजाति उस आदेश में उसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई है। परंतु इस तथ्य के बावजूद कि उस राज्य जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, के संबंध में उसकी जनजाति के नाम को राष्ट्रपति के किसी आदेश में अधिसूचित किया गया है, उसके अस्थायी निवास के संबंध में उसे राष्ट्रपति के उक्त आदेश में शामिल नहीं माना जा सकता।

(vii) राष्ट्रपति के संबंधित आदेश के अधिसूचित होने की तारीख के पश्चात् पैदा हुए लोगों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति की हैसियत प्राप्त करने के लिए वह निवास स्थान मान्य होगा जो उक्त आदेश जिसके तहत उन्होंने इस प्रकार की जनजाति होने का दावा किया है, के अधिसूचित होने की तारीख को उनके माता-पिता का स्थायी निवास स्थान था। यह लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति की पात्रता के लिए इस संघ शासित क्षेत्र में जन्म होना अपेक्षित होता है।

(ख) एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अनुसूचित जनजाति का दावा

(i) यदि एक व्यक्ति राज्य के उस भाग जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है, से उसी राज्य के दूसरे भाग जिसके संबंध में वह समुदाय अनुसूचित नहीं है, में चला जाता है तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाना जारी रहेगा।

(ii) यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो वह केवल अपने मूल राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के संबंध में नहीं कर सकता जिसमें वह बस गया है।

(ग) विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति दावे

इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना नहीं समझा जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा।

(घ) अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करना

6.10.2 अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को निम्नलिखित निर्धारित प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी

द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी किए जा सकते हैं:-

1. जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/ उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

   (जो प्रथम श्रेणी के वेतनभोगी मजिस्ट्रेट से निचले स्तर के न हों)

2. मुख्य प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट।

3. राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे के स्तर के न हों।

4. उस क्षेत्र जहां वह उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्यतौर पर निवास करता है, के उप-मण्डलीय अधिकारी।

5. प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीपसमूह)।

(ङ) बिना उचित सत्यापन के अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों को दंड ।

6.10.3 यदि किसी अधिकारी के संबंध में यह पता चलता है कि उसने अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र असावधानीपूर्वक तथा बिना उचित सत्यापन के जारी कर दिया है, तो भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह उन पर लागू उपयुक्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा होगी।

(च) अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना

6.10.4 किसी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के लिए आए हैं वे उस राज्य से प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं जहां से वे आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का निर्धारित प्राधिकारी उसके पिता/माता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके पिता/माता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने उस परिस्थिति को छोड़कर जिसमें वह निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है, उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जो एक अन्य राज्य से आया है। यह प्रमाणपत्र इसका ध्यान किए बिना जारी कर दिया जाएगा कि वह संबंधित जनजाति उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिसमें वह व्यक्ति आया है, में अनुसूचित है अथवा नहीं। तथापि, वे आवास किए गए राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लाभों के पात्र नहीं होंगे ।

(छ) अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या शामिल नहीं करने संबंधी प्रक्रिया:

6.10.5 जून, 1999 में सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल करने और शामिल नहीं करने संबंधी दावों के निर्णय के लिए प्रक्रियाओं को अनुमोदित किया। इन अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल उन मामलों को विचारार्थ लिया जाएगा जिन पर राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की सहमति होगी। जब कभी किसी राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अपेक्षित है, मंत्रालय संबधित राज्य सरकार को उस अभ्यावेदन को सिफारिश के लिए भेज देता है। यदि संबंधित राज्य सरकार उस प्रस्ताव की सिफारिश करती है तो उसे भारत के महापंजीयक को भेज दिया जाता है। यदि भारत के महापंजीयक राज्य सरकार की सिफारिश से संतुष्ट होते हैं तो वह उस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश के साथ भेजते हैं। तत्पश्चात्, सरकार उस प्रस्ताव को अनुसूचित जनजाति आयोग को सिफारिश के लिए भेजती है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी सिफारिश कर देता है तो उस मामले पर मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए कार्यवाही की जाती है। उसके बाद मामले को राष्ट्पति के आदेश को संशोधित करने के लिए एक विधेयक के रूप में संसद के

समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। सूची में सम्मिलित करने या इससे निकालने से संबंधित ऐसे मामले जिनके संबंध में राज्य सरकार अथवा भारत के महापंजीयक अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से समर्थन प्राप्त नहीं होता है, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है।

अनुसूचित क्षेत्र

6.11.1 अनुसूचित जनजातियां अन्य समुदायों के विपरीत सटे हुए क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए उनके हितों की रक्षा करने के लिए विकास संबधी कार्यकलापों तथा विनियम संबंधी प्रावधानों के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण रखना अधिक आसान होता है।

6.11.2 अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए भूमि तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में प्रावधान संविधान की पांचवी अनुसूची तथा छठी अनुसूची में दिए गए हैं।

6.11.3 संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पांचवीं अनुसूची इन अनुसूचित क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करती है जिन्हें राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में राज्यपाल के परामर्श के पश्चात् आदेश द्वारा इस प्रकार के क्षेत्रों के रूप में घोषित करें।

6.11.4 संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्रों को "जनजातीय क्षेत्र के रूप में" घोषित किया गया है और ऐसे क्षेत्रों के लिए जिला अथवा क्षेत्रीय स्वायत्त परिषदों की व्यवस्था की गई है । इन परिषदों को विभिन्न प्रकार की विधायी, न्यायिक तथा कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं।

पांचवीं अनुसूची क्षेत्र

6.11.5 पांचवीं अनुसूची के अधीन किसी क्षेत्र को "अनुसूचित क्षेत्र" के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं-

- जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य,
- सघनता तथा क्षेत्र का उचित प्रकार,
- व्यवहार्य प्रशासनिक अस्तित्व जैसे वह जिला, ब्लॉक या तालुक हो, तथा
- निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन ।

6.11.6 एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में "अनुसूचित क्षेत्रों" का विनिर्दिष्टीकरण, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। परिवर्तन में वृद्धि, कमी, नए क्षेत्रों को शामिल करने या "अनुसूचित क्षेत्रों" से संबंधित किसी आदेश को रद्द करने के किसी मामले में भी यह लागू होता है।

6.11.7 इस समय निम्नलिखित आदेश अपने मूल रूप या संशोधित रूप में लागू हैं :-

क्र. सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तारीख	राज्य(राज्यों) का नाम जिसके लिए लागू है
1	अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ.9)	26.1.1950	आंध्र प्रदेश
2	अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ.26)	7.12.1950	आंध्र प्रदेश
3	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश 1975 (सी.ओ.102)	21.11.1975	हिमाचल प्रदेश

4	अनुसूचित क्षेत्र (गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109)	31.12.1977	गुजरात और उड़ीसा
5	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी.ओ.114)	12.2.1981	राजस्थान
6	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश 1985 (सी ओ. 123)	2.12.1985	महाराष्ट्र
7	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192)	20.2.2003	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
8	अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 (सी.ओ.229)	11.04.2007	झारखंड

6.11.8 मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों का पुनर्गठन क्रमशः मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 तथा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, पूरे मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का एक भाग नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को अंतरित हो गया और इसी प्रकार के संपूर्ण क्षेत्र मूल राज्य बिहार से झारखंड को अंतरित हो गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवगठित राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त होते रहेंगे, 31 दिसम्बर, 1977 को जारी अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109), जहां तक कि यह बिहार और मध्य प्रदेश के पूरे राज्यों से संबंधित हैं, को संशोधित करना आवश्यक हो गया था। राष्ट्रपति ने 20 फरवरी, 2003 को छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश राज्यों के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नया संवैधानिक आदेश प्रख्यापित किया है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को झारखण्ड राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य) आदेश, 2007 (संवैधानिक आदेश 229) दिनांक 11.04.2007 के अनुसार पुनः परिभाषित किया गया है।

6.11.9 अनुसूचित क्षेत्रों की राज्यवार स्थिति **अनुबंध-6 (छ)** में दी गई है।

अनुसूचित क्षेत्रों के उद्देश्य तथा लाभ

6.12 जनजातियों को सुरक्षा देने और लाभ प्रदान करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं:

(क) अनुसूचित क्षेत्रों वाले किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित के संबंध में विनियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं :

(i) जनजातियों से भूमि के हस्तांतरण को रोकना अथवा इसे नियंत्रित करना;

(ii) अनुसूचित जनजाति के लोगों को धन उधार देने के कारोबार को विनियमित करना। ऐसे किसी विनियम को बनाने में, राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी ऐसे अधिनियम को रद्द या संशोधित कर सकते हैं, जो इस प्रकार के क्षेत्र के लिए लागू हैं।

(ख) राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा यह दिशा-निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर या राज्य में उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा अथवा ऐसे अपवादों तथा संशोधनों की शर्त के अधीन लागू होगा जो वे विनिर्दिष्ट करेंगे।

(ग) उस राज्य का राज्यपाल जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं; उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट वार्षिक रूप से या जब कभी राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए, प्रस्तुत करेगा तथा केन्द्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश देने के लिए होगा।

(घ) अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद (टी ए सी) की स्थापना की जाएगी। अनुसूचित जनजातियों वाले राज्यों जहां कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं हों, में भी भारत के राष्ट्रपति के निर्देश पर जनजातीय सलाहकार परिषद स्थापित की जा सकती है। जनजातीय सलाहकार परिषद में अधिकतम 20 सदस्य होंगे, जिनमें यथासंभव 3/4 राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातीय प्रतिनिधियों में से हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद की भूमिका राज्य सरकार के राज्य में जनजातियों के कल्याण एवं प्रगति से संबंधित मामलों जो इसे राज्य के राज्यपाल द्वारा भेजे जाएं पर सलाह देने की है।

(ङ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996, जिसके तहत संविधान के भाग-9 में दिए गए प्रावधानों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक किया गया था, में भी अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विशेष प्रावधान हैं।

अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग {(अनुच्छेद 339)(1)}

6.13 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास पर और अधिक ध्यान देने के लिए एक अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना सबसे पहले 1960 में की गई। (जो मुख्यत: धेबर आयोग के रूप में जाना जाता है।) दूसरा आयोग भूतपूर्व संसद सदस्य श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में और दस अन्यों सदस्यों सहित 18 जुलाई, 2002 को स्थापित किया गया। आयोग की अवधि 16.7.2004 को समाप्त हो गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 16.7.2004 को भारत के माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी।

छठी अनुसूची

6.14.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के अधीन छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में स्वायत्त जिलों/क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान किए गए हैं।

6.14.2 सामान्यत: "जनजातीय क्षेत्र" शब्द का आशय उन क्षेत्रों से है जहां जनजातीय जनसंख्या की बहुलता है। तथापि, भारत के संविधान में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों को मान्यता दी गई है क्योंकि वे क्षेत्र छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 से संलग्न सारणी के भाग I, IIक तथा III में विनिर्दिष्ट हैं। दूसरे शब्दों में, वे क्षेत्र जहां छठी अनुसूची के प्रावधान लागू हैं जनजातीय क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। इन क्षेत्रों के संबंध में स्वायत्त जिला परिषदें स्थापित की गई हैं और प्रत्येक परिषद में अधिक से अधिक तीस सदस्य होते हैं।

6.14.3 ये परिषदें चुने हुए निकाय हैं और इनके पास कार्यकारी, विकासात्मक तथा वित्तीय दायित्वों के अलावा विधान, न्याय प्रशासन की शक्तियां हैं। जनजातीय क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

भाग - I

1. उत्तरी कछार पहाड़ी जिला
2. कार्बी अंगलोंग जिला
3. बोडोलैंड भौगोलिक क्षेत्र जिला

भाग - II

1. खासी पहाड़ी जिला
2. जयंतिया पहाड़ी जिला
3. गारो पहाड़ी जिला

(भाग - II क)

त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला

भाग - III

1. चकमा जिला
2. मारा जिला
3. लई जिला

6.14.4 जिला तथा क्षेत्रीय परिषदों को जिले में प्राइमरी स्कूलों, औषधालयों, बाजारों, पशुओं के तालाबों, नौघाटों, मछली पालन, सडकों, सड़क परिवहन तथा नहरों की स्थापना, निर्माण और प्रबंधन जैसे मामलों के संबंध में राज्यपाल के अनुमोदन से नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। उत्तरी कछार पहाड़ियों तथा कार्बी अंगलोंग जिले की स्वायत्त परिषदों को माध्यमिक शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, लघु सिंचाई आदि जैसे अन्य मामलों के संबंध में कानून बनाने की अतिरिक्त शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। इन परिषदों को कुछ मुकदमों और अपराधों की सुनवाई के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भी शक्तियां दी गई हैं और राजस्व तथा करों को एकत्र करने के लिए अपने क्षेत्र के लिए राजस्व प्राधिकारी की शक्तियां तथा प्राकृतिक संसाधनों के विनियम तथा आबंधन के लिए अन्य शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।

अनुबंध: 6-क

जनसांख्यिकीय आंकड़े : जनगणना 2001

क्र. सं.	भारत/राज्य	कुल जनसंख्या		दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	अनु. जन. जनसंख्या		दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	2001 में राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत	2001 में भारत की कुल जनसंख्या की तुलना में अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत
		1991	2001		1991	2001			
1.	आंध्र प्रदेश	66,508,008	76,210,007	14.59	4,199,481	5,024,104	19.64	6.6	5.96
2	अरूणाचल प्रदेश	864,558	1,097,968	27	550,351	705,158	28.13	64.2	0.84
3	असम	22,414,322	26,655,528	18.92	2,874,441	3,308,570	15.1	12.4	3.92
4	बिहार	86,374,465	82,998,509		6,616,914	758,351		0.9	0.9
5	छत्तीसगढ़		20,833,803			6,616,596		31.8	7.85
6	गोवा	1,169,793	1,347,668	15.21	376	566	50.53		0.001
7	गुजरात	41,309,582	50,671,017	22.66	6,161,775	7,481,160	21.41	14.8	8.87
8	हरियाणा	16,463,648	21,144,564	28.43					
9	हिमाचल प्रदेश	5,170,877	6,077,900	17.54	218,349	244,587	12.02	4	0.29
10	जम्मू और कश्मीर		10,143,700			1,105,979		10.9	1.31
11	झारखंड		26,945,829			7,087,068		26.3	8.4
12	कर्नाटक	44,977,201	52,850,562	17.51	1,915,691	3,463,986	80.82	6.6	4.11
13	केरल	29,098,518	31,841,374	9.43	320,967	364,189	13.47	1.1	0.43
14	मध्य प्रदेश	66,181,170	60,348,023		15,399,034	12,233,474		20.3	14.51
15	महाराष्ट्र	78,937,187	96,878,627	22.73	7,318,281	8,577,276	17.2	8.9	10.17
16	मणिपुर	1,837,149	2,166,788	17.94	632,173	741,141	17.24	34.2	0.88
17	मेघालय	1,774,778	2,318,822	30.65	1,517,927	1,992,862	31.29	85.9	2.36
18	मिजोरम	689,756	888,573	28.82	653,565	839,310	28.42	94.5	1
19	नागालैण्ड	1,209,546	1,990,036	64.53	1,060,822	1,774,026	67.23	89.1	2.1
20	उड़ीसा	31,659,736	36,804,660	16.25	7,032,214	8,145,081	15.83	22.1	9.66
21	पंजाब	20,281,969	24,358,999	20.1	0				
22	राजस्थान	44,005,990	56,507,188	28.41	5,474,881	7,097,706	29.64	12.6	8.42
23	सिक्किम	406,457	540,851	33.06	90,901	111,405	22.56	20.6	0.13
24	तमिलनाडु	55,858,946	62,405,679	11.72	574,194	651,321	13.43	1	0.77
25	त्रिपुरा	2,757,205	3,199,203	16.03	853,345	993,426	16.42	31.1	1.18
26	उत्तरांचल		8,489,349			256,129		3	0.3
27	उत्तर प्रदेश	139,112,287	166,197,921		287,901	107,963		0.1	0.13
28	पश्चिम बंगाल	68,077,965	80,176,197	17.77	3,808,760	4,406,794	15.7	5.5	5.23
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	280,661	356,152	26.9	26.770	29,469	10.08	8.3	0.03

क्र. सं.	भारत/राज्य	कुल जनसंख्या		दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	अनु. जन. जनसंख्या		दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	2001 में राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत	2001 में भारत की कुल जनसंख्या की तुलना में अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत
		1991	2001		1991	2001			
30	चण्डीगढ़	642,015	900,635	40.28	0				
31	दादरा व नगर हवेली	138,477	220,490	59.22	109,380	137,225	25.46	62.2	0.16
32	दमन व दीव	101,586	158,204	55.73	11,724	13,997	19.39	8.8	0.017
33	दिल्ली	9,420,644	13,850,507	47.02	0	NST			
34	लक्षद्वीप	51,707	60,650	17.3	48,163	57,321	19.01	94.5	0.07
35	पुदुचेरी	807,785	974,345	20.62	0				
	भारत	**838,583,988**	**1,028,610,328**	**22.66**	**67,758,380**	**84,326,240**	**24.45**	**8.2**	

* मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के बाद वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उत्तरांचल राज्यों का गठन किया गया था।

शिशु लिंग अनुपात (0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या)

क्र. सं.	राज्य	1991 की जनगणना			2001 की जनगणना		
		कुल	सामान्य	अ.ज.जा.	कुल	सामान्य	अ.ज.जा.
	भारत 1,2	945	940	985	927	919	972
	भारत 2	945	940	985	927	919	973
1.	आंध्र प्रदेश	975	972	978	961	957	972
2.	अरूणाचल प्रदेश	982	993	976	904	940	976
3.	असम	975	973	990	965	966	962
4.	बिहार	953	950	983	942	938	975
5.	छत्तीसगढ़	984	978	996	975	962	998
6.	गोवा	964	964	1122	938	937	915
7.	गुजरात	928	916	988	883	865	966
8.	हरियाणा	879	875	एनएसटी	819	807	एनएसटी
9.	हिमाचल प्रदेश	951	945	966	896	876	955
10.	जम्मू और कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	941	939	979
11.	झारखंड	979	973	993	965	955	979
12.	कर्नाटक	960	957	970	946	941	961
13.	केरल	958	957	961	960	961	974
14.	मध्य प्रदेश	941	929	987	932	915	979
15.	महाराष्ट्र	946	940	982	913	903	965
16.	मणिपुर	974	979	968	957	955	959
17.	मेघालय	986	949	991	973	963	974
18.	मिजोरम	969	988	969	964	909	966
19.	नागालैण्ड	993	916	1003	964	919	969
20.	उड़ीसा	967	951	998	953	938	979
21.	पंजाब	875	865	एनएसटी	798	767	एनएसटी
22.	राजस्थान	916	910	958	909	897	950
23.	सिक्किम	965	960	973	963	963	964
24.	तमिलनाडु	948	943	955	942	937	945
25.	त्रिपुरा	967	954	984	966	956	981
26.	उत्तरांचल	949	945	973	908	899	955
27.	उत्तर प्रदेश	927	926	967	916	911	973

क्र. सं.	राज्य	1991 की जनगणना			2001 की जनगणना		
		कुल	सामान्य	अ.ज.जा.	कुल	सामान्य	अ.ज.जा.
28.	पश्चिम बंगाल	967	967	983	960	958	981
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	973	981	897	957	957	956
30.	चंडीगढ़	899	889	एनएसटी	845	834	एनएसटी
31.	दादरा व नगर हवेली	1013	1005	1018	979	911	1009
32.	दमन व दीव	958	966	911	926	923	983
33.	दिल्ली	915	912	एनएसटी	868	861	एनएसटी
34.	लक्षद्वीप	941	1138	936	959	1057	957
35.	पुदुचेरी	963	962	एनएसटी	967	962	एनएसटी

1. 2001 से जम्मू एवं कश्मीर शामिल नहीं है क्योंकि 1991 की जनगणना जम्मू एवं कश्मीर में नहीं कराई गई थी।
2. 2001 में मणिपुर के सेनापति जिले के पाओमाता, माओमारन एवं पुरुल उप-मंडल शामिल नहीं हैं।

कुल में सामान्य, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या शामिल है।

उ.न. – उपलब्ध नहीं – एनएसटी – राज्यों में अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं।

सामान्य – अजा/अजजा. जनसंख्या के अलावा, अजजा–अनुसूचित जनजाति

अनुबंध: 6-ग

कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर तथा दोनों की साक्षरता की दरों में अंतर–भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र : 1991-2001

(आंकड़े प्रतिशत में)

अ.जन कोड	भारत/राज्य/सघ राज्य क्षेत्र	साक्षरता दर–1991		साक्षरता दर में अंतर	साक्षरता दर–2001		साक्षरता दर में अंतर
		कुल	अ.जन.		कुल	अ.जन.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत	52.2	29.6	22.6	64.8	47.1	17.7
	भारत (जम्मू व कश्मीर को छोड़कर	-	-	-	64.8	47.2	17.6
1.	आंध्र प्रदेश	44.1	17.2	26.9	60.5	37.0	23.4
2.	अरूणाचल प्रदेश	41.6	34.4	7.2	54.3	49.6	4.7
3.	असम	52.9	49.2	3.7	63.3	62.5	0.7
4.	बिहार	37.5	18.9	18.6	47.0	28.2	18.8
5.	छत्तीसगढ़	42.9	26.7	16.2	64.7	52.1	12.6
6.	गोवा	75.5	42.9	32.6	82.0	55.9	26.1
7.	गुजरात	61.3	36.4	24.9	69.1	47.7	21.4
8.	हरियाणा	55.8	एनएसटी	-	67.9	एनएसटी	-
9.	हिमाचल प्रदेश	63.9	47.1	16.8	76.5	65.5	11.0
10.	झारखंड	41.4	27.5	13.9	53.6	40.7	12.9
11.	कर्नाटक	56.0	36.0	20.0	66.6	48.3	18.4
12	केरल	89.8	57.2	32.6	90.9	64.4	26.5
13.	मध्य प्रदेश	44.7	18.4	26.3	63.7	41.2	22.6
14.	महाराष्ट्र	64.9	36.8	28.1	76.9	55.2	21.7
15.	मणिपुर	59.9	53.6	6.3	70.5	65.9	4.7
16.	मेघालय	49.1	46.7	2.4	62.6	61.3	1.2
17.	मिजोरम	82.3	82.7	0.4	88.8	89.3	0.5
18.	नागालैण्ड	61.6	60.6	1.0	66.6	65.9	0.6
19.	उड़ीसा	49.1	22.3	26.8	63.1	37.4	25.7
20.	पंजाब	58.8	एनएसटी	-	69.7	एनएसटी	-

21.	राजस्थान	38.6	19.4	19.2	60.4	44.7	15.8
22.	सिक्किम	56.9	59.0	2.1	68.8	67.1	1.7
23.	तमिलनाडु	62.7	27.9	34.8	73.5	41.5	31.9
24.	त्रिपुरा	60.4	40.4	20.0	73.2	56.5	16.7
25.	उत्तरांचल	57.8	41.2	16.6	71.6	63.2	8.4
26.	उत्तर प्रदेश	40.7	20.0	20.7	56.3	35.1	21.1
27.	पश्चिम बंगाल	57.7	27.8	29.9	68.6	43.4	25.2
28.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	73.0	56.6	16.4	81.3	66.8	14.5
29.	चण्डीगढ़	77.8	एनएसटी	-	81.9	एनएसटी	-
30.	दादरा व नगर हवेली	40.7	28.2	12.5	57.6	41.2	16.4
31.	दमन व दीव	71.2	52.9	18.3	78.2	63.4	14.8
32.	दिल्ली	75.3	एनएसटी	-	81.7	एनएसटी	-
33.	लक्षद्वीप	81.8	80.6	1.2	86.7	86.1	0.5
34.	पुदुचेरी	74.7	एनएसटी	-	81.2	एनएसटी	-
35.	जम्मू और कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	55.5	37.5	18.1

1. जम्मू व कश्मीर को छोड़कर, जहां 1991 में जनगणना नहीं हुई।
2. 2001 में मणिपुर के सेनापति जिले के पाओमाता, माओमारन एवं पुरुल उप-मंडल के आंकड़ों को छोड़कर।

एनएसटी – राज्यों में अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं।

अनुबंधः 6-घ

पुनर्संरचित बीस सूत्री कार्यक्रम, 2006
2008-09 के दौरान लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/राज्य का नाम	लाभार्थियों की संख्या	
		आय सृजन योजना	कौशल एवं उद्यमियों का विकास
क	**आयसृजन, कौशल एवं उद्यमियों के विकास की योजना**		
1	ए.पी. एसटी को-आपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि., **आंध्र प्रदेश**	2323	115
2	**अंडमान व निकोवार द्वीप समूह**	194	10
3	अरूणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, **अरूणाचल प्रदेश**	326	16
4	असम प्लेन ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., **असम**	1527	76
5	बिहार स्टेट एससी को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, **बिहार**	350	17
6	छत्तीसगढ़ राज्य अंतव्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, **छत्तीसगढ़**	3057	150
7	दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव एससी/एसटी/अदर/ बीसी एंड माइनोरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., **दादरा व नगर हवेली**	194	10
8	गोवा स्टेट एसटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., **गोवा**	194	10
9	गुजरात ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, **गुजरात**	3457	170
10	हिमाचल प्रदेश एससी एंड एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, **हिमाचल प्रदेश**	194	10
11	जे एंड के एससी, एंड बैकवर्ड क्लासिस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, **जम्मू व कश्मीर**	513	25
12	झारखंड स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., **झारखंड**	3275	162
13	नेशनल कॉ-ओपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., एनसीडीसी, **झारखंड**		
14	केरल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फार, एससी, एसटी लि., **केरल**	194	10
15	केरल स्टेट वूमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., **केरल**	194	10
16	लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., **लक्षद्वीप**	194	10
17	मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., **मणिपुर**	455	23
18	शबरी आदिवासी वित्त व विकास निगम, नासिक, **महाराष्ट्र**	3963	195

19	को-आपरेटिव अपेक्स बैंक लि., **मेघालय**	921	46
20	एम.पी. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, **मध्य प्रदेश**	5653	280
21	मिजोरम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, **मिजोरम**	194	10
22	मिजोरम अर्बन को-आपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लि., **मिजोरम**	194	10
23	नागालैंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., **नागालैंड**	408	20
24	नागालैंड स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि., **नागालैंड**	408	20
25	उड़ीसा एससी एंड एसटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस को-आपरेटिव कॉरपोरेशन लि., **उड़ीसा**	3764	186
26	राजस्थान एससी एंड एसटी फाइनेंस डेवलपमेंट को-आपरेटिव कॉरपोरेशन, **राजस्थान**	3279	162
27	सिक्किम एससी, एसटी एंड बैकवर्ड क्लासिस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, **सिक्किम**	194	10
28	तमिलनाडु आदि द्रविडर हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., **तमिलनाडु**	299	15
29	त्रिपुरा एसटी को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि,. **त्रिपुरा**	458	23
30	उत्तरांचल बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम, **उत्तरांचल**	194	10
31	यू.पी. एससी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, **उत्तर प्रदेश**	194	10
32	वेस्ट बंगाल एससी एंड एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, **पश्चिम बंगाल**	1018	50
33	वेस्ट बंगाल ट्राइबल डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव कॉरपोरेशन, **पश्चिम बंगाल**	1018	50
	कुल (क):	40400	2000
(ख)	**पी एस यू बैंकों के माध्यम से लघु ऋण योजना**	11600	
	कुल (ख):	52000	2000
(ग)	**विपणन समर्थन सहायता**	160000	
	कुल जोड़ (क+ख+ग)	212000	2000

स्रोत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

अनुबंध: 6-ङ

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश

क्र सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जिन पर लागू हैं
1	2	3	4
1	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संख्या 1950(सी.ओ. 22)	6–9–1950	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल आदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल
2	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951 (सी.ओ. 33)	20–9–1951	दमन व दीव, लक्षद्वीप
3	संविधान (अंडमान व निकैंबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 (सी.ओ. 58)	31–3–1959	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह
4	संविधान (दादरा व नगर हवेली) अनुसूचित जनजातीय आदेश, 1962 (सी.ओ. 65)	30–6–1962	दादरा व नगर हवेली
5	संविधान (उत्तर आदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967 (सी.ओ. 78)	24–6–1967	उत्तर प्रदेश
6	संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 (सी.ओ. 88)	23–7–1970	नागालैंड
7	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 (सी.ओ.111)	22–6–1978	सिक्किम
8	संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 (सी.ओ. 142)	7–10–1989	जम्मू व कश्मीर

टिप्पणी:–हरियाणा और पंजाब राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है ।

भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

I. आन्ध्र प्रदेश

1. आन्ध, **साधु आन्ध**
2. बगता
3. भील
4. चेंचू,
5. गदाबास, **बोडो गडाबा, गुतोब गडाबा, कालायी गडाबा, परांगी गडाबा, कोयेरा गडाबा, कापु गडाबा**
6. गोंड, नाइकपोड़, राजगोंड, **कोईतुर**
7. गोंडू (एजेन्सी क्षेत्रों में)
8. पहाड़ी रेड्डी
9. जातपुस
10. कम्मारा
11. कट्टूनायकन
12. कोलाम, **कोलवार**
13. कोन्डा धोरस, **कुबी**
14. कोन्डा कापस,
15. कोन्डारेड्डी
16. कोन्ध कोडी, कोधू, देस्या कोन्ध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया कोन्ध, टिकिरिया कोंद्य, मेनिती कोंद्य, **कुविंगा**
17. कोटिया, बेन्थो उड़िया, बारतिका, दुलिया, होल्वा, पाइको पुतिया, सनरोना, सिद्धोपाइको
18. कोय, **डोली कोया, गुट्टा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओडी कोया, पट्टडी कोया, राजा, रश कोया,** लिन्गाधारी, कोया (सामान्य), कोहू मीने कोया, राजकोया
19. कुलिया,
20. मालिस (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मेडाक, नालगोड़ा निजामाबाद और वारंगल जिलों को छोड़ कर)
21. मन्ना ढ़ोरा
22. मुक्खा ढोहा, नोका ढ़ोरा,
23 नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
24. परधान
25. पारेजा, पारंगी पेरजा
26. रेड्डी ढोरा,
27. रोना, रेना,
28. सवारस कपूसवारस, मालिया सवारस, खुट्टो सवारस,
29. सुगालिस, लम्बादिस, बंजारा
30. थोती (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, महबूबनगर, मेडक, नालगोडा, निजामबाद और वारंगल जिलो में)
31 वाल्मीकि (विशाखापटनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में)
32. येनादिस, **चेल्ला येनादी, कपाला येनादी मांची येनादी, रेड्डी येनादी**
33. येरूकुल, कोरचा डब्बा येरूकुला, कुंचापुरी येरूकुला, उप्पु येरूकुला
34. नक्काला, कुरविकरन
35. धुलिया, पैको, पुतिया (विशाखापटनम और विजयनगरम जिलों में)

II. अरुणाचल प्रदेश

निम्नलिखित सहित राज्य की सभी जनजातियां :-

1. अबोर
2. आका
3. अपतानी
4. न्यीशी
5. गालोंग
6. खम्पती
7. खोवा
8. मिशमी, इदु, तारांन
9. मोम्बा
10. कोई भीी नागा जनजातियां
11. शेरदुकपेन
12. सिंगफो
13. हरुसो
14. तागिन
15. खम्बा
16. आदि

III. असम

****कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों में :-**

1. चकमा
2. दिमसा, कचारी
3. गारो
4. हजोंग
5. हमार
6. खासी जयन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लेंगंगम्

7. निम्नलिखित सहित कोई भी कूकी जनजाति :-

(1) विआत, बिएत
(2) चांगसान
(3) छोगलाइ
(4) डुंगेल,
(5) गमाल्हू
(6) गंगते
(7) गुइते,
(8) हन्नेग
(9) हाओकिप हाउपिट,
(10) हओलाई
(11) हेंगना
(12) होंगसुंग
(13) हरंखवाल, रंगखोल,
(14) जोगबी
(15) खाओचुंग
(16) खावाथलांग खोतालोंग
(17) खेलमा
(18) खोल्हू
(19) किपजेन
(20) कूकी
(21) लेग थांग
(22) ल्हांगम
(23) ल्होउजेम
(24) ल्होउत्युन
(25) लुपहेंग
(26) मांग जेल
(27) मिसाओ
(28) रियांग
(29) साइरचेम
(30) सेलनाम
(31) सिंगसन
(32) सिथल्होउ
(33) सुकेइ
(34) यादो
(35) थांगनगेऊ
(36) उइबुह
(37) बाइफेइ

8. लाखेर
9. मान (थाई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुसाई)जनजाति
11. **करबी**
12. कोई भी नागा जाति
13. पावी
14. सिंथेग
15. **लालुंग**

**II. असम राज्य में कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों को छोड़कर तथा बोडो भूमि टेरिटोरियल क्षेत्र जिला सहित :-

1. कचार में बरमन
2. बोरी, बोरोकचारी
3. देओरी
4. होजाइ
5. कचारी, सोनावाल
6. लालुंग
7. मेच,
8. मिरि
9. राभा
10. दीमासा
11. हजोंग
12. सिंगफो
13. खम्पती
14. गारो

IV. बिहार

1. असुर, अगारिया
2. बइगा
3. बनजारा
4. बाथूडी
5. बेदिया
6. हटा दिया है
7. बिनझिया
8. बिरहोर
9. बिरजिया
10. चेरो
11. चिक बारिक
12. गोंड
13. गोरइत
14. हो
15. करमाली
16. खारिया, घेलकी खारिया, दुघ खारिया, हिल खारिया
17. खारवार
18. खोंड
19. किसान , नगेशिया
20. कोरा, मुडी कोरा
21. कोरवा
22. लोहारा, लोहरा
23. महली
24. माल पहाडिया, कुमारबाग पहाडिया
25. मुंडा, पतार
26. ओरान, धनगर (ओरांव)
27. परहइया
28. सन्ताल
29. सउरिया पहारिया
30. सवार
31. कवार
32. कोल
33. थारू

V. छत्तीसगढ़

1. अगारिया
2. अन्ध
3. वैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भूइन्हार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भत्रा
7. भील, भेलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीआर
11. बीन्जवार

12. विरहुल, विरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. धनवार
15. गडावा, गाडबा
16. गोड़, अराक, अराख, अगेरिया आसुर, वादी मारिया, वादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियावूटा, कोलियाबूटी, भर, बीसोनहोरन मरिया, छोटा मरिया, डान्डीमी मरिया, धुरू, धुर्वा, धोवा, धुलिया, डोरर्ला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गौरी, हिल मरिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कवेटार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मरिया, कूचिका मरिया, मडिया, मरिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राझ, गोंड, सोनझारी झरका, थाटिया, थोटिया, वादी मरिया, भादी मरिया, दरोई
17. हल्वा, हल्वी
18. कमार
19. करकु
20. कवर कैवर, कौर, छेरवा, राथिया तंवर, छत्री
21. खैरवार, कोन्दार
22. खैरिया
23. कोन्द्य, खोन्द, कन्द्य
24. कोल
25. कोलम
26. कोकरू बोपची, भेउआसी, नीहाल, नाहुल बोन्धी, बोन्देया
27. कोरवा, कोड़ाकू
28. मांझी
29. मझवार
30. मवासी
31. मुण्डा
32. नागेसिया, नागासिया
33. ओरान धानका, धनराड
34. पाओ
35. प्रधान, पाथरी, सरोटी
36. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी, टकान्कर, टंकिया
    (1) बसतर, दांतेवाडा, कांकेर, रायगढ, जसपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिला और
    (2) कोटगोडा, पाली, करतला और कोरवा जिले की कोरवा तहसील
    (3) बिलासपुर, पंडेरा, कोटा, विलासपुर जिले की तख्तपुर तहसीलें
    (4) दुर्ग जिले के दुर्ग पाटनगुंडनडेही, धांदा, बलोद, गुरर और डोंडिल होडा तहसील
    (5) चौकी, मानपुर और राजनंदगांव जिले का मोहाला रेवेन्यू सर्किल इंस्पेक्टर
    (6) महासमुंद जिले की महासमुंद, सरायपाली की बसना तहसील
    (7) बिंदरानावगढ रजीम और रायपुर जिले की देवभोग तहसील
    (8) धमतरी, कुर्द और धमतरी जिले की सिहावा तहसील
37. परजा
38. सहारिआ, सहारिया सेहरिया, सोसिआ, सोर
39. साओन्ता, साउन्ता
40. साउर
41. सावार, सावारा
42. सोनर

VI. गोवा

1. धोदिया
2. दुबला (हलोअती)
3. नैकदा (तालविया)
4. सिद्धी (नायका)
5. वरली
6. कुन्बी
7. गवडा
8. वेलिप

VII. गुजरात

1. बारदा
2. बवाछा, बमाछा
3. भारवाड (अलेचा, बारदा और गिर के जंगलों में)
4. भील, भील गरासिया, ढोली भील भील डुंगरी, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील रावल भील, तडवी भील भगालिया यगालिया, भीलाला पावरा, वासावा, बसाए
5. छारन (एल्चा वारदा और गिर के जंगलों में)
6. चौधरी (सूरत और बलसाद जिलों में)
7. चौधारा
8. धानका, ताडवी, तेतारिया, वाल्वी
9. धोदिया, धोदी
10. दुबला, तलावइया, हलपाती
11. गाामित गामता, गावित मावछी, पादवी
12. गोंड राजगोंड
13. कथोडी, कतकारी, ढो़र कतकारी, सोन कठोदी सोन कतकारी
14. कोकना , कोकनी कुकना
15. हटा दिया गया
16. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
17. कुनबी (डांग जिले में)

18. नायकडा, नायका, चोली वाला नायका, कपाडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका
19. पधार
20. हटा दिया गया
21. परघी अदवीचिंचर, फान्से पारघी (अमरेली, भावनगर, नामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट, और सुरेन्द्रनगर जिलों के अतिरिक्त)
22. पटेलिया,
23. पोमला
24. रबारी (अलेच्छ, बरादा और गिर के जंगलों में)
25. राथवा
26. सिद्दी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ राजकोट, और सुन्दरनगर जिलों में)
27. हटा दिया गया
28 वरली
29. विटोलिया, कोतवालिया, बरोदिया
30. भील, भीलाला बरेला पटेलिया
31. तडवी भील, बावरा, वसावे,
32. पदवी

VIII. हिमाचल प्रदेश

1. भोत, बोध
2. गद्दी
3. गुज्जर
4. जाड, लाम्वा, खाम्पा
5. कनउरा, किन्नर
6. लाहउल
7. पांगवाला
8. स्वांगला
9. बेटा, बेडा
10. डोम्बा, गारा, जोबा

IX. जम्मू और कश्मीर

1. बालटी,
2. बेदा
3. बोत, बोतो
4. ब्रोकपा, प्रोकपा, दारा, शिन
5. छांगपा
6. गारा
7. मोन
8. पुरिगपा
9. गुज्जर
10. बकरवाल
11. गद्दी
12. सिप्पी

X. झारखंड

1. असुर, अगारिया
2. बैगा
3. बनजारा
4. बठूडी
5. बेदिया
6. विंझिया
7. बिरहोर
8. विरजिया
9. चेरो
10. चिक बराइक
11. गोंड
12. गोरइत
13. हो
14. करमाली
15. खारिया, धेलकी, खारिया, दुध खारिया, हिल खारिया
16. खारवार
17. खोंड
18. किसान, नगेशिया
19. कोरा, मुंडी कोरा
20. कोरवा
21. लोहरा
22. माटल
23. माल पहारिया, कुमारबाग पहाडिया
24. मुंडा, पतार
25. उरांव, धनगर ओरांव
26. परहया
27. सन्थाल
28. सोरिया पहारिया
29. सवार
30. भूमिज
31. कवार
32. कोल

XI. कर्नाटक

1. आदियान
2. बरदा
3. बवाचा, बामचा
4. भील, भील गरसिया, ढोली भील, डुगरी भील, डुगरी गरसिया, मेवासी भील रावल भील, तडवी भील, भागालिया भीलाला, पावरा, वसावा, वसाए
5. चेंचू, चेंचवार
6. चौधारा
7. दुबला, तालविया, हालपति
8. गामित, गामता, गावित, मावछी पदवी बालवी
9. गौड, नाइकपोड, राजगोंड,
10. गौडालू
11. हक्किपिक्कि
12. हसलारू
13. इरूलार,
14. इरूलिंगा,
15. जेनू कुरूबा
16. काडू कुरूबा
17. कम्मारा (दक्षिण कनारा जिला तथा मैसूर जिले के कोलेगल तुलुक में)

18. कनिवन, कन्यन (मैसूर जिले के कोलेगल तुलुक में)
19. कथोडि, कटकारि, ढोर कथोडि, ढोर कतकारी, सोन कथोडि, सोन कतकारि
20. कट्टूनायकन
21. कोकना, कोकनी, कूकना
22. कोलीढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलहा
23. कोन्डा कापस
24. कोरगा
25. कोटा
26. कोया, मीने कोया, राजकोया
27. कुड़िया, मेलाकुडि
28 कुरूबा (कूर्ग जिले में)
29. कुरूमान
30. महामलासर
31. मलाइकुडि
32. मालासर
33. मलायेकान्डि
34. मालेरू
35. मराठा (कुर्ग जिले में)
36. मराठी (दक्षिणी कनारा जिले में)
37. मेडा, मेदारी,गोरिगा, बुरूद
38. नायकडा, नायक, छोल्लिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक, नाइक, नायक, बेड़ा, बेदार, और वाल्मिकि
39. पल्लियन
40. पानियां,
41. पारधी, अड्विचिन्चेर, फेन्स पारधी, हरंशिकारी
42. पटेलिया
43. रथावा
44. शोलगा
45. सोलिगारू
46. टोड़ा
47. वारलि
48. वितोलिया, कोतवालिया बडोरिया
49. येरावा
50. सिद्धी (उत्तर कन्नड जिले में)

XII. केरल

1. अदियन,
2. अरान्दन, अरांधन
3. इरावल्लन
4. हिल पुलाया, माला पुलायन कुरन्म्बा पुलायान, करवाझी पुलायन, पाम्बा पुलायन
5. इरूलार इरूलान
6. कदार, वायनाड कदार
7. हटा दिया गया
8. कनिकारन, कनिक्कार
9. कट्टूनायकन
10. कोच्चु वेलन
11. हटा दिया गया
12. हटा दिया गया
13. कोरगा
14. हटा दिया गया
15. कुदिया मेलाकुड़ि
16. कुरिच्छान, कुरिचियन
17. कुरूमान, मुल्लु कुरूमान, माला कुरूमान
18. कुरूम्बास, कुरुम्बार, कुरुम्बान
19. महा मालासर
20. मलाई आर्यान, माला आर्यन
21. मलाई पंडाराम
22. मलाई वेदान, मालावेदान
23. मालाकुरवन
24. मालासार
25. मालायन, नत्तु मालायन, कोंगा मलायन, (कसारगोडे, कन्नानोर, वायनाड और कोजीकोड जिलों को छोडकर)
26. मालायरयार
27. मन्नान
28. हटा दिया गया
29. मुथुवन, मुदुगर, मुदुवन
30. पालेयान, पालीयान, पालीयार, पालीयान
31. हटा दिया गया
32. हटा दिया गया
33. पानियान
34. उलादन, उलातन
35. उरली
36. माला वेत्तुवन (कसारगोड और कन्नुर जिलों में)
37. तेन कुरुम्बान, जेनु कुरुम्बान
38. थाचानदान, थाचानदान, मूपान
39. चोलानैकान
40. माविलन
41. करीमपलान
42. वेट्टा कुरुमान
43. माला पनिक्कर

XIII. मध्य प्रदेश

1. अगारिया
2. अन्ध
3. वैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भूइन्हार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भत्रा
7. भील, भेलाला, वरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीआर
11. बीन्जवार
12. विरहुल, विरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. डनवार
15. गडवा, गोडवा
16. गोंड अराक, अराख, अगेरिया, अगारिया, आसुर, वादी मारिया,

वादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियावूटा, कोलियाबूटी, भर, बीसोनहोरन मरिया, छोटा मरिया, डान्डीमी मरिया, धुरू, धुर्वा, धोवा, धुलिया, डोरर्ला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गौरी, हिल मरिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कवेटार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मरिया, कूचिका मरिया, मडिया, मरिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोंगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राझ, सोनझारी झरका, थाटिया, थोटिया, वादी मरिया, भादी मरिया, दरोई

17. हल्वा, हल्वी
18. कामर
19. करकु
20. कवर कैवर, कौर, छेरवा, राथिया तंवर, छत्री,
21. हटा दिया गया
22. खैरवार, कोन्दार
23. खैरिया
24. कोन्ध्य, खोन्द, कन्ध्य
25. कोल
26. कोलम
27. कोकरू बोपची, भेउआसी, नीहाल, नाहुल बोन्ध्यी, बोन्देया
28. कोरवा, कोड़ाकू
29. मांझी
30. मझवार
31. मवासी
32. हटा दिया गया
33. मुण्डा
34. नागेसिया, नागासिया
35. ओरान घांका, धंगाद
36. पानिका छतरपुर (छतरपुर पन्ना, रेवा सतना, शादोल, उमरिया सीधी तथा टीकमगढ़ जिलों में)
37. पाओ
38. प्रधान, प्राथी, सरोटी
39. हटा दिया गया
40. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी टकान्कर, टकिया
    (1) बस्तर, झिन्दवारा, मांडला, डिडोरी सेओनी और सुरगुजा जिलों में
    (2) बाला घाट जिले में बैहर तहसील
    (3) बेतुल जिले के बेतुल, षाहपुर और भैंस डेही तहसीलों में
    (4) जवलपुर जिले के पटन तहसील और सिहोरा एवं मंझाली ब्लॉक
    (5) कटनी जिले के कटनी (भुरवाड़ा) विजय राघोगढ़ तहसील तथा बहोरीबंध तथा घेमरखेड़ा ब्लाक
    (6) होशंगबाद जिले के होशंगबाद, बबाई, सोहागपुर, पिपरिया, बांकखेड़ी तहसील और किस्ला ब्लाक
    (7) नरसिंहपुर जिला
    (8) खांडवा जिले के हरसुद तहसील में
41. परजा
42. सहारिआ, सहारिया सेहरिया, सेहरिया, सोर
43. साओन्ता, साउन्ता
44. साउर
45. सावार, सावारा
46. सोनर

XIV. महाराष्ट्र

1. अंध
2. बेगा
3. बारदा
4. बावाचा, बामचा
5. भाइना
6. भारिया, भूमिया, भूइंहार, भूमिया, पान्डो
7. भातरा
8. भील, भीलगरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील भागालिया, भिलाला, पावरा, बसावा, बासावे
9. भूंजिया
10. बिंझवार
11. बिरहुल, बिरहोर
12. हटा दिया गया
13. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वि
14. धानवार
15. धादिया
16. दुबला, तालाविया, हलपति
17. गामित, गमता, गवित, मावछी पाडवी
18. **गोंड राजगोंड**, अरख, अर्राख, अगारिया, असुर बादी मारिआ, बड़ा मारिआ, भटोला, भीम्मा, भूटा, कोइलाभूटा कोइलाभूटी, भार, विशोनहर मारिआ, छोटा मारिआ, दान्दमी मारिआ धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, काइकी, गात्ता, गात्ति, गैता, गौड़, गोवारी, हिल मारिया कांद्रा कालगा, खटोला कोइतार कोया, खैरवार खैरवारा, कुछा मारिया, कुछकी मारिया, माडिया मारिया, माना, मान्नेवार, मान्नेवार, मोघया, मोंगिया, मोंघ्या, मुदिया, मुरिया नागारची, नाइकपोड, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झारेका थातिया, थोट्या, बाडे मारिया, वाडे मारिया
19. हलवा, हल्बी
20. कामर
21. कथोड़ी, कटकारी, ढोर कथोडी, ढोर कथकारी, सोन कथोडी सोन कतकारी

22. कवर, कँवर, कौर, छेरवा, राथिया, तँवर, छत्री
23. खैरवार
24. खारिया
25. कोकना, कोकनी, कुकना
26. कोल
27. कोलम, मन्नेखारलू
28. कोलीढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्हार
31. कोंद्य खोंद्य कन्द्य
32. कोरकू, बोपची, मोउआसी, निहाल, नाहुल बोन्धी बोन्देया
33. कोया, भीने कोया, राजकोया
34. नागेसिया नागासिया
35. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक मोटा नायक, नाना नायक
36. ओरान, धनगर
37. परद्यान, पठारी सरोती
38. पारद्यी, अडवीचिंन्चेर, फान्स परद्यी फान्से परद्यी लांगोली परद्यी, बहेलिया, छिट्टा परद्यी, शिकारी, ताकन्कार ताकिया
39. पारजा
40. पटेलिया
41. पोमला
42. रथावा
43. सवार, सवारा
44. ठाकुर, का ठाकुर, का ठाकुर मा ठाकुर, मा ठाकर
45. **हटा दिया गया**
46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया, बडोदिया

XV. मणिपुर

1. अइमोल
2. अनाल
3 अनगामी
4. छिरू
5. छोथे
6. गांगते
7. हमार
8. काम्बुई
9. कच्दा नागा
10. कोइराओ
11. कोइरेंग
12. कोम
13. लामगांग
14. माओ
15. मारम
16. मारिंग
17 कोई भी मीजो (लुशाई) जनजाति
18. मोनसांग
19. मोयोन
20. पाइटे
21. पुरूम
22. राल्टे
23. सीमा
24. सीमते
25. सुथे,
26. तांगरवुल
27. थाडोउ
28. वाइफुई
29. जोउ
30. पौमाई नागा
31. ताराव
32. खराम
33. कोई कुकी जनजाति

XVI. मेघालय

1. चकमा
2. दिमसा कछारी
3. गारो
4. हांजोग
5. हम्मार
6. खासी जयंतिया स्येनतेग प्नार, वार, भोइ ल्येनगनगाम सहित
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहितः
   (1) बइते बिएते
   (2) छंगसान
   (3) चोंगलोइ
   (4) डोउन्गेल
   (5) गमाल्हू
   (6) गंगत
   (7) गुइते
   (8) हान्नेंग
   (9) हाओकिप या हाउपिट
   (10) हाओलाई
   (11) हेंगना
   (12) होंनसुंघ
   (13) हरांगकोवाल या रंगखोल
   (14) जोंगबे
   (15) खावचांग
   (16) खवथलांग, खोथालांग
   (17) खेल्मा
   (18) खोल्हू
   (19) किपजेन
   (20) कुकी
   (21) लेनथांग
   (22) ल्हांगम
   (23) ल्होउजेम
   (24) ल्होउवेन
   (25) लुपहेंग
   (26) मांगजेल
   (27) मिसाओ
   (28) रिआंग
   (29) सइरहेम
   (30) सेलनाम
   (31) सिंगसन
   (32) सितल्होउ
   (33) सुक्ते
   (34) थादो
   (35) थांगनेऊ
   (36) उईबुह

(37) वाइफेई, सहित
8. लाखेर
9. मन (थाई बोलने वाले)
10. कोई भी मीजो (लुसाई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. बोरो कचारिस
16. कोछ
17. राबा, रावा

XVII. मिजोरम

1. चकमा
2. दिमसा (कछारी)
3. गारो
4. हांजोग
5. हम्मार
6. खासी और जयंतिया (खासी, स्येनतेग या प्नार, वार, भोइ या ल्येनगनगाम सहित)
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहितः
   (1) बइते बिएते
   (2) छंगसान
   (3) चोंगलोइ
   (4) डोउन्गेल
   (5) गमाल्हू
   (6) गंगत
   (7) गुइते
   (8) हान्नेंग
   (9) हाओकिप या हाउपिट
   (10) हाओलाई
   (11) हेंगना
   (12) होंनसुघ
   (13) हरांगकोवाल या रंगखोल
   (14) जोंगवे
   (15) खावचांग
   (16) खवथलांग या खोथालांग
   (17) खेल्मा
   (18) खोल्हू
   (19) किपजेन
   (20) कुकी
   (21) लेनथांग
   (22) ल्हांगम
   (23) ल्होउजेम
   (24) ल्होउवेन
   (25) लुपहेंग
   (26) मांगजेल
   (27) मिसाओ
   (28) रिआंग
   (29) सइरहेम
   (30) सेलनाम
   (31) सिंगसन
   (32) सितल्होउ
   (33) सुक्ते
   (34) थादो
   (35) थांगनेऊ
   (36) उईबुह
   (37) वाइफेई,
8. लाखेर
9. मन (थाई बोलने वाले)
10. कोई भी मीजो (लुसाई)जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. पैते

XVIII. नागालैंड

1. नागा
2. कुकी
3. कचारी
4. मिकिर
5. गारो

XIX. उड़ीसा

1. बगता, **भक्ता**
2. बइगा
3. बनजारा, बनजारी
4. बाथूडी, **बाथूरी**
5. भोत्ताड़ा, धोताडा, **भोतरा, भतरा, भत्तरा, भौतोरा, भतारा**
6. भूइया, भूयान,
7. भूमिया
8. भूमिज, **तेली भूमिज, हल्दीपोखरिया भूमिज, हल्दी पोखरिया भूमिजा, देसी भूमिज, देसिया भूमिज, तमारिया भूमिज**
9. भूंजिया
10. बिजझाल, बिंझवार
11. बिनझिआ, बिनझोआ
12. बिरहोर
13. बोंडो पोराजा, बोंडा परोजा, बोंडा परोजा
14. चेनछू
15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. धारूआ, धुरूबा धुरूआ
18. दिदायी, दिदायी परोजा, दिदाई
19. गडाबा, बोडो गडाबा, गुतोब गडाबा, कापु गडाबा, ओलारा गडाबा, पेरंगे गदाबा, सोनो गदाबा
20. गांडिया
21. खारा
22. गोंड, गोंडो राजगोंड, मारिया गोंड, धुर गोंड

23. हो
24. होल्वा
25. जतापु
26. जुआंग
27. कंधा गौदा
28. कवार, कंवर
29. खारिया, खरियन, बेरगा खारिया, डेलकी खारिया, दुध खारिया, एरेंगा खारिया, मुंडा खारिया, ओरांव खारिया, खाडिया, पहाड़ी खारिया
30. खरवार
31. खोंड, कोंड, कधा, नंगुली, कंधा, सीता केंधा, कोंध, कुई, बुदा कोंध, बुरा, कंधा, देसिया कंधा, दुंगारिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गौडा, मुली कोंध, मालुआ कोंध, पेंगो कंधा, राजा कोंध, राज खोंड
32. किसान, नगेसर, नगेसिया
33. कोल
34. कोलाह लहारस, कोल लोहारस
35. खोल्हा
36. कोली मल्हार
37. कोंउडोरा
38. कोरा, खारा, खयारा
39. कोरूआ
40 कोटिया
41. कोया, गुम्बा कोया, कोइतुर कोया, कमार कोया, मुसार कोया
42. कुलिस
43. लोधा, नोध, नोधा, लोध
44. मादिया
45. महाली
46. मनकिदी
47. मनकिरदिया, मनकरिया, मनकिदी
48. मत्या, मातिया
49. मिरधास, कुदा, कोदा
50. मुंडा, मुंडा लोहारा, मुंडा महालिस, नागाबंशी मुंडा, उड़िया मुंडा
51. मुंडारी
52. ओमनत्य, ओमनत्यो, आमनत्य
53. ओरांव, धनगर, उरान
54. परेंगा
55. परोजा, आजा, बोडो परोजा, बरोंग झोदिया परोजा, चेलिया परोजा, झोदया परोजा, कोंडा परोजा, पराजा, पोंगा परोजा, सोदिया परोजा, सोनो परोजा, सोलिया परोजा
56. पेंटिया
57. राजौर
58. संताल
59. साओरा, सावर, सौरा, सहारा आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीमा साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जरा सावर, जादु साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, कम्पू साओरा, कम्पा साओरा, किंदल साओरा, कुंबी कंचेर साओरा, कलपितिया साओरा, किराट साओरा, लांजिया साओरा, लाम्बा लांजिया साओरा, लुआरा साओरा, लुआर साओरा, लारिया सावर, मलिया साओरा, मल्ला साओरा, उड़िया साओरा, राइका साओरा, सुधा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पटरो साओरा, बेसु साओरा
60. शबार, लोधा
61. सौंटी
62. थारूआ, थारूआ बिंदानी

XX. राजस्थान

1. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुगरीभील, डुगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी, भील, भगालिया, भीलाला, पावरा, वासवा, वासावे
2. भील मीना
3. वामोर, दामारिया
4. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वी
5. गरासिया (राजपूत गरासिया के अतिरिक्त)
6. कथोडि, काटकारी, ढोर काटकारी, ठोर कठोड़ी, सोन कठोडी, सोन काटकारी
7. कोकना, कोकनी, कुकना
8. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा
9. मीना
10. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
11. पटेलिया
12. सेहारिया, सेहरिया सहारिया

XXI. सिक्किम

1. भुतिया (चुंबिपा, दोपथापा, दुकुपा, कागेती, शेरपा, तिबतेन, तरोमोपा, योल्मा सहित)
2. लेपचा
3. लिम्बू
4. तमांग

XXII. तमिलनाडु

1. आदियान
2. आरानादान
3. इरावल्लान
4. इरूलार
5. कादर
6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक के अलावा)
7. कनीकारन कनीक्कार (कन्याकुमारी व तिरूनेलवेल्लि जिले के शेनकोट्टा और अम्बासमुद्रम तालुक में
8. कनियान, कन्यान
9. कट्टनायकन
10. कोच्युवेलन
11. कोंडा कापस
12. कोंडारेड्डी
13. कोरगा
14. कोटा(कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़कर)
15. कुडिया, मेलाकुडी
16. कुरिच्छान
17. कुरूम्बा (नीलगिरि जिले में)
18. कुरमांस
19. महा मलासर
20. मलाई आर्य
21. मलाइ पण्डाराम
22. मलाई वेदन
23. मलाक्कुरावन
24. मालासर
25. मलयाली (धर्मपुरी, उत्तरी अरकोट, पुदुकोट्टाई, सालेम, दक्षिणी अरकोट और तिरूचना पल्ली जिले में)
26. मलायेकान्डी
27. मन्नान
28. मुदुगार, मुदुवान
29. मुत्थुवान
30. पल्लेयान
31. पल्लियान
32. पल्लियार
33. पनियान
34. शोलागा
35. टोडा (कन्याकुमारी जिले वे तिरूनेलवलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़ कर)
36. यूराली

XXIII. त्रिपुरा

1. भील
2. भूटिया
3. छइमल
4. चकमा
5. गारो
6. हालाम, बेंगशेल, डुब केइपेंग, कलाई, कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रपिनी, सुकुचेप, थांगचेप
7. जमातिया
8. खासी
9. कूकी, निम्न उप जन जातियों सहित:–
   (1) बाइटे
   (2) बेलालथुट
   (3) छाल्या
   (4) फुन
   (5) हजांगो
   (6) जांगतेइ
   (7) खोरेंग
   (8) खेफोंग
   (9) कुन्तेइ
   (10) लाइफांग
   (11) लेन्तई
   (12) मिजेल
   (13) नामते
   (14) पाइतु, पाइते
   (15) रांगचांग
   (16) रांगखोले
   (17) थांगलुया
10. लेपचा
11. लुशाइ
12. माग
13. मुण्डा, कौर
14. नोआटिया, मुराशिंग
15. ओरांग
16. रियांग
17. सन्ताल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी तिप्पेरा
19. उछाई

XXIV. उत्तरांचल

1. भोटिया
2. बुक्सा
3. जन्नसारी
4. राजी
5. थारू

XXV. उत्तर प्रदेश

1. भोतिया
2. बुक्सा
3. जन्नसारी
4. राजी
5. थरू
6. **गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पाथरी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ आजमगढ़, जोनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में)**
7. **खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)**
8. **सहारिया (ललितपुर जिले में)**
9. **परहइया (सोनभद्र जिले में)**
10. **बइगा (सोनभद्रा जिले में)**
11. **पंखा, पोका (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में)**
12. **अगारिया (सोनभद्र जिले में)**
13. **पतारी (सोनभद्र जिले में)**
14. **चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिलों में)**
15. **भुइया, भुइन्या (सोनभद्र जिले में)**

XXVI. पश्चिम बंगाल

1. असुर
2. बइगा
3. बदिया, बेदिया
4. भूमिज
5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकबा, गगाते, तिब्वती योल्मो
6. विरहोर
7. बिरजिया
8. चकमा
9. छेरी
10. चिक बारिक
11. गारो
12. गोंड
13. गोरइत
14. हाजांग
15. हो
16. करमाली
17. खारवार
18. खोंड
19. किसान
20. कोरा
21. कोरवा
22. लेप्चा
23. लोधा खेरिया, खारिया
24. लोहार, लोहरा
25. माघ
26. महाली
27. माहली
28. माल पहारिया
29. मेच्छ
30. मरू
31. मुण्डा
32. नागेसिया
33. ओरान
34. परहाइया
35. रभा
36. सन्ताल
37. सउरिया पहरिया
38. सवार
39. **लिम्बू (सुब्बा)**
40. **तमांग**

XXVII. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह

1. अंडमानी, चारियार, चारी, कोरा, ताबो, बो येरे, केडे, बी, बलवा, बोजीगियाब, जुवाई, कोल
2. जारवास
3. निकोबारी
4. ओंगेस
5. सोटिनलीस
6. शोम पेन्स

XXVIII. दादरा व नगर हवेली

1. घोदिया
2. दुबला हालपति सहित
3. कठोडी
4. कोकना
5. कोली धोर कोलघा सहित
6. नइकदा या नायक
7. वारली

XXIX. दमन व दीव

संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र में :-

1. घोदिया
2. दुबला(हालपति)
3. नइकडा (तालावी)
4. सिद्दी (नायक)
5. वारली

XXX. लक्षद्वीप

सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र में :-

लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनिदिवी द्वीपों के निवासी जो स्वयं और जिनके माता-पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे।

'बशर्ते ऐसे बच्चे जो भारत की मुख्य भूमि पर किसी अन्य स्थान पर लक्षद्वीप के निवासियों के संतान के रूप में पैदा हुए हैं, को यदि वे स्थायी रूप से इन द्वीप समूहों में बस गए हैं, तो, इन द्वीप समूहों के पैदाइशी निवासी माना जाएगा।'

स्पष्टीकरण :- 'स्थायी रूप से बसने' शब्द का अर्थ वही होगा जैसा कि लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 के खण्ड 3(1)(घ) में परिभाषित किया गया है।

कृपया ध्यान दें : संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 19.9.2003

नोट :- यदि उपर्युक्त सूची के समुदाय की वर्तनी में किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है तो संबंधित मूल अधिसूचना अंतिम तथा अधिप्रमाणित होगी।

अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची

I. आंध्र प्रदेश*

(1) महबूबनगर जिले के आचमपेट तालुक के बालमोर, कोदनांगोल, बनाल, बिलाकास, धारावारभ, अप्पाइपाली, रासुल छेरनुव, पुलेछेलमा मारलापया, बुर्ज गुंडाल, अगारला पेन्टा, पुल्लाइपाली, दुक्कान पेंटा, बिकिट पेंटा कारकार पेंटा, बोरामाछेरन्वू, येमेलापाया, इरलापेंटा, मुरारदीपेंटा, तेरकालदारी, वकारामामिदी पेंटा, मेडी मानकल, पंडीबोरे, संगरी गुण्डल, लिंगबोर, रामपुर, अप्पापुर मालापुर, जलालपैंटा, पीमानपेण्टा, रायलेट, वेटीलापाली, पातुर बयाल, भावीपैंटा नारदी पेंटा, सीपेंटा, तपासीपेंटा, चन्द्रगुप्ता, युल्लुकातरेवु, तिम्मारेड्डीपाल्लि, सारलापाल्लि, ततिगुण्डाल, इल्पामायेहेना, कोमान पेंटा, कोल्लामपेंटा मानानूर, माछाराम, मलहामाम्डी, वेकेटेश्वरला बावी, अमराबाद, तिरमालपुर, उपनुटोला, मघवनपल्लि, जगमरेड्डी पाल्लि, पेदरा, वेंकेश्वरम, चितलाम कुंटा, लाछमापुर, उदमेला, मारेड़, इप्पालापाली मड्डीमाडाग, अक्काराम, अइनोल, सिद्दापुर, बमानपाली, गनपुरा और मानेवारपल्लि गांव।

---

(2) आदिलाबाद जिले के आदिलाबाद तालुक के मलाइ बोरगोवा, अनकानपुर, जामुलाद्यारी, लोकारी, तान्तोली, सीतागोंटी, बुरनूर, नवगांव, पीपलदारी, पारदी बुजुर्ग, यापाल गुदा, छिनछूघाट, वानकोली, कानपा, अवसोदा बुरकी, मलकापुर, जारी, पालसी बुजर्ग, आरिल खुर्द, नन्दगांव, वाघापुर, पालसीखुर्द, लिंगी, काफर देनी, रतनापुर, कोसाइ, उमारी, मदनपुर, अम्बूगांव, रूयेअडी, सकानपुर, दादगांव, कसलापुर, डोरली, साहाजी, सांगवी, खोगदूर, कोबाई, पोनाला, छापराला, मंगरोल, कोपा, अरगूने, सोअनखास, खिडकी, खासल खुर्द, खासल बुजर्ग, जामनी, बोरगांव, सयेद पूर, खारा, लोहारा, मारीगांव, छिछदारी, खानापुर, खण्डाल, तीपा, हाती, घोता, करोदखुर्द, करोनी बुजर्ग, सिंगापुर, वुरानपुर, नागराला, बोदाद, छांदपेल्ली, पीतगेन, येकोरी, सादारपुर, वारूर, रोहार, तकाई तकली और रामखाम गांव।

---

(3) आदिलाबाद जिले के किनवात तालुक के अम्बारी, बोदरी, छिकली, कामताला, घोती, मांडवा, मेरेगांव, मालबोर गांव, पटोडा, दहीगांव, दोमान घारी, दरसांगी, डिघरी, सिंदगी, कनकवाड़ी, कोपरा, मलाकवाडी निसपुर एन्डा, पीपलगांव, बलजा, वारोली, अन्जी, भीमपुर, सिरमेती, केरल, कोठारी, गोकुड़ा, गोगरवुडी, मलकापुर, द्योनोरा, रामपुर, पातरी, परोद्यी, बाओथ दरसांगी, नोरगांव, उनरसी, गोदी, साउरखेर नायकवाड़ी, सरकानी, वाझेरा, मारदाप, अंजेरखेर, गोण्डवारसा, पलाइगुडा करालगांव, पाल्सी, पटोड़ा जवारला, पीपलगांव, कानकी, सिंगोरा, डोगरगांव, पीपल सेंद्या, जुरूर, मिनकी तुलसी, माचौरड़ेर, पारधी मुरली, टाकरी, पारसा, वारसा, उमरा, अश्ता, हिंगनी, तिमारपुर, बाजरा, बानोला पाटसोन्डा, धनोरा, साकुर और डिगरी गांव।

(4) आदिलाबाद जिले के बोथ तालुक के हतनूर, बाकरी, पारद्यी, करतान्डा, सेरलापाल्लि, नेरादी-कोन्डा, डालीगाओ, कुनताला वेंकटपुर, हसनपुर, सुरदापुर, पोलमामदा, बाल्हनपुर, धर्मपुरी, गोकोड़ां भोताई, कोरसेकाल, पतनापुर, तेजापुर, गुरूज, खाहदीगुडी, राजुरवाड़ी, इसपुर घानपुर, जतेरला, खान्तेगांव, साउरी, इछोरा, मुतनुर, गुडी हाटनूर, तालमेडी, गेरजाम छिनछोली, सिरछेलमा, मनकापुर, नारसापुर, धर्मपुर, हरकापुर, धामपुर, निगनी, अजारवजार, चिन्तलबोरी,, रामपुर, गंगापुर और गयात्पाली गांव।

---

(5) आदिलाबाद जिले के उत्नूर तालुक के सभी गांव।

---

(6) आदिलाबाद जिले के असइफाबाद तालुक के राजमपेट, गुंजाला, इंघानी, समेला, तेजपुर, कन्नारगांव, कन्टागुडा, शकेनपाल्ली, जामुलद्यारी, गुडी, छोरपाली, सालेगुदा, बादीगुदा, सवाती, ढाबा, छोपनगुडा, नीमगांव, खिरदी, मेटापिपरी, साकरा सांगी, देवमुरपाली, खोटरा-रिंगनघाट, निशानी, कोटा परानडोली, मेसापुर, गोइगावं, द्यनोरा, पारद्या, सुरदापुर, केरीनेरी मुरकीनोनकी, देवापुर, छिन्ताकारा, इहेरी, आरा दासनपुर, कापरी, बेलगांव, सिरसगांव, मोआर, बादाम, द्यामिरीगुडा, दाल्लनपुर, छालवारडी, इहोरघाट, वाली झारी, साकमगुंडी, आरा, उप्पाल, नवगांव, अंकसोरपुर चिराकुन्ता, इल्लिपिट्टा, डोरली, मन्डरन्मेरा, दन्तान्पल्ली, देवदुर्ग, तुनपाली धांगलेश्वर, पादिबान्दा, तामरिन, मलगुण्डी, कन्दन मोओआर, जिओनेना, कुटेदा तिलानी, कानेपेल्लि, बोरवांउम, गरदेपाली, तेलुन्ड़ी, मौगीलोड़ीगुड़ा, मोइड़ा गुड़ी पेट, चीन्नेदारी, कोइटेलुण्ड़ी, मदुरा, देवैगुड़ा, आरे गुडा, तकेपाली, चोउतेपाली, राने कन्नेपाली, सुंगापुरा, राला सामकेपाल्लि, छोपरी, दोदा, अर्जुनी, सेरवाई, रापाल्लि, टेकमाडवा और मीता अर्जुनी गांव।

---

(7) आदिलाबाद जिले के लक्षेतिपेत तालुक के गुदाम, कासीपेत, दांडे पाल्लि, छेलमपेटा राजमपेट, मुत्तीमपेट, वेंकटपुर, राली, कौवाल, तारापेत, देवपुर, गधापाल्लि, रोतपाल्लि, माझडामारी, द्यर्मारोपेत, वेंकटपुर, चिंतागुडा और मुत्तेमपाली गांव।

---

(8) आदिलाबाद जिले के राजोरा, तालुक के बेंडवी, छिनछोली, गोइगांव, हीरापुर, साकरी, बालापुर, मनोली, अन्तारगांव, विरूर, डोगरगांव, टिमबेरवाई, सेरसी, बडोरा, व्मरजीरी, लाकारकोट, डरगांव, किरदी, सोंदो, देवरा, खोरफना, कानारगांव, छेनाई, कैरगांव, सामलहीरा, घनोली, मारनगांडी, येल्लापुर, काटलबोरी इसपुर, देवती, पाण्डेरवानी, वानसारी, पेरदा, वारगांव, नोकारी, मीरापुर, पारद्यी, कुतोडा, परसेवारा, मंगलरा, कारकी, नोकारी, मनोली, सोनपुर, इनापुर, मानगी, उपारवाई, तुत्ता, लकमापुर, किरदी, इनजापुर, जामीनी, हरगांव, छिकली, पाटन, कोसुंडी, कोतारा और सोनोरली गांव।

(9) आदिलबाद जिले के सिरपुर तालुक के रालपेट, किस्तामपेट, तकलपात्ले छाकलपल्लि, अनाराम, येपाल्लि, कोरसनी, इसगांव, छिन्तागुडा, अंकोरा, उसू रामपल्लि अरपाल्लि बोपालपट्टम, बालासागा, पारघी, तुमरीहाती, छिन्तालमानोपाल्लि, छिन्ताम, गुल्लातालोदी, दामदास, ढ़ोरपल्लि, कानकी, गारलापेट, गुदलाबोरी, गुरूमपेट, लोमवेली, मोगुरदागर, विरदान्डी, और छिलपुरदुबोर गांव।

---

(10) वारंगल जिले के मुलुग तालूक के कन्नइगुडा, अंकनगुड्डा, राघवापट्टनम, मेडारमोला, कोएटला, पारसा, नागाराम, मुथापुर, मोटलागुड्डा, वेंगलपुर, येलपाक काने बोएनपल्लि, मेदाराम, कोंडरेड, छिन्तागुडा, कोंडापारथी, येलसेथिपाल्लि, अल्लामरि घुन पुर, रामपुर, माल्कपल्लि, छेत्ताल भूपतिपुर, गंगाराम, कन्नइगुडा राजन्नापेट, भूताराम, अक्केला, सिरवारपुर, गंगाराम भूपतिपुर, पुम्बापुर, रामपुर, अकामपाली, कामाराम, कामसेलिगुण्डम, आशनागुडा, येल्लापुर, अल्लागुड़ा, नरसापुर, पुस्छापुर, भातुपाल्लि, लावनाल, वाड्डगुडा, कोथूर, पेगदापाल्लि, सारवापुर, भुस्सापुर, चेलवाई, रगपुर, गोविन्दराओपेट, बालपाली, धुमपालागुड़ा, केलापाली, लखनवरम, परसा, गोनेपाली, पड़गापुर, नरलापुर, कलवापाली, डरताम, कोंडिया, मलयत, अक्लापुर, ड़ोल्ड़ा, कमाराम, तादवी, बुदीगुड़ा, बन्नजी, बन्दाम, सेलपाक कन्तलपाली, सरवाई गंगागुदा, तुपालकालगुदा, अकुलवारी, धानपुर, शाहपलि, गागपेल्लि, छिन्ना-विओपल्लि, वेकरपुर, नरसापुर, अनवाराम, लिंगाल, बालेपाल्लि बंडल और धुनमापुर गांव।

---

(11) वारंगल जिले के नरसामपेत तालुक के वेवेल्लि, पोलारा, बाकाछिन्ताफाद, गांजाद, गोपालपुर, खिस्तापुर, तातीनारी, वेनपाल्लि, पत्तल, भूपति, चन्देलपुर, बत्तालपल्लि अदवारमपेट, सात्यानगर, दुत्ल, मोथवाडा, मंगाला वारपेत, कारलाई, अरकालकुंता, कोदसापेत, गुडेरपाल्लि मसामी, बत्तवारतीगुदेम, ममीदीगुदम, पंगोन्डा, रोतुराई, सतरेद्दीपाल्लि, कोनापूर, कोंदापुरम, पोगुलापाल्लि, गोविन्दपुरम, माकदापल्लि, पागुलापल्लि, मुराइगुडेम, येलछागुडेम, तुम्मापरुम, जगांमवारतीगुडेम, रंगामुड़ेम, पेड़ा पल्ली, पेरावरम, कुन्दापाल्लि, नीलापाल्ली, दारावारिनापाल्लि, कारनेगुंड, महादेवागुडेम, मारिगुडेम, जंगनपाल्लि, बवारगुडा ओआरवाक, गंगारामम, मुछेरला अमरोन्छा कामाराम छिन्टागुंडम, निलावाच्छा, कांगारगिड्डा, मडागुड्डेम दालुरपेट, कोठागुडेम, कोटापाल्लि, दुर्गाराम, दूबागुडेम, रून्दावाराम नरसूगुडाम, कोमातलागुडेम, कोटेरवम, सेमर राजपेट, मारेपल्लि, गोआरन्ट, राधियापुर गजल गुड़ेम, राजवे पल्लि, और वोल्लिपाल्लि गांव।

(12) वारंगल जिले के येल्लांडु तालुक के सभी गांव (येलान्डू, सिगारेनी, और सिरपुर गांव और कोठागुडा कस्बे के अतिरिक्त)

---

(13) (1) वारंगल जिले के पालोचा तालुक के सभी गांव, पलोंधा, वोरगामपद, अश्वाराओपेट, दाम्मापेट, कुकनूर और नेलीपाक गांव को छोड़ कर और (2) पलोन्छा का समस्थान

---

(14) विशाखापट्टनम एजेन्सी क्षेत्र {एजेन्सी लक्ष्मीपरुम, छिद्दीकाडा, कोनसासिगि, कुमारापरुम, कृष्णादेवीपेता, पिछी गान्थिकोथागुडेम गोलूगोण्डापेटा, मुनुपुडी, गुम्मुडूकोन्डा, सराभूपालपटनाम, वादुरपालि पेदाजेग्गामपेटा गांवों के क्षेत्र के अलावा} {विशाखापट्टनम जिले के, सारामूपति, अगराहरम, रामचन्द्रनराजा पेटा, अगराहरम, ओर कोंडावातिपुड़ी अगाहराम।

---

(15) पूर्वी गोदावरी क्षेत्र 2 {रामचन्द्र पुरम, गांव और इसके पुरवा पुरूषोथापट्टनम के क्षेत्र को छोड़ कर}

---

(16) पश्चिम गोदावरी जिले के पश्चिम गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र।

---

* आंध्र आदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. संख्या 9) दिनांक 23.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख) राज्य) आदेश 1950 (सा.आ.संख्या 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेशर) आदेश 1951 (सा.आ. संख्या 50) और आंध्र आदेश अनुसूचित क्षेत्र (सेशर) आदेश 1955 (सा.आ. 30) के तहत संशोधित किया गया।

1. मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेशर) आदेश, 1951 द्वारा शामिल।
2. आंध्रा अनुसूचित क्षेत्र (सेशर) आदेश, 1955 द्वारा शामिल।

II. गुजरात**

1. सूरत जिले के और बारदोली उयेच्छाल, व्यारा, महुवा, माण्डवी, निजार, सोनगाध वालोद, मांगरोल तालुक
2. भडौच जिले के देदिया पाड़ा, सागवारा, वालिया, नन्दोद, और झगाडिया तालुक।
3. डांग जिला व तालुका
4. वलसाड जिले के बांदसा, धर्मपुर चिखाली, पारदी और उम्वेरगांव तालुक।
5. पंचमहल जिले के झालोड, दोहाद, संतरामपुर, लिमखेडा और देवगढ़ बारिया तालुक
6. बडोदरा जिले के छोटाउदयपुर, और निसवाडी तालुक और तिलकवाडा महल
7. साबरकांठा जिले के खेडब्रहमा, भिलोडा और मेघराज तालुक और विजयनगर महल।

** गुजरात राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. 9) दिनांक 23.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और गुजरात राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश का रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सा.आ. 109) दिनांक 13.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया ।

III. हिमाचल प्रदेश***

1. लाहोल और स्पीति जिले
2. किन्नोर जिला
3. चम्बा जिले के पांगी तहसील और भारमोर सब-तहसील

*** अनुसूचित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश आदेश, 1975 (सा.आ. 102) दिनांक 21.11.1975 के तहत विनिर्दिष्ट।

IV. महाराष्ट्र#

1. थाणे जिले में निम्नलिखित

(क) धहानु, तलसारी, मोखांदो, जवाहर, वडा और शहपुर तहसील

(ख) (i) पालघर तहसील के एक सौ चवालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

पालघर तहसील :

(1) तारापुर
(2) कुन्दन
(3) दहीसर टार्फ तारापुर
(4) घिवाली
(5) वावे
(6) अक्कारपत्ती
(7) कुरगांव
(8) पारनाली
(9) वेनगानी
(10) पठारवाली
(11) नेवले
(12) शिगांव
(13) गारगांव
(14) चिंचारे
(15) अकेगावान
(16) नानीवाली
(17) अंवढ
(18) बरहानपुर
(19) सलगांव
(20) खुताद
(21) खानीवाड़े
(22) रावते
(23) अकोली
(24) असेरी
(25) सोमते
(26) पस्थाल
(27) बोइसार
(28) बोरसेती
(29) महागांव
(30) किराते
(31) वाडे
(32) खाडवाने
(33) माडवान
(34) विस्थले
(35) कोडगांव
(36) कारसूद
(37) बेतेगांव
(38) वारंगदे
(39) लालोडे
(40) घांड
(41) काम्पालगांव
(42) मान
(43) घानोघर
(44) बाढ़े
(45) छारी बुदर्ग
(46) बिरवाडी
(47) काल्लाले
(48) पादघे
(49) पोले
(50) नानडोरे
(51) गिरनोली
(52) बोरान्डे
(53) देवखोपे
(54) सागवे
(55) कोसबाद
(56) कोकानेर
(57) नागणारी
(58) छारी खुर्द
(59) बेलगांव
(60) खुताल
(61) छिलहर
(62) भोपोली
(63) नीहे
(64) दामखाण्ड
(65) कोंधान
(66) आवनधान
(67) बेगारचीले
(68) शील
(69) लोवारे
(70) बंधन
(71) नन्द गांव टार्फ मानोर
(72) शील शेट
(73) कताले
(74) अम्भान
(75) वासरोली
(76) खारशेट
(77) मानोर
(78) ताकवाल
(79) सवारखण्ड
(80) नालशेट
(81) केव
(82) वाकाडी
(83) मासवान
(84) वान्डीवाली
(85) नेताली
(86) साये
(87) तेन
(88) कारालगांव
(89) गोवादे
(90) तामसाइ
(91) दुरवेस
(92) धुकतान
(93) पोछादे

(94) होलाले
(95) खामलोली
(96) वाहदोली
(97) बोत
(98) इम्बूर इराम्बी
(99) दानिसारी टार्फ मानोनर
(100) कुडे
(101) गुण्डावे
(102) सीतावली
(103) वेहालोली
(104) सवारे
(105) वराई
(106) जानसाई
(107) खाइरे
(108) ढेकाले
(109) गांजे
(110) जायेशेते
(111) शेलवाडे
(112) वेमूर
(113) अम्बादी
(114) नवाली
(115) मोरावाली
(116) वारखुन्ती
(117) कामार
(118) टोकराले
(119) बन्डाते
(120) जांजरोली
(121) छाडे
(122) वसारे
(123) खादकोली
(124) सखारे
(125) रोथे
(126) लालथाने
(127) नवाजे
(128) तान्डुलवाडी
(129) गिराले
(130) पारगाव
(131) नागवे र्टाफ-मानोर
(132) उम्बारपदा नानड़ाडे
(133) उचावाली
(134) सफाले
(135) सोनावे
(136) माकने कापसे
(137) कारवाले
(138) वाधिव सरावली
(139) पेनान्ड
(140) कान्डारवान
(141) दाहीवाले
(142) दारशेट
(143) नवगढ़ (घाटीम)
(144) उम्बारपादा-टर्फ-मानोर।

(ii) वसाई (बसीन) तहसील के पैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

वसाई (बसीन) तहसील :

(1) दाहीसार
(2) कोशिम्बे
(3) तुलिंज
(4) सकवार
(5) छिमान
(6) हेडवडे
(7) काशिदकोपर
(8) खानीवाडे
(9) भालीवाली
(10) कावहेर
(11) शिरसाद
(12) मान्धवी
(13) छानदीप
(14) भातने
(15) शिवनसाई
(16) उसगांव
(17) मेघे
(18) बादघर
(19) भीनार
(20) एम्बोडे
(21) कालभोन
(22) अनदने
(23) सायावान
(24) पारोल
(25) शिरवाल
(26) माझीवाली
(27) कारांजीन
(28) तिलहर
(29) धाविव
(30) पेल्हार
(31) अहोले
(32) वालिव
(33) सतिवाली
(34) राजवली
(35) कोल्ही
(36) छिनछोती
(37) जुचन्द्रा
(38) वापना
(39) देवदाल
(40) कामम
(41) सरजामोरी
(42) पोमान
(43) सिल्लोत्तर
(44) सासुनावहार
(45) नागले

(iii) भिवांडी तहसील के बहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

भिंवाडी तहसील :

(1) भिवाली
(2) गनेशपुरी
(3) वाडावाली वाजरेश्वरी
(4) अकोली
(5) सवारोली
(6) खतराली
(7) उसगांव
(8) घोटगांव
(9) बाढ़े
(10) वारेथ
(11) चाने
(12) असनोली-टार्फ - दुगद

(13) दुगद
(14) मनीवाली
(15) वादवाली टर्फ दुगद
(16) मालबीडी
(17) मोहिली
(18) नन्दीथान
(19) देपोली
(20) सखरोली
(21) सूपेगांव
(22) पिलांजे खुर्द
(23) पिलांज बुदुर्क
(24) अलखीवाली
(25) वाघीवाले
(26) देवहोल
(27) सागोआं
(28) इकसाल
(29) चिन्चावाली-टर्फ-कुंडे
(30) डूधानी
(31) वापे
(32) घदाने
(33) कुंडे
(34) घोतावाडे
(35) माइडें
(36) करमाले
(37) कांडली बुदर्क
(38) कोल्हे
(39) कांडली खुर्द
(40) दीघाशी
(41) नेवादे
(42) अम्बादी
(43) दालोंड
(44) जाम्भीवाली टार्फ-खाम्बाले
(45) उम्बारखण्ड
(46) अशिवाली
(47) जिदके
(48) खारीवाली
(49) बासे
(50) गोंडाडे
(51) पहारे
(52) सेदगांव
(53) पच्छापुर
(54) गोंड्रवली
(55) जाम्भीवाली-टर्फ-कुंडे
(56) असनोली-टर्फ-कुडे
(57) शिरोले
(58) दाभाद
(59) महानडुल
(60) शिरगांव
(61) पिंपल सेठ भुसेठ
(62) खादकी खुर्द
(63) खादकी बुदरूक
(64) चिम्बीपाडे
(65) कूहे
(66) घामने
(67) लाखीवाली
(68) पालीवाली
(69) पाये
(70) गाने
(71) दाहयाले
(72) फिरंगपद

(iv) मुरबाद तहसील के सतत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

मुरबाद तहसील :

(1) कासगांव
(2) किसाल
(3) बडवाली
(4) सखारे
(5) खटालबोर गांव
(6) अम्बेल खुर्द
(7) सयाले
(8) इंदे
(9) खेडाले
(10) तलवाली-टर्फ-घोराट
(11) इकलाहारे
(12) छाफे-टर्फ-खेड्डुल
(13) पिम्पालघर
(14) देहगांव
(15) पारहे
(16) कांडली
(17) धसाई
(18) अल्यानी
(19) पालू
(20) देवगढ़
(21) मांढ़
(22) सोनावाले
(23) वेलुक
(24) अलावे
(25) बरसुंगे
(26) मांडुस
(27) खेड
(28) वनोटे
(29) साई
(30) शेलगांव
(31) शिरोशी
(32) तालेगांव
(33) फंगालकोशी
(34) मेरडी
(35) वाल्हीवार
(36) माल
(37) जडाई
(38) अम्बीवाली
(39) डिंघेपाल
(40) दीवान पाद
(41) कोचरे खुर्द
(42) कोचने बुदर्ग
(43) छोसाले
(44) खूरल बंगला
(45) नयाहांडी
(46) मोराशी
(47) फंगुल गांवाहन
(48) सवरने
(49) थिताबी-टर्फ-वैशाकहरे
(50) कुदशेट
(51) फंगाने
(52) खपारी
(53) हेडावाली
(54) कारचोंड
(55) जडघर
(56) उडालदोहा
(57) महोरांडे
(58) टोकवडे
(59) वालेगांव
(60) तलवानी (बडागांव)

(61) वैशाखरे
(62) मनवाली-टर्फ-खेडुल
(63) पेनढारी
(64) उमरोली बुदर्क
(65) ओजीवाल
(66) मंदावत
(67) महाज
(68) पडाले
(69) कोलोशी
(70) जयगांव
(71) कलामबाद (भोंडीवाले)
(72) खेवारे
(73) दुधनोली
(74) उमारोली खुर्द
(75) खोपीवाली
(76) मील्हे
(77) गोरखगाद

2. नासिक जिले में निम्न :

(क) पेंट, सुरगाना और कलवान तहसील

(ख) (i) डिंडोरी तहसील के एक सौ छः गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

डिन्डोरी तहसील :

(1) मोखनाल
(2) मांडवाल
(3) डेहारे
(4) कारंजली
(5) गंडोले
(6) पलासविहिर
(7) वारे
(8) वनजोले
(9) अम्बाद
(10) वनारे
(11) तितवे
(12) देवधान
(13) नानाशी
(14) छारोसे
(15) देवगढ़
(16) कउदासर
(17) वनी खुर्द
(18) पिंपलगांव धम
(19) जोरान
(20) महाजे
(21) सदराले
(22) नालवाडी
(23) ओजे,
(24) गोलसी
(25) जलखंड
(26) निगडोल
(27) कोकोगांव बुर्दक
(28) उम्बारले खुर्द
(29) अम्बेगांव
(30) छाछदगांव
(31) वाघाद
(32) पोपल वाडे
(33) धाउर
(34) उम्बाले बुदुर्क
(35) जम्बूतके
(36) पिम्पराज
(37) नालेगांव
(38) विलवांडी
(39) रासेगांव
(40) कोछारगांव
(41) तिलहोली
(42) रावलगांव
(43) डेहरे वाडी
(44) ढा़गुर
(45) देवसाने
(46) सरसाले
(47) करांजखेड
(48) पंगलवाडी
(49) इकलाहारे
(50) चउसाले
(51) पिम्परी अंचला
(52) अहिवंतवाडी
(53) गोलडारी
(54) हास्ते
(55) कोलहेर
(56) जिरवाडे
(57) छामदारी
(58) मालदुमाला
(59) मंडाने
(60) कोशिम्बे
(61) पुनेगांव
(62) पंडाने,
(63) अंबानेर
(64) चंदीकपुर
(65) भाटोडे
(66) दाहिवी
(67) मुलाने
(68) कोकनागांव खुर्द,
(69) मालेगांव
(70) पिम्पराखेड
(71) फोपासी
(72) वानी कास्बे
(73) संगमनेर
(74) खेडले
(75) मवाडी
(76) करंजवान,
(77) डाहेगांव
(78) वागलूड
(79) कृष्णगांव
(80) वारखेड
(81) कदवामहालुंगी,
(82) गांओंडेगांव
(83) हतनोर
(84) नीलवांडी
(85) पिंपलगांव केतकी
(86) राजपुर
(87) डिंडोरी
(88) जोपुल
(89) माडकी जाम्ब
(90) पालखेड
(91) इन्दोर
(92) कोरहते,
(93) छिंचखेड

(94) टालेगांव डिंडोरी
(95) अकराले,
(96) मोहाड़ी,
(97) पिम्पसालानारे
(98) खाटवाड
(99) रामसेज
(100) अम्बे डिंडोरे
(101) ढाकम्बे
(102) जानोरी
(103) मानोरी
(104) शिवनाई
(105) वारवांडी
(106) जउलके डिंडोरी,

(ii) इगत पुरी शहर तथा इगतपुरी तहसील के तिरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

इगातपुरी तहसील :

(1) ढाडोशी,
(2) भीलमाल,
(2) पाहिने,
(4) जारवाड खुर्द,
(5) टाक-हर्षा,
(6) हसावली हर्षा,
(7) समुन्दी
(8) खारोली
(9) कोजोली
(10) अवहाते
(11) खुशगांव
(12) मेतचन्द्रायची
(13) अलवांड
(14) दापुरे
(15) मेत हुम्बाची
(16) जारवाड बुदुर्क
(17) महासुरली
(18) शेवगेड़ाग
(19) वानजोले
(20) देवगांव
(21) अहुराली
(22) नन्द गांव
(23) वावी हर्षा
(24) नागोसली
(25) ढ़ारगांव
(26) ओडली
(27) सातुरली
(28) अवाली डुमला
(29) कारहाले,
(30) रायाम्बे
(31) टाकेड गांव
(32) मेटेलयाच्वी
(33) बितुरली,
(34) वालविहार,
(35) मालवी बुदर्क
(36) पिंपलगांव भाराटा
(37) कोपरागांव
(38) कुरनोली
(39) ढ़ामोली
(40) वाकी
(41) छिनंछाले (खाइरे)
(42) ट्रिंगलवाडी,
(43) अदवान,
(44) अवालखेडे ,
(45) पारदेरी,
(46) बलायदूरी,
(47) खम्बाला,
(48) टेक घोटी,
(49) घोटी बुदुर्क
(50) तालगांव,
(51) गिरनार,
(52) तितोली,
(53) बोरटम्भे ,
(54) तालोशी,
(55) नन्दगांव साडे,
(56) पिंपरी सेर्दोदीन,
(57) तेलघा,
(58) कंचनगांव,
(59) शेनवार्ड बुदुर्क,
(60) फंगुलगांवन,
(61) बोरली,
(62) मानवेदे,
(63) भवाली खुर्द
(64) कालूस्ते,
(65) जामुन्डे,
(66) गाहुन्डे,
(67) भारवाज,
(68) कारूंगवादी,
(69) निरपन,
(70) मनिआरगांव,
(71) अम्बेवाडी,
(72) खाडखेड,
(73) इन्दोर,
(74) उम्बारकोन,
(75) सोमाज घादगा ,
(76) उभाडे (वंजुलवाडी)
(77) मेगारे,
(78) बेलगांव तारहाले ,
(79) धामनगांव,
(80) देओले,
(81) खैरगांव,
(82) पिम्पलगांव मोर,
(83) धामिनी,
(84) अदसारे खुर्द,
(85) अदसारे बुदर्क,
(86) आछरवाड,
(87) ताकेट खुर्द,
(88) ताकेट बुदर्ग,
(89) खेड,
(90) वारसिंगवे,
(91) सोनोशी,
(92) मइदारा धानोशी
(93) वासाली,

(iii) त्रिम्बक शहर तथा नासिक तहसील के सत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

नासिक तहसील :

(1) साप्टे,
(2) कोने,
(3) खारवाल
(4) वरासविहिर
(5) वघेरा
(6) रोहिले,
(7) नन्दगांव
(8) गोरथान,
(9) हिरदी
(10) मालेगांव
(11) र्वलुन्जे
(12) गणेशगांव वघेरा,
(13) पिम्परी त्रिम्बाक
(14) मेट कवारा,
(15) ब्रहम्णवाडे त्रिम्बाक,
(16) तोआनगांन,
(17) धुंबदी
(18) बेसे
(19) चकोर
(20) अम्बोली
(21) अम्बाई
(22) श्रीरासगांव
(23) तालवाडे त्रिम्बाक,
(24) पिम्पलाड त्रिम्बाक,
(25) खामबाले,
(26) सापगांव,
(27) काचुरली,
(28) अरियानेरी,
(29) तालेगांव त्रिम्बाक,
(30) पोगलवाडी त्रिम्बाक,
(31) वाछोली,
(32) उब्बारांडे,
(33) कालमुस्ते
(34) तिम्बार्क (देहात),
(35) हर्षावाडी
(36) मेटघेराकिला त्रिम्बाक
(37) मुलेगांव
(38) लादाची
(39) नायकवाडी,
(40) वेले,
(41) सादगांव,
(42) वादगांव,
(43) मनोली,
(44) ढोडेगांव
(45) दारी
(46) गिमाते
(47) दुगांव
(48) देवरगांव
(49) नांगलवाडी
(50) ओजारखेडा
(51) चांदसी
(52) गंगामहलुंगी
(53) जलालपुर
(54) सवारगांव
(55) गोवरधन
(56) शिवगांव
(57) पिंपलगांव गरूडेश्वर
(58) राजवाडी
(59) गंगावारहे,
(60) गणेशगांव त्रिम्बाक
(61) गणेशगांव नाशिक
(62) वसाली
(63) दूदगांव,
(64) महिरावनी
(65) तालेगांव अंजानेरी,
(66) जाटगांव,
(67) सारूल
(68) पिंपलाड नासिक
(69) राजोर बहुला,
(70) दहीगांव,

(iv) बगलान तहसील के सत्तावन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

बागलान तहसील :

(1) बोरहाते
(2) मोहलांगी
(3) जैतपुर
(4) गोलवाड
(5) हतनोर
(6) मालीवाड
(7) अम्बापुर
(8) जाड,
(9) वीसापुर,
(10) सहेवार
(11) खाराड़
(12) वाड डिगार
(13) देवथान
(14) कोंधाराबाद
(15) अंतापुर
(16) रावर
(17) जामोती
(18) अलिआबाद,
(19) अजांडे
(20) मुलहर
(21) बावुलने,
(22) मोरने-दिगर
(23) बोरदइवत
(24) भीमखेत,
(25) वाघम्बे
(26) मनोर
(27) सालहेर
(28) कटारवेल
(29) भीलवाड
(30) तुनगांव
(31) दसवेल,
(32) जाखोड
(33) मुनगासे
(34) भावाडे
(35) दसाने,
(36) मालगांव खुर्द

(37) सालवान
(38) पिसोर
(39) करसाने
(40) विथोड
(41) पाठवेडीगर
(42) तालवेडीगर
(43) मोरकुरे
(44) किकवारी खुर्द
(45) केलजार
(46) ततानी
(47) भीलडार
(48) किकवारी बुदर्क,
(49) जोरान
(50) साकोड़े
(51) करांजखेड
(52) डांग सुनडाने
(53) निकबेल
(54) बन्धाते
(55) दाहिन्डुले
(56) सरवार
(57) वाडी चौलहेर

3. धूले जिले में निम्न :-

(क) नवापुर, तालोडा, अक्काल कुआ और अकरानी तहसील

(ख) (i) सकरी तहसील के अस्सी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

सकरी तहसील :

(1) छोपाले
(2) रोथोड
(3) जामखेल
(4) खरसूवाडे
(5) सुतारे
(6) धानेर
(7) अमाले
(8) माछमाल
(9) खांडवारे
(10) रायकोट
(11) बुरन्दखे
(12) पानगांव
(13) लागडवाल
(14) रायतेल
(15) ब्रहमणवेल
(16) आमखेल
(17) जाम्बोरे
(18) वारसस
(19) जामकी
(20) रूनमाली
(21) वसखेडी
(22) डामकानी
(23) सालटेक
(24) दाहीवेल
(25) भोनगांव
(26) बादगांव
(27) मेनडान
(28) दापुर
(29) रोहन
(30) जेबापुर
(31) अमोड
(32) किरवाड़े
(33) घोडाडे
(34) सुरपान
(35) कोरडे
(36) वालव्हे
(37) विटावे
(38) कासबे चहेडवैल
(39) बसार
(40) इसराडे
(41) पेटाले
(42) पिंपलगांव
(43) मोहनी
(44) तेम्भे, परगान वारसे
(45) शिरसोले
(46) उमारपेटा
(47) मालगांव, परगान वारसे
(48) खारगांव
(49) कालाम्बे
(50) छोरवाड
(51) लखाल
(52) वारसे
(53) सेनवाड
(54) कुदासी
(55) मनजारी
(56) मापालगांव
(57) डांगासेर वाडे
(58) बोपखेल
(59) शिव
(60) खात्याल
(61) वारदोली
(62) काकसाद
(63) पानखडे
(64) सामोडे
(65) महासदी, परगने पिम्पलनेर
(66) पिंपलनेर
(67) चिकासे
(68) जोरापुर
(69) कोकनागांव
(70) शेवागे
(71) धामानधार
(72) विरखेल
(73) पारगांव
(74) मंडाने
(75) बालहाने
(76) देशिरवाडे
(77) काडयाल
(78) ढ़ोगाड्डिगार
(79) शेलबारी
(80) डेगांव

(ii) नंदुरबार शहर और नंदुरबार तहसील के बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

नंदुरबार तहसील :

1. भंगडे
2. मंगलूर
3. वसलाई
4. अर्दितारा
5. धानोरा
6. पावले
7. कोठडे
8. उमज
9. कोथाली खुर्द
10. वदाजकान
11. निंबोन बुदरुक
12. जालखे
13. शिरवादे
14. रनाले खुर्द
15. नटवाड
16. करांजवे
17. शेजवे
18. पिंपलोड-टर्फ-धानोर
19. लोया
20. वेलावेद
21. वयाहुर
22. धुलवाड
23. गुजर भवाली
24. गुजर जम्बोली
25. कर्णखेडे
26. फुलसारे
27. उमरदे बुदरुक
28. नारायणपुर
29. धिरासागांव
30. धेकवाड
31. बिलाडी
32. खैराले
33. खामगांव
34. नागासार
35. विरचक
36. टोकारटेल
37. वाघले
38. ओजारदे
39. आस्थे
40. थानेपाडा
41. अमरावे
42. पथराई
43. धामदाई
44. वारुल
45. अदाच्छी
46. लोंखेडे
47. कराजकुपे
48. नालवे खुर्द
49. सुंदारदे
50. नालवे बुदरुक
51. दुधाले
52. नंदारखे
53. घने
54. वसादरे
55. ववाद
56. चाकले
57. दहींडुले बुदरुक
58. दहींडुले खुर्द
59. अथोरे दिगर
60. उमारदे खुर्द
61. चौपाले
62. अकराले
63. वादबारे
64. अखातवाडे
65. हट्टी एलियास इंडि
66. पलाशी
67. घुली
68. राकसवाडे
69. वाघोडे
70. पाटोंडे
71. हाल-टर्फ-हवेली
72. खोडासगांव
73. शाहदे
74. शिंडे
75. कोल्डे
76. भगसारी
77. धामदोड
78. सवाल्दे
79. कोरित
80. सुजातपुर
81. तिशि
82. धांधाने

(iii) शाहदा तहसील के एक सौ इकतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

शाहदा तहसील :

(1) आकासपुर
(2) नवगांव (वन ग्राम)
(3) वीरपुर
(4) दारा
(5) भूटा
(6) कनसाइ (वनग्राम)
(7) नन्दया कुसुमवाडे (वनग्राम)
(8) रामपुर
(9) छिराडे
(10) नागजिरि (वनग्राम)
(11) कुसुमवाडे
(12) नन्दया (वनग्राम)
(13) पिम्परानी
(14) रानीपुर (वनग्राम)
(15) फत्तेपुर
(16) लक्काडोत (वनग्राम)
(17) कोटबन्धनी (वनग्राम)
(18) पिंम्पलोड
(19) कुड्डावाड
(20) लाच्छोर
(21) कन्नाडी-टर्फ-हवेली
(22) शीरूद-टर्फ-हवेली
(23) अमोडे
(24) अलखेड
(25) पाडाले बुदर्क
(26) बुदिगांवन
(27) उमारती
(28) पिम्पारी
(29) महासवाद
(30) अनकवाडे

(31) सुलवाडे
(32) तवलाई
(33) मुबारकपुर
(34) वेलवाड
(35) कलमाडी–टर्फ–बेआरदी
(36) वाडी
(37) सोनावद–टर्फ–बोआरदी
(38) थेंगचे
(39) जावाडे–टर्फ–बोआरदी
(40) तारहाडी–टर्फ–बोआरदी
(41) बारधे
(42) पारी
(43) कोठाली–टर्फ–हवेली
(44) औरंगपुर
(45) चिखाली बुदुर्क
(46) करनखेड
(47) नन्दारडे
(48) बइजाली
(49) बाघोडे
(50) परकाशे
(51) धामलाड
(52) काथारेडे बुदर्क
(53) काथारडे खुर्द
(54) कलसाडी
(55) धुरखेडे
(56) भाडे
(57) पिगाने
(58) गानोर
(59) आदगांव
(60) खारागांव
(61) कोछारे
(62) बिलाडी–टर्फ–हवेली
(63) बहिरापुर
(64) ब्रहमणपुर
(65) सुल्लातनपुर
(66) रायखंड
(67) खेड दिगर
(68) नावलपुर
(69) चांदसाइली
(70) गोदीपुर
(71) पडालडे खुर्द
(72) भागपुर
(73) जावखेड
(74) सोनवाई–टर्फ–हवेली
(75) कवालीथ
(76) तुकी
(77) सावरवेडे
(78) कारजोत
(79) लाहोर
(80) गोगापुर
(81) कुरांगी
(82) तिधारे
(83) दामालेड
(84) कालामांड–टर्फ–हवेली
(85) चिखाली खुर्द
(86) भारेटेक
(87) श्रीखेडे
(88) ओजारटे
(89) उखालसेम
(90) वघारदे
(91) जाम
(92) जवादे–टर्फ–हवेली
(93) तितारी
(94) होल मुबारकपुर(वनग्राम)
(95) वेदगांव
(96) पिम्पारदे
(97) आशालोड
(98) मंडाने
(99) अवागे
(100) तिखोरे
(101) उन्तावाद
(102) होल
(103) मोहिडे–टर्फ–हवेली
(104) जुनवाने
(105) लोनखेडे
(106) तेम्भाली
(107) होलगुजारी
(108) आसुस
(109) बुपकारी
(109) मलोनी
(110) डोगरागांव
(111) कोथाल–टर्फ–शहादा
(112) मटकुट
(113) बोराले
(114) कामरावेद
(115) कहतुल
(116) वेदेहिल
(117) लोंनढोर
(118) उधालोड
(119) निम्बोरे
(120) धाड़रे बुदर्क
(121) चिरकान (वनग्राम)
(122) असलोड (नया) (वनग्राम)
(123) जैनघर
(124) दांडेरे खुर्द (वनग्राम)
(125) ममोडया वनग्राम
(126) दुतरवेडे (वनग्राम)
(127) भोगारा (वनग्राम)
(128) वदाली
(129) कोठावाल
(130) भुलाने (वनग्राम)
(131) चांद साइली (वन ग्रम)
(132) उभादगाद (वनग्राम)
(133) काकराड खुर्द
(134) खापरखेडे (वनग्राम)
(135) मालगांव (वनग्राम)
(136) लंगादी भवनी (वनग्राम)
(137) शहना (वनग्राम)
(138) काकरदे बुदर्क
(139) अम्भानपुरा बुदुर्क
(140) काटघर
(141) निम्बारडी (वनग्राम)

(iv) शिरपुर तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

शिरपुर तहसील :

(1) बोरपानी (वनग्राम)
(2) मलकाटार (वनग्राम)
(3) फत्तेपुर (वनग्राम)
(4) गादहाडदेव (वन ग्राम)
(5) कोडिड (वनग्राम)
(6) गुरहाडपानी (वनग्राम)

(7) भुदाकी बनग्राम (वनग्राम)
(8) वाघपदे (वनग्राम)
(9) सइगारपद (वनग्राम)
(10) मंजरी बुरदी (वनग्राम)
(11) छोन्दी (वनग्राम)
(12) भुदकी (वनग्राम)
(13) छंदसुरया (वनग्राम)
(14) बरोदी (नया)(वनग्राम)
(15) काकडामल (वनग्राम)
(16) वाकवाड (वनग्राम)
(17) उमरदा (वनग्राम)
(18) डुराबड्या (वनग्राम)
(19) मोहिड् (वनग्राम)
(20) डोडवाडा (वनग्राम)
(21) तेम्भा (वनग्राम)
(22) खैरखान (वनग्राम)
(23) बोआरदी
(24) वसारदी
(25) नन्दारदे
(26) चान्दसे
(27) वाडी बुदर्क
(28) वाडी खुर्द
(29) जालोड
(30) अभनापुर खुर्द
(31) तारहाड
(32) उखालवाडी
(33) मुखेड
(34) नीमजारी
(35) वरजाडी
(36) वाघबारदा
(37) समरमापद
(38) लउकी
(39) सूले
(40) फत्तेपुर
(41) हेदाखेड्
(42) अरूनपुरी बांध
(43) संगवी
(44) हाटेड
(45) जेन्दया अन्जान
(46) पलासनेर
(47) खाम्बले
(48) पानाखेड (वनग्राम)
(49) खरकुटी (वनग्राम)
(50) जोयादा (वनग्राम)
(51) छिलारे (वनग्राम)
(52) लकड्या हनुमान(वनग्राम)
(53) महादेव डोन वाडे(वनग्राम)
(54) मालापुर (वनग्राम)
(55) रोहिनी
(56) भोइती
(57) अम्बे
(58) खामखेडे परगने अम्बे
(59) हिवारवेडे (वनग्राम)
(60) हिगांव
(61) वाडेल खुर्द
(62) कालापानी (वनग्राम)

4. जलगांव जिले में निम्नलिखित :-

(क) (i) छोपड़ा तहसील के पच्चीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

छोपडा तहसील :

(1) मराठा (वनग्राम)
(2) मूरढिडा (वनग्राम)
(3) उमारती (वनग्राम)
(4) सत्रसेन (वनग्राम)
(5) कृष्णपुर (वनग्राम)
(6) अंगुरने
(7) खारया पडव (वनग्राम)
(8) वइजापुर (रेवन्यू)
(9) मुलुयाउत्तर (वनग्राम)
(10) वइजापुर (वनग्राम) (54)
(11) बोराजन्ती (वनग्राम)
(12) मालापुर (वनग्राम)
(13) बोरामाली (वनग्राम)
(14) करजाने (वनग्राम)
(15) मेलान (वनग्राम)
(16) विशनपुर (वनग्राम)
(17) देवहारी (वनग्राम)
(18) देवजिरि (वनग्राम)
(19) कुंडयापानी (वनग्राम)
(20) इच्चापुर परगने अड्वाड्
(21) बधवनी
(22) बधाई
(23) अनदाने
(24) मोहराद
(25) असालवाडी (वनग्राम)

(ii) **यावल तहसील के तेरह गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

यावल तहसील :

1. मनापुरी
2. टोलाने
3. खालकोट
4. इचकहेडे
5. मलोद
6. हरिपुरा (वन ग्राम)
7. वाघाजीरा (वन ग्राम)
8. आसादे बुदरूक
9. बोरखेड् खुर्द
10. लांगदा अम्बा
11. जामन्या (वन ग्राम)
12. गदरया (वन ग्राम)
13. उसमाली (वन ग्राम)

(iii) रावेर तहसील के इक्कीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

रावेर तहसील :

(1) महुमांडली (वनग्राम)
(2) पिम्परकुंड (वनग्राम)
(3) अन्धारमालि (वनग्राम)

(4) तिड्या (वनग्राम)
(5) निम्नद्या (वनग्राम)
(6) गारबारदी (वनग्राम)
(7) जानोरी
(8) छिनछाती
(9) पाल
(10) मारवाल
(11) जिनसी
(12) सहसरालिंग (वनग्राम)
(13) लालमाटी (वनग्राम)
(14) अवहोडे बुदर्क
(15) लाहोर
(16) कुसम्भे बुदर्क
(17) कुसम्बे खुर्द
(18) पिम्परी
(19) मोहगांन बुदर्क
(20) पडाले बुदुर्क
(21) महुमांडली (पुराना) (विरान)

5. अहमदनगर जिले में निम्नलिखित :-

(क) अकोली तहसील के चौरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अकोली तहसील :

(1) तिरधे
(2) पडोसी
(3) महाजुंगी
(4) एकडारे
(5) संगावी
(6) केली रूमहानवाडी
(7) बिताका
(8) खिरवीरे
(9) कोम्भालने
(10) तहकारी
(11) सम्सेरपुर
(12) सावरगांव पाट
(13) मुथालने
(14) बारी
(15) वारंधुसी
(16) लाडागांव
(17) शेनित
(18) पाभुलवांडी
(19) बाभुलवांडी
(20) अंवेवांगन
(21) देवगांव
(22) पेंडशेट
(23) मानहेर
(24) शेलविहीरे
(25) पंजारे
(26) छिनचोंद
(27) वाकी
(28) तितावी
(29) पिंपरकाने
(30) उदादावाने
(31) कोदानी
(32) घाटघर
(33) सिगनवाडी राजौर
(34) मुरशेट
(35) शेंडी
(36) समराड
(37) भंडारडारा
(38) रानाड बुदर्क
(39) रानाड खुर्द
(40) मालेगांव
(41) कोहीन्डी
(42) दिगम्बर
(43) गुहिरे
(44) कतालपुर
(45) रतनवाडी
(46) मुतखेल
(47) तेरूनगांव
(48) राजोर
(49) विथे
(50) कोटलेम्भे
(51) कालूगांव
(52) जामगांव
(53) शिरपुंजे वुदर्क
(54) सवारकुटे
(55) कुमशेट
(56) शिरपुंजे खुर्द
(57) घामनवन
(58) अम्बित
(59) बालधान
(60) मानिक ओजार
(61) पुरूचवाडी
(62) मवेशी
(63) शिसवाद
(64) वाप जुल सेत
(65) गोंडोशी
(66) खादकी
(67) साकिर वाडी
(68) पचनानी
(69) छिछावने
(70) पदालने (80)
(71) शेलाद
(72) पिंपरे
(73) घोटी
(74) पैथान
(75) लवाली कोतुल
(76) वाघदारी
(77) शिलवांडी
(78) कोहोने
(79) लिवाली ओतुर
(80) तेले
(81) कोथाले
(82) सोमलवाडी
(83) विहिर
(84) शिंडा
(85) अम्बित खिंड
(86) पालसुंडे
(87) पिसेवाडी
(88) फोपसांडी
(89) सातवाडी
(90) केली ओतुर
(91) केली कोतुल
(92) खेतवाडी
(93) इसारथाव
(94) करांडी

6. पुणे जिले में निम्नलिखित :-

(क) (i) अम्बेगांव तहसील के छप्पन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अम्बेगांव तहसील :

(1) डोन
(2) पिम्परागान
(3) अघाने
(4) अहूपे
(5) तिरपाड
(6) नहावेद
(7) असाने
(8) मलीन
(9) नानावाडे
(10) अमाडे
(11) वरसावने
(12) कोंढारे
(13) आदेवारे
(14) बोरघर
(15) पाटन
(16) कुसीरे खुर्द
(17) पंचालबुदर्क
(18) कुसीरे बुदर्क
(19) दिगाद
(20) पंचाल खुर्द
(21) महिलुंगे-टर्फ-अम्बेगांव
(22) सवारली
(23) मेघोली
(24) वाछापे
(25) साकेरी
(26) पिमपारी
(27) अम्बेगांव
(28) जाम्बोरी
(29) कालाम्बाई
(30) कोन्ढावाल
(31) फूलवाडे
(32) फलोडे
(33) कोलटावाडे
(34) तेरूनगांव
(35) दिम्भे बुदुर्क
(36) महालुंगे-टर्फ-घोडा
(37) राजपुर
(38) छिक्काली
(39) राजेवाडी
(40) सूपेघर
(41) तालघर
(42) मापोली
(43) डिम्भे खुर्द
(44) पोखारी
(45) गोहे बूदर्क
(46) निगाडाल
(47) गोह खुर्द
(48) अपाती
(49) गंगापुर खुर्द
(50) अमोंडी
(51) कनासे
(52) गंगापुर बुदुर्क
(53) सिनोली
(54) पिम्पालगांव-टर्फ-घोडा
(55) साल
(56) ढाकले

(ii) **जुन्नार तहसील के पैंसठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

जुन्नार तहसील :

(1) छिल्लेवाडी
(2) अम्बेहवाइन
(3) जामभूलसी
(4) खिरेश्वर
(5) माथालाने
(6) कोल्हेवाडी
(7) कोपारे
(8) मंडावे
(9) सिंगनोर
(10) आलू
(11) खूबी
(12) पिम्पालगांव
(13) कारंजाले
(14) माछ
(15) पांगरी-टर्फ-माध
(16) कोलवाडी
(17) परगाव-टर्फ-मोद
(18) तालेरान
(19) सीतेवाडी
(20) वाथाले
(21) निमगिर
(22) अनजानवाले
(23) हदसर
(24) देवाले
(25) खाइरे
(26) घाटघर
(27) जलवांडी
(28) हिरदी
(29) उनदेखादेक
(30) राजपुर
(31) खाटकाले
(32) मणिकोध
(33) खाड कुम्बे
(34) उरसान
(35) वेवादी
(36) तेजपुर
(37) फंगलघावन
(38) छावान्ड
(39) पुर
(40) खानगांव
(41) मानकेश्वार
(42) सुरले
(43) अम्बोली
(44) शिरोली -टर्फ-कुकादनेर
(45) वानेवाडी
(46) अपटाले
(47) कोली
(48) शिवाली
(49) उतचिल
(50) बोतारडे
(51) धालेवाडी-टर्फ-मिनहर

(52) भिवांडे बुदर्क
(53) इंगालून
(54) भिवाडे खुर्द
(55) घंगालडारे
(56) सोनावाले
(57) ताम्बे
(58) हिवारे-टर्फ-मिनहर
(59) हतविज
(60) अम्बे
(61) पिंपलवाडी
(62) सुकालेवाडे
(63) गोदरे
(64) खामगांव
(65) सोमतवाडी

7. नानडेड जिले में निम्नलिखित :-

किनवत तहसील के निम्नलिखित एक सौ बावन गांव व किनवत कस्बा, जो नीचे उल्लिखित हैं :

किनवत तहसील :

(1) तकली
(2) पदसा
(3) सायपाल
(4) मुरली
(5) वादसा
(6) कोली
(7) अता
(8) गोण्डेगांव
(9) मदनपुर (महोर)
(10) बोंण्डगांव
(11) उमरा
(12) मछन्द्रा पारद
(13) करालगांव
(14) स्वरखेड
(15) डिगडी (कुटेमार)
(16) वाई
(17) हरदाप
(18) नाइकवाडी
(19) हिनगानी
(20) वाजरा
(21) तुलसी
(22) गोंडवासा
(23) अंजानखेड
(24) भोराड़
(25) छोराड़
(26) धनोरा (सिंदखेड)
(27) रामपुर
(28) पाथरी
(29) खाम्बला
(30) पारदी
(31) सिन्दखेड
(32) चिंचखेड
(33) होटाला
(34) वाइफानी
(35) धुंद्रा
(36) गउरी
(37) बोथ
(38) सइलू
(39) करनजी (सिन्दखेड़)
(40) भगवती
(41) वाराजबुदर्क
(42) उमरी
(43) उनकदेव
(44) चाइस
(45) पिंपलसेंडा
(46) सरखानी
(47) देलही
(48) निराला
(49) नूरगांव
(50) टिट्वी
(51) लिंगी
(52) नागपुर
(53) जुनुनी
(54) दिगदवजारा
(55) डारसांगवी (सिंदखेड)
(56) सिंगोडा
(57) सिरपुर
(58) ताम्भी
(59) पटोड़ा बुदर्क मिनको
(60) मांडवी
(61) जवारला
(62) पालसी
(63) वेलागांव
(64) कनकी
(65) कोठारी (सिन्दखेड़)
(66) पिपलगांव (सिंदखेड)
(67) डोगरगांव (सिंदखेड़)
(68) जरूर
(69) मिनकी
(70) पचुण्डा
(71) वनोला
(72) साकुर
(73) मैंडकी
(74) डिगडी
(75) धनोरा (ड़िगड़ी)
(76) मोहनपुर
(77) मुनगस
(78) सिंगदी (किनबत)
(79) मालबोरगांव
(80) नेजपुर
(81) राजगाड
(82) वडोली
(83) अनजी
(84) कनकवाडी
(85) लोनी
(86) धमनधारी
(87) पंधारा
(88) बेल्लोरी
(89) मारेगांव
(90) कमथाला
(91) अम्बादी
(92) खेरदा
(93) मलकापुर
(94) घोती
(95) सिरमेत्ती
(96) भीमपुर
(97) पिपलगांव (किनवार)
(98) छोगारवाडी
(99) गोकुंडा
(100) माण्डवा
(101) डिग्डी (मगावोड़ी)
(102) नागजरी

(103) कोठारी (चिखली)
(104) परधान संगवी
(105) बेन्डी
(106) अमाडी
(107) मदनापुर (चिखली)
(108) शानीवार पेठ
(109) दभादी
(110) चिखाली
(111) हुदी (चिखली)
(112) एन्धा
(113) भूलजा
(114) डारसंगवी
(115) मालकवाडी
(116) पेन्डा
(117) परधी खुर्द
(118) केरल
(119) डेगांव
(120) लिंगधारी
(121) परदी बुदर्क
(122) बोधादी खुर्द
(123) बोधादी बुदर्क
(124) सिंदगी (चिखली)
(125) अंधबोरी (चिखली)
(126) कोपारा
(127) पीपरफोडी
(128) पटोडा (छिकली)
(129) पिपरी
(130) धनोरा, चिखली
(131) सवारी
(132) धारा
(133) पोथ रेड्डी
(134) सिगारवाडी
(135) अन्जेगांव
(136) भंडारवाडी
(137) जलधारा (चद्रपुर)
(138) बेलोरी (छिखली)
(139) मालकोलारी
(140) डिगरास
(141) डोंगरगांव (चिखली)
(142) शिवोनी (चिखली)
(143) परोटी
(144) स्वरगांव
(145) जलधारा (इस्लापुर)
(146) कोठारी
(147) हुड्डी (इस्लापुर)
(148) करांजी (इस्लापुर)
(149) कुपटीखुर्द
(150) कुपटी बुदर्क
(151) वाग धारी
(152) तलारी

8. अमरावती जिले में निम्नलिखित :-

(क) चिखलाधरा और धानी तहसील

9. यवतमाल जिले में निम्नलिखित :-

(क) (i) मारेगांव तहसील के एक सौ तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

मारेगांव :

1. घोगुलदारा
2. शिओनाला
3. बुरांडा
4. फापल
5. कन्हलगांव
6. खेपाडवाई
7. घोदाधारा
8. नरसाला
9. धमानी
10. मदनापुर
11. बोरी खुर्द
12. पिसगांव
13. वडगांव
14. फिसकी (वन ग्राम)
15. भालेवाड़ी
16. पथारी
17. चिंचाला
18. पान हरकावाला
19. खर्दा (वन ग्राम)
20. पिम्परद (वन ग्राम)
21. फपरवाड़ा
22. सलाभटी (वन ग्राम)
23. दोलदोंगरगांव
24. माचिन्द्रा
25. पंडविहार
26. जाल्का
27. पंधारदेवी (वन ग्राम)
28. अम्बोरा (वन ग्राम)
29. चिंचोनी बोटोनी
30. अवलगांव (वन ग्राम)
31. कन्हलगांव
32. खारीगांव
33. सराती
34. बुरांडा
35. दुर्गादा
36. वागधारा
37. मेंधानी
38. घानपुर
39. खंडानी
40. खापरी
41. उचातदेवी (वन ग्राम)
42. मारेगांव (वन ग्राम)
43. खंडानी
44. महासदोदका
45. पालगांव
46. बोटोनी
47. गिर्जापुर (वन ग्राम)
48. पछपोहर
49. अम्बेजारी
50. रोहपात
51. रैनपुर
52. सगनपुर
53. हिवारा बरसा
54. रामपुर
55. कतली बोरगांव
56. पारदी
57. शिबला

58. चियाली (वन ग्राम)
59. बोरगांव (वन ग्राम)
60. पेंधारी
61. अर्जुनी
62. कागांव
63. रजनी
64. माजरा
65. गंगापुर (वन ग्राम)
66. भोइकुंड (वन ग्राम)
67. वाधोना
68. सुसारी
69. सुरला
70. गोदानी
71. निमानी
72. दरारा
73. आसन
74. जगलोन
75. जामकोला
76. इसापुर
77. किलोना
78. उमरघाट
79. वल्लासा
80. जुनोनी (वन ग्राम)
81. लेंचोरी
82. चिंचघर
83. अम्बिजारी, खुर्द
84. अम्बेजारी बदरूक
85. करगांव खुर्द
86. निम्बादेवी
87. टेम्फी
88. कुंडी
89. मांडिव
90. जुनोनी
91. आम्भा
92. पोखरनी (वन ग्राम)
93. पिवारदोल
94. भोराद (वन ग्राम)
95. चिखालदोह
96. मुलगवान
97. भीमनाला
98. चटवान
99. अराइकवाड़
100. गवारा
101. माथार्जुन
102. महदापुर
103. पंधारवानी
104. देमाद देवी
105. मंडवा
106. डोंगारगांव
107. दभाड़ी
108. उमरी
109. मुधाती
110. आसोदी
111. कोडपखिंडी
112. मंगरूल खुर्द
113. मंगरूल बदरूक
114. गोपालपुर
115. रामपेठ
116. चालबरडी
117. जामनी
118. शिरोला
119. अदकोली
120. खालकलोह
121. बिरसापेठ
122. मुछी
123. मारकी बुदरूक
124. मरकी खुर्द
125. गणेशपुर
126. पवांर (वन ग्राम)
127. कृष्णपुर (वन ग्राम)
128. खेकाड़ी (वन ग्राम)
129. शेकापुर
130. यिओती

(ii) रालेगांव तहसील के तैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

रालेगांव तहसील :

1. लोहारा
2. एकलारा
3. सोनेर्डी
4. वाटक हेर
5. जलका
6. वामा
7. पिंपारी दुर्ग
8. मांडवा
9. कोलवान
10. शोइत
11. वरूद
12. बुकाई
13. जरगद
14. खादकी सुकली
15. डोंगर गांव
16. तेजानी
17. अंजी
18. लोनी
19. बोराती (वन गांव)
20. सराती
21. खैरगांव कसार
22. वारधा
23. भुलगद
24. पिंपलशेंडा, (75)
25. अतमुर्डी
26. सावरखेड
27. चोंधी
28. वधोडा
29. खेमकुन्ड
30. पार्डी (वन गांव)
31. उमरविहिर
32. अदनी
33. खटारा
34. मुन्जाला
35. पलासकुन्ड
36. वीर गांव
37. खैर गांव
38. देवधारी
39. सिंगल दीप
40. सोनुर्ली
41. सिन्दुला
42. जोतिंगदारा
43. साखी खुर्द

(iii) केलापुर तहसील में निम्नलिखित 103 गांव और पन्धार्कवारा शहर शामिल किया गया :-

केलापुर तहसील :

1. मोदारी
2. जोगीन कोहला
3. मीरा
4. जीरा
5. घोद्दारा (वन गांव)
6. साखी बुदरूक
7. वधोना खुर्द
8. जोलापुर (वन गांव)
9. करानी
10. वधोना बुदरूक
11. तिवसाला (वन गांव)
12. कोथाड़ा
13. सुरदेवी
14. चनई
15. असोली
16. मुहादा
17. कारेगांव
18. चिखालदारा
19. कृष्णापुर
20. दाभा
21. मारवा
22. खैरगांव
23. वघोली
24. कुसलगांव
25. चोपन
26. मल्कापुर (वन गांव)
27. केगांव
28. वादनेर
29. जुली
30. भाद उमारी
31. पटोडा
32. पहापल
33. नगजारी खुर्द
34. बहत्तार
35. सुसारी
36. नईकसुकली (वन गांव)
37. पेधारी
38. पिल्पाली
39. डोंगारागांव
40. बेथ
41. माले गांव खुर्द (वन गांव)
42. हिवारदारी (वन गांव)
43. मालागांव बुदरूक (वन गांव)
44. दरियापुर
45. पिल्वाहरी
46. अर्ली
47. हिवारी
48. पिंपालशेंडा
49. कारागांव,
50. वाडवत
51. खैरी
52. घुवाडी
53. कोंघारा
54. सखारा वदरूक
55. धारना
56. मांगी
57. ढाकी
58. वायी
59. पिंपालपुर
60. गणेशपुर
61. खैरगांव,
62. पाह
63. निलजई
64. मारगंव
65. अभोरा
66. डोंगरगांव,
67. पिंपारी
68. खैरगांव
69. मुची
70. मंगुर्दा
71. पन्धारवानी बुदरूक (वन गांव)
72. कोंधी
73. वेदाद
74. बागी
75. घनमोडे
76. नन्दगांव
77. गणेशपुर
78. टाटापुर
79. जुन्जापुर
80. गेंडवाकाडी
81. चलबर्दी
82. बेलुरी
83. टादुमारी
84. बरगांव
85. अकोली बुदरूक
86. महानदोली
87. सखारा
88. मराठवाकाडी
89. ढोकी
90. वल्लारपुर
91. टोकवनजारी
92. वानजारी
93. खारीगांव बुदरूक
94. टिमभी
95. राधापुर (वन गांव)
96. पिखाना (वन गांव)
97. वासएरी
98. अन्धारवाडी,
99. यलापुर (वन गांव)
100. चनाखा
101. निमधेली
102. रूधा
103. सुकली

(iv) गिंताजली तहसील के पचपन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

गिंताजली तहसील :

1. मरवेली
2. रजुरवाडी
3. लिंगी
4. कोली खुर्द
5. कोली वुदर्क
6. रामपुर उन्धार्नी
7. कपाशी
8. डेटोडी
9. गुधा

10. वारूड, (240),
11. जपारवाडी
12. उमरी (242)
13. पलोडी
14. कापरी (244)
15. घोटी
16. बुडाडी
17. मुधाटी (वन गांव)
18. जलान्द्री
19. मनुसधारी
20. अयाते
21. काप
22. कवाथा बुदरूक
23. बिलायत
24. खादकी
25. चिमटा
26. कोपरी खुर्द
27. चिंचोली (268)
28. किंधी (वन गांव)
29. गवारा (वन गांव)
30. टिटवी
31. मुरादगवन (वन गांव)
32. पिंपाल खुटी (वन गांव)
33. खरोनी (वन गांव)
34. वधोना
35. डोर्ली
36. राहती
37. रासा (वन गांव)
38. जताला
39. चिखालवार्धा
40. तड-सवाली
41. सैफाल
42. नागेजरी बुदरूक
43. कवाथा (वन गांव)
44. पारवा
45. मझाडा
46. पार्दी
47. जम्ब
48. कालेश्वर
49. शेराद
50. धूंकी (वन गांव)
51. मथानी (वन गांव)
52. राजागांव (वन गांव)
53. खापरी (वन गांव)
54. होनेगांव
55. गनेडी

10. गदचिरोली जिले में निम्नलिखित :-

(क) इत्तापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, धनोरा, गुरखेड़ा तहसील ।

(ख) (ii) गदचिरोली तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

गदचिरोली तहसील :

1. नबगांव
2. चाक चुरचुरा
3. कुराधी
4. चाक मउसी
5. मरमेडी
6. बोथेडी
7. पेलनदुर,
8. गिलगांव
9. चाक खारपुर्डी,
10. जपरा,
11. चाक धिबाना
12. मेरउमबोडी
13. कुरकेडी
14. खुरसा
15. वीजापुर
16. सोनापुर
17. मोंधा
18. सावरगांव
19. कनरी
20. पुलखाल
21. मुदजा बुदरूक
22. मुदजा तुकुम
23. कुरूपाला
24. मसली
25. रणभूमि
26. चन्दाला
27. रणमोल
28. कुम्भी पत्च
29. कुम्भी मोकासा
30. मादे मुल
31. मारोदा
32. कोसाम घाट
33. रायपुर
34. रवानजोरा
35. पेकिनकासा
36. सवेला
37. सुईमारा
38. सखेरा
39. कर्कजारा
40. कन्हलगांव
41. केलीगाटा
42. तोहागांव
43. गजनगुद्दा
44. बनोली
45. सूर्यडोंगरी
46. सलाईटोला
47. विटानटोटा
48. पोटेगांव
49. रजोली
50. मद्रास
51. जालेर
52. देवापुर
53. रामगाड,
54. गावलहेटी
55. डेउडा
56. खरादगुडा
57. तालकुडा
58. जामगांव
59. खाडसी
60. कोरकुटी
61. नागवेली
62. जालेगांव

(ii) अरमोली तहसील के चौहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अरमोली तहसील :

1. कोरागांव
2. कालमगांव
3. कुरल
4. सलेडा तुकाम
5. सलेडा लाम्बा
6. कसारी तुकाम
7. कसारीगांव
8. शिवराजपुर
9. पोटेगांव
10. विहिरगांव
11. पिंपालगांव
12. अरात-तोन्डी
13. डोंगारगांव (हलाबी
14. प्लासगांव
15. नवारगांव
16. पनथारगोटा
17. मगेवेड़ा
18. अर मोरी
19. सलमारा
20. थानेगांव
21. पटानवेडा
22. पुरानवैरागड
23. देउलगांव
24. सुकला
25. मोहाजारी उर्फ सखारबोडी
26. चाक केरनाडा
27. लोहारा
28. चाक सोनपुर
29. हीरापुर
30. डोंगर तमसी
31. सियानी खुर्द
32. चावहेला
33. मोहाताला चाक कुकोडी
34. मेंधा
35. डोंगारतमसी
36. नगरवाडी
37. चाक नरोती
38. चाक कुरोंडी
39. वाडेगांव
40. थोटीबोडी
41. देलवांडी
42. मेनापुर
43. कोसारी
44. मनगोडा
45. तुलतुली
46. चकनागारवाही
47. विहिरगांव
48. कुरांडी
49. उमारी
50. यंगाडा
51. पिसेवाडढ़ा
52. परासवाडी
53. डवाडी
54. खादकी
55. भाकरांडी
56. नरोती मालगुजार
57. कोरेगांव
58. वारखेडा
59. खराडी
60. भंशी
61. डोर्ली
62. वनारचुवा
63. जमभाली
64. मिंधा
65. नारचोली
66. खेहारी
67. मारगांव पेच
68. मारगांव
69. चाक मारगांव
70. चाक चिचोली
71. मुसी खुम्ब
72. वेलागांव
73. चिचोली
74. वानखेडा

(iii) चामोरसी तहसील के एक सौ बत्तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :
चामोरसी तहसील :

(1) सगानपुर
(2) वनढोना
(3) गिलगांव
(4) भिंडी कनाल
(5) देटारी
(6) चाइट कनवर
(7) कलामगांव
(8) कुरूड
(9) मेलर
(10) कुलीगांव
(11) नाचागांव
(12) बहेडविहिड
(13) वालसारा
(14) चाक विजापुर
(15) जोगाना
(16) मुरमुरी
(17) रावनपाली
(18) सोनापुर
(19) डरर्ली
(20) रेखागांव
(21) यदनूर
(22) पेलसानपेथ
(23) पन्धारी भटाल
(24) राजनगेट्टा
(25) चाक अमरगांव न. 1
(26) मुतनूर
(27) अबापुर
(28) मुरानदेपी
(29) लिनगुडा
(30) अदयल
(31) कर्कापल्ली
(32) चाक कर्कापल्ली
(33) जंगामकुरल
(34) फियूजर
(35) दिकानी
(36) चाक मुदोली न. 2
(37) लक्षमणपुर
(38) सगानपुर
(39) अम्बोली

(40) गहुबोदी
(41) छाक नारायनपुर संख्या 1
(42) छाक नारायनपुर संख्या 2
(43) राजुर वुदर्क
(44) भादविड
(45) मांगनेर
(46) छिचपाल्ली
(47) वानारछुवा
(48) जयरामपुर
(49) वाइगांव
(50) नारायणपुर
(51) राजौर खुर्द
(52) हलदवाही
(53) मुधोली
(54) कोठारी
(55) बम्हनी देव
(56) सोमनापल्लि
(57) कान्हलगांव
(58) सिंगेला
(59) बेलगाट्टा
(60) पेठाताला
(61) छाक पेठाताला सं. 1
(62) पारादीदेव
(63) यादापाल्ली
(64) राजपुर
(65) जाम्भाली रिथ
(66) मेटे गुडा
(67) छाक बेलगत्ता
(68) मांजी गांव
(69) मच्छाली गोट
(70) छाक माक्केपल्लि सं. 4
(71) दर्पन गुडा
(72) छाक माके पल्लि सं. 2
(73) छाक माकेपल्लि सं. 3
(74) गारांजी
(75) छाक मेड आमगांव
(76) छाक मेड आमगांव संख्या 1
(77) छाक मेड आमगांव संख्या 2
(78) तुमडी
(79) रिगाडी
(80) माकेपाल्लि मालगुजारी
(81) बोरघाट
(82) अस्टी नोकेवाडा
(83) ब्राहमणपेठ
(84) वेंगानूर
(85) नोकेवाडा
(86) अल्ला पाल्लि
(87) रेगेवाही
(88) कोलपाल्लि
(89) अम्बेला (वनग्राम)
(90) गोट्टा (वनग्राम)
(91) अडगेपाल्लि
(92) सुरगांव (वनग्राम)
(93) येल्लूर
(94) थाकरी
(95) राजगट्टा
(96) लोहरा
(97) मुकारीटोला
(98) भोलखांडी (वनग्राम)
(99) हेतलकासा
(100) बोलपाल्लि
(101) पुलीगुड्म
(102) कुनगादा
(103) कुनगाड़ा
(104) कालपुर
(105) गंगापुर
(106) चंदन खेडी
(107) मालेरा
(108) बसारवाडा
(109) छपराला
(110) छइदामपेट्टी
(111) मुकाडी (वनग्राम)
(112) सिगनपाल्लि
(113) धामनपुर
(114) कोठारी (930)
(115) अम्बाटपाल्लि
(116) गोमानी
(117) लागमहेट्टी
(118) दामनपुर
(119) बन्दुकपाल्लि
(120) कोडीगांव
(121) छिछेला
(122) नागुलवाही
(123) छितुगुंहा
(124) तुमुगुडा
(125) माछिनगट्टा
(126) येल्ला
(127) टिकपाल्लि
(128) मरपाल्लि
(129) जामगांव
(130) कुलथा
(131) रामपुर
(132) लागम छाक

11. चंद्रपुर जिले में निम्नलिखित :-
राजौरा तहसील के एक सौ बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

राजौरा तहसील :

(1) परसौदा
(2) रायपुर
(3) खतौडा खुर्द
(4) गोविंदपुर
(5) खतौडा वुदरूक
(6) मेंहदी
(7) परदी
(8) जैवरा
(9) चनाई खुर्द
(10) अकोला
(11) कोरपाना
(12) दुर्गादी
(13) रूपापेठ
(14) चनाई बुदरूक
(15) मांडवा

(16) कनेरगांव वुदरूक
(17) कथलावौडी
(18) शिवपुर
(19) चौपान
(20) करमवौडी
(21) कुकुलवौडी
(22) टीपा
(23) मंगुलहीरा
(24) खोदकी
(25) जमुलधारा
(26) वोरगांव बुदरूक
(27) वोरगांव खुर्द
(28) आशापुर
(29) तानगोला
(30) खेरगांव
(31) हतलौनी
(32) एरगांव
(33) उमारजारा
(34) एलापौर
(35) शिंगार पैथौर
(36) लंवौरी
(37) सेदवाई
(38) नरपाथर
(39) कोदापुर
(40) घरपाना
(41) नोकवाडा
(42) गुडसेला
(43) वानी
(44) कोकाजारी
(45) मोहदा
(46) पुदियाल मोहदा
(47) कमलापुर
(48) चिचखोंड
(49) वनसाडी
(50) पराम्बा
(51) देवघाट
(52) कुसाल
(53) दाहेगांव
(54) सोनुरली
(55) करगांव खुर्द
(56) धनोली
(57) पिपराडा
(58) छिनछोली
(59) करगांव बुदुर्क
(60) मारकागोंडी
(61) बेलगांव
(62) जुलबारदी
(63) सवालहीरा
(64) खीरागांव
(65) पांढरवानी
(66) जाम्बुलढ़ारा
(67) धानकदेवी
(68) येरमी इसपुर
(69) सारंगपुर
(70) जिवाती
(71) नागपुर
(72) मारकोलमोट्टा
(73) धोंदा अरगुनी
(74) धोंधा मांडवा मांब्बा
(75) टेका अर्जुनी बुदरुक
(76) टेका
(77) राहपल्लि
(78) छिखिली
(79) पाटन
(80) हीरापुर
(81) इसपुर
(82) आसन खुर्द
(83) आसन बुदुर्क
(84) पीपलगांव
(85) पालजारी
(86) बोरिनवे गांव
(87) नन्दा
(88) बीबी
(89) धुनकी
(90) धामनगांव
(91) काखमपुर
(92) बाडगांव
(93) इंजापुर
(94) चंदूर
(95) कुकादसात
(96) खिरदी
(97) थुतरा
(98) बहलामपुर
(99) मनोली खुर्द
(100) जमानी
(101) नोकरी बुदर्क
(102) सोनापुर
(103) उप्पार वाई
(104) भुरखुंडा खुर्द
(105) कदकी
(106) छवांतप ज्ञीनतकए
(107) छंहतंसंए
(108) पालेजारी
(109) काकबान
(110) डोगरागांव
(111) छिखाली
(112) भुरखुंडा बुदुर्क
(113) पाछगांव
(114) सेनगांव
(115) ताताखोंडी
(116) भेंडवी
(117) सुरकादपालि
(118) मारकागोंडी
(119) तित्वी
(120) नादपा
(121) येरगांवन
(122) कावादगोंडी
(123) सोरकसारा
(124) कुसम्बी
(125) जनकपुर
(126) पुनागुडा (नावेगांव)
(127) देवाडा
(106) नोकरी खुर्द
(107) नगराला
(128) कदकी रायपुर
(129) गोवेन्दपुर
(130) मारियापाटन
(131) उमराजारा
(132) राहपल्लि खुर्द
(133) धर्मराम
(134) भोकसापुर
(135) बाम्बेजारी
(136) भारी

(137) पांडरवानी
(138) सिंडोलाटा
(139) सोंडो
(140) बेलगांव
(141) काकडघाट
(142) गनेरी
(143) खिरदी
(144) सेदवाई
(145) बाबापुर
(146) हीरापुर
(147) सखारी
(148) मनोली बुदर्क
(149) गोयेगांव
(150) हरडोनाखुर्द
(151) हरडोना बुदुर्क
(152) विनिरगांव
(153) मांगी
(154) वांगी
(155) पांढरपुनी
(156) अहेरी
(157) कोच्छी
(158) गोराज
(159) बारर
(160) रानीवेली
(161) भेडोडा
(162) ताम्भुरवाही
(163) चिरूड
(164) छिंछवोडी
(165) कवथाला
(166) सोनुरली
(167) सिरसी
(168) बेरडी
(169) भेंडाला
(170) केलजारी
(171) नवेगांव
(172) छिंछाला
(173) वीरूर
(174) सिद्घेश्वर
(175) घोट्टा
(176) डोगरागांव
(177) सुवाई
(178) कोस्ताला
(179) लाक्कदकोट
(180) अम्बेजारी
(181) अन्तारगांव
(182) अन्नूर

\# महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को, मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. 9) दिनांक 23.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सा.आ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और अपर संदर्भित आदेशों को, जहां तक उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सा.आ. 123) दिनांक 2.12.1985 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया है।

V. उड़ीसा

1. मयूरभंज जिला
2. सुंदरगढ़ जिला
3. कोरापुट जिला
4. सम्बलपुर जिले में कुचिंडा तहसील
5. क्योंझर जिले में, क्योंझर सबडिविजन की क्योंझर और तेलकोइहसीले और बाल्लिगुडा सब डिवीजन की चम्पुआ और बारबल तहसीलें।
6. बोध-खोंडमल जिले की खोण्डमाल सब डिवीजन की खोण्डमाल तहसील और वालीगुडा सब डिवीजन की वालीगुडा और जी उदयगिरी तहसीलें।
7. गंजाम जिले में आर. उदयगिरी तहसील और पारलखेमुण्डी तहसील के गूमा और रायगढा खंड और सुरदा तहसील, धुमसुर सब डिवीजन के गजलबाडी और गोचा ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम।
8. कालाहांडी जिले में, कालाहांडी तहसील के रामपुर खंड और लांजिगढ खंड।
9. बालासोर जिले में नीलगिरी सब-डिवीजन के नीलगिरी तहसील का नीलगिरी सामुदायिक विकास खंड।

\## उड़ीसा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क) राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. संख्या 9) दिनांक 23.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग (ख) राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और ऊपर संदर्भित आदेशों को जहां तक उनका संबंध उड़ीसा राज्य से है आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सा.आ. 109) दिनांक 31.12.77 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया।

VI. राजस्थान$

1. बांसवाड़ा जिला
2. डुंगरपुर जिला
3. उदयपुर जिले में निम्न फालसिया

(क) फालसिया, खेरवारा, कोटरा, सारदा, सालुमबार और सासादिया तहसीलें

(ख) गिरवा तहसील के निम्न 81 गांव,

(1) सिसरमा पंचायत के सीसरमा, देवली, बलेचा, सेठजी की कुण्डल, रायता, कोडियात और पीपलिया गांव

(2) बुजरा पंचायत के बुजरा, नया, गुरहा, पोपालती और नया खेड़ा गांव

(3) नाई पंचायत का नाईं गांव

(4) दोदावाली पंचायत का, दोदावाली, कालीदास, कार नाली सुरना, बोरावारा का खेरा मादरी, बच्छर और केली गांव

(5) बड़ी उन्दरी, छोटी उन्दरी पीपलवास कुमारिया खेरवा गांव

(6) आलसीगढ़ पंचायत के आलसीगढ़, पाई और गांव

(7) पदूना पंचायत के पदूना, अमर पूरवा और ज्वाला गांव

(8) चंदवाडा पंचायत का चंदवाडा गांव

(9) सारू पंचायत के सारू और बान गांव

(10) तीरी पंचायत के तीरी बोरीखुआ और गोजिया गांव

(11) जवार पंचायत के तीरो बोरीखुआ और गोजिया गांव

(12) जवार पंचायत के काया और चांदनी गांव

(13) जवार पंचायत के काया और चांदनी गांव

(14) तरीदी पंचायत के तीरादी, फांडा, बिलिया, दाकन कोड्डा, धुलिया की पट्टी और सावीना खेरा गांव

(15) कानपुर पंचायत का कानपुर गांव

(16) वाली पंचायत के वाली बूदेल, लालपुरा पारवल, खेरी और जसपुर गांव

(17) चंदसापंचायत के चंदसा दामोरोब का गुडा, मामादेव, झामर कोटरा, सथपुरा गुंजारन, सतपुरामीना, जया घूरा, खारवा, मानपुरा और जोधपुरिया गांव

(18) जगत पंचायत का जगत गांव

(19) दातीसार पंचायत के दातीसार, सीजा, बासू और परोला गांव

(20) लोकारवास पंचायत के लोकार वास और परोला गांव

(21) भला का गुरहा पंचायत के, भला का गुरहा, कारगेत, भेसधा और बिछड़ी गांव

4. चितौड़गढ जिले में आतापगढ़ तहसील
5. सिरोही जिले की आबुरोड तहसील में आबूरोड खंड

$ राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सीओ 26) दिनांक 7.12.1950 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया था और ऊपर संदर्भित आदेशों को, जहां तक उनका संबंध राजस्थान राज्य से है, रद्द करने के बाद, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी ओ 114) दिनांक 12.2.1981 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट कर दिया गया है ।

VII. झारखंड$$

1. रांची जिला
2. लोहरदगा जिला
3. गुमला जिला
4. सिमडेगा जिला
5. लातेहर जिला
6. पूर्वी–सिंहभूम जिला
7. पश्चिमी–सिंहभूम जिला
8. सरायकेला–खरसावां जिला
9. साहेबगंज जिला
10. दुमका जिला
11. पाकुर जिला
12. जामतारा जिला

13. पलामू जिला-सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरिया पंचायतें

14. गढ़वा जिला-रंडारिया ब्लॉक

15. गोड्डा जिला-सुंदर पहाड़ी और बौरीजोर ब्लॉक

$$ संयुक्त राज्य बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. 9) दिनांक 23.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और बिहार राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद् करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सा.आ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य झारखंड के निर्माण के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य बिहार के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित झारखंड राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सा.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां. आदेश 192) में विनिर्दिष्ट झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र को दिनांक 11.04.2007 के अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य), आदेश, 2007 (सां.आ. 229) द्वारा रद्द कर दिया गया है।

VIII. मध्य प्रदेश$$$

1 झाबुआ जिला

2 मंडला जिला

3 सरगुजा जिला

4 बस्तर जिला

5 धार जिले के सारदापुर, धार, कुक्शी और मानवार तहसील

6. खारगोने (पश्चिम निमार) जिले के बारवानी, राजपुर, सेन्दवा, भीकनगांव, खारगोने और महेश्वर तहसील

7. खण्डवा (पूर्व निमार) जिले के बुरहानपुर तहसील के खाकनार जनजाति विकास खण्ड और हरदा तहसील के खालवा जनजाति विकास खण्ड।

8. रतलाम जिले का सैलाना तहसील

9. बेतुल जिले के बेतूल तहसील (बेतूल सामूदायिक विकास खण्ड के अलावा)और मिनसेदी तहसील।

10. सोनी जिले के लाखनडोन तहसील और कुराई जनजाति विकास खण्ड।

11. बालाघाट जिले का मैहर तहसील

12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला जनजाति विकास खंड

13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैथारी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर और जयसिंहनगर तहसील

14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली जनजाति विकास खंड

15. सीधी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी जनजाति विकास खंड

16. शियोपुर जिले की कराहल तहसील में कराहल जनजाति विकास प्रखंड

17. तामिया और जमई तहसील, पटवारी सर्किल सं. 10 से 12 और 16 से 19 तक, पटवारी सर्किल सं. 09 में सिरीगांव खुर्द और किरवारी गांव, परसिया तहसील में पटवारी सर्किल खंड 13 के मैनावरी और गौली परसिया गांव, छिन्दवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं0 25 का बहमानी गांव। हरई जनजाति विकास खंड और अमरवाड़ा तहसील में पटावारी सर्किल सं0 28 से 36, 41, 43, 44 और 45 बी तक। बिछुआ तहसील और सौंसर तहसील में पटावारी सर्किल सं0 05, 08, 09, 10, 11 और 14, पटवारी सर्किल सं0 01 से 11

और 13 से 26 और पटवारी सर्किल सं0 12 (ग्राम भूली को छोड़कर) पटवारी सर्किल सं0 27 का ग्राम नंदपुर, छिंदवाड़ा जिले की पांदुर्णा तहसील में पटवारी सर्किल सं0 28 के नीलकंठ और धवादिखाना गांव।

IX. छत्तीसगढ़$$$

1. सरगुजा जिला
2. कोरिया जिला
3. बस्तर जिला
4. दांतेवाड़ा जिला
5. कांकेर जिला
6. बिलासपुर जिले में मारवाही, गोरिल्ला- 1, गोरिल्ला-2 आदिवासी विकास खंड और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल
7. कोरबा जिला
8. जशपुर जिला
9. रायगढ़ जिले में धर्म जयगढ़, घरघोडा, तामनर, लायलुंगा और खरसिया जनजाति विकास खंड
10. दुर्ग जिले में डोंडी जनजाति विकास खंड
11. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकास खंड
12. रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुर और छूरा जनजाति विकास खंड
13. धमतरी जिले में नागरी (सिहावा) जनजाति विकास खंड

$$$ संयुक्त राज्य मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. 9) दिनांक 23.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य आदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सा.आ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, 31.12..1977 के आदेश को रद्द करके, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सा.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय 7

जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत कार्यक्रम

जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

7.1 इस मंत्रालय द्वारा जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकारों को राज्य योजना के योगज के रूप में ऐसे क्षेत्रों में दी जाती है, जहां राज्यों में राज्य योजना के प्रावधान सामान्य रूप में जनजातियों का पर्याप्त आर्थिक विकास नहीं कर पाते। यह योजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1974 में शुरू की गई थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता का उद्देश्य जनजातीय उपयोजना के परिवार–आधारित आय–सृजन क्रियाकलापों की चिंतनीय खाई को पाटना था।

लक्ष्य

7.2 दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि से जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य एवं क्षेत्र का विस्तार किया गया है ताकि रोजगार व आय सृजनात्मक गतिविधियों एवं उससे संबंधित अवस्थापना सुविधाओं को इसके अन्तर्गत लाया जा सके । परिवार आधारित गतिविधियों के अतिरिक्त स्वयं–सहायक समूहों / समुदाय द्वारा संचालित अन्य गतिविधियां भी प्रारम्भ की जा सकती हैं। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के विस्तार का मूलभूत लक्ष्य मांग आधारित आय–सृजन कार्यक्रमों में गति लाना और इस प्रकार जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना है। संशोधित दिशानिर्देश मई, 2003 में जारी किए गए थे।

कवरेज

7.3 विशेष केन्द्रीय सहायता पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर, सिक्किम तथा त्रिपुरा और दो संघ राज्य क्षेत्रों सहित 22 जनजातीय उपयोजना राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाती है। तथापि, वर्ष 2003–04 से संघ राज्य क्षेत्रों की निधियां गृह मंत्रालय के बजट में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

विशेष केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित क्षेत्रों में तथा निम्नलिखित जनसंख्या के आर्थिक विकास के लिए निर्मुक्त की जाती हैं

1. आईटीडीपी क्षेत्र (संख्या में 192), जो सामान्य रूप से कम से कम तहसील, ब्लॉक या उनसे अधिक आकार के अखंड क्षेत्र हैं जिनमें कुल जनसंख्या की 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है।
2. माडा पाकेट (संख्या में 259), ये पहचान किए गए ऐसे क्षेत्र हैं, जो न्यूनतम 10,000 की कुल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं और इसमें 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है।
3. क्लस्टर (संख्या में 82), ये पहचान किए गए ऐसे क्षेत्र हैं जो न्यूनतम 5000 की कुल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं और इसमें 50 प्रतिशत या उससे अधिक की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है।

4. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जनसंख्या की धीमी वृद्धि दर, प्रौद्योगिकी का कृषि–पूर्व स्तर तथा साक्षरता का अत्यंत कम स्तर इनकी विशेषता है।

5. विभिन्न ऐसे स्थानों में जनजातीय जनसंख्या, जो उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से 4 में उल्लिखित श्रेणियों में नहीं आती।

वित्तपोषण पद्धति

7.4 मंत्रालय राज्य सरकारों को योजना आयोग द्वारा इस उद्देश्यार्थ वार्षिक तौर पर उपलब्ध करवाई गई निधियों में से 100 प्रतिशत सहायता–अनुदान प्रदान करता है।

वर्तमान दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं :

1. गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनजातीय आबादी को सहायता दी जाती है।

2. विशेष केन्द्रीय सहायता का 70 प्रतिशत उपयोग उन प्राथमिक योजनाओं के लिए किया जाए जो परिवार/स्व सहायता समूह/कृषि/बागवानी, भूमि सुधार, जल संभर विकास, पशुपालन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, वन एवं वन ग्रामों का विकास, लघु क्षेत्र के उद्योगों में उद्यमिता विकास आदि जैसे क्षेत्रों में समुदाय आधारित रोजगार एवं आय–सृजन से संबंधित हैं तथा 30 प्रतिशत का उपयोग उनसे सम्बद्ध अवस्थापना के विकास के लिए किया जाए।

3. वन गांवों में रहने वाली उपेक्षित जनजातियों को प्राथमिकता एवं संयुक्त वन प्रबंधन के साथ कार्यक्रमों के सामजस्य को प्राथमिकता दी जाए।

4. एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणों/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं हेतु दीर्घकालिक विशिष्ट क्षेत्र लघु योजनाएं तैयार करना।

5. कम से कम 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए।

6. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का पालन।

7. विशेष केन्द्रीय सहायता को राज्य की वार्षिक योजना का अभिन्न भाग बनाया जाए।

8. जनजातीय उपयोजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उन राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए एक वर्ष में समग्र परिव्यय/आबंटन का नियत 10 प्रतिशत आरक्षित रखना, जो कि इसके लिए उपयुक्त है।

9. एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना–वार निधियां आरक्षित रखना।

10. प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना।

राज्यों को निधियों के आबंटन हेतु मानदंड

(क) टीएसपी को एससीए के अधीन कुल वार्षिक आबंटन का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदानों के लिए आरक्षित रखा जाता है और नीचे निर्धारित दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाले चुने गए राज्यों को निर्मुक्त किया जाता है :

- ज्यादा एकीकृत और केन्द्रित नियोजन तथा परियोजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करके कि पूरी टीएसपी निधि, राज्य में कम से कम जनजातीय जनसंख्या के समानुपात में एक बजट शीर्ष में राज्य सरकार के जनजातीय विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रखकर पूर्ण रूप से टीएसपी दृष्टिकोण अंगीकार किया जाए;

- उसके बाद अनुमोदित जनजातीय उपयोजना निधि का औसतन 75 प्रतिशत वास्तव में प्रयोग किया जाए/पहले तीन वित्तीय वर्षों में राज्य के जनजातीय विकास विभाग के बजट शीर्ष से कार्यान्वयन अभिकरणों को निर्मुक्त किया जाए; और

- प्रोत्साहन के रूप में राज्यों को दी गई निधियों का उपयोग केवल जनजातियों के लाभार्थ रोजगार एवं आय-सृजन के क्रियाकलापों में किया जाए।

- एससीए के अंतर्गत कुल आबंटन के शेष 90 प्रतिशत को राज्यों में जनजातीय उपयोजना की स्थूल रणनीति के तहत कार्यक्रमों के हिस्से के आधार पर, जैसे एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण पॉकेट (माडा), क्लस्टर एवं आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) में पुनः आबंटित किया जाएगा तथा उसकी गणना प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी।

आईटीडीपी, माडा, उपलब्ध क्लस्टर और आदिम जनजातीय समूह एवं बिखरी जनजातियों के कार्यक्रमों के अधीन राज्य-वार धनराशि का आबंटन निम्न प्रकार किया जाता है :

(क) **एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी):- एससीए को आईटीडीपी में आबंटित करने के लिए राज्यों को दो समूहों में बांटा जाता है।**

श्रेणी "क" : इसमें वे राज्य आते हैं जिनका काफी भूभाग जनजातीय बहुल जनसंख्या से आबाद है जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान और सिक्किम।

श्रेणी "ख" : इसमें वे राज्य आते हैं जिनके कुछ क्षेत्रों में जनजातीय संकुलता के साथ राज्य में जनजातियों की बिखरी जनसंख्या है जैसे असम, बिहार, गोवा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा दमन व दीव के संघ शासित प्रदेश।

आईटीडीपी को एससीए के सकल परिव्यय का आबंटन उपर्युक्त दो श्रेणियों के राज्यों के बीच प्रत्येक श्रेणी के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की जनजातीय जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

श्रेणी "क" के लिए आबंटित निधियों को राज्यों में निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर पुनः बांटा जाता है :

- 70 प्रतिशत आईटीडीपी/आईटीडीए क्षेत्र में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के आधार पर।
- 30 प्रतिशत आईटीडीपी/आईटीडीए के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर।

(ख) **माडा पॉकेट, क्लस्टर और बिखरी हुई जनजातियां: –** माडा पॉकेटों, क्लस्टर और बिखरी हुई जनजातियों में अनु. जनजाति जनसंख्या के आधार पर 100 प्रतिशत।

श्रेणी "ख" राज्यों के लिए आबंटित निधियों को पुनः केवल आईटीडीपी में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाता है।

(ग) **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह :-**

वितरण का सूत्र इस प्रकार है :

- आदिम जनजातीय समुदायों के संख्यात्मक आकार पर राशि का 70 प्रतिशत।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदिम जनजातीय समूहों की संख्या के अनुसार राशि का 30 प्रतिशत।

7.5 मानदंडों के आधार पर प्रत्येक राज्य की पात्रता की गणना करने के बाद माडा, आदिम जनजातीय समूह, क्लस्टर में अनुसूचित जनजाति और डीटीजी के लिए इस प्रकार परिगणित राशि में से प्रत्येक राज्य के लिए एससीए को निर्धारित किया जाएगा और उसे केन्द्रित और लक्ष्यबद्ध तरीके से माडा, आदिम जनजातीय समूह, क्लस्टर्स में अनुसूचित जनजाति और पीटीजी के लाभार्थ परियोजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा।

7.6 आईटीडीपी के लिए प्रत्येक राज्य के लिए आबंटित एससीए के शेष भाग को जनजातीय कार्य मंत्रालय

द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रत्येक आईटीडीपी को इन आईटीडीपी में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के समानुपात में किसी राज्य विशेष में आईटीडीपी की कुल जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में पुन: निर्धारित किया जाता है। आईटीडीपी, माडा पॉकेट, क्लस्टर जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में पीटीजी और एक जनजातीय सलाहकार परिषद के अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों के विवरण **अनुबंध: 7(क)** में दिए गए हैं।

आबंटन

7.7 वर्ष 2008-09 के लिए 750.00 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है जो वन ग्राम विकास कार्यक्रम जिसका उद्देश्य अभिज्ञात वन ग्रामों में अवसंरचनात्मक विकास प्रदान करना है तथा जिसके संबंध में जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता शीर्ष से निधियां प्रदान की जाती हैं, के लिए प्रदान किये गये 150.00 करोड़ रू. के अतिरिक्त है।

उपलब्धि

7.8 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार 750.00 करोड़ रु. की आबंटित धनराशि में से 631.35 करोड़ रु. की राशि राज्यों को निर्मुक्त की गई। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहातया के अंतर्गत वर्ष 2007-08 से वर्ष 2008-09 के दौरान की गई निर्मुक्तियों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध: 7(ख)** में दिए गए हैं।

आकृति 7 (i) टीएसपी को एससीए के अंतर्गत निर्मुक्तियां

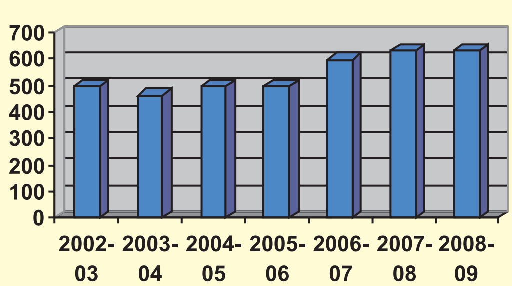

विभिन्न योजना अवधियों के दौरान निर्मुक्तियों की प्रवृत्ति नीचे आकृति 7(ii) दी गई है, जिससे जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वर्ष-दर-वर्ष राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के समर्थन में निरंतर वृद्धि का पता चलता है।

आकृति 7(ii) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत टीएसपी में एससीए की निर्मुक्तियां

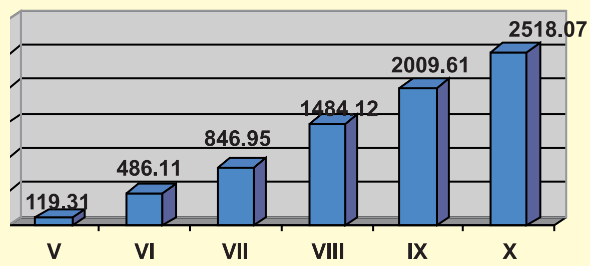

वन ग्रामों के विकास की योजनाएं

7.9 स्वतंत्रता से पूर्व वानिकी के विभिन्न कार्यो हेतु सुरक्षित श्रमशक्ति उपलब्ध कराने के लिए वन क्षेत्रों में आवास स्थापित किए गए थे। धीरे-धीरे ये आवास गांवों में बदल गए। ये ग्राम जिलों के राजस्व प्रशासन से बाहर हैं, इसलिए विकास के लाभों से वंचित हैं। इन वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है। तथापि 12 राज्यों में 2474 ऐसे वन ग्राम हैं जो राज्यों के वन विभागों के प्रबंधन में हैं। इन ग्रामों के अधिकांश निवासी जनजातीय हैं। इन ग्रामों के विकास का स्तर राज्य के शेष क्षेत्रों के बराबर नहीं है। वन ग्रामों पर उपलब्ध राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	राज्यों के नाम	वन ग्रामों की संख्या
1.	असम	499
2.	छत्तीसगढ़	425
3.	गुजरात	199
4.	झारखंड	24

5.	मेघालय	23
6.	मध्य प्रदेश	893
7.	मिजोरम	85
8.	उड़ीसा	20
9.	त्रिपुरा	62
10.	उत्तरांचल	61
11.	उत्तर प्रदेश	13
12.	पश्चिम बंगाल	170
	कुल	**2,474**

7.10 2.5 लाख जनजातीय परिवारों वाले वन ग्रामों का विकास 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय विकास का प्रमुख क्षेत्र है। तद्नुसार, योजना आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय को 10वीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए वन ग्रामों के विकास के लिए औसतन 15 लाख रुपए प्रति ग्राम की दर से 450 करोड़ रुपए आबंटित किए। तद्नुसार, जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के एक भाग के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन ग्रामों के विकास के कार्यक्रम शुरू किए तथा मंत्रालय के वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के बजट में क्रमशः 230 करोड़ रु., 220 करोड़ रु., 150 करोड़ रु. तथा 150 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। दसवीं योजना के अंत में, वृहद विचार किया गया कि ग्यारहवीं योजना के दौरान सीमित समयावधि के लिए भी राजस्व गांवों में परिवर्तन के लिए लंबित गांवों में पर्याप्त विभागीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम चलाया जाए। यह निर्णय भी लिया गया कि दसवीं योजना के प्रथम चरण के दौरान वित्तपोषित सभी वन गांवों को 15 लाख रु. तक की अतिरिक्त निधि प्रदान की जाएगी। तद्नुसार, कई राज्य सरकारों से इसके लिए प्रस्ताव भी प्राप्त हो गए हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान प्रस्ताव के मूल्यांकन हेतु गठित समिति ने इसे तार्किक परिणति तक पहुंचाने के लिए 11वीं योजनावधि में भी इस कार्यक्रम को जारी रखने की आवश्यकता महसूस की।

7.11 विकास में सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य परिचर्या, प्राथमिक शिक्षा, संपर्क मार्ग, पेयजल, सिंचाई जैसी न्यूनतम सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने तथा अन्य ढांचागत सुविधाएं एवं आय-सृजन की गतिविधियों पर विचार किया गया है। परियोजनाओं के प्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए कार्यविधि

7.12 पहले एनएईबी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा करता है फिर उसे जनजातीय कार्य मंत्रालय को अग्रसारित करता है, जहां त्रिदलीय परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें अनुमति देने के लिए इन पर विचार किया जाता है। यह कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, योजना आयोग एवं संबंधित राज्य सरकारों के गहन सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है।

निधियों की निर्मुक्ति

7.13 वन ग्राम वाले सभी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए। सभी 12 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और वर्ष 2008-09 के दौरान इन राज्यों को 149.51 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की गई है। जारी कुल धनराशि इस प्रकार है :-

वन ग्रामों के विकास के लिये राज्यों को जारी धनराशियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्त राशि (2006-07	निर्मुक्त राशि (2007-08)	निर्मुक्त राशि (2008-09)
1.	असम	1817.42	0.00	4696.05
2.	छत्तीसगढ़	4161.37	1034.00	0.00
3.	गुजरात	1434.38	593.62	0.00
4.	झारखंड	173.87	0.00	0.00
5.	मेघालय	390.71	0.00	0ऋ00
6.	मध्य प्रदेश	10472.42	2829.00	6502.50
7.	मिजोरम	1317.50	190.00	435.00
8.	उड़ीसा	133.46	0.00	180.00
9.	त्रिपुरा	930.00	0.00	558.00
10.	उत्तराखंड	566.96	0.00	0.00
11.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	30.00
12.	पश्चिम बंगाल	699.00	0.00	2550.00
	कुल	**22097.09**	**4646.62**	**14951.55**

निधियों के प्रवाह की प्रणाली

7.14 प्रस्तावों की स्वीकृति के बाद एफडीए को हस्तांतरित करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को निधियां जारी करता है। इस क्षेत्र में वन विकास अभिकरण (एफडीए) परियोजनाएं कार्यान्वित करते हैं। परवर्ती किश्तें एफडीए द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा कार्यक्रम के संतोषजनक कार्यान्वयन से जुड़ी होती हैं।

निगरानी तंत्र

7.15 राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे एनएईबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रस्ताव, निगरानी, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग की प्रणाली बनाएं। एफडीए को एनएईबी के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से एनएईबी को अपनी प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय को अग्रसारित करता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान

7.16 भारत के संविधान का अनुच्छेद 275(1) अनुसूचित जनजाति के कल्याण के संवर्धन के लिए भारत सरकार की समेकित निधि से प्रत्येक वर्ष अनुदान देने की गारंटी देता है तथा इस संवैधानिक बाध्यता के अनुसरण में जनजातीय कार्य मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्र की योजना "संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान" के माध्यम से निधियां उपलब्ध करता है।

उद्देश्य

7.17 योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देना और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर का उन्नयन करना है।

कवरेज

7.18 योजना देश की सभी जनजातीय उपयोजना राज्यों और 4 जनजातीय बहुल राज्यों को कवर करती है।

जूही तलाई ग्राम, जिला डूंगरपुर, राजस्थान में समुदाय उत्थान सिंचाई योजना।

निधिकरण पद्धति

7.19 यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है और (1) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने, अथवा (2) जनजातीय लोगों को राज्य के शेष हिस्से के बराबर लाने के लिए जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनजातीय विकास की प्रत्येक योजना की लागत को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। राज्यों को अनुदान उस राज्य में जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर दिया जाता है। वर्ष 2002 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों की निर्मुक्ति एवं उपयोग के दिशानिर्देश संशोधित किए जा चुके हैं।

मुख्य विशेषताएं

(i) 2000-01 से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को अनुदान ब्लॉक ग्रांट्स के रूप में जारी किए जाते थे। तब से निधियां ऐसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के उन्नयन एवं निर्माण के लिए परियोजनाएं चलाने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों को देश के शेष भाग के समकक्ष लाने के लिए आवश्यक हों।

(ii) राज्य ऐसे क्षेत्रों/सेक्टरों की पहचान करेंगे, जो मानव विकास सूचकांक की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हों तथा महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के बीच की खाई पाटने के लिए परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं।

(iii) दिशानिर्देशों में परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के नियोजन एवं कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी के संबंध में परिकल्पना की गई है। राज्य पंचायत अधिनियमों तथा पेसा (पीईएसए) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर समुचित ध्यान दिया जाना है।

(iv) बहु-आयामी दलों के माध्यम से आईटीडीपी/माडा/क्लस्टरों के लिए माइक्रो-प्लान तैयार करने के लिए एकीकृत एवं समग्र दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है।

(v) कम से कम 30 प्रतिशत परियोजनाओं का लक्ष्य महिलाओं को लाभ पहुंचना चाहिए।

(vi) अनुदान का 2 प्रतिशत परियोजना प्रबंधन, प्रशिक्षण, एमआईएस, प्रशासनिक खर्चों, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(vii) अवसंरचना के अनुरक्षण के लिए मंत्रालय की पूर्वानुमति से राज्यों के आबंटन का 10 प्रतिशत प्रयोग किया जा सकता है।

(viii) अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान से निधियों के कुल आबंटन का 10 प्रतिशत केवल उन्हीं राज्यों को आबंटित किया जाता है, जो अभिनव योजनाएं चला रहे हैं, जो टीएसपी दृष्टिकोण अपनाते हैं अर्थात् वे राज्य जिन्होंने अपने राज्य में कम से कम अनुसूचित जनजातीय आबादी के अनुपात में निधियां निर्धारित की हैं, निधियों को एक बजट शीर्ष जनजातीय विकास/कल्याण विभाग में रखा गया है और पिछले तीन वर्षों में जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आबंटनों का कम से कम 75 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

7.20 जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के 100 आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निधियों के एक भाग का उपयोग करने का निर्णय 1997-98 के दौरान किया गया। देश के 22 राज्यों में 100 विद्यालयों को स्वीकृत किया गया है और 86 प्रचालनरत हैं।

7.21 इस प्रयोजन के लिए बनाई गई एक स्वायत्त सोसायटी के माध्यम से प्रत्येक राज्य में इन विद्यालयों को चलाया जाना अपेक्षित था। इन विद्यालयों में शिक्षा का एकसमान पैटर्न प्रदान करने के लिए और इनके विद्यार्थियों के उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों (चिकित्सा, तकनीकी आदि) के लिए ये विद्यालय मुख्यत: राज्य बोर्डों से सम्बद्ध हैं। इन विद्यालयों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का नाम दिया गया है और नवोदय विद्यालयों के अनुरूप चलाने की परिकल्पना की गई लेकिन राज्य केन्द्रित प्रबंधन के साथ।

आबंटन

7.22.1 वर्ष 2008-09 के दौरान योजना आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में 416.00 करोड़ रूपए का आबंटन किया।

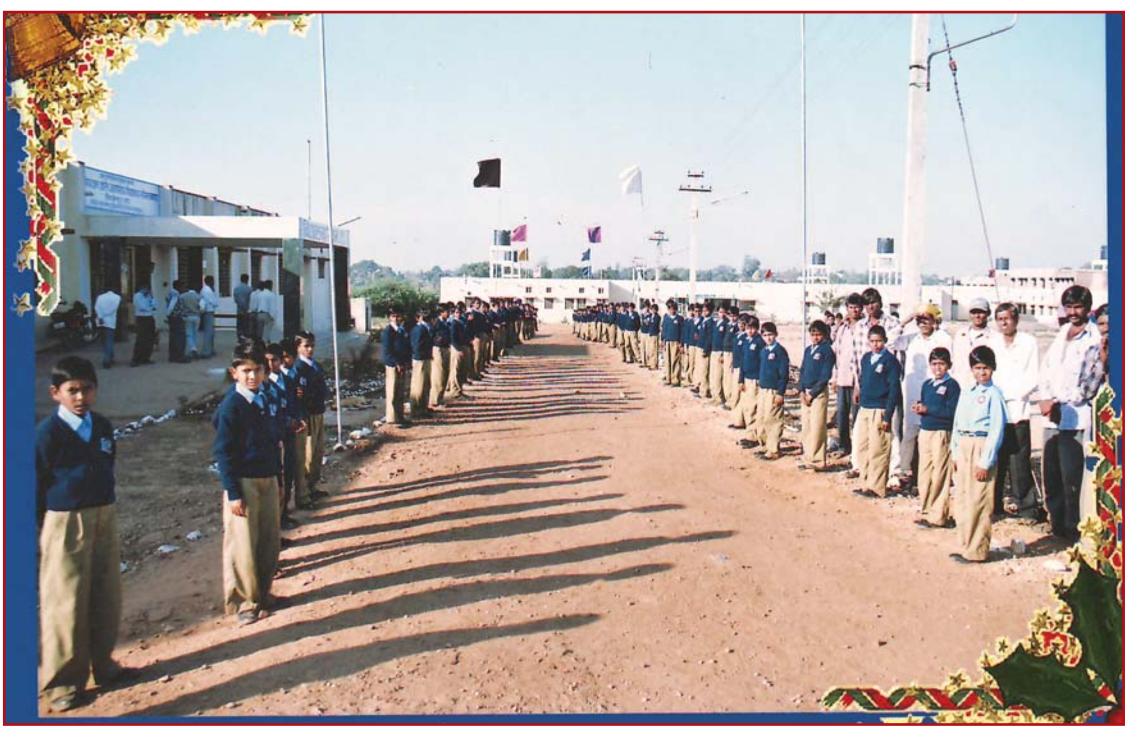

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) सिमलवाला, जिला डूंगरपुर, राजस्थान

7.22.2 दसवीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान राज्य सरकार को किए गए वार्षिक आबंटन और निर्मुक्तियां दर्शाने वाला विवरण निम्नलिखित तालिका में उपलब्ध है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आबंटन	सहायता अनुदान (निर्मुक्ति)
2002-03	300.00	300.00
2003-04	300.00	252.70
2004-05	330.00	330.00
2005-06	380.00	380.00
2006-07	400.00	400.00
2007-08	400.00	390.28
2008-09	416.00	339.78

7.23 वर्ष 2006-2007 से वर्ष 2008-2009 के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के रूप में की गई राज्यवार निर्मुक्ति का विवरण **अनुबंध-7(ग)** में उपलब्ध है।

आकृति 7(iii) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान : 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान वर्षवार आबंटन और निर्मुक्तियां।

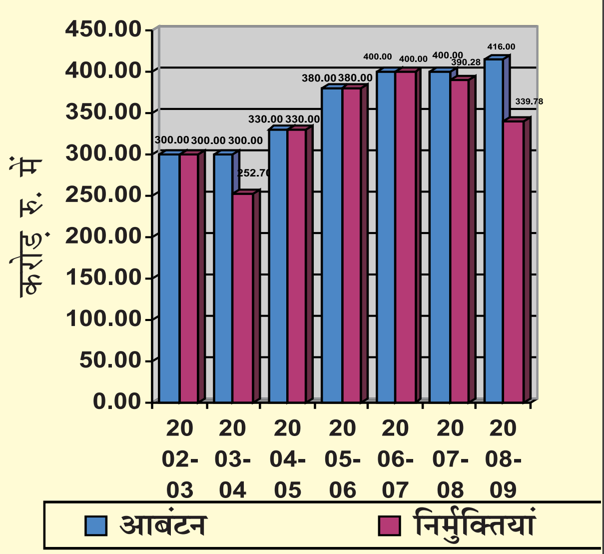

आकृति 7 (iii)

आकृति 7(iv) : 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को आबंटित और निर्मुक्त राशियां।

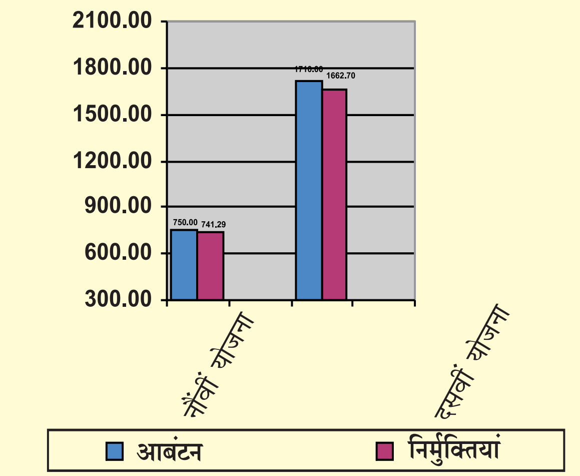

आकृति 7 (iv)

7.24 वित्तीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद मंत्रालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों में से शुरू की गई योजनाओं/कार्य के कार्यान्वयन को शीघ्रता से करने की पहल की। वर्ष के दौरान मंत्रालय ने योजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्रता से करने और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए इस मामले को राज्यों के सम्मुख उठाया और परिणामस्वरूप अव्ययित शेष राशि धीरे-धीरे कम हो रही है। कार्यान्वयन को और शीघ्रता से करने के लिए और निधियों की संभव पार्किंग को हतोत्साहित करने हेतु 2007-08 के दौरान, उन राज्यों को निधियां निर्मुक्त नहीं की गईं, जिनके पास पूर्व में निर्मुक्त की गई निधियों में से अव्ययित शेष राशि पड़ी थी। दसवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों द्वारा सूचित निर्मुक्ति और व्यय के ब्यौरे आकृति 7(v) में दिए गए हैं :

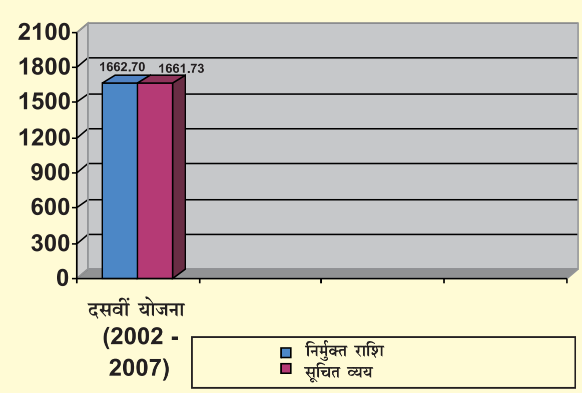

आकृति 7 (v)

जनजातीय क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय सलाहकार परिषद वाले जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों तथा राज्यों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं/अभिकरण (आईटीडीपी/आईटीडीए), संशोधित क्षेत्र विकास अप्रोच (माडा) पॉकेट, क्लस्टर तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) की स्थिति के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम		संख्या		
		आईटीडीपी/ आईटीडीए	माडा पॉकेट	क्लस्टर	पीटीजी
1	आंध्र प्रदेश#	8	41	17	12
2	असम	19	–	–	–
3	बिहार	–	7	–	9*
4	छत्तीसगढ़#	19	9	2	**
5	गुजरात#	9	1	–	5
6	हिमाचल प्रदेश#	5	2	–	–
7	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–
8	झारखंड#	14	34	7	**
9	कर्नाटक	5	–	–	2
10	केरल	7	–	–	5
11	मध्य प्रदेश#	31	30	6	7**
12	महाराष्ट्र#	16	44	24	3
13	मणिपुर	5	–	–	1
14	उड़ीसा#	21	46	14	13
15	राजस्थान#	5	44	11	1
16	सिक्किम	4	–	–	–
17	तमिलनाडु$	9	–	–	6
18	त्रिपुरा*	–	–	–	1
19	उत्तर प्रदेश	1	1	–	2**
20	उत्तराखंड	–	–	–	**
21	पश्चिम बंगाल$	12	–	1	3
	संघ राज्य क्षेत्र				
22	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	–	–	5
23	दमन व दीव	1	–	–	–
	कुल	**192**	**259**	**82**	**75**

* त्रिपुरा में आईटीडीपी नहीं है। त्रिपुरा जनजातीय स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) है। दिनांक 03.10.2006 के त्रिपुरा राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ.15-2/भाग-I/टीडब्ल्यू/एसपी/2004/14648 की सूचना के अनुसार संविधान के 49वें संशोधन द्वारा 1985 से प्रभावी छठी अनुसूची के प्रावधानों का विस्तार त्रिपुरा तक किया गया है।

** बिहार तथा झारखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पीटीजी समान हैं।

\# राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय सलाहकार परिषदें (टीएसी) हैं।

$ राज्यों में केवल टीएसी ही हैं।

वर्ष 2006-07 से वर्ष 2008-09 के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त की गई धनराशि		
		2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3344.33	3712.99	4176.75
2.	असम	3601.59	3220.27	3755.65
3.	बिहार	656.00	715.50	0.00
4.	छत्तीसगढ़	5477.04	5893.78	6829.20
5.	गोवा	110.00	133.00	0.00
6.	गुजरात	4882.13	5419.14	4571.435
7.	हिमाचल प्रदेश	1022.14	1133.43	1276.00
8	झारखंड	7041.25	7711.12	2198.25
9.	जम्मू व कश्मीर	1088.00	956.24	676.00
10.	कर्नाटक	1242.00	1372.00	1544.00
11.	केरल	318.13	352.36	396.25
12.	मध्य प्रदेश	10126.02	9129.39	12644.25
13.	महाराष्ट्र	3888.00	4293.00	2500.00
14.	मणिपुर	796.00	879.00	989.00
15.	उड़ीसा	7695.87	8543.41	10110.50
16.	राजस्थान	4214.00	4654.00	5236.00
17.	सिक्किम	135.52	280.36	315.00
18.	तमिलनाडु	375.55	142.59	469.00
19.	त्रिपुरा	1240.34	1318.28	1548.00
20.	उत्तर प्रदेश	0.00	425.36	644.25
21.	उत्तराखंड	50.00	0.00	0.00
22.	पश्चिम बंगाल	2270.00	2894.59	3255.75
	कुल योग	**59573.91**	**63179.81**	**63135.29**

अनुबंध: 7-ग

वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्त की गई धनराशियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2007- 08	2008-09
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2830.31	2453.03	1863.44
2.	अरूणाचल प्रदेश	322.52	544.29	308.68
3.	असम	1514.17	1192.63	1444.88
4.	बिहार	293.00	319.20	0.00
5.	छत्तीसगढ़	4131.86	3090.44	3211.43
6.	गोवा	62.00	68.45	7.00
7.	गुजरात	3964.38	3652.68	2372.77
8	हिमाचल प्रदेश	330.33	165.43	148.32
9.	जम्मू व कश्मीर	427.00	286.61	193.66
10.	झारखंड	3244.15	3060.27	1852.43
11.	कर्नाटक	1526.87	1458.05	1496.37
12.	केरल	497.19	101.52	159.42
13.	मध्य प्रदेश	6052.44	5973.00	6466.80
14.	महाराष्ट्र	2508.35	3610.310	2441.46
15.	मणिपुर	411.00	311.96	324.44
16.	मेघालय	0.00	773.02	155.33
17.	मिजोरम	384.17	409.79	403.57
18.	नागालैंड	812.22	866.170	200.00
19.	उड़ीसा	4029.11	4176.84	4129.73
20.	राजस्थान	3160.00	3168.91	3107.04
21.	सिक्किम	50.99	101.50	65.00
22.	तमिलनाडु	477.62	0.00	291.39
23.	त्रिपुरा	570.32	485.04	434.88
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	499.12	391.28
25.	उत्तराखंड	249.00	107.81	20.00
26.	पश्चिम बंगाल	2151.00	2151.620	2489.09
	कुल योग	**40000.00**	**39027.69**	**33978.41**

अध्याय 8

शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम

अनुसूचित जनजाति के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु योजना

8.1 अनुसूचित जनजातीय छात्राओं के छात्रावासों के निर्माण के लिए योजना तीसरी योजना अवधि के दौरान शुरू की गई थी। अनुसूचित जनजातीय लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की एक अलग योजना 1989-90 में शुरू की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोनों योजनाओं का एक योजना में विलय कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2008-09 से योजना को संशोधित कर दिया गया है (01.04.2008 से लागू)।

8.2 उद्देश्य : योजना का उद्देश्य ऐसे जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रावास आवास देकर जनजातीय विद्यार्थियों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देना है, जो अपनी खराब आर्थिक स्थिति और अपने गांवों में दूर-दराज की अवस्थिति के कारण अपनी शिक्षा को अन्यथा जारी रखने में असमर्थ होते। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य समावेशन एवं बच्चों द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी करने के वृहद दृष्टिकोण से मिडिल स्कूलों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण कार्य हेतु क्रियान्वयन एजेंसियों को आकर्षित करना है।

8.3 कवरेज : योजना देश में संपूर्ण अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या को कवर करती है न कि क्षेत्र विशिष्ट को। तथापि, योजना के तहत छात्रावासों की संस्वीकृति जहाँ तक संभव होगा स्थापित शैक्षिक संस्थानों के एक भाग के रूप में या ऐसे संस्थानों/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के बिल्कुल नजदीक दी जाएगी।

8.4 निधिकरण प्रतिमान : यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। यह केन्द्र और राज्यों के बीच लागत विभाजन के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। संशोधित योजना के तहत, राज्य सरकारें सभी लड़कियों के छात्रावासों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए) में लड़कों के छात्रावासों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त करने के पात्र हैं। अन्य लड़कों के छात्रावासों के लिए राज्य सरकारों हेतु निधियन प्रणाली 50:50 के अनुपात में है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में केन्द्र सरकार लड़के तथा लड़कियों दोनों छात्रावासों हेतु निर्माण की पूरी लागत वहन करती है। अनुसूचित जाति की छात्राओं एवं छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रावासों हेतु भी अन्य छात्रावासों के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही निधियां प्रदान की जाती हैं। इस उद्देश्यार्थ संसद सदस्य भी राज्य हिस्से के स्थान पर अपने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से भी निधियाँ प्रदान कर सकते हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे जबकि अन्य विश्वविद्यालय 45 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सेदारी, 45 राज्य हिस्सेदारी के लिए पात्र होंगे तथा शेष 10 प्रतिशत हिस्सा संबंधित विश्वविद्यालय को स्वयं वहन करना होगा। यदि संबंधित राज्य सरकारें उपर्युक्त निर्धारण के अनुसार विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत हिस्सा प्रदान नहीं करती है तो राज्य सरकार का हिस्सा भी संबंधित विश्वविद्यालय को ही वहन करना होगा तथा इस प्रकार से उनका योगदान 55 प्रतिशत तक हो जाएगा।

8.5 मुख्य विशेषताएं :

(i) इस योजना में मिडिल, माध्यमिक, कालेज और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार और नए छात्रावासों के निर्माण और मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार का प्रावधान है।

(ii) राज्य सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था नि:शुल्क करती है।

(iii) यह योजना छात्रावास चलाने के लिए आवर्ती व्यय प्रदान नहीं करती।

(iv) छात्रावासों का रख-रखाव और उनके प्रयोग के लिए विनियमन राज्य सरकार क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

8.6 आबंटन : दसवीं पंचवर्षीय योजना में लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों की योजनाओं का विलय कर कुल 134.24 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया था। वर्ष 2008-09 के दौरान 66.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर संघटक को मिलाकर) की राशि आबंटित की गई जो संशोधित अनुमान में घटाकर 65 करोड़ रु. कर दी गई।

8.7 निष्पादन : वर्ष 2008-09 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के छात्रों और छात्राओं के छात्रावासों के लिए असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हैदराबाद विश्वविद्यालय (आंध्र प्रदेश) एवं अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, (शिलांग परिसर), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) को 65.00 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। 2006-07 से 2008-09 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और विश्वविद्यालयों को स्वीकृत किए गए छात्रावासों और जारी किए गए सहायता-अनुदानों के ब्यौरे **अनुबंध-8(क)** पर दिए गए हैं ।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना हेतु योजना

8.8 यह योजना जनजातीय उपयोजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में 1990-91 से चल रही है। इस योजना में वित्त वर्ष 2008-09 (1.4.2008 से) से संशोधन किया गया है।

8.9 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य, पीटीजी सहित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देना और उनका विस्तार करना है। आश्रम स्कूलों में आवासीय सुविधाओं सहित सीखने के लिए अनुकूल माहौल में शिक्षा प्रदान की जाती है।

8.10 कवरेज : यह योजना 22 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए देश के सभी जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों को कवर करती है।

8.11 वित्त पोषण पद्धति : यह केन्द्र एवं राज्यों के बीच लागत भागीदारी आधारित केन्द्र प्रायोजित योजना है। संशोधित योजना के तहत राज्य सरकारें सभी लड़कियों के आश्रम स्कूलों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए क्षेत्र) लड़कों के आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त करने के पात्र हैं। लड़कों के आश्रम स्कूलों हेतु राज्य सरकारों के साथ हिस्सेदारी 50:50 के अनुपात पर आधारित है। संघ शासित राज्यों के मामलों में, केन्द्र सरकार लड़कों के एवं लड़कियों के आश्रम स्कूलों के निर्माण की पूरी लागत वहन करती है। संसद सदस्य इस उद्देश्यार्थ 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' से राज्यों के हिस्से के स्थान पर निधियाँ प्रदान कर सकते हैं।

8.12 मुख्य विशेषताएं :

(i) इस योजना में शिक्षा के प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूल भवनों के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान है तथा पीटीजी सहित जनजातीय लड़के-लड़कियों हेतु वर्तमान आश्रम स्कूलों के स्तरोन्नयन हेतु भी निधियाँ प्रदान की जाती हैं।

(ii) इस योजना के अंतर्गत स्कूल भवनों के अतिरिक्त छात्रों के लिए छात्रावास तथा स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण भी किया जाता है। राज्य सरकार आश्रम स्कूलों के लिए निशुल्क भूमि देती है।

(iii) स्कूल और छात्रावास के पुस्तकालय के लिए फर्नीचर, उपस्करों, स्कूल पुस्तकालय के लिए पुस्तकों आदि की खरीद जैसी व्यय की अन्य अनावर्ती मदों के लिए भी 50:50 के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) इस योजना के अंतर्गत केवल पूंजी लागत की व्यवस्था की जाती है। आवर्ती खर्चों को राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

(v) नए स्कूलों के लिए स्थान तथा दाखिला नीति का निर्धारण संबंधित राज्य द्वारा किया जाना चाहिए।

(vi) आश्रम स्कूल का निर्माण कार्य केन्द्रीय सहायता जारी होने के दो वर्षों के भीतर किया जाना अनिवार्य है। तथापि, वर्तमान आश्रम स्कूलों के विस्तार हेतु निर्माण की अवधि 12 महीने है।

8.13 आबंटन : दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 78.30 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई। वर्ष 2008-09 के लिए आबंटन 30.00 करोड़ रुपए है।

8.14 2008-09 के दौरान निष्पादन: 30.00 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा की राज्य सरकारों को 30.00 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। 2005-06 से 2008-09 के दौरान स्वीकृत आश्रम विद्यालयों और निर्मुक्त किए गए अनुदानों के ब्यौरे **अनुबंध-8** (ख) पर हैं।

अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा - योजनाएं एक नजर में :

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	स्नातक (3)*	पी.जी (2)*	एम.फिल	पीएच. डी (2-4)*
										मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति छात्रावासियों के लिए 235 रुपए से 740 रु. तक प्रतिमाह और दिवा छात्रों के लिए 140 रु. से 330 रु. प्रतिमाह अनुरक्षण भत्ता+अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क की प्रतिपूर्ति					
								प्रतिभा उन्नयन प्रति विद्यार्थी प्रति माह 19500/- रु. तक							
												उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना सरकारी संस्थानों के लिए-पूरा शिक्षा-शुल्क और अप्रतिदेय राशि। निजी संस्थाओं के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 2 लाख रुपए तक+अन्य भत्ते यदि लागू हों।			

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	स्नातक (3)*	पी.जी (2)*	एम.फिल	पीएच. डी (2-4)*

राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना

अनुरक्षण भत्ता प्रतिवर्ष 14000/- अमरीकी डालर और प्रतिवर्ष 9000/- यू.के. पौंड+अन्य भत्ते यदि लागू हों।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति - 2 वर्षों के लिए 12000/- रुपए प्रति माह की दर से । वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति 14000/- रुपए प्रतिमाह की दर से।

आश्रम विद्यालयों का निर्माण

लड़कियों के आश्रम स्कूलों तथा समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए नक्सल प्रभावित जिलों के केवल टीएसपी क्षेत्रों में लड़कों के आश्रम स्कूलों हेतु राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा लड़कों के लिए अन्य आश्रम स्कूलों एवं टीएसपी राज्यो में निधियन 50:50 अनुपात के आधार पर जारी रहेगा। संघ शासित प्रदेशों को आश्रम स्कूलों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनावर्ती मदों जैसे फर्नीचर, उपस्करों पुस्तकालय पुस्तकों इत्यादि के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

छात्रावासों का निर्माण

लड़कियों के छात्रावासों तथा समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए नक्सल प्रभावित जिलों में लड़कों के छात्रावासों हेतु राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा लड़कों के लिए अन्य छात्रावासों में निधियन 50:50 अनुपात के आधार पर जारी रहेगा। संघ शासित प्रदेशों को छात्रावासों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनावर्ती मदों जैसे उपस्करों फर्नीचर, पुस्तकालय पुस्तकों इत्यादि के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रावासों के निर्माण के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत तथा अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जाती है।

* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्षों की संख्या दर्शाते हैं।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और प्रतिभा उन्नयन योजना

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस)

8.15 यह योजना 1944-45 से चल रही है।

8.16 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ बनाया जा सके ।

8.17 क्षेत्र : यह योजना सभी अनुसूचित जनजातीय छात्रों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1.08 लाख रुपए अथवा उससे कम है, के लिए खुली है तथा छात्रवृत्तियां उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जहां के वे निवासी हैं। अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स भी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष 10 पात्र अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। सीपीएल पाठ्यक्रम के लिए 10 प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का चयन सिविल एविऐशन महानिदेशालय द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाना है। सीपीएल पाठ्यक्रम के लिए आवेदन विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं।

8.18 मुख्य विशेषताएं :

(i) छात्रों को अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए अलग दरों से छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। पाठ्यक्रमों को चार श्रेणियों में बांटा गया है और दरें 140/- रुपए प्रति मास से लेकर 740/- रुपए प्रति मास हैं। इसके अलावा, अनिवार्य शुल्क की भी प्रतिपूर्ति की जा रही है।

(ii) दृष्टिहीन छात्रों के लिए रीडर्स भत्ते का प्रावधान है। विकलांगों के लिए सहायक और परिवहन भत्ते का प्रावधान है।

(iii) छात्रवृत्ति वार्षिक आधार पर पाठयक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रदान की जाती है और यह छात्र के संतोषजनक निष्पादन और अच्छे आचरण पर निर्भर करती है।

(iv) कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स (सीपीएल) को समूह-। के तहत शामिल किया गया है।

8.19 वित्त पोषण पद्धति : इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संबंधित राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की प्रतिबद्ध देयता के अलावा 100% सहायता मंत्रालय से प्राप्त करते हैं। प्रतिबद्ध देयता पिछली पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत उनके द्वारा किया गया वास्तविक व्यय है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिबद्ध देयताएं वहन की जाती हैं। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों को 1997-98 से अपनी प्रतिबद्ध देयता के लिए अपने स्वयं के बजटीय प्रावधान करने से छूट दी गई है तथा सिक्किम राज्य सरकार को 2007-08 में भी छूट दी गई है। इस योजना के अंतर्गत उनके संबंध में सम्पूर्ण व्यय मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है।

8.20 योजना का कार्य-निष्पादन :

दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिभा उन्नयन और पुस्तक बैंक की दो लघु योजनाओं का विलय मैट्रिकोत्तर योजना के साथ कर दिया गया और संयुक्त योजना के लिए 383.09 करोड़ रुपये की धन राशि का आबंटन किया गया। वर्ष 2008-09 के लिए पूर्वोत्तर संघटक सहित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 250.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। वर्ष 2008-09 के दौरान 226.60 करोड़ रुपए उन राज्यों को निर्मुक्त किए जा चुके हैं, जिनसे पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान लाभार्थियों की राज्यवार कवरेज तथा निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता **अनुबंध-8 (ग)** पर दी गई है।

पुस्तक बैंक

8.21 उद्देश्य : व्यावसायिक पाठयक्रमों में चुने गए अनुसूचित जनजाति के अनेक छात्रों के लिए अपने विषयों की पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण शिक्षा जारी रखना कठिन होता है क्योंकि ये अधिकांशतः महंगी होती हैं। व्यावसायिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़ कर जाने की दर कम करने के लिए इस योजना के अंतर्गत पुस्तकें खरीदने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

8.22 प्रमुख विशेषताएं : यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन सभी छात्रों के लिए खुली है जो मेडिकल (मेडिसिन और होमियोपैथी की भारतीय प्रणालियों सहित), इंजीनियरी, कृषि, पशुचिकित्सा, पॉलीटेक्नीक, कानून, चार्टर्ड एकाउंटेंसी, व्यापार प्रबंधन, जैव विज्ञान विषय में पढ़ते हैं, और जो मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।

(i) पुस्तक बैंक के प्रयोजन के लिए पुस्तकें पाठ्य पुस्तकों तक सीमित हैं।

(ii) स्नात्तकोतर पाठयक्रमों और चार्टड एकाउंटेंसी के संदर्भ में छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक पाठयक्रमों के दो छात्रों के लिए पुस्तकों का एक सैट खरीदा जाता है, जबकि इन दोनों पाठ्यक्रमों के प्रत्येक छात्र के लिए एक सैट खरीदा जाता है।

(iii) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकों के एक सैट का निर्णय लिया जाता है।

(iv) पुस्तकों के प्रत्येक सैट की जीवन-अवधि 3 वर्ष नियत की जाती है।

(v) पुस्तक बैंकों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित उच्चतम सीमा अथवा सैट की वास्तविक लागत, जो भी कम है, तक सीमित होती है।

क्र. स.	पाठ्यक्रम	एक सैट की लागत (2 विद्यार्थियों के लिए एक सेट)
I	**डिग्री पाठ्यक्रम**	
1	मेडिकल	7,500/-रुपए
2	इंजीनियरिंग	7,500/-रुपए
3	पशुचिकित्सा	5,000/-रुपए
4	कृषि	4,500/-रुपए
5	पोलिटेक्निक	2,400/-रुपए
II	**स्नातकोत्तर पाठयक्रम**	
1	मेडिकल, इंजीनियरिंग	5,000/-रुपए (प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 1 सेट)
2	व्यवसाय प्रबंधन,	
3	कानून	
4	बायो-साइंस	

इस योजना में स्टील की अलमारी की खरीद, परिवहन लागत आदि के लिए 2000/- रुपए अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम है, की व्यवस्था है। पुस्तकें संबंधित विश्वविद्यालय/कॉलेज को प्रदान की जाती हैं और शैक्षिक वर्ष के लिए विद्यार्थियों को जारी की जाती हैं।

8.23 वित्तपोषण पद्धति : यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और खर्चे केन्द्र और राज्य के बीच 50 : 50 के आधार पर बांटे जाते हैं। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबंध में मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान दिए जाते हैं।

प्रतिभा उन्नयन

8.24 यह योजना जो पहले अलग योजना के रूप में चल रही थी, दसवीं पंचवर्षीय योजना में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में विलय कर दी गई है। तब से यह मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की उपयोजना के रूप में कार्य कर रही है। वित्त वर्ष 2008-09 से योजना में संशोधन कर दिया गया है।

8.25 इस योजना का पीटीजी विद्यार्थियों सहित अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को आवासीय

स्कूलों में शिक्षा सहित चहुंमुखी विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रतिभा का उन्नयन करना है ताकि वे अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में दाखिले तथा वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी व्यवसायों में अन्य विद्यार्थियों के साथ मुकाबला कर सकें।

8.26 मुख्य विशेषताएं

(i) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन छात्रावास की सुविधाओं वाले तथा कक्षा 9 से 12 की परीक्षाओं में छात्रों के कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता दिखाने वाले विभिन्न जिलों/शहरों में कुछ स्कूलों को चुनते हैं। मंत्रालय वार्षिक रूप से प्रत्येक राज्य के लिए पुरस्कारों (एवार्डों) की कुल संख्या निर्धारित करता है।

(ii) पहचान किए गए स्कूलों में कोचिंग 9वीं कक्षा से आरंभ हो जाती है और जब तक उम्मीदवार 12वीं कक्षा पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक जारी रहती है।

(iii) कोचिंग भाषा, विज्ञान, गणित में दी जाती है और इसके साथ-साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है।

(iv) जनजातीय छात्रों को चुनते समय उद्देश्य कम से कम 30% लड़कियों तथा 3% विकलांग छात्रों को शामिल करने का रहता है।

(v) वर्ष 2008-09 से 19,500 रु. का एक संशोधित पैकेज अनुदान प्रति छात्र प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है जिसमें प्रधानाचार्य या कोचिंग प्रदान करने वाले विशेषज्ञों को भुगतान किया जाने वाला मानदेय और साथ ही आकस्मिक व्यय को पूरा करना शामिल है।

(vi) विकलांग छात्रों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

(vii) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के कार्यान्वयन के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

8.27 आबंटन : दसवीं पंचवर्षीय योजना में संयुक्त मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए आबंटन 383.09 करोड़ रुपए था। वर्ष 2008-2009 के लिए प्रतिभा उन्नयन योजना के लिए 2.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था।

8.28 निष्पादन : राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वर्ष 2008-09 के दौरान 73.30 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए हैं और 478 छात्र इस योजना से लाभान्वित हुए। वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान राज्यवार लाभार्थियों की कवरेज तथा निर्मुक्त राशि **अनुबंध-8 (घ)** पर है।

विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना :

8.29 यह एक गैर-योजना स्कीम थी, जो 2007-08 से योजना स्कीम बन गई है। यह योजना 1954-55 से चल रही है।

8.30 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य केवल इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में उच्चतर अध्ययन (मास्टर्स, डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल स्तर) कर रहे अनुसूचित जनजातीय छात्रों को सहायता प्रदान करना है।

8.31 क्षेत्र : मैट्रिकोत्तर, डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ने के लिए अधिकतम 13 अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवारों तथा दो आदिम जनजातीय समूह के उम्मीदवारों को वार्षिक रूप से छात्रवृत्ति दी जाती है। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है।

8.32 मुख्य विशेषताएं

(i) यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवार (प्रत्येक परिवार से एक सदस्य) को दी जाती है जिसकी आयु विज्ञापन की तारीख को 35 वर्ष तक है, बशर्ते कि उम्मीदवार या उसके माता-पिता/अभिभावकों की कुल आय 25,000 रु. प्रतिमाह से अधिक न हो।

(ii) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव हो, एम.फिल अथवा पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 60% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातक डिग्री हो तथा दो वर्षों का कार्य अनुभव हो। एम फिल या पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 60% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री तथा दो वर्षों का अनुसंधान/शिक्षण/कार्य अनुभव हो। पोस्ट डाक्टोरल अध्ययन के लिए उम्मीदवार के साथ डाक्टोरल डिग्री सहित 60% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री संगत क्षेत्र में 5 वर्षों का अध्यापन/अनुसंधान/व्यावसायिक अनुभव हो।

(iii) उम्मीदवारों से विदेश में किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से चयन की तारीख से 3 वर्षों के अंदर अपने द्वारा स्वयं दाखिले की व्यवस्था करना अपेक्षित है।

(iv) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को अमेरिकी डॉलर 14,000 या 9000 पौंड प्रति वर्ष का अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाता है जिसे वे 2400 अमेरिकी डॉलर या 1560 पौंड प्रतिवर्ष अनुसंधान/अध्यापन असिस्टेंटशिप कार्य आरंभ करने के द्वारा सम्पूरित कर सकते हैं। इस सीमा से अधिक कमाई के मामले में, भारतीय मिशन तदनुरूप मंजूर किए गए अनुरक्षण भत्ते को कम कर सकता है।

(v) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को भारत लौटने के बाद कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहना आवश्यक है।

8.33 इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा आदिम जनजातीय समूह के उम्मीदवारों को चार वार्षिक यात्रा अनुदान भी प्रदान किए जाते हैं। यात्रा अनुदान ऐसे उम्मीदवारों के लिए पूरे वर्ष भर खुले हैं जो विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययनों, अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए किसी विदेशी विश्वविद्यालय/ सरकार या किसी अन्य योजना के अंतर्गत, जहां यात्रा की लागत नहीं दी जाती, प्रतिभा छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। यह योजना किफायती श्रेणी (इकानॉमी क्लास) में भारत से आने-जाने की यात्रा के लिए अनुदान उपलब्ध करती है।

8.34 वित्त पोषण पद्धति : चुने हुए उम्मीदवारों को भारतीय मिशन के माध्यम से सी मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

8.35 आबंटन : वर्ष 2008-09 के लिए 2.00 करोड़ रुपए का आबंटन है जो संशोधित अनुमान स्तर पर कम करके 0.15 करोड़ रु. कर दिया गया।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

यह योजना वर्ष 2005-06 से शुरू की गई।

8.36 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पी.एच.डी. जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु फेलोशिप के रूप में वित्तीय सहायता देना है।

8.37 कवरेज : इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान कवर किए जाएंगे।

8.38 वित्तपोषण पद्धति : जेआरएफ एवं एसआरएफ अध्येतावृत्ति की दर समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी अध्येतावृत्ति के समान होगी। ये मौजूदा दरें नीचे दी गई हैं :-

क्र.सं.	मद	राशि
1	फैलोशिप	12000/- रुपए प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जेआरएफ) 14000/- रुपए प्रतिमाह शेष अवधि के लिए (एसआरएफ)
2	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए आकस्मिक व्यय	10000/- रुपए प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 20500/- रुपए प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
3	आकस्मिक व्यय विज्ञान के लिए	12000/- रुपए प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 25000/- रुपए प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
4	विभागीय सहायता	अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए मेजबान संस्थान को 3000/-रुपए प्रतिवर्ष प्रति छात्र
5	अंगरक्षण/वाचक सहायता	शारीरिक एवं दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में 1000/- रुपए प्रतिमाह की दर से
6	आवास किराया भत्ता	यूजीसी पैटर्न के अनुसार

8.39 मुख्य विशेषताएं :

- इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को 667 अध्येतावृत्तियाँ दी जाएंगी।
- अध्येतावृत्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पी.एचडी जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु फेलोशिप प्रदान की जाती है।
- यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
- इसकी स्नातकोत्तर परीक्षा में अथवा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करने में न्यूनतम अंकों का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

8.40 आबंटन : चालू वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 32.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 31.03 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की योजना

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2007-08 से अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की एक नई अध्येतावृत्ति योजना की शुरूआत की है।

8.41 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजातीय छात्रों के संस्थानों की चुनिंदा सूची में से किसी एक में, जिसमें छात्रवृत्ति योजना चालू होगी, डिग्री और पोस्ट-डिग्री स्तर पर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

8.42 कवरेज : इस योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में अनुमोदित 125 संस्थाएं हैं, जिनमें प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विधि तथा वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र को कवर किया गया है। प्रत्येक संस्थान को पांच अवार्ड आबंटित किए गए हैं, जिनमें प्रतिवर्ष कुल अधिकतम 625 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

8.43 मुख्य विशेषताएं

(i) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 2 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी/सरकार द्वारा निधिकृत संस्थानों के संबंध में पूरा ट्यूशन शुल्क और अन्य अप्रतिदेय राशियों को शामिल करते हुए छात्रवृत्ति दी जाएगी। तथापि निजी क्षेत्र के संस्थानों

में प्रति छात्र 2 लाख रु. प्रति वर्ष की सीमा होगी और वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण के लिए निजी क्षेत्र के उड़ान क्लबों के लिए प्रति छात्र 3.72 लाख रु. प्रति वर्ष की सीमा होगी। इस छात्रवृत्ति में (क) आजीविका व्यय प्रति माह 2220 रु. प्रति छात्र, वास्तविक व्यय के अधीन, (ख) पुस्तकें और स्टेशनरी प्रति वर्ष प्रति छात्र 3000 रु. और (ग) सहायक वस्तुओं सहित नवीनतम कम्प्यूटर प्रणाली की लागत के रूप में पूरे पाठ्यक्रम के दौरान एक बार 45000 रुपये की सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी ।

(iii) योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर वित्तपोषित होगी तथा निधि संबंधित संस्था को सीधे निर्मुक्त की जाएगी।

8.44 आबंटन : वर्तमान वर्ष 2008-09 के दौरान योजना के तहत 10.00 करोड़ रु. की राशि का आबंटन किया गया है जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 2.50 करोड़ रु. कर दिया गया।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

8.45 इस योजना को 1992-93 में शुरू किया गया और तब से यह चल रही है।

8.46 उद्देश्य : इस योजना का मुख्य उद्देश्य व्यवसायों तथा स्व-रोजगार के लिए जनजातीय युवाओं के कौशल को विकसित करना है। इसका उद्देश्य उनकी आय में वृद्धि द्वारा उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।

8.47 कवरेज : यह योजना सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करती है। यह क्षेत्र विशेष योजना नहीं है। निशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं केवल जनजातीय युवाओं को दी जाती हैं।

8.48 वित्त-पोषण पद्धति : इस योजना के अंतर्गत 100% अनुदान राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा इस योजना को कार्यान्वित कर रहे अन्य संगठनों को प्रदान किए जाते हैं।

8.49 मुख्य विशेषताएं :

(i) इस योजना को राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा संस्थाओं या स्वायत्त निकायों के रूप में सरकार द्वारा स्थापित संगठनों या यथा निर्धारित कतिपय अपेक्षाओं को पूरा करने वाले सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

(ii) हालांकि परियोजना तैयार करने के स्तर पर पूर्व परिभाषित लागत शीर्षों को निर्धारित नहीं किया जाता है, फिर भी प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी को कार्यक्रम संबंधी रूपरेखाएं तथा पृथक व्यय शीर्षों का उल्लेख स्पष्ट रूप से करते हुए निर्धारित प्रपत्रों में विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित है। परियोजनाओं को अनुमोदित करते समय परियोजना के प्रत्येक घटक की सहायता की सीमा का उल्लेख किया जाता है। कुल अनुदान के 20% की सीमा तक व्यय को एक मद से दूसरे मद को पुनर्विनियोजित करने की अनुमति दी जाती है।

(iii) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यावसायिक केन्द्र उस क्षेत्र की रोजगार संभावना पर निर्भर रहते हुए परंपरागत कौशलों में पांच व्यावसायिक पाठयक्रमों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। आंतरिक क्षेत्रों में यहां तक कि कुशल व्यक्तियों की सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जनजातीय लड़के/लड़की को उसके/उसकी पसंद के दो व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जाता है। प्रत्येक व्यवसाय में पाठ्यक्रम की अवधि तीन माह होती है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को छः माह के अंत में एक मास्टर शिल्पी के साथ अर्द्ध शहरी/शहरी क्षेत्र में छः माह की अवधि के लिए चुने गए व्यवसायों/कौशल दोनों में व्यावहारिक अनुभव द्वारा अपने कौशलों को सीखने के लिए लगाया जाता है।

(iv) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने वाली एजेंसियों से ऋण तथा सब्सिडी का इंतजाम या तो आई टी डी पी के माध्यम से या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से करने की अपेक्षा की जाती है ताकि प्रत्येक सफल प्रशिक्षार्थी को अपना नया कार्य आरंभ करने में समर्थ बनाया जा सके।

(v) एजेंसियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के या तो किराए के भवन में या संगठन द्वारा अपने स्वामित्व के भवन में चलाने के लिए सहायता अनुदान दिए जाते हैं। किराए की दर अधिकतम 8000/- रुपए मासिक तथा संगठन/एजेंसी के स्वामित्व वाले भवन का अनुरक्षण अनुदान मासिक किराए का 10% नियत किया जाता है ।

(vi) प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र को पांच व्यवसायों में पाठ्यक्रम चलाने के लिए प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसा कि संबंधित एजेंसी द्वारा पांच वर्ष में एक बार 2.40 लाख रु. प्रति व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की दर से निश्चित किया जाता है।

(vii) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने के लिए आवर्ती अनुदान 13,500 रु. प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति वर्ष की दर से है। प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के पास एक मुख्य अनुदेशक/फोरमैन, चार व्यवसाय अनुदेशक, एक कार्यशाला परिचर, एक चौकीदार, एक चपरासी, एक अंशकालिक स्वीपर तथा एक लेखाकार होना चाहिए। केन्द्र में प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को 350.00 रु. प्रति माह वजीफा तथा 1200 रु. प्रति वर्ष की दर से कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है।

8.50 आबंटन : वर्ष 2006-07 के दौरान, योजना के अंतर्गत आबंटन की राशि 67.12 करोड़ रुपए है (33.56 करोड़ रुपए राज्य सरकारों के लिए और गैर-सरकारी संगठन के लिए उतनी ही राशि)। इसमें से वर्ष 2008-09 के दौरान इस योजना के तहत 10.00 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। (7.00 करोड़ रुपए तथा 3.00 करोड़ रुपए गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की गई है)।

8.51 वर्ष 2008-09 के दौरान कार्य-निष्पादन : राज्यों के लिए 7.00 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में, राज्य सरकारों को 6.97 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। गैर-सरकारी संगठनों के लिए 3.00 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में, 1.47 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त किए गए अनुदानों का ब्यौरा **अनुबंध-8** (ङ) पर दिया गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त किए गए अनुदान अध्याय 10 के तहत **अनुबंध-10** (घ) पर हैं।

8.52 योजना का संशोधन : वर्ष 2009-2010 से जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की संशोधित योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

जनजातीय लड़के एवं लड़कियों के छात्रावास की योजना के तहत वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07			2007-08			2008-09		
		धनराशि	छात्रावास	सीट	धनराशि	छात्रावास	सीट	धनराशि	छात्रावास	सीट
1	आंध्र प्रदेश	120.00	5	825	0.00	0	0	0.000	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	180.07	6	400	0.00	0	0	0.000	0	0
3	असम	0.00	0	0	0.00	0	0	601.390	9	750
4	बिहार	0.00	0	0	0.00	0	0	0.000	0	0
5	छत्तीसगढ़	165.00	21	503	0.00	0	0	803.830	40	2050
6	गोवा	0.00	0	0	0.00	0	0	0.000	0	0
7	गुजरात	0.00	0	0	0.00	0	0	0.000	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	82.39	3	192	48.75	4	240	200.000	2	131
9	जम्मू व कश्मीर	204.99	2	200	0.00	0	0	0.000	0	0
10	झारखंड	250.16	7	600	224.35	8	550	128.685	11	600
11	कर्नाटक	170.79	4	200	150.00	6	300	125.010	0	0
12	केरल	0.00	0	0	0.00	0	0	0.000	0	0
13	मध्य प्रदेश	305.00	20	1000	0.00	0	0	255.000	बकाया	0
14	महाराष्ट्र	0.00	0	0	0.00	0	0	889.560	15	2375
15	मणिपुर	123.51	3	243	564.61	29	656	0.000	0	0
16	मेघालय	200.00	2	200	0.00	0	0	0.000	0	0
17	मिजोरम	0.00	0	0	0.00	0	0	0.000	0	0
18	नागालैंड	221.09	2	200	186.50	बकाया	0	87.500	1	100
19	उड़ीसा	56.50	21	840	1197.00	252	25200	87.600	30	1200
20	राजस्थान	190.50	17	575	0.00	0	0	1240.525	41	1850
21	सिक्किम	0.00	0	0	0.00	0	0	0.000	0	0
22	तमिलनाडु	0.00	0	0	0.00	0	0	0.000	0	0
23	त्रिपुरा	0.00	0	0	228.79	7	400	1380.900	11	650
24	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	0.000	0	0
25	उत्तराखंड	0.00	0	0	0.00	0	0	100.000	2	200
26	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0	0.00	0	0	0.000	0	0
27	अं.व नि. द्वीपसमूह	0.00	0	0	0.00	0	0	0.000	0	0
28	दमन व दीव	0.00	0	0	0.00	0	0	0.000	0	0
29	दादरा व नगर हवेली	0.00	0	0	600.00	5	500	0.000	0	0
30	हैदराबाद विश्वविद्यालय	0.00	0	0	195.00	1	100	73.730	बकाया	0
31	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरूणाचल प्रदेश	0.00	0	0	145.00	2	200	0.000	0	0
32	जेएनयू/आईआईटी, दिल्ली	440.91	बकाया	0	0.00	0	0	0.000	0	0
33	दिल्ली विश्वविद्यालय	100.00	1	200	160.00	बकाया	0	0.000	0	0
34	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	0.00	0	0	0.00	0	0	0.000	0	0
35	अंग्रेजी और विदेशी भाषा के विश्वविद्यालय, (शिलांग कैम्पस), हैदराबाद (आं.प्र.)	0.00	0	0	0.00	0	0	526.270	2	420
	कुल	**2810-91**	**114**	**6178**	**3700-00**	**314**	**28146**	**6500-000**	**164**	**10326**

अनुबंध: 8-ख

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक की उपलब्धियों सहित निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07			2007-08			2008-09		
		धनराशि	छात्रावास	सीट	धनराशि	छात्रावास	सीट	धनराशि	छात्रावास	सीट
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
3	असम	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
4	बिहार	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
5	छत्तीसगढ़	112.76	11	415	558.00	40	2000	886.80	25	1250
6	गोवा	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
7	गुजरात	156.52	बकाया	0	117.39	बकाया	0	0.00	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
9	जम्मू व कश्मीर	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
10	झारखंड	0.00	0	0	250.00	2	200	0.00	0	0
11	कर्नाटक	400.00	बकाया	0	100.00	4	500	153.13	बकाया	0
12	केरल	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
13	मध्य प्रदेश	624.01	बकाया	0	673.81	20	1000	0.00	0	0
14	महाराष्ट्र	256.71	बकाया	0	300.80	31	13139	940.07	बकाया	0
15	मणिपुर	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
16	मेघालय	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
17	मिजोरम	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
18	नागालैंड	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
19	उड़ीसा	0.00	0	0	0.00	0	0	1020.00	52	15600
20	राजस्थान	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
21	सिक्किम	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
22	तमिलनाडु	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
23	त्रिपुरा	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
24	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
25	उत्तराखंड	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
26	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
27	अं.व नि. द्वीपसमूह	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
28	दमन व दीव	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
	कुल	**1550-00**	**11**	**415**	**2000-00**	**97**	**16839**	**3000-00**	**77**	**16850**

अनुबंध: 8-ग

अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07		2007-08		2008-09	
		धनराशि	लाभार्थी	धनराशि	लाभार्थी	धनराशि	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	4403.27	147213	2284.39	147323	1662.12700	162055
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0.00000	0
3	असम	2360.46	102730	1857.1363	49919	1696.17900	53680
4	बिहार	0	0	0	1334	170.00000	4650
5	छत्तीसगढ़	853.71	63365	130.24	65630	160.28000	73795
6	गोवा	70.445	675	13.804	583	18.96150	643
7	गुजरात	910.67	96287	315.965	107895	387.36000	120850
8	हिमाचल प्रदेश	0	3930	59.72	1866	10.00000	2103
9	जम्मू व कश्मीर	200	7014	43.44	6252	0.00000	9085
10	झारखंड	461.07	15396	107.97	18470	1058.48000	20132
11	कर्नाटक	1178	44814	456.87	62678	1053.96500	68946
12	केरल	311.42	7493	29.79	8772	298.03000	9612
13	मध्य प्रदेश	2092.405	62217	583.41	72458	1228.17500	78530
14	महाराष्ट्र	750	99759	2155.56	94629	2500.00000	110563
15	मणिपुर	1316.45	33183	1438.78	36297	1912.68000	41837
16	मेघालय	550	43791	2435.7199	48170	1342.12130	52985
17	मिजोरम	1153.02	27886	1370.2	37550	1421.18000	38211
18	नागालैंड	2694.79	31820	1593.495	32013	1467.26670	35214
19	उड़ीसा	1410.34	43313	95.97	44691	461.75000	48793
20	राजस्थान	3496.74	123186	4616.6188	148148	4654.00000	152448
21	सिक्किम	9.63	1231	25.631	1494	25.12750	1682
22	तमिलनाडु	75.53	2854	4.76	3182	2.50000	3405
23	त्रिपुरा	348.183	10512	294.89	12890	433.18550	13831
24	उत्तर प्रदेश	93.68	11019	7.5	5519	0.00000	4990
25	उत्तराखंड	312.26	14536	32.35	15566	230.52000	17123
26	पश्चिम बंगाल	447.92	16020	44.79	17537	389.28000	19763
27	अं.व नि. द्वीपसमूह	3.416	376	4.447	430	3.00000	535
28	दमन व दीव		156	0	127	0.14000	135
	कुल	**25503.409**	**1010776**	**20003.447**	**1041423**	**22586.30850**	**1145596**

प्रतिभा उन्नयन की योजना के तहत वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07		2007-08		2008-09	
		धनराशि	लाभार्थी	धनराशि	लाभार्थी	धनराशि	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	3.60	24	12.60	84	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0	0
3	असम	0.00	0	9.00	60	0	0
4	बिहार	0.00	0	0.00	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	36.30	280	21.00	140	0	0
6	गोवा	0.00	0	0.00	0	0	0
7	गुजरात	3.70	35	7.90	70	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0	0
9	जम्मू व कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0	0
10	झारखंड	11.70	78	0.00	0	3.05000	30
11	कर्नाटक	6.60	44	6.15	41	0	0
12	केरल	3.95	26	0.00	0	0.78000	4
13	मध्य प्रदेश	51.60	344	25.80	172	33.54000	172
14	महाराष्ट्र	4.18	46	14.55	162	0	0
15	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0	0
16	मेघालय	0.00	0	0.00	0	0	0
17	मिजोरम	0.00	0	0.00	0	0	0
18	नागालैंड	0.00	0	0.00	0	0	0
19	उड़ीसा	10.20	136	20.40	136	17.94000	136
20	राजस्थान	0.00	0	6.00	54	2.87000	32
21	सिक्किम	2.40	16	2.40	16	3.12000	16
22	तमिलनाडु	0.00	0	0.00	0	0	0
23	त्रिपुरा	3.84	32	2.40	16	3.12000	16
24	उत्तर प्रदेश	1.80	12	0.00	0	0	0
25	उत्तराखंड	0.00	0	0.00	0	0	0
26	पश्चिम बंगाल	10.13	72	7.68	72	8.87560	72
27	अं.व नि. द्वीपसमूह	0.00	0	0.00	0	0	0
28	दमन व दीव	0.00	0	0.00	0	0	0
29	दादरा व नगर हवेली	0.00	0	2.40	16	0	0
	कुल	**150.00**	**1145**	**138.28**	**1039**	**73.29560**	**478**

अनुबंधः 8-ङ

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के तहत वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07			2007-08			2008-09		
		धनराशि	केन्द्र	सीट	धनराशि	केन्द्र	सीट	धनराशि	केन्द्र	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	67.50	9	900	0.00	0	0	0	0	0
2	अरुणाचल आदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
3	असम	65.37	10	500	0.00	0	0	130.7400	20	970
4	बिहार	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	81.00	11	1100	302.34	11	1100	124.1400	11	1100
6	गोवा	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
7	गुजरात	94.50	13	1300	54.83	13	1300	140.9300	13	1080
8	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
9	जम्मू व कश्मीर	0.00	0	0	13.50	1	100	0	0	0
10	झारखंड	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
11	कर्नाटक	67.50	5	500	0.00	0	0	0	0	0
12	केरल	17.32	3	175	0.00	0	0	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	198.81	10	1000	220.75	10	1000	118.0550	10	1000
14	महाराष्ट्र	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
15	मणिपुर	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0.00	0	0	65.28	5	500	57.0800	5	500
18	नागालैंड	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
19	उड़ीसा	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
20	राजस्थान	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
21	सिक्किम	0.00	0	0	18.30	8	240	18.3000	8	240
22	तमिलनाडु	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
23	त्रिपुरा	54.00	8	400	0.00	0	0	108.0000	8	400
24	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
25	उत्तराखंड	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
26	पश्चिम बंगाल	54.00	4	400	0.00	0	0	0	0	0
27	अं.व नि. द्वीप समूह	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
28	दमन व दीव	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	कुल	**700.00**	**73**	**6275**	**675.00**	**48**	**4240**	**697.2450**	**75**	**5290**

अध्याय 9

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड तथा राज्य-स्तरीय निगमों को सहायता के लिए कार्यक्रम

9.1 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड)

9.1.1 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति है। इसकी स्थापना *बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (अब बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002) के अंतर्गत वर्ष 1987 में की गई थी।*

9.1.2 **ट्राइफेड** अब जनजातीय उत्पादों के लिए विपणन विकास तथा सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है। ट्राइफेड एक क्षमता निर्माता के तौर पर भी कार्य करता है जिसमें यह अनुसूचित जनजाति-शिल्पियों एवं एमएफपी-एकत्र करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करने की भूमिका भी निभाता है।

9.1.3 ट्राइफेड की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 300 करोड़ रुपए है। दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार ट्राइफेड की प्रदत्त शेयर पूंजी 100,53,47,000 रुपए थी। दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार ट्राइफेड के 37 सदस्य (शेयर-धारक) थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिसने इक्विटी शेयर पूंजी में 99.75 करोड़ रुपए का निवेश किया है, अकेला सबसे बड़ा शेयर-धारक है।

9.2 वर्ष 2008-09 के दौरान ट्राइफेड द्वारा किए गए कार्यकलाप :

ट्राइफेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ट्राइफेड ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए:-

(1) खुदरा बिक्री केंद्र : वर्तमान में ट्राइफेड 39 खुदरा बिक्री केंद्रों, जिनमें से 26 बिक्री केंद्र इसके स्वयं के हैं तथा 13 बिक्री केंद्र हस्तकला को प्रोत्साहन देने वाले राज्य स्तरीय संगठनों के सहयोग से पारेषण के आधार पर खोले गए हैं, के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन कर रहा है। ट्राइफेड ने नाथूला दर्रा, सिक्किम में जनजातीय उत्पादों के विपणन हेतु वाणिज्य मंत्रालय के एक बिक्री केंद्र से भी करार किया है।

(2) खुदरा विपणन : ट्राइफेड द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान की गई जनजातीय उत्पादों की खुदरा बिक्री में काफी वृद्धि हुई और यह 6.04 करोड़ रुपए तक पहुंच गई जो वर्ष 2007-08 की तुलना में 25 प्रतिशत (4.80 करोड़ रुपए) अधिक है।

(3) खुदरा विपणन के अतिरिक्त, ट्राइफेड ने जनजातीय शिल्पकारों को जनजातीय क्राफ्ट निर्यात प्रदर्शनियों के माध्यम से उनके उत्पादों को सीधे ही बाजार में भेजने के अवसर प्रदान करके 95.00 लाख रुपए के जनजातीय उत्पादों की बिक्री करने में भी मदद की है।

(4) ट्राइफेड ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वर्ष 2007-08 के 0.93 करोड़ रुपए की तुलना में 1.45 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया।

(5) जनजातीय शिल्पी मेले : **ट्राइफेड** ने उत्तराखंड और झारखंड में एक-एक तथा असम में 2 मेलों सहित 4 जनजातीय शिल्पी मेलों का आयोजन किया। जनजातीय शिल्पी मेलों से उन जनजातीय शिल्पकारों की पहचान करने में सहायता मिलती है जिनका

खुदरा बिक्री अभियानों में वस्तुएं आपूर्ति करने वालों के रूप में विकास किया जा सके।

(6) **घरेलू प्रदर्शनियों में भागीदारी :** ट्राइफेड ने कई घरेलू प्रदर्शनियों का आयोजन किया/उनमें भाग लिया। इनमें शामिल हैं :-

(क) बंगलौर एवं जयपुर में मेगा इवेन्ट्स।

(ख) इलाहाबाद, लखनऊ, चंडीगढ़, नई दिल्ली में जनजातीय उत्पादों की प्रदर्शनियाँ।

(ग) विभिन्न राज्यों में 75 से भी अधिक प्रदर्शनियों में भागीदारी।

(घ) संस्कृति मंत्रालय की भागीदारी में गोवा, पटना और मुम्बई में 'ऑक्टेव' उत्सव।

(ड.) नोएडा, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हस्तकला एवं गिफ्ट मेला 2009 में भागीदारी।

(च) दिल्ली हाट, दिल्ली में "आदिशिल्प" (तीसरा राष्ट्रीय जनजातीय क्राफ्ट एक्सपो) का आयोजन।

(छ) दिल्ली हाट, पीतमपुरा, दिल्ली में पट्टे पर लिए गए 8 स्टालों में विभिन्न राज्यों के जनजातीय उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री।

(7) **अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी :** ट्राइफेड ने बर्मिघंम में अंतर्राष्ट्रीय स्प्रिंग फेयर 2009 में भाग लिया। ट्राइफेड ने भागीदारी तथा जनजातीय उत्पादों के विपणन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए यूएसए के सबसे बड़े फॉल्क आर्ट मार्केट, न्यू मैक्सिको के 'सन्ता फे फॉल्क आर्ट मार्केट' में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे।

(8) **एमएफपी कार्यकलापों में अनुसूचित जनजातियों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन :** ट्राइफेड ने निम्नलिखित में जनजातीय लाभार्थियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया :-

(क) शहद एकत्रण

(ख) गोंद को वैज्ञानिक ढंग से प्राप्त करना, उसका प्रसंस्करण एवं विपणन

(ग) महुआ के फूलों का एकत्रण एवं प्रसंस्करण

(घ) लाख की खेती

(ङ) दोना-पत्तल लीफ कप/प्लेटें तैयार करना

(9) **जनजातीय शिल्पियों के लिए हस्तकला प्रशिक्षण का आयोजन :** ट्राइफेड निम्न प्रकार से अनुसूचित जनजाति शिल्पियों के हितों के लिए विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन करता है/कर रहा है :-

(क) आंध्र प्रदेश (बंजारा मिरर एमब्राइडरी; हैंड एमब्राइडरी)

(ख) अरुणाचल प्रदेश (ओरनामेंटल बीड ज्वैलरी)

(ग) असम (हैंडलूम आधारित हस्तकला)

(घ) छत्तीसगढ़ (बेल मेटल; डोकरा हस्तकला)

(ड.) गुजरात (वारली पेटिंग, एमब्राइडरी/स्टिचिंग एवं बीड ज्वलैरी)

(च) झारखंड (बेल मेटल एवं लाख क्राफ्ट)

(छ) कर्नाटक (सजावटी मोमबत्तियाँ एवं हस्त-निर्मित पेपर क्राफ्ट)

(ज) मध्य प्रदेश (वस्त्रों की फैब्रिकेशन एवं टेलरिंग)

(झ) मणिपुर (लोंगपी पॉट्री क्राफ्ट)

(ञ) उड़ीसा (डोकरा क्राफ्ट)

(ट) राजस्थान (वस्त्र मदों पर पैच कार्य एवं निडल कार्य)

(ठ) तमिलनाडु (चटाई बुनाई/बांस हस्तकला)

(ड) उत्तराखंड (ऊनी शालों की कताई एवं बुनाई)

(ढ) पश्चिम बंगाल (कंथा कढ़ाई एवं टैक्सटाइल बाटिक)

(10) ट्राइफेड ने शिल्पी संसाधन केन्द्र (एआरसी), उदयपुर, राजस्थान में विभिन्न कौशलों के विकास हेतु अनुसूचित जनजाति के शिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

(11) अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) कार्यकलाप : ट्राइफेड ने विभिन्न एमएफपी हेतु गुणवत्ता स्तर का निर्धारण किया। इससे शहद, सूखा आंवला, आंवला चूर्ण एवं हल्दी (बीज सहित) के लिए गुणवत्ता स्तर हेतु अंतिम अधिसूचना जारी की गई। ट्राइफेड ने ख्याति प्राप्त अनुसंधान संस्थानों को एमएफपी में मूल्य शामिल करने पर 6 अनुसंधान परियोजनाएं सौंपी हैं।

9.3 ट्राइफेड के लाभ हेतु योजनाएं :-

समीक्षाधीन वर्ष (2008-09) के दौरान मंत्रालय, ट्राइफेड से संबंधित नीचे दी गई केन्द्रीय क्षेत्र की दो योजनाओं से संबंधित कार्य करता है :-

(1) ट्राइफेड में निवेश

(2) जनजातीय उत्पादों/उपज के लिए बाजार विकास।

विवरण नीचे दिया गया है।

9.4 केन्द्रीय क्षेत्र की योजना ''ट्राइफेड में निवेश''

चूँकि ट्राइफेड की प्रदत्त पूंजी में से 99.75 करोड़ रुपए (99.22 प्रतिशत) की पूंजी इक्विटी शेयरों के रूप में मंत्रालय के पास है, अतः मंत्रालय द्वारा ट्राइफेड के इक्विटी शेयर में और अधिक निवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए, बजट अनुमान : 2008-09 के तहत इस योजना के अंतर्गत 0.01 करोड़ रुपए की नाममात्र राशि का प्रावधान किया गया था।

9.5 केन्द्रीय क्षेत्र की योजना : "जनजातीय उत्पादों/उपज का बाजार विकास"

9.5.1 वर्ष 2007-08 में मंत्रालय द्वारा अपनी पहले की योजना "ट्राइफेड को मूल्य समर्थन" के स्थान पर "जनजातीय उत्पादों का बाजार विकास" नामक नई योजना की गई।

9.5.2 "जनजातीय उत्पादों का बाजार विकास" योजना के तहत यह मंत्रालय 11वीं योजना अवधि (2007-12) के लिए ट्राइफेड द्वारा तैयार की गई रूपरेखा के तहत निम्नलिखित नई चार प्रमुख कार्यकलाप शुरू करने के लिए ट्राइफेड को दिए जाने वाले सहायता अनुदान में वृद्धि करने पर सहमत हो गया है:-

(i) खुदरा विपणन विकास कार्यकलाप

(ii) एमएफपी विपणन विकास कार्यकलाप

(iii) अनुसूचित जनजाति शिल्पियों एवं एमएफपी एकत्र करने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, दक्षता उन्नयन एवं क्षमता निर्माण

(iv) अनुसंधान विकास/बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) कार्यकलाप

9.5.3 इस योजना के तहत सहायता शर्त के एक भाग के रूप में, ट्राइफेड ने दिनांक 15.9.2008 को वर्ष 2008-09 हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

9.5.4 इस योजना के लिए 11वीं योजना में 69.59 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए बजट आबंटन 18.99 करोड़ रुपए था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 21.20 करोड़ रुपए कर दिया गया था तथा इसे वर्ष के दौरान ट्राइफेड को जारी कर दिया गया।

9.5.5 वर्ष 2007-08 के दौरान (31.03.2008 तक) ट्राइफेड को कुल 20.5084 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

9.6 "लघु वन उत्पाद (एमएफपी) अभियानों हेतु राज्य जनजाति विकास सहकारी समितियों (एसटीडीसीसी) आदि को सहायता अनुदान" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

9.6.1 अनुसूचित जनजातियों में से अधिकांश जंगली क्षेत्रों में रहती हैं, जो अपनी आजीविका के लिए लघु वन उत्पादों जैसे इमली, शहद, साल पत्तियां, तेंदू पत्ता, महुआ के फूल, महुआ के बीज इत्यादि पर निर्भर हैं। अधिकांश एमएफपी

मदें मौसमी हैं तथा ये जल्दी खत्म हो जाने वाली चीजें भी हैं। अधिकांश समुदायों में एमएफपी पर उनकी निर्भरता बहुत अधिक है।

9.6.2 शुरूआत में जनजातियाँ अपने स्वयं के उपभोग/उपयोग के लिए एमएफपी का एकत्रण किया करती थीं। चूंकि एमएफपी की मांग जनजातीय क्षेत्रों से बाहर भी है, इसलिए जनजातियाँ अपने पास उपलब्ध एमएफपी के अधिक स्टॉक को अपने नजदीकी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले साप्ताहिक बाजारों में कम नकद मूल्य या सौदेबाजी करके बेच देती थीं।

9.6.3 वर्षों तक, जनजातियों की इन उत्पादों की और कहीं बाजारी कीमत की अज्ञानता तथा बाहरी बाजारों से उनका सीधा संबंध न होने की बात का फायदा उठाते हुए, व्यापारी तथा बिचौलिए भी वहां पहुंच गए। इससे कुछ क्षेत्रों में जनजातियों का शोषण किया जाने लगा क्योंकि जनजातियों में कोई संयुक्त सौदेबाजी शक्ति नहीं थी, जल्दी खराब होने वाली चीजों को रोकने की क्षमता नहीं थी तथा वे विभिन्न कारणों से बिचौलियों पर निर्भर थे। इस प्रक्रिया में, जनजातियों को अपने एमएफपी के लिए बहुत ही कम कीमत मिलती थी।

9.6.4 इसलिए राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार ने गरीब जनजातियों की सहायता के लिए आगे आने तथा उन्हें अपने एमएफपी के लिए अच्छे मूल्य प्रदान करने का निश्चय किया एवं केन्द्र/राज्य स्तरीय सरकारी संगठनों की स्थापना की।

9.6.5 केन्द्र सरकार ने उच्चतम स्तर पर '*बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (अब एमएससीएस अधिनियम, 2002)*' के तहत ट्राइफेड की स्थापना की है, जबकि राज्य सरकारों ने राज्य जनजाति विकास सहकारी समितियों (एसटीडीसीसी), वन विकास समितियों (एफडीसी) इत्यादि की स्थापना की है।

9.6.6 राज्य सरकारों ने कुछ मुख्य एवं महत्वपूर्ण एमएफपी का राष्ट्रीयकरण शुरू किया तथा इन निकायों के माध्यम से जनजातियों से पारिश्रमिक मूल्यों पर राष्ट्रीयकृत एवं गैर-राष्ट्रीयकृत उत्पादों की अधिप्राप्ति का प्रबंध किया।

9.6.7 इस पृष्ठभूमि में, 1992-93 में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम 'एमएफसी आपरेशंस हेतु राज्य जनजाति विकास सहकारी समितियों (एसटीडीसीसी) इत्यादि को सहायता अनुदान' की शुरूआत की गई। इस योजना के तहत मंत्रालय निम्नलिखित के लिए उनकी संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से एसटीडीसीसी/एफडीसी इत्यादि को सहायता-अनुदान प्रदान करता है :-

(1) यदि आवश्यक हो, प्रचालन हानि को कम करते हुए संचालित लघु वन उत्पादों की मात्रा में वृद्धि करना;

(2) वर्तमान में संचालित लघु वन उत्पादों की मात्रा में वृद्धि करते हुए लघु वन उत्पादों के प्रचालन हेतु निगम की शेयर पूंजी आधार को बल प्रदान करना;

(3) जहां आवश्यक हो, वैज्ञानिक भंडारणगृह सुविधाओं की स्थापना करना;

(4) जनजातियों के लिए लघु वन उत्पादों पर अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इनके मूल्य वर्धन हेतु प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना;

(5) जनजातियों को उपभोक्ता ऋण देना; और

(6) अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) कार्यकलापों/प्रयासों में सहायता करना।

9.6.8 इस योजना के लिए 11वीं योजना में 174.20 करोड़ रुपए का आबंटन है। वर्ष 2007-08 के दौरान इस स्कीम के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को इस अपेक्षा के साथ कि वे इन्हें अपनी संबंधित पहचान की गई एसटीडीसीसी को भेजेगी, 18.48 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई।

9.6.9 वर्ष 2008-09 के लिए बजट आबंटन 40.00 करोड़ रुपए था जिसे संशोधित अनुमान 2008-09 में कम करके 16.00 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस योजना के तहत वर्ष 2008-09 के दौरान 16.00 करोड़ रुपए की सम्पूर्ण राशि विभिन्न राज्य सरकारों को पहचान किए गए एसटीडीसीसी के लिए वितरित की गई है।

9.6.10 इस स्कीम के तहत 2006-07 से 2008-09 के दौरान की गई राज्यवार निर्मुक्तियों का ब्यौरा **अनुबंध: 9-क** में दिया गया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम और राज्य जनजातीय सहकारी निगम (एसटीडीसीसी) तथा अन्य ऐसे संगठन

9.7 संगठन : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना एक सरकारी कम्पनी (एक लाभ न कमाने वाली कम्पनी) के रूप में अप्रैल, 2001 में की गई है और तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) को विभाजित करने के सरकार के निर्णय के अनुसरण में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया है।

9.8 मुख्य उद्देश्य :

एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए योजना (योजनाओं)/परियोजना (परियोजनाओं) को वित्त पोषित करने के लिए शीर्ष संस्था है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(i) अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना ताकि रोजगार/ स्व-रोजगार का सृजन किया जा सके तथा उनके आय का स्तर बढ़ाया जा सके।

(ii) संस्थागत और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करके अनुसूचित जनजातियों के कौशल और उद्यमी विकास का उन्नयन।

(iii) मौजूदा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों और जनजातियों के आर्थिक विकास में कार्यरत अन्य राष्ट्रीय स्तर के संगठनों/ विकास अभिकरणों को और अधिक प्रभावी बनाना।

(iv) एससीए की परियोजना निर्माण, एनएसटीएफडीसी समर्थित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनके स्टॉफ को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना।

(v) वर्तमान एजेंसियों के कार्यों को निरस्त करने की अपेक्षा उनमें नवाचार लाना, प्रयोग करना तथा प्रोत्साहित करना।

कार्य :

(i) पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु व्यवहार्य आय सृजन योजनाओं/परियोजनाओं को केन्द्र/राज्य माध्यमीकरण एजेंसियों और अन्य एजेंसियों के जरिए शुरू करने के लिए रियायती वित्त प्रदान करना।

(ii) कौशल विकास तथा इंटरप्रेनरशिप के माध्यम से एससीए और एसटीए को दक्षता निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना।

9.9 अंश पूंजी : अधिकृत अंश पूंजी 500 करोड़ रुपए है तथा प्रदत्त पूंजी 230.50 करोड़ रुपए है।

9.10 पात्रता मानदण्ड : एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं :-

(क) व्यक्ति/स्व सहायता समूह/सहभागिता/एसोसिएशन के अन्य रूप

(i) सभी आवेदक/सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हों।

(ii) लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की आय सीमा के दोगुना (डीपीएल) से अधिक न हो, (वर्तमान सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 39,500 रुपए प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों के लिए 54,000 रुपए प्रति वर्ष है)। (योजना आयोग द्वारा संशोधित मानदण्डों के अनुसार इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है)।

(iii) **सहकारी समितियाँ :** कम से कम 80 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने चाहिए तथा आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की सीमा के दोगुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सदस्यता के बदलाव के मामले में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिचित करेगी कि ऋण की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति सदस्यों का प्रतिशत 80 से कम न हो।

टिप्पणी : सूक्ष्म ऋण योजना के तहत वर्तमान में लाभ प्राप्त करने वाले एसएचजी केवल एससीए के माध्यम से एनएसटीएफडीसी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

9.11 योजनाएं : निगम आय सृजन कार्यकलापों तथा विपणन सहायता के तहत केवल मियादी ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी के फ्लैगशिप कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-

(क) **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** एनएसटीएफडीसी ने रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अनुसूचित जनजाति महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए "आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना" के नाम से एक विशेष योजना लागू की है। इस योजना के तहत लाभप्राप्तकर्ताओं को 4 प्रतिशत की अत्यंत रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) **लघु ऋण योजना :** पात्र अनुसूचित जनजातियों को स्वयं रोजगार उद्यमों /कार्यकलापों के लिए लघु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से निगम ने स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म ऋण योजना के नाम से एक नई योजना लागू की है। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि इसे एससीए तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से लागू किया गया है। निगम ने अभी तक पांच अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से करार किया है तथा और अधिक बैंकों से करार करने के प्रयास जारी हैं।

9.12 एनएसटीएफडीसी के वित्तीय कार्यक्रम के तहत ऋण प्रदान करने के संक्षिप्त मानक :

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	प्रति इकाई लागत	एनएसटीएफडीसी का अंश	प्रतिवर्ष प्रभार्य ब्याज	
				एससीए से	लाभार्थी से
1.	आय सृजनात्मक गतिविधियां -सावधिक ऋण एवं ब्रिज लान- (आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना को छोड़कर)	10.00 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3% (एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई/लाभ केन्द्र 5.00 लाख रुपए तक)	6%
				5% (एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई/लाभ केन्द्र 5.00 लाख रुपए से अधिक)	8%
2.	एएमएसवाई सावधि ऋण	50,000 रुपए	इकाई लागत का 90%	2%	4%
3.	स्व-सहायता समूह (एसएचजीएस)- सावधिक ऋण	प्रत्येक स्व-सहायता समूह 25 लाख रु.	इकाई लागत का 90% प्रति सदस्य 50.000 हजार रु. की सीमा तक	5%	8%
4.	लघु ऋण योजना		*प्रति सदस्य 15,000 रुपए और प्रति स्व सहायता समूह 3 लाख रु.	3%	6% (स्व सहायता समूह से प्रभार योग्य)
5.	विपणन समर्थन सहायता -सावधिक ऋण	लाभार्थियों द्वारा निधियों के उपयोग हेतु, आय सृजनात्मक गतिविधियों हेतु सावधिक ऋण के लिए लागू दर पर ब्याज प्रभार्य, जैसा कि क्रम संख्या 1 में ऊपर दिखाया गया है ।			
		एससीए अन्य एजेंसियों द्वारा उनकी प्रचालन आवश्यकता हेतु उपयोग की गई निधि पर 7% ब्याज दर प्रभार्य ।			

टिप्पणी : लघु ऋण वित्त के मामले में स्व सहायता समूह के सदस्य अपने सदस्यों से स्व सहायता समूह द्वारा प्रभारित किए जाने वाले ब्याज की दर तय करें, किन्तु यह 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9.13 कार्य निष्पादन :

(क) **संस्वीकृतियाँ :** एनएसटीएफडीसी ने योजनाओं/परियोजनाओं की संस्वीकृति हेतु (वर्ष 2008-09 के लिए लक्ष्य) सांकेतिक रूप से 150.00 करोड़ रुपए आबंटित किए। वर्ष के दौरान निगम ने आय सृजन क्रियाकलापों के तहत विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के लिए 146.35 करोड़ रुपए के अपने भाग को स्कीम के क्रियान्वयन पर 42216 लाभ प्राप्त करने वालों के आर्थिक विकास के लिए जारी किया। उपरोक्त में, महिला लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए विशिष्ट योजना एएमएसवाई के तहत 11758 महिला लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 17.63 करोड़ रुपए की संस्वीकृति भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 238000 अनुसूचित जनजाति लाभप्राप्तकर्ताओं हेतु मार्केटिंग सहायता गतिविधियों के लिए 16.00 करोड़ रुपए भी प्रदान किए गए। इस प्रकार, वर्ष 2008-09 के दौरान कुल संस्वीकृति 162.35 करोड़ रुपए है।

(ख) **संवितरण :** वर्ष के दौरान, एनएसटीएफडीसी के एससीए में संस्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आय सृजन क्रियाकलापों के तहत 84.74 करोड़ रुपए आहरित किए। इसमें आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के लिए वितरण 10.62 करोड़ रुपए है। एनएसटीएफडीसी ने अपनी मार्केटिंग सहायता योजना के तहत 8.00 करोड़ रुपए भी जारी किए। वर्ष के दौरान कुल संवितरण 92.74 करोड़ रुपए है।

(ग) **प्रशिक्षण के लिए अनुदान :** वर्ष के दौरान, एनएसटीएफडीसी ने दक्षता एवं इंटरप्रेनेशिप विकास कार्यक्रमों के अनुदान के रूप में 15.45 लाख रुपए संस्वीकृत किए तथा निगम ने भी संस्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए 9.11 लाख रुपए जारी किए। इन प्रचालनों के स्तर को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु प्रासंगिक क्षेत्रों की पहचान करने के प्रयास किए गए हैं।

(घ) **अतिदेय :** एससीए द्वारा अतिदेय का निपटारा करना एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिसकी वजह से एनएसटीएफडीसी की निधियों के समुचित लेन-देन में बाधा आती है। 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न चैनेलाइजिंग एजेंसियों से रिकवरी करने योग्य राशि 91.03 करोड़ रुपए है तथा इसमें से, निगमीकरण से पहले के अग्रिम ऋण के तौर पर 49.60 करोड़ रुपए है जो एनएसटीएफडीसी के अतिदेयों के 54 प्रतिशत से भी अधिक है। अतिदेयों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए, एनएसटीएफडीसी ने एससीए को ब्याज में छूट देकर एक प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। इसी तरह, निधियां जारी करने के लिए पर्याप्त राज्य सरकार गारंटी एक शर्त होने के कारण भी निगम के अभियानों में तेजी लाने में बाधा आ रही है। तथापि, इन मुद्दों को समय-समय पर एनएसटीएफडीसी तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संबंधित संगठनों/राज्य सरकारों के समक्ष उठाया गया है।

9.14 निगरानी : एनएसटीएफडीसी योजनाओं/परियोजनाओं का कार्यान्वियन समय-समय पर निगरानी करता है। इस निगरानी का प्रमुख उद्देश्य चालू योजनाओं की स्थिति लाभार्थियों पर इसके सामाजिक व आर्थिक प्रभाव का आंकलन करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं के कार्यक्रम स्वीकृत किए जाते समय की गई अभिकल्पनाओं के अनुरूप हो रहे हैं। निगरानी कार्य हेतु निम्नांकित कदम उठाए गए हैं :-

(क) प्रगति रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, एससीए को जारी की गई निधियों का प्रत्येक योजना में उचित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक योजना की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। इन रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ सहायता प्राप्त लाभार्थियों, ग्रामीण/शहरी/महिला-पुरुष आधार तथा निधियों की उपयोगिता इत्यादि को शामिल किया जाता है।

(ख) सहायता प्राप्त इकाइयों का निरीक्षण : एनएसटीएफडीसी के अधिकारी निधियों के उपयोग के मूल्यांकन हेतु तथा इन संपत्तियों के निरीक्षण इत्यादि हेतु क्षेत्रीय दौरा करते हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित

1500 इकाइयों के लक्ष्य की तुलना में 31.03.2009 तक 1519 इकाइयों का निरीक्षण किया जा चुका है।

(ग) कार्य-निष्पादन आंकड़ों को तैयार किया जाता है तथा ये सार्वजनिक सूचना के लिए उपलब्ध हैं।

9.15 प्रचार/जागरूकता : आम जनता को एनएसटीएफडीसी की गतिविधियों की सूचना प्रदान करने के लिए, निगम समय-समय पर जागरूकता कैंप आयोजित करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से अपने कार्यक्रमों का पर्याप्त प्रचार करता है। लाभार्थियों की सुविधा हेतु, एनएसटीएफडीसी के प्रिटिंड दिशानिर्देशों को दस क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाया गया है तथा ऐसे दिशानिर्देश एनएसटीएफडीसी के जोनल कार्यालयों/सभी संबंधित एससीए में उपलब्ध हैं। वर्ष के दौरान, निगम ने एनएसटीएफडीसी के बारे में सूचनाओं के प्रचार हेतु 18 जागरूकता कैंपों का आयोजन किया। एनएसटीएफडीसी की अग्रणी नीतियाँ इसकी वेबसाइट (**www.nstfdc.nic.in**) पर भी उपलब्ध हैं।

9.16.1 **मूल्यांकन :** वर्ष के दौरान, निगम ने कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) के माध्यम से "राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एसटीएफडीसी) की कार्यप्रणाली" के मूल्यांकन का अध्ययन आयोजित किया। अध्ययन में निष्कर्ष निकला कि एसटीएफडीसी ने सांस्थानिक वित्तीय सीमाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा इस प्रकार से गरीब जनजाति के व्यक्तियों विशेषकर गरीब महिलाओं को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा गया है तथा उन्हें ऋण की सुलभता तथा गरीबी से लड़ने के लिए समर्थ बनाया गया है।

9.16.2 अध्ययन से यह भी पता चला है कि लाभार्थियों के सामाजिक-आर्थिक जीवन पर राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्कीमों का काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा उनमें से कईयों ने अपने जीवन स्तर में भी सुधार किया है। गरीब जनजातीय व्यक्तियों के आर्थिक-सामाजिक जीवन में कुछ विशिष्ट सुधारों को भी नोट किया गया तथा एनआईआरडी में ऐसे निगमों के लिए इक्विटी सहायता की वर्तमान योजना का समर्थन किया गया है, क्योंकि ऐसे निगमों के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता 'इक्विटी प्लस' उद्देश्य को पूरा करती है, जनजातियों को अन्य बातों के साथ-साथ ऋणों को जारी करने तथा पुन: भुगतान से ही लाभ प्राप्त नहीं हुआ परंतु निवेश के रूप में भी लाभ हुआ जो न केवल आर्थिक परंतु सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों को भी पूरा करता है।

9.16.3 **'इक्विटी प्लस'** अवधारणा परम्परागत निधियन एवं ऋण दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न परिप्रेक्ष्य में है। इसमें लाभार्थी को वित्तीय सहायता को एक सहयोगी के जीवन में ***निवेश*** के तौर पर देखा जाता है। एक उदीयमान इक्विटी प्लस अवधारणा को लाभार्थियों की प्रतिक्रिया के आलोक में देखा जाता है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि जबकि एनएसटीएफडीसी राज्य वित्त निगमों को निधियन सहायता जारी रखे हुए है, इसे अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए तथा जिस निगम के साथ यह कार्यरत है उसमें व्यावसायिकता को बढ़ाने के लिए अपनी सहायता को व्यापक करना चाहिए।

9.16.4 इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान निगम ने मध्य प्रदेश परामर्श संगठन लि0 (एमपीसीओएन) के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य में परियोजना प्रोफाइल की तैयारी तथा व्यापक संभावनाओं पर एक अध्ययन करवाया।

9.17 वर्ष 2008-09 के लिए समझौता ज्ञापन : निगम ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा विभिन्न क्रियाकलापों के लिए लक्ष्य/पैरामीटरों का निर्धारण किया गया। इससे निगम के कार्य-निष्पादन में सुधार होने की संभावना है तथा इससे लक्षित अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों/पैरामीटरों की क्रियान्वयन प्रगति की समीक्षा हेतु मंत्रालय ने भी एनएसटीएफडीसी के साथ तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित कीं।

9.18 अनुसूचित जनजाति लाभार्थी–सफलता की दो कहानियां

9.18.1 श्री सुरेश कुमार नेतम, व्यास कोंगेरा जिला कंकेर, छत्तीसगढ़ की लेखनसामग्री की अपनी छोटी–सी दुकान से बहुत कम आय होती थी। वे अपने उस कारोबार को फोटोकॉपी की मशीन और कंप्यूटर रखकर बढ़ाना चाहते थे, जिसकी उन्हें जानकारी थी। वह वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते थे और उन्होंने सरकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड में विज्ञापन के माध्यम से एनएसटीएफडीसी योजना के बारे में पढ़ा। अगस्त, 2007 के दौरान उन्हें एनएसटीएफडीसी द्वारा 1.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति की गई। यह एकक उसी दुकान में स्थापित किया गया है।

अपनी कड़ी मेहनत के कारण थोड़े समय के अंदर ही उन्होंने डीटीपी के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली और समय–अनुसूची का पालन किया। इस समय, वे सभी प्रचालनात्मक खर्चों को पूरा करने के बाद 5,000/–रु. प्रतिमाह कमाते हैं। वह वापसी अदायगी करने में नियमित हैं और एनएसटीएफडीसी का लाभार्थी होने के रूप में जाने जाते हैं जिस पर उन्हें गर्व है।

9.18.2 श्रीमती इरोसिदा वर्जरी, माकेंग शिलांग, मेघालय अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः कृषि पर निर्भर थीं। वह उपलब्ध संसाधनों से अपनी अतिरिक्त आय प्राप्त करने के अवसर की तलाश में थीं। उन्होंने सूअर–पालन कारोबार का विकल्प चुना, चूंकि इसमें न्यूनतम मेहनत है और आय अधिकतम है। उन्होंने एनएसटीएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत ऋण के लिए 'मेघालय को–ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लि.' को अनुरोध किया। उन्हें सूअर–पालन एकक की स्थापना करने हेतु 88,000/– रु. का ऋण स्वीकृत किया गया। उन्होंने इस एकक का बहुत अच्छे तरीके से प्रबंधन किया और बेहतर जीवन जीने के लिए अतिरिक्त आय का अर्जन भी शुरू किया।

अनुबंध: 9-क

'लघु वन उत्पादों के प्रचालनों के लिए एसटीडीसीसी को सहायता-अनुदान' योजना के तहत राज्यों को वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2006-07	2007-08	2008-09
1	आंध्र प्रदेश	141.00	190.00	250.00
2	असम	38.61	–	46.00
3	छत्तीसगढ़	168.00	251.00	249.00
4	गुजरात	150.00	130.00	130.00
5	हिमाचल प्रदेश	48.00	–	33.00
6	कर्नाटक	48.00	–	–
7	केरल	50.00	14.00	–
8	मध्य प्रदेश	302.00	463.00	372.00
9	महाराष्ट्र	215.00	325.00	270.00
10	उड़ीसा	240.00	308.00	100.00
11	राजस्थान	79.00	–	–
12	त्रिपुरा	152.68	–	150.00
13	पश्चिम बंगाल	150.00	167.00	–
	कुल	**1791.29**	**1848.00**	**1600.00**

अध्याय 10

स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

जनजातीय विकास में स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

10.1 यह स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास का काम केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता। स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों का आधार स्थानीय होता है और उनमें सेवा की भावना होती है, इसलिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। यह सुनिश्चित करने में वे सरकारी प्रयासों के पूरक होते हैं कि उन प्रयासों के लाभ अत्यधिक लोगों तक पहुंचे। कुछ मामलों में स्वैच्छिक संगठन सरकारी योजनाओं को सरकार की अपेक्षा ज्यादा कुशलता से क्रियान्वित करने और निरंतरता बनाए रखने की बेहतर हालत में हैं। इसका श्रेय मुख्य रूप से स्वैच्छिक संगठनों की कर्मठता और समर्पित मानव संसाधनों को जाता है।

10.2 गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका पहली पंचवर्षीय योजना के आरंभ से ही पहचानी जाने लगी है। बहुत से स्वैच्छिक संगठनों ने जनजातियों के उत्थान में सराहनीय कार्य किया है और अब भी उनके प्रयास जारी हैं। कुछ अरसे से वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय के पास पहुंचने वाले गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार के भागीदार के रूप में केवल खरे और प्रतिबद्ध संगठनों को ही विकासात्मक क्रियाकलाप चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

10.3 योजनाओं के पारदर्शी तथा राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों की अधिक सहभागिता के साथ कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 में गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों की प्राप्ति, पहचान, संवीक्षा एवं स्वीकृति के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया विकसित की है और वर्ष 2008-09 के दौरान प्रासंगिक योजनाओं में संशोधन करके प्रणाली को पुनः सुदृढ़ बनाया है। इस प्रक्रिया के अनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा राज्य के प्रधान सचिव/सचिव जनजातीय/सामाजिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न अन्य विभागों के अधिकारियों और गैर-सरकारी सदस्यों को मिलाकर "स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन के लिए राज्य समिति" का गठन किया गया है। यह बहु-आयामी राज्य स्तरीय समिति गैर-सरकारी के नए प्रस्तावों और चालू प्रस्तावों की जांच करती है और प्राथमिकता के आधार पर सेवा वंचित जनजातीय क्षेत्रों में केवल सर्वाधिक प्रभावी परियोजनाओं की सिफारिश करती है।

राज्य स्तरीय समितियों का गठन एवं उनकी भूमिका

(क) प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रधान सचिव/सचिव, राज्य जनजातीय कल्याण विभाग (राज्य सामाजिक कल्याण विभाग जैसा भी मामला हो) की अध्यक्षता में बहुविषयक राज्य समिति का गठन करना होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(i) सचिव, राज्य ग्रामीण विकास विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

(ii) सचिव, राज्य कृषि विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

(iii) सचिव, राज्य स्वास्थ्य विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ/राज्य में कार्यरत ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठन;

(v) आयुक्त/निदेशक, जनजातीय कल्याण विभाग: सदस्य सचिव या निदेशक, जनजातीय अनुसंधान संस्थान।

(ख) राज्य समिति की बैठकों का आयोजन मुख्यत: अप्रैल माह से पहले प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार या अधिकतम दो बार किया जाना चाहिए।

(ग) राज्य समितियां निरीक्षण रिपोर्टों अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए दिशानिर्देश/प्रक्रियाओं के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों की जांच करने के लिए जिम्मेदार होगी।

(घ) प्रस्तावों की जांच करते समय, राज्य समितियां निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखेंगी :

(i) सिफारिश की गई परियोजना सही ढंग से संचालित की जा रही है तथा सेवा वंचित क्षेत्रों में गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान कर रही है;

(ii) सहायक आंकड़ों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद चल रही परियोजनाओं को जारी रखने का औचित्य दिया गया हो;

(iii) परियोजना जारी रहने या निधियों की आवश्यकता के लिए संभावित अवधि;

(iv) आमतौर पर सामान्य जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा अधिक साक्षरता स्तर वाले जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक परियोजनाओं की सिफारिश नहीं की जाती है। इसी प्रकार, अच्छे अस्पताल वाले क्षेत्रों में 10 या इससे अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों की सिफारिश नहीं की जाती है;

(v) सेवा वंचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है;

(vi) लड़कियों के लिए आवासीय स्कूलों में महिला सेवा स्टाफ, वार्डन एवं पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान होना चाहिए;

(vii) जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, मानीटरिंग इत्यादि के लिए पंचायती राज संस्थाओं से संबंध स्थापित किया जाना चाहिए;

(viii) प्रत्येक वर्ष, बजटीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, उन परियोजनाओं को हटाने के प्रयास किए जाते हैं जिनका संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है; तथा चल रही ऐसी परियोजनाएं जो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं तथा अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी परियोजनाओं का संचालन कर सकती हैं, उन्हें भी बंद करने के प्रयास किए जाते हैं;

(ix) ऐसी नई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो पहले से चल रही हैं तथा सेवा वंचित क्षेत्रों में गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने का रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी हैं;

(x) नई परियोजनाओं के लिए, परियोजनाओं को शुरू करते समय उनके प्रभाव का निष्पक्षता से मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम बैंचमार्क डाटा उपलब्ध होने चाहिए या उन्हें एकत्रित किया जाना चाहिए।

(ङ) राज्य समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यकता अनुसार निरीक्षण दौरा करके इसके निष्पादन को ध्यान में रखते हुए परियोजना की निधियन आवश्यकताओं के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेंगी।

10.4 स्थापित स्वैच्छिक अभिकरण : मंत्रालय द्वारा लगातार यह प्रयास किया गया था कि वह अखिल भारतीय स्वरूप के स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों का पता लगाए जो अपनी नि:स्वार्थ सेवा और अनोखी उपलब्धियों के लिए जाने जाते हों। उन्हें औरों के मुकाबले, नए प्रस्तावों को मंजूर करने के संबंध में तथा वार्षिक अनुदान समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निर्मुक्त करने से संबंधित सेवा शर्तों में ढील देने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दिशा में मंत्रालय ने कुछ ऐसे संगठनों का पता लगाया है और उन्हें "स्थापित स्वैच्छिक अभिकरणों (ईवीए)" की श्रेणी में रखा है। मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संगठन के रूप में घोषित संगठनों के नाम नीचे दिए गए हैं :-

1. रामकृष्ण मिशन और इसके सम्बद्ध संगठन।

2. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम तथा इससे सम्बद्ध संगठन।

3. भारत सेवाश्रम संघ तथा इससे सम्बद्ध संगठन।

4. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा इससे सम्बद्ध संगठन।

5. सेवा भारती और इसके सम्बद्ध संगठन।

6. विद्या भारती तथा उनके सम्बद्ध संगठन।

7. स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन, कर्नाटक।

8. दीन दयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली।

9. सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसायटी, पुणे, महाराष्ट्र।

10. राष्ट्रीय सेवा समिति, आन्ध्र प्रदेश।

11. विवेकानंद गिरिजन कल्याण केन्द्र, कर्नाटक।

12. अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, नई दिल्ली।

13. डी.ए.वी. मैनेजिंग कमेटी, नई दिल्ली।

14. विनोबा निकेतन, केरल।

स्वैच्छिक क्षेत्र की योजनाएं

10.5 मंत्रालय के पास इस समय चार सतत स्वरूप की योजनाएं हैं जो स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए खुली हैं। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं :-

1. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग भी शामिल है, के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के सहायता अनुदान और अवसंरचना के सुधार के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना।

2. जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक सुदृढ़ीकरण (जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसरों की पूर्ववर्ती स्कीम)।

3. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।

4. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास।

अनुसूचित जनजातियों हेतु कोचिंग तथा अवसंरचना में सुधार हेतु विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान की योजना

10.6 यह योजना 1953-54 में शुरू की गई थी और अभी भी लागू है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना को स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने की एक सीमित योजना के अंतर्गत अवसंरचना में सुधार करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को कोचिंग तथा विशेष प्रोत्साहन की योजना के साथ मिला दिया गया था। यह योजना विशिष्ट रूप से महिला अथवा पुरुष के लिए नहीं है। यह अनुसूचित जनजाति पुरुषों तथा महिलाओं पर समान रूप से लागू होती है। वर्ष 2008-09 में वित्तीय मानदण्डों सहित इस स्कीम की समीक्षा की गई है। संशोधित स्कीम 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। संशोधित आवेदन-पत्र इत्यादि सहित संशोधित स्कीम के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट **www.tribal.nic.in** पर उपलब्ध हैं।

10.7 उद्देश्य : इस योजना का प्रमुख उद्देश्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, बागवानी, उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा तंत्र आदि जैसे क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से सेवावंचित जनजातीय क्षेत्रों में अंतराल को भरना और सरकार की कल्याण-योजनाओं की पहुंच को बढ़ाना तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजार्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करना है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान अथवा आजीविका सृजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली किसी अन्य नई गतिविधि पर स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से विचार किया जा सकता है।

10.8 प्रक्रिया एवं वित्त पोषण : यह योजना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित राज्य समिति की बहु विषयक राज्य स्तरीय समिति द्वारा यथाविधि संतुष्ट आवेदन (संशोधीत निर्धारित प्रपत्र में) पर संशोधित योजना में निर्धारित विभिन्न श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए पात्र गैर सरकारी संगठनों/स्वायत्तशासी समितियों को अनुदान दिया जाता है। सरकार द्वारा आमतौर पर 90% तक निधियां दी जाती हैं। शेष 10% को स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपने संसाधनों से पूरा करने की उम्मीद की जाती है। हांलाकि उन परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है जिनका क्रियान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में किया जा रहा है। किसी विशिष्ट वर्ग की परियोजना हेतु स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन को सहायता सरकार द्वारा उस विशिष्ट वर्ग के लिए निर्धारित वित्तीय मानदण्डों तथा समय-समय पर संशोधित मानदण्डों के अनुसार दी जाती है। अनुदानों की संस्वीकृति समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियम, 2005, के नियम 209 के तहत की जाती है। अनुदान संशोधित योजना के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जारी किए जाते हैं।

10.9 गैर सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदानों के संबंध में अलग लेखा रखने की जरूरत होती है और ये लेखे सरकार के सभी समुचित अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले होते हैं। गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के लेखे की वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा भी चार्टर्ड एकाउंटेंट से करानी होती है और 'सा.वि.नि. 19(क)' के तहत निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ लेखा-परीक्षा विवरण की प्रतियों का पूरा सेट मंत्रालय को प्रस्तुत करना होता है।

10.10 अनुदान प्रतिवर्ष सामान्यतया दो किस्तों में निर्मुक्त किया जाता है, बशर्ते कि गैर सरकारी संगठनों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक पाया जाए, जिसका आकलन जिला कलेक्टर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण की रिपोर्ट एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक तौर पर जमा की जानी चाहिए तथा दिनांक सहित इसे जिला कलेक्टर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

10.11 गैर सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों को मंत्रालय या राज्य सरकार के अधिकारियों या मंत्रालय द्वारा नामित किसी एजेंसी द्वारा निरीक्षण करने के अलावा वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार मानीटर किया जाता है।

10.12 योजना का कार्य-निष्पादन : इस योजना के लिए 11वीं योजना में 300.00 करोड़ रुपए का अस्थायी आबंटन किया गया है। मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान (31.03.2009 तक) इस योजना के तहत वार्षिक आबंटन तथा खर्च पिछले दो वर्षों में आबंटन एवं खर्च के साथ तालिका 10.1 में दिया गया है :

तालिका 10.1:	**वर्ष 2008-09 तथा पिछले दो वर्षों के दौरान निधियों का आबंटन तथा निर्मुक्ति**		
			(करोड़ रुपए में)
वर्ष	**बजट आबंटन***		**व्यय**
	बजट अनुमान	**संशोधित अनुमान**	
2006-07	26.00	30.00**	31.60
2007-08	37.00	37.00**	36.80
2008-09 (31.3.2009 तक)	40.00	43.50**	43.11

* इस राशि में अवसंरचना में सुधार और अनुसूचित जनजातियों को कोचिंग के लिए विशेष प्रोत्साहन हेतु गैर सरकारी संगठनों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान शामिल है।

** पूर्वोत्तर के पूल की निधियां शामिल हैं।

10.13 संशोधित योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जिन पर अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है। इनमें से निम्नलिखित परियोजनाएँ सर्वाधिक लोकप्रिय हैं :

1. आवासीय विद्यालय
2. गैर-आवासीय विद्यालय
3. छात्रावास

4. सचल औषधालय

5. दस बिस्तरों वाला अस्पताल

6. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

लोकप्रिय परियोजनाएं

आवासीय विद्यालय

10.14 आवासीय विद्यालय परियोजना की एक लोकप्रिय श्रेणी है, जिसका उद्देश्य उन गरीब जनजातीय बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है, जो अपने पड़ोस में स्कूल न होने की वजह से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वे अपने गांवों से बाहर शिक्षा पाने और रहने की लागत वहन नहीं कर पाते हैं। स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा आवासीय स्कूल ऐसी जगहों, गांवों या कस्बों में स्थापित किए जाते हैं जो राज्य और जिले के अन्य भागों से अच्छी तरह जुड़े नहीं होते हैं। आवासीय स्कूलों में छात्रों को रहने और खाने की मुफ्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्दी की लागत, पुस्तकें, लेखन सामग्री और अन्य प्रासंगिक प्रभार भी योजना से पूरे किए जाते हैं। अध्यापकों तथा अन्य स्टाफ के सदस्यों जैसे वार्डन, एकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक स्टाफ को मानदेय का भुगतान भी सहायता अनुदान में से किया जाता है। आवासीय स्कूल परियोजना को कार्यान्वित करने वाले संगठन, परियोजना को खुद की बिल्डिंग में या किराए पर लेकर चला सकते हैं जिसमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा टायलेट/बाथरूम सुविधाएं हों। रखरखाव प्रभार अथवा भवन के किराए का भुगतान अनुदान सहायता से किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों की एक बड़ी संख्या इन परियोजनाओं से लाभान्वित हो रही है।

10.15 2008-09 के दौरान 19 राज्यों में 87 आवासीय विद्यालय चलाए गए हैं जिनसे 12407 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है तथा इन्हें निधियां प्रदान की गई हैं।

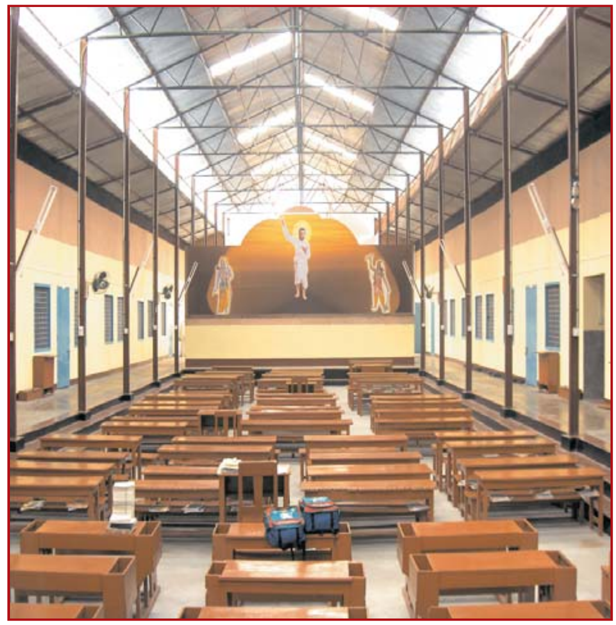

नरोत्तम नगर, देवमाली, तिरप, अरुणाचल प्रदेश में आर.के. मिशन द्वारा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों हेतु संचालित आवासीय स्कूल (प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए कक्षा तथा छात्रावास का दृश्य)

गैर-आवासीय विद्यालय

10.16 यह भी अत्यधिक लोकप्रिय और सफल परियोजनाओं में से एक है। विद्यालय में छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा और मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। वर्दी, पुस्तकें, स्टेशनरी, चिकित्सीय सहायता और अन्य आकस्मिक खर्चों को भी योजना से पूरा किया जाता है। अध्यापक और अन्य कर्मचारियों जैसे अकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक कर्मचारियों को भी सहायता अनुदान से मानदेय दिया जाता है। गैर-आवासीय विद्यालय परियोजनाओं का संचालन करने वाले संगठन

इनका संचालन अपने स्वयं के भवनों या किराए के भवनों में भी कर सकते हैं जिनमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा टायलेट सुविधाएं हों। इन परियोजनाओं से अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां दोनों लाभान्वित हो रहे हैं।

10.17 वर्ष 2008–09 के दौरान 10 राज्यों में संचालित 81 गैर–आवासीय विद्यालयों को निधियां प्रदान की गईं जिनसे 10838 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

छात्रावास

10.18 इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे जनजातीय छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करना है जिन्होंने अपनी प्राइमरी या मिडिल शिक्षा अपने गांव के पास के स्कूलों से पूरी की हो लेकिन वे शहरों में रहन–सहन की उच्च लागत की वजह से बाहर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और उनके अपने गांवों के नजदीक महाविद्यालय की सुविधाएं नहीं हैं। ये छात्रावास उन शहरों और नगरों में चलाए जाते हैं, जहां शिक्षा की अच्छी सुविधाएं होती हैं।

मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त दीफूपर, जिला–दीमापुर, नागालैंड में एक जनजातीय छात्रावास (नागालैंड बाल गृह)

नरोत्तम नगर, देवमाली, तिरप, अरुणाचल प्रदेश में आर.के. मिशन द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए संचालित आवासीय विद्यालय में खेल-कूद एवं शारीरिक क्रियाकलाप

10.19 वर्ष 2008-09 के दौरान 21 राज्यों में 53 छात्रावास चलाने के लिए निधियाँ प्रदान की गईं जिनसे 4900 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

सचल औषधालय

10.20 सचल औषधालयों/क्लीनिकों के जरिए अलग-थलग गांवों/बस्तियों में रहने वाले जनजातीय लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाले संगठन को सहायता प्रदान की जाती है। वैन, जीप, दवाइयों और उपस्करों की खरीद की लागत को वहन करने के साथ-साथ डॉक्टरों एवं

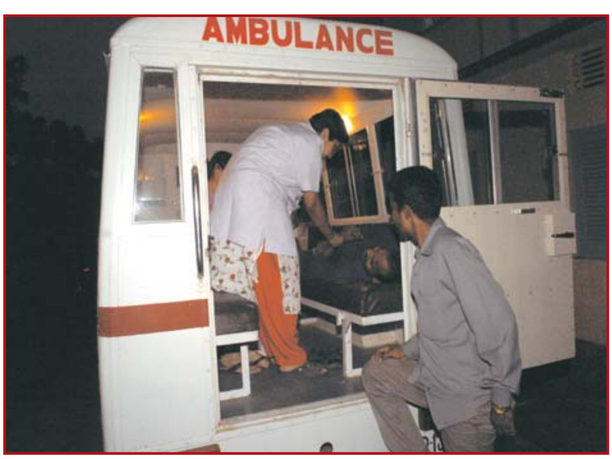

नरोत्तम नगर, देवमाली, तिरप, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आर.के. मिशन द्वारा संचालित सचल औषधालय

अन्य कर्मचारियों तथा दवाइयों के आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए वार्षिक सहायता अनुदान मंजूर किया जाता है।

10.21 वर्ष 2008-09 के दौरान 14 राज्यों मे 57 सचल औषधालय चलाने के लिए निधियां प्रदान की गईं जिनसे 3.66 लाख अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को फायदा पहुंचा।

दस अथवा उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल

10.22 इस परियोजना को चलाने के पीछे विशिष्ट उद्देश्य स्वैच्छिक एजेंसियों को जनजातीय क्षेत्रों में, जहां सरकार ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकी है, दस अथवा उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल चलाने के लिए सहायता देना है। इन छोटे अस्पतालों में ज्यादातर बाह्य रोगियों का इलाज किया जाता है लेकिन अन्तरंग रोगियों के इलाज की सुविधाएं भी हैं। फर्नीचर, उपस्कर, अस्पताल उपकरणों, एम्बुलेंस, एक जेनरेटर सेट तथा डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को मानदेय प्रदान करने के लिए आवर्ती खर्चों तथा दवाइयों की अधिप्राप्ति, भवन किराया शुल्क इत्यादि के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

10.23 वर्ष 2008-09 के दौरान 7 राज्यों में दस बिस्तरों वाले 25 अस्पताल चलाने के लिए निधियां प्रदान की गई हैं जिनसे 1.39 लाख अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ पहुंचा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

10.24 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों में 30 छात्रों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इस परियोजना का विशिष्ट प्रयोजन कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग आदि का ज्ञान बढ़ाना और उन्हें सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों में रोजगार पाने की क्षमता प्रदान करना है। इन केन्द्रों में आयोजित पाठ्यक्रमों की मान्यता सुनिश्चित करने और इन्हें मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र/डिप्लोमा के साथ जोड़ने के लिए मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया है कि संगठन अपने कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को सूचना प्रौद्योगकी मंत्रालय के कम्प्यूटर पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रत्यायन विभाग (डीओईएसीसी) द्वारा मान्यता दिलवाएं और मंत्रालय द्वारा मान्यता के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है।

10.25 वर्ष 2008-09 के दौरान 8 राज्यों में 18 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को निधियां प्रदान की गई हैं जिससे 502 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

नरोत्तम नगर, देवमाली, तिरप, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आर.के. मिशन द्वारा संचालित कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

10.26 वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों/स्वायत्तशासी समितियों की सूची **अनुबंध: 10-क** में दी गई है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग

10.27 अनुसूचित जनजातियों की कोचिंग (पूर्ववर्ती कोचिंग और संबद्ध) योजना चौथी पंचवर्षीय योजना से प्रचालनरत है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 में संशोधित किया गया है। संशोधित आवेदन-पत्र इत्यादि सहित संशोधित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट **www.tribal.nic.in** पर उपलब्ध हैं।

10.28 उद्देश्य : वंचित परिवारों और उपेक्षित परिवेश की अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ पृष्ठभूमि से आए लोगों के साथ प्रतियोगिता करना कठिन होता है। समान अवसर प्रदान करने तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए जनजनातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता कोचिंग संस्थानों में वंचित अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को कोचिंग प्रदान करने की एक योजना को बढ़ावा दिया जाता है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकें और सिविल सर्विस तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी पा सकें।

10.29 कार्यान्वयन एजेंसियां तथा वित्त पोषण पद्धति

इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्वविद्यालय तथा ख्यातिप्राप्त निजी कोचिंग संस्थानों जो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाते हैं, के माध्यम से किया जाता है। सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं की अपेक्षा गुणवत्तायुक्त व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों की ओर ध्यान देने के प्रयास किए जा रहे हैं। निधियां प्रति यूनिट आधार पर प्रदान की जाती हैं। मंत्रालय से संघ राज्य क्षेत्रों/ विश्वविद्यालयों/निजी संस्थाओं को ठेके के आधार पर 100% की सीमा तक सहायता प्रदान की जाती है जबकि राज्यों द्वारा संचालित संस्थाओं को 80% सहायता दी जाती है।

10.30 वित्त पोषण में कोचिंग शुल्क, (संकाय के प्रभार सहित) विज्ञापन प्रभार, प्रत्याशियों को वजीफा, बाहर से आने वाले छात्रों को रहने और भोजन की सहायता भी शामिल है।

10.31 मुख्य विशेषताएं

- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा कोचिंग संस्थानों से विज्ञापन के जरिए प्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।
- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से निजी संस्थानों के संदर्भ में सफलता दर के अनुसार ट्रेक रिकॉर्ड और वास्तविकता की पुष्टि की जाती है।
- प्रस्तावों की जांच समिति द्वारा की जाती है और संस्थाओं को समिति के सामने अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।
- कोचिंग संस्थानों को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। मंत्रालय द्वारा एक बार चुने जाने पर कोचिंग संस्थाओं को परियोजना अवधि के दौरान विज्ञापन के उत्तर में तब तक पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि उन्हें दोबारा ऐसा करने के लिए न कहा जाए।
- कोचिंग संस्थाओं को निर्धारित आवेदन पत्र में निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार प्रस्ताव जमा कराने की आवश्यकता होती है।
- गैर-अनुसूचित जनजातियों के छात्रों सहित कुल छात्रों की संख्या योग्यता के आधार पर प्रवेश के अनुसार 40 छात्र प्रति कक्षा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की कुल संख्या में प्रधिमानतः 30 प्रतिशत महिला अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी और 5 प्रतिशत विकलांग अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी होने चाहिए।
- एक कोचिंग संस्थान द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध स्थानों से अधिक होने पर अर्हक परीक्षाओं में योग्यता एवं निष्पादन पर आधारित चयन प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए।
- कोचिंग कक्षा आरंभ होने के एक सप्ताह के अंदर संस्थानों को अपने प्रत्याशियों के फोटो सहित पाठ्यक्रम वार नाम और उनके अन्य विवरण तथा पूरे पते निर्धारित प्रपत्र में देने होते हैं।
- किसी एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र योग्यता वाला कोई प्रत्याशी इस मंत्रालय की वित्तीय सहायता पाने वाले कोचिंग संस्थान के लिए आवेदन कर सकता है। ये संस्थान प्रत्याशियों को स्थान भरने तक "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर प्रवेश दे सकते हैं।
- प्रत्याशी किसी एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत केवल एक बार और कुल मिलाकर अधिकतम दो कोचिंग पाठ्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। प्रत्याशियों को संस्थान को यह वचन देना होगा कि उन्होंने इससे पूर्व इस मंत्रालय से सहायता प्राप्त किसी कोचिंग संस्थान का लाभ नहीं उठाया है/उठा रहे हैं।
- प्रत्याशी की आय सीमा (अपनी स्वयं की आय और/अथवा माता-पिता की आय यदि उन पर निर्भर है) इस योजना के तहत 2.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- संशोधित योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की बड़ी संख्या को शामिल किया गया है और शुल्क संरचना को बाजार के वर्तमान रुझानों के अनुसार संशोधित किया गया है।
- कोचिंग संस्थानों को एक वित्तीय वर्ष में उनके सभी प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का विज्ञापन करने के लिए 20 हजार रु. दिए जाते हैं।
- संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को एक वित्तीय वर्ष में स्थानीय/लोक समाचार पत्र में इस योजना के विज्ञापन के लिए 25 हजार रुपए भी प्रदान किए जाते हैं।
- छात्रों को पूरी कोचिंग अवधि में प्रतिमाह 1 हजार रुपए की निश्चित राशि का वजीफा दिया जाता है।
- बाहरी छात्रों को रहने और भोजन के लिए प्रति छात्र 2 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। संबंधित कोचिंग संस्थानों को बाहरी छात्रों के लिए व्यवस्था करनी होती है और प्रमाणित करना होता है कि छात्र बाहर से आया है।
- एक विशेष पाठ्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता की सीमा समय-समय पर संशोधित और योजना के तहत निर्धारित वित्तीय मानकों तक सीमित होती है।
- राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वर्ष में कम से कम एक बार कोचिंग संस्थान चलाने की निगरानी करनी होती है और निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय में एक रिपोर्ट जमा करनी होती है।

- कोचिंग संस्थानों को प्रिंट मीडिया/होर्डिंग के माध्यम से योजना का प्रचार इस प्रकार करने की आवश्यकता होती है कि दूर दराज के अनुसूचित जनजाति के छात्र इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

- कोचिंग संस्थानों को परिणाम घोषित होने तक वित्तीय वर्ष के आरंभ में तथा वित्तीय वर्ष के अंत में अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की रोल नं. के साथ प्रत्येक परीक्षा विवरण सहित पाठ्यक्रम वार सूची जमा करानी होती है।

- कोचिंग संस्थानों को निरंतर वित्तीय सहायता देना 3 वर्ष के अंत में कोचिंग संस्थान के निष्पादन की मध्यावधि समीक्षा के अधीन और इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के परिणामों के आकलन पर आधारित होता है।

- कोचिंग संस्थानों को निधियन जारी रखना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग संस्थानों द्वारा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की सफलता और उनके निष्पादन पर पूरी तरह आश्रित होता है।

- कोचिंग संस्थानों को निरंतर सहायता देने के लिए प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कम से कम 10 प्रतिशत सफलता दर पाने की आवश्यकता होती है।

10.32 आबंटन : वर्ष 2008-09 के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग हेतु आबंटन 3.20 करोड़ रुपए था। इनमें से 2.81 करोड़ रुपए वर्ष 2007-08 में 5 राज्यों में चयनित 10 व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों को जारी किए गए जिससे 806 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा तथा दो राज्य सरकारों (मध्य प्रदेश एवं गुजरात) को भी अपनी संस्थाओं के लिए केन्द्रीय हिस्से के रूप में निधियां प्रदान की गईं। वर्ष 2008-09 में चयनित नई व्यावसायिक कोचिंग संस्थाओं को निधियां चुनाव आचार संहिता के कारण जारी नहीं की जा सकीं।

10.33 वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और व्यावसायिक कोचिंग संस्थाओं की सूची **अनुबंध: 10-ख** में दी गई है।

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना (जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकास हेतु कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर की पूर्ववर्ती योजना) :

10.34 कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति लड़कियों हेतु महिला-पुरुष आधारित विशिष्ट योजना की शुरूआत 1993-94 में की गई थी। इस योजना में वर्ष 2008-09 में संशोधन किया गया, जो 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। संशोधित आवेदन-पत्र सहित संशोधित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट **www.tribal.nic.in** पर उपलब्ध हैं।

10.35 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य अभिज्ञात जिलों या ब्लॉकों में जनजातीय लड़कियों का 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करके, विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या पीटीजी क्षेत्रों में, तथा शिक्षा के लिए अच्छा माहौल बनाकर प्रारंभिक स्तर पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों में कमी करके सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को पूरा करना है। सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रभावी भाग लेने हेतु समर्थ बनाने के लिए जनजातीय लड़कियों की साक्षरता दर में सुधार करना अति आवश्यक है।

10.36 कवरेज :

(क) योजना का क्रियान्वयन, जैसा कि संशोधित योजना में बताया गया है, देश के उन 54 विशिष्ट जिलों में किया जा रहा है जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत या इससे थोड़ी कम-ज्यादा है।

(ख) उपरोक्त 54 विशिष्ट जिलों के अतिरिक्त भी अन्य किसी जिले में ऐसे जनजातीय ब्लॉक को योजना में शामिल किया गया है, जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत या इससे थोड़ी कम-ज्यादा है।

(ग) इसके अतिरिक्त, इस योजना में ऐसे ब्लॉक स्तर से नीचे के क्षेत्रों (ग्राम पंचायतों) को भी शामिल किया जाता है जहां अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) निवास करते हैं।

(घ) उपरोक्त सभी क्षेत्रों में से **नक्सल प्रभावित क्षेत्रों** को प्राथमिकता दी जाती है।

10.37 क्रियान्वयन एजेंसी

(क) इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों और स्वायत्तशासी समिति/राज्य सरकार के संस्थानों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित बहु-विषयक **"स्वैच्छिक प्रयासों को सहायता हेतु राज्य समिति"** इस योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं की छानबीन तथा पहचान करने के लिए जिम्मेवार है।

10.38 प्रक्रिया एवं निधियन पैटर्न :

(क) यह जेंडर विशिष्ट केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना है तथा इसके लिए मंत्रालय 100 प्रतिशत निधियां प्रदान करता है। निधियां संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की बहुविषयक राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश पर निर्धारित आवेदन-पत्र में आवेदन करने वाले (निर्धारित संशोधित प्रपत्र में) पात्र गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती है। संशोधित योजना में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आवेदन-पत्र तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान की सीमा का निर्धारण संशोधित योजना के तहत निर्धारित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। अनुदानों की संस्वीकृति समय-समय पर संशोधित, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005, के नियम 209 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। अनुदानों की निर्मुक्ति संशोधित योजना के साथ संलग्न नियम एवं शर्तों के अनुसार की जाती है।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को जारी किये गये अनुदानों के संबंध में अलग से खाता (अकाउंट) खोलने की आवश्यकता होती है, जो सरकार के सभी उचित अधिकारियों एवं एजेंसियों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहता है। गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष में एक बार अपने सहायता अनुदान खातों को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षित करवाना होता है तथा जीएफआर 19(क) के तहत निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ लेखा परीक्षित विवरण की प्रतियों का एक पूरा सैट प्रस्तुत करना होता है।

(ग) अनुदान आमतौर पर प्रत्येक वर्ष दो किस्तों में जारी किए जाते हैं, परंतु यह अधिकृत अधिकारियों या जिला कलेक्टर द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण पर आधारित गैर-सरकारी संगठन के संतुष्टिपूर्ण कार्य-निष्पादन तथा राज्य समिति की सिफारिशों के विषयाधीन होते हैं। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक तौर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा यह दिनांक सहित जिला कलेक्टर द्वारा यथा प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की मानीटरिंग मंत्रालय या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के अतिरिक्त वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

10.39 मुख्य विशेषताएं : जनजातीय लड़कियों की साक्षरता में सुधार करने के लिए एक सुनियोजित ढंग से हस्तक्षेप करने तथा सामान्य महिला साक्षरता स्तर तथा जनजातीय महिला साक्षरता स्तर एवं जनजातीय महिला तथा जनजातीय पुरुष साक्षरता स्तर में अंतर को कम करने के लिए निम्नलिखित हस्तक्षेप/कार्रवाईयां की गई हैं :

(क) जनजातीय लड़कियों द्वारा नियमित तौर पर मिडिल/माध्यमिक स्कूलों में दाखिला लेने के लिए ब्लॉक स्तर पर छात्रावास सुविधाएं तथा प्राथमिक स्कूलों में नियमित दाखिले के लिए पंचायत स्तर पर छात्रावास सुविधाएं।

(ख) केवल छात्रावास सुविधाओं, न कि स्कूल की स्थापना यदि आवश्यक हो तो चरणबद्ध ढंग से की जा सकती है, 100 प्राथमिक स्कूल की लड़कियों के लिए तथा 150 मिडिल एवं उच्च स्कूल की लड़कियों के लिए क्रमश: पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर इनकी स्थापना की जा सकती है। आवश्यक परिस्थितियों में, इनमें शामिल की जाने वाली लड़कियों की संख्या अधिक

भी हो सकती है। छात्रावास एक या अधिक स्थानों पर हो सकते हैं परंतु ये पढ़ाई किए जाने वाले नियमित स्कूलों से पहाड़ी क्षेत्रों में 0.5 कि.मी. तथा समतल भू-भाग में 2 कि.मी. से अधिक दूरी पर नहीं होने चाहिए।

(ग) अपवाद-स्वरूप मामलों में जहां सर्व शिक्षा अभियान या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत संचालित नियमित स्कूल पांच कि.मी. के दायरे में नहीं है, वहां पर छात्रावास के साथ ही स्कूली सुविधाएं प्रदान करने पर भी विचार किया जा सकता है।

(घ) जहां कहीं भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यरत हैं, वहां इस योजना के तहत 5 कि.मी. के दायरे में कोई छात्रावास नहीं खोला जाएगा।

(ङ) संशोधन पूर्व योजना के तहत पहले से ही स्थापित वे शैक्षिक परिसर, जो संशोधित योजना के बाद 54 नए चिन्हित कम साक्षरता वाले जिलों/या जनजातीय ब्लॉकों के अंतर्गत आते हैं तथा 'कवरेज' शीर्ष के तहत वर्णित मानदण्डों को पूरा करते हैं एवं जो प्राचीन जनजातीय समूह क्षेत्रों में आते हैं, उन्हें निर्बाध रूप से जारी रखा गया है।

(च) आवास सुविधा को किराए पर लिए गए परिसरों या क्रियान्वयन एजेंसी के स्वयं के भवन में जारी रखा जा सकता है। भवनों के निर्माण के लिए निधियां जारी नहीं की जातीं। स्वयं के भवनों के मामलों में, लोक निर्माण विभाग के मूल्यांकन के अनुसार सांकेतिक वार्षिक किराए के 30 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है।

(छ) कोचिंग/विशेष ट्यूशन के लिए प्राथमिक स्तर की छात्राओं के लिए 100 रुपए प्रति माह तथा मिडिल और माध्यमिक स्तर तक की छात्राओं के लिए 200 रुपए प्रति माह की दर से नकद वजीफा प्रदान किया जाता है।

(ज) दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक स्तर तक (कक्षा V तक) 100 रुपए प्रति माह की दर से तथा मिडिल एवं माध्यमिक स्तरों (कक्षा VI से XII) तक 200 रुपए प्रति माह की दर से नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

(झ) अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को कक्षा VIII, X एवं XII उत्तीर्ण कर लेने पर मंत्रालय के निर्णय के अनुसार साइकिल, घड़ियां इत्यादि देकर अतिरिक्त रूप से प्रोत्साहित किया जाता है।

(ञ) कक्षा III तक के बच्चों के उपयोग हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ समन्वय करके 5 मुख्य चुनी हुई जनजातीय भाषाओं में प्राइमर तैयार किए जाएंगे।

(ट) प्रत्येक निधि प्राप्त संगठन को वहां के संबंधित निवासियों के प्रत्येक गांव के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक 'मातृ' समिति का गठन करना चाहिए तथा स्कीम के संचालन के निरीक्षण एवं इसमें सुधारों के बारे में सुझाव देने के लिए महीने में एक बार इसकी एक बैठक होनी चाहिए। निधि प्राप्त संस्था द्वारा प्रत्येक बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में एक रजिस्टर लगाना चाहिए।

(ठ) 54 कम साक्षरता वाले पहचान किए गए जिलों में प्रत्येक में राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा एक जिला शिक्षा सहायता एजेंसी (डीईएसए) की स्थापना की जाएगी जो एक ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठन या गैर-सरकारी संगठनों का संघ होगा तथा यह निम्नलिखित कार्य करेगी :

(i) पहचान किए गए जिलों, ब्लॉकों या पॉकेटों (आदिम जनजातीय समूहों हेतु) में सभी स्कूलों के कक्षा-वार वर्तमान नामांकन स्तर की तुलना में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के शत प्रतिशत नामांकन को प्रोत्साहित करना।

(ii) प्राथमिक एवं मिडिल स्तर पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में कमी करना।

(iii) छात्रावासों/परिसरों के संचालन की मानीटरिंग करना।

(iv) मंत्रालय द्वारा निर्धारित पुरस्कारों, वेतनमानों इत्यादि, जैसा भी मामला हो, का भुगतान करना।

(v) निवारक स्वास्थ्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा स्वास्थ्य संस्थानों से इन छात्रावासों/परिसरों का उपचारात्मक संबंध स्थापित करने के लिए लड़कियों तथा एएनएम में नियमित संवाद का प्रबंध करना।

(vi) लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में माता-पिता के बीच जागरूकता बढ़ाना।

(vii) संभावित भर्ती करने वालों के साथ संबंध स्थापित करना ताकि उत्तीर्ण होने के तुरंत बाद विद्यार्थी या तो नौकरी प्राप्त कर सकें या स्वरोजगार शुरू कर सकें।

(ड) परियोजना का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए मंत्रालय किसी अनुभवी संगठन द्वारा जिला शिक्षा सहायता एजेंसी/गैर-सरकारी संगठनों/स्वायत्तशासी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता कर सकता है।

(ढ) मंत्रालय अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता को प्रोत्साहन देने हेतु इन कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में जिला शिक्षा सहायता एजेंसी सहित किसी भी संगठन की नवाचारी मध्यस्थता हेतु सहायता कर सकता है।

10.40 आबंटन : 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु, 298.78 करोड़ रुपए का अस्थायी आबंटन किया गया है। इसमें से, वित्त वर्ष 2008-09 के लिए आबंटन तथा किए गए खर्च को पिछले दो वर्षों के आबंटनों तथा खर्चों के साथ तालिका 10.2 में दर्शाया गया है :-

तालिका : 10.2

			(करोड़ रुपए में)
वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2006-07	32.00	8.00	7.91
2007-08	19.75	19.75	19.75
2008-09 (31.3.2009 तक)	60.00	40.00	40.00

10.41 उपलब्धियां : वर्ष 2008-09 के दौरान, 126 शैक्षिक परिसरों के लिए 40.00 करोड़ रुपए जारी किए गए जिसमें 8 राज्यों की अनुसूचित जनजाति की 26272 लाभार्थी लड़कियों को शामिल किया गया।

बाघमारी, जिला गजपति में उड़ीसा राज्य सरकार समिति (ओएमटीईएस) द्वारा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु संचालित शैक्षिक परिसर

10.42 इस योजना के तहत वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों की स्वायत्तशासी समितियों की सूची **अनुबंध: 10-ग** में दी गई है।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (वीटीसी)

10.43 इस योजना के बारे में वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 8 में चर्चा की गई है। वित्तीय मानदण्डों सहित वर्ष 2008-09 के दौरान योजना में संशोधन किया गया है। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगी।

10.44 उपलब्धियां : वर्ष 2008-09 के दौरान गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र के तहत 9 व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं के लिए 1.47 करोड़ रुपए जारी किए गए जिसमें 6 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के 790 लाभार्थियों को लाभ पहुँचा।

10.45 वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान इस योजना के तहत सहायता-अनुदान प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की सूची **अनुबंध: 10-घ** में दी गई है।

अनुबंध: 10-क

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान वित्त-पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपए में)

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2006-07	2007-08	2008-09
आंध्र प्रदेश					
1	आंध्र प्रदेश जनजातीय कल्याण आश्रम तथा आवासीय शैक्षिक संस्था समिति, आंध्र प्रदेश	18-आवासीय विद्यालय	0	0	26840363
2	बापूजी एकीकृत ग्रामीण विकास सोसायटी, गड्डामनुगु, जिला : कृष्णा, आं.प्र.	आवासीय विद्यालय	1451295	1455030	1320000
3	ग्राम अभ्युदय एकीकृत ग्रामीण विकास सोसायटी, छठा वार्ड, कोटा स्ट्रीट, उरवाकोंडा, जिला-अनंतपुर, आं.प्र.	आवासीय विद्यालय	0	3073835	0
4	ग्रामीण संक्षेम संघम कालाकाडा, चित्तूर, आंध्र प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	0	601830	0
5	इंटरकल्चर कॉपरेशन फाउंडेशन (आईसीएफ) इंडिया, अम्बोथ थांडा, आर.आर. जिला, आं.प्र.	गैर-आवासीय विद्यालय	0	99000	628485
6	एकीकृत विकास एजेंसी, रैथूपेट, नन्दीगामा, जिला - कृष्णा, आंध्र प्रदेश	10 बिस्तरों वाले स्कूल और सचल औषधालय	781740	0	390870
7	जीयार एजुकेशन ट्रस्ट गंगनमहल कालोनी, डैंमालगुडा, हैदराबाद, पिन 500027, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	852301	1009080	1311200
8	आर.के.मिशन कोरूकोण्डा रोड, राजामुन्दरी, आंध्र प्रदेश	सचल औषधालय	327164	783827	0
9	आर.के.मिशन आश्रम आर.के.बीच, विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश	सचल औषधालय	0	409653	0
10	रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एक्टिविटी, ग्राम एवं पोस्ट - मंथेनावानीपलेम, जिला - गुण्टूर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1987776	519660	0
11	सारदा एजुकेशनल सोसायटी वीनुकोंडा, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1932228	0	0
12	सेवा भारती, खम्माम, आंध्र प्रदेश	छात्रावास	654192	702578	710294
13	सिम्हापुरी विद्या सेवा समिति नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	10 बिस्तरों वाले अस्पताल	1245204	962910	602910
14	सोसायटी फॉर असिस्टेंस एण्ड वैंकेशनल एजूकेशन मछलीपटनम, जिला - कृष्णा, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	416294	0
15	श्री लक्ष्मी महिला मंडली, डी.न. 15-155, मिलावरम (वी एंड एम), गऔमानुगू, जिला - कृष्णा, आंध्र प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	593730	603630	0
16	श्री परमेश्वरी एजूकेशन सोसायटी अंकुर, जिला - कुरनूल, आंध्र प्रदेश	सचल औषधालय	347602	0	0
17	सुनीता महिला मंडली येलेश्वरन, जिला - पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	2808108	1077620	0

18	स्वान एजूकेशन सोसायटी डोक्कालम्मा मंदिर के पास, आर.पी.रोड, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय, टाइपिंग एवं सचल पुस्तकालय-सह-ए.वी. यूनिट	1141904	0	0
19	सोसायटी फॉर इंटीग्रेटिड रूरल इम्प्रूवमेंट (एसआईआरआई), 7/163 ए, प्रकाश रोड, जिला-अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	976851	0	788006
20	नारायण शैक्षिक तथा ग्रामीण विकास सोसायटी (श्री मंडलाप्पु नारायण शैक्षिक सोसायटी), परगी, रंगारेड्डी जिला, आं.प्र.	आवासीय विद्यालय	975771	0	2277302
	कुल	**16075866**	**11714947**	**34869430**	
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह					
1	रामकृष्ण मिशन, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	154152	129862	0
	कुल	**154152**	**129862**	**0**	
अरुणाचल प्रदेश					
1	एबोटनी आश्रम वेलफेयर एशोसिएशन नाहरलागुन- 791110, अरुणाचल प्रदेश	छात्रावास	1209528	0	0
2	अरुणाचल पाली विद्यापीठ चांगखाम, जिला - लोहित, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	2564460	2459610	3643050
3	बुद्धिस्ट कल्चरल प्रिजरवेशन सोसायटी अपर गाम्पा, बामडिला, जिला - वेस्ट कमंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1408680	1644210	0
4	सेन्टर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज ग्राम एवं पोस्ट - तवंग, जिला - तवंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1443939	1127142	0
5	आर.के.मिशन नरोत्तम नगर, वाया - देवमाली, जिला - तिराप, अरुणाचल प्रदेश	2 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय और 20-बिस्तरों वाला अस्पताल	6380676	5864378	9325597
6	आर.के.मिशन विवेकानंदनगर, एलांग, पश्चिम सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय, 10. बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय, छात्रावास और ए.वी. यूनिट	3060840	9182520	15189380
7	आर.के.मिशन हॉस्पिटल ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	60. बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय	4847160	4687684	7403707
8	रामकृष्ण शारदा मिशन पो. ऑ. खोनसा, जिला - तिराप, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	2752569	2782494	0
9	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापूर स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 (रुपा, आंध्र प्रदेश)	छात्रावास	1733759	688595	0
10	विवेकानंद केन्द्र अरुणज्योति, ईटानगर, ईटानगर, जिला पपुम्पारे, अरुणाचल प्रदेश	श्रमिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा सचल पुस्तकालय	0	0	1477820
11	ओजू वेलफेयर एसोसिएशन, नजदीक नहारलगुन, पुलिस स्टेशन, नहारलगुन, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (पी+एस)	2092656	2408670	3438990
	कुल		**27494267**	**32323123**	**39000724**

असम					
1	असम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट इन्द्रकांता भवन, कनकलता पथ, पो.ऑ. उलूबारी, गुवाहाटी-781007, असम	सचल औषधालय	583155	390870	0
2	भारत सेवाश्रम संघ लाखरा रोड, काहिलीपुरा, गुवाहाटी, असम	सचल औषधालय	0	1076445	679865
3	डा. अम्बेडकर मिशन धोपातारी, जिला - कामरूप, असम	10 बिस्तरों वाला अस्पताल और सचल औषधालय	1440180	1820880	2313450
4	ग्राम विकास परिषद ग्राम - रंगालो, जिला - नौगांव, असम	सचल औषधालय	390870	390870	0
5	पठारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट टॉप फ्लोर, बार लिब्राग, नौगांव, असम	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	208260	0	208260
6	आर.के.मिशन आश्रम, उलूबारी, गुवाहाटी, असम	छात्रावास, सचल औषधालय पुस्तकालय	799200	802045	1328274
7	आर.के.मिशन सेवाश्रम, आर.के. मिशन रोड, सिलचर, असम	छात्रावास	0	389430	1078253
8	सदाऊ असोम ग्राम्य पुथीभारल संस्था तेलीपट्टी, चम्साई रोड़, जिला - नौगांव, असम	पुस्तकालय और गैर-आवासीय विद्यालय	706230	695430	1095300
9	श्रीमंत शंकर मिशन, पी.ओ./जिला-नौगांव, असम	सचल औषधालय	390870	390870	706950
10	अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली (बोकाजन, जपारजन और दीफूपर)	4.छात्रावास	1882152	2571399	0
11	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापूर स्मारक सदन, नई दिल्ली -110055 (कोकराझार, असम पर)	छात्रावास	471987	0	0
	कुल		**6872904**	**8528239**	**7410352**
छत्तीसगढ़					
1	कछाना ध्रुव सेवा एंड कल्याण समिति, गाँव-पो-पांडुका, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़	गैर-आवासीय विद्यालय	54000	600998	0
2	नव अभिलाषा शिक्षा संस्थान ग्राम एवं पोस्ट - बुधवानी, जिला- राजनांदगांव, छत्तीसगढ़	गैर-आवासीय विद्यालय	1213133	1267020	1647270
3	आर.के.मिशन आश्रम नारायणपुर, जिला - बस्तर, छत्तीसगढ़	6.छात्रावास, 1.जनजातीय युवा प्रशिक्षण केन्द्र और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग + दिव्यन कृषि तथा सम्बद्ध विषयों की नई परियोजनाएं और सचल औषधालय	2414905	2087969	4018188
4	सेवा भारती (मध्य भारत), मातृच्छाया, स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल के सामने, हौशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन-462001	सीटीसी की तीन यूनिटें, छात्रावास और आवासीय विद्यालय की दो यूनिटें	485677	1569086	0
5	व्यक्ति विकास केन्द्र, भारत, ट्राइबल वेलफेयर प्रोजेक्ट आफिस, कीर्ति स्टूडिया, देवीगंज रोड, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़-497001	सचल औषधालय और पेयजल	456111	0	0
	कुल		**4623826**	**5525073**	**5665458**

गुजरात					
1	भारत सेवाश्रम संघ, डेडियापाडा, नर्मदा, गुजरात	सचल औषधालय	401670	401670	0
2	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर नावासारी, गुजरात (नवासारी)	गैर-आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय, सचल ए.वी. यूनिट	5143618	2724822	4634749
3	भारत यात्रा केंद्र डेडियापाड़ा, नर्मदा, गुजरात	छात्रावास, सचल औषधालय और टाइपिंग प्रशिक्षण केन्द्र	1000881	386730	773460
4	इनरेका, रायपीपला रोड, टिम्बापाड़ा, डेडियापाड़ा, जिला- नर्मदा, गुजरात	छात्रावास	756104	1507401	0
5	पंचमहल आदिवासी विकास युवक मंडल ग्राम - धलसीमल, पोस्ट-मोली, तालुका-झालोड, जिला - झालोड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	3298500	1246860	1769310
6	संत श्री आसाराम आश्रम साबरमती अहमदाबाद, गुजरात	सचल औषधालय	0	401670	0
7	शिव शक्ति एजूकेशन ट्रस्ट 17, म्यूनिसिपल शॉपिंग सेंटर, न्यू फॉयर स्टेशन के पास, दाहोद, गुजरात	सचल औषधालय	194814	0	0
8	श्री आदिवासी युवक सेवक संघ झालोद, जिला दाहोद, गुजरात	गैर-आवासीय विद्यालय और आवासीय विद्यालय	2714162	0	0
9	श्री धाधेला केलवानी मंडल ग्राम एवं पोस्ट - धाधेला, जिला - दाहोद, गुजरात	छात्रावास	932791	0	0
10	श्री सदगुरुदेव स्वामी अखण्डानंद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, बारूमल, जिला - वलसाड, गुजरात	छात्रावास और सचल औषधालय	0	2276229	1135300
11	श्री स्वामी नारायण एजूकेशन ट्रस्ट, वलसाड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	989325	1039320	1028142
12	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली-55 (दाहोद, गुजरात पर)	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	405535	0	0
	कुल		**15837400**	**9984702**	**9340961**
हिमाचल प्रदेश					
1	बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी ऑफ की गाम्पा, पोस्ट - के.गाम्पा, जिला - लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	466110	512482	0
2	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एशोसिएशन पोस्ट बॉक्स नं. 98, क्लब हाउस रोड मांडली, जिला - कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1569096	2272050	2035080
3	इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉस्फी एण्ड ट्राइबल कल्चर सोसायटी, ताबो, जिला - लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1039320	2438280	0
4	रामधा बुद्धिस्ट सोसायटी ग्राम एवं पोस्ट - रंगरीक, जिला - लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	848160	1552446	0
5	रिंचेन झांगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, स्पीति परिसर, रक्कर रोड़, तहसील-धर्मशाला योल कैन्ट, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1914000	3871920	3795900
	कुल		**5836686**	**10647178**	**5830980**

जम्मू व कश्मीर					
1	गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट गुर्जर कॉलोनी, जम्मू, जम्मू व कश्मीर	आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	3324752	2513715	0
2	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी ग्राम - गुलाबगढ़, पोस्ट - अठौली, जिला - डोडा, जम्मू व कश्मीर	आवासीय विद्यालय	2638260	0	3352051
3	लॅमडन सोशल वेलफेयर सोसायटी, लेह, लद्दाख, जम्मू व कश्मीर	आवासीय विद्यालय	0	1108364	1112934
4	महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, जम्मू और कश्मीर	आवासीय विद्यालय	0	1066705	0
5	एआईसीयूआरडी, गोल मार्केट, नई दिल्ली (पुलवामा तथा बडगाम जिला, परियोजना जम्मू कश्मीर में)	सीटीसी (3), टंकण तथा आशुलिपि केन्द्र (3)	0	0	2010315
	कुल		**5963012**	**4688784**	**6475300**
झारखंड					
1	भारत सेवाश्रम संघ, ग्राम एवं पोस्ट - पाकुर, जिला - पाकुर, झारखंड	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	2577150	1995900
2	भारत सेवाश्रम संघ, सोनारी, रिवर मीट रोड, जमशेदपुर, झारखंड	सचल औषधालय (3), कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, केन और बम्बू, कताई तथा बुनाई (2) सचल पुस्तकालय-सह-ए.वी. यूनिट और आवासीय विद्यालय	8895419	12919185	13033039
3	भारत सेवाश्रम संघ, पीओ-रानीश्वर, जिला-दुमका, झारखंड	आवासीय विद्यालय (2), 20. बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय, बुनाई तथा कताई	0	4758371	0
4	भारत सेवाश्रम संघ, बरियातू, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रांची, झारखंड	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	0	0	1470110
5	आर.के.मिशन मठ ग्राम पोस्ट एवं जिला - जामतारा, झारखंड	सचल औषधालय	338709	327364	0
6	आर.के.मिशन विवेकानंद सोसायटी, विष्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड	छात्रावास, सचल पुस्तकालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, टाइपिंग और ए.वी. यूनिट	763914	980115	2317354
7	आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची, झारखंड	दिव्यन यूनिट, ग्रामीण रात्रि स्कूल, सचल औषधालय, पुस्तकालय, ए.वी. यूनिट	4202830	4454814	5134192
8	आर.के.मिशन टी.बी. सैनेटोरियम रांची, झारखंड	50 बिस्तरों वाला अस्पताल और सचल औषधालय	4112773	4914285	10625825
9	व्यक्ति विकास केंद्र, इंडिया अनुराग कुटीर, केजीडी रोड, कुंती, रांची, झारखंड	सचल औषधालय और पेयजल	589296	0	193726
	कुल		**18902941**	**30931284**	**34770146**
कर्नाटक					
1	आशीर्वाद रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (आर), के.एच.बी. कालोनी जिला- गुडीबाण्डे, कर्नाटक	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	2055420	1027710	1616400
2	भारती एजूकेशनल ट्रस्ट ग्राम - पाथापल्ली, तालुका - बागेपल्ली, जिला - कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1025460	1028720	1605187

3	डा.अम्बेडकर एजूकेशन सोसायटी, (आर) नालकुदारे गोमाला, नालकुदुर, पिन-577544, तालुका - चन्नागिरी, जिला - देवानगिरि, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	2077830	1039200	1609404
4	डॉ. जचानी राष्ट्रीय सेवापीठ 49, एच.बी.समाज रोड, बासवानगुडी, बंगलौर, कर्नाटक	गैर-आवासीय विद्यालय	0	1768433	537439
5	हरिहर ग्रामीण विरूद्धी संघ ग्राम - चिक्काबलपुर जिला - कोलार, कर्नाटक	सचल औषधालय	781740	390870	685350
6	कुमुदवती रूरल डेवलपमेंट सोसायटी 32, आर.आर. एक्सटेंशन, मधुगिरि, 572132, जिला - तुमकुर, कर्नाटक	सचल औषधालय और गैर-आवासीय विद्यालय	0	3340908	2275020
7	नायक स्टूडेंट फेडरेशन गैंकाक, बेलगांव, कर्नाटक	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1011137	0	1016604
8	प्रगति रूरल डेवलपमेंट सोसायटी ग्राम एवं पोस्ट - गेराहल्ली, तालुका - चिकबालपुर, जिला - कोलार, कर्नाटक	छात्रावास	756360	756360	1219590
9	संत कबीरदास एजूकेशन सोसायटी, सेदाम रोड़, जगत, जिला- गुलबर्गा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	970137	0	1604470
10	श्री होयशाला विद्या संस्था (आर) ग्राम एवं पोस्ट - नीलगिरि, जिला - देवानगिरि, कर्नाटक	सचल औषधालय और आवासीय विद्यालय	2788702	0	0
11	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था 4206/9, देवानगिरि, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1844593	2039669	0
12	श्री संत कबीर दास एजूकेशन सोसायटी चिंचोरी शिविर, गुलबर्गा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	1001320	0
13	श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालय ट्रस्ट, रंगपुरा, जिला - तुमकुर, कर्नाटक	गैर-आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	3207115	1632339	2575364
14	श्री विनायक सेवा ट्रस्ट, काईवाडा, चिंतास्वामी-तालुक, जिला-कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1039320	1036261	1609470
15	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, कंचनहल्ली, शांति नगर पीओ, हेगादवदेनकोटी तालुक, जिला - मैसूर, कर्नाटक	2. आवासीय विद्यालय 2.10. बिस्तरों वाला स्कूल और सचल औषधालय	5170080	4912132	8568623
16	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र, बी.आर. हिल्स, यालांदुर तालुक, जिला चामराजनगर, पिन-571441, कर्नाटक	सचल औषधालय, 10. बिस्तरों वाला अस्पताल और आवासीय विद्यालय	1439917	3965829	4535021
	कुल		**24167811**	**23939751**	**29457942**
केरल					
1	मां अमृतानंदमयी मठ अमृत भवन, पारीपल्ली, जिला - कोलाम - 691574 (केरल)	छात्रावास और 10-बिस्तरों वाला स्कूल	3046240	2350116	0
2	श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम ग्राम एवं पोस्ट - कलाडी, जिला - एरनाकुलम, केरल	छात्रावास	1008630	907750	0
3	स्वामी निर्मलानंद मेमोरियल बालभवन कयामकुलम, केरल	छात्रावास और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	713385	0
4	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन वयानाड, केरल	10. बिस्तरों वाला स्कूल	0	1583730	0
5	वनवासी आश्रम ट्रस्ट ग्राम एवं पोस्ट - पेरिया, जिला - वयानाड, केरल	आवासीय विद्यालय	3681099	1982475	0

6	विनोबा निकेतन ग्राम व पोस्ट – विनोबा निकेतन, जिला – त्रिवेन्द्रम, केरल	छात्रावास, सचल औषधालय और बेबी क्रेच	448853	393728	2305217
7	हरिजन सेवक संघ सबरी आश्रम, अकाथीथिरा, पालाक्केड, तिरूवनंतपुरम, केरल	टाइपिंग और शोर्टहेंड प्रशिक्षण केन्द्र तथा 6 क्रेच, छात्रावास	0	0	326276
	कुल		**8184822**	**7931184**	**2631493**
मध्य प्रदेश					
1	आशादीप कल्याण समिति, 86, विनोबा वार्ड, सिहोरा, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय और बुनाई, कताई तथा हेंडलूम	1387038	738157	0
2	अमरपुर बाल विकास विद्यामंदिर, पो. अमरपुर, जिला–डिंडोरी, मध्य प्रदेश	गैर–आवासीय विद्यालय	54000	576747	968490
3	अन्नपूर्णा शिक्षा समिति ग्राम एवं पोस्ट – सेमारखपा जिला – मण्डला, म.प्र.	गैर–आवासीय विद्यालय	1976567	0	0
4	बाहियार नारी उत्थान सेवा महिला मंडल, ग्राम एवं पोस्ट – बाहियार, जिला – बलूरघाट	गैर–आवासीय विद्यालय	1004279	0	0
5	बंधेवाल शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	गैर–आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	422507	1183948	1773959
6	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापूर स्मारक सदन, नई दिल्ली –110055 (धार, मध्य प्रदेश में परियोजना)	सचल औषधालय, आवासीय विद्यालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	2452725	0
7	हितेश्री सामाजिक संस्था, एमआईजी–30/4बी, साकेतनगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	सचल औषधालय	346500	618612	608400
8	जन कल्याण आश्रम समिति, गांव सिद्धपुर, जिला–हौशंगाबाद, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय	157500	0	865123
9	जीवन ज्योति शिक्षा प्रसार समिति सिंगापुर, (सेल्या) मण्डला, मध्य प्रदेश	गैर–आवासीय विद्यालय	1117187	0	557465
10	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166 ई. उज्जैन, म. प्र.	आवासीय विद्यालय	940950	1201496	1642778
11	एम.पी. वनवासी सेवा मंडल, तालुका–तिकारिया, जिला–ढिंढोरी, मध्य प्रदेश	गैर–आवासीय विद्यालय	1368019	724860	1159851
12	पुष्पा कांवेन्ट शिक्षा समिति, सी–537–538 पुष्प नगर कॉलोनी, भोपाल	गैर–आवासीय विद्यालय	0	1172430	1557868
13	रामा एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, वरयालखेडा, भोपाल	गैर–आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	428267	1762907	957690
14	सेवा भारती, स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल्ला के पास, हौशंगाबाद रोड, भोपाल–462011, म.प्र.	2.आवासीय विद्यालय, 3.कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र 2.छात्रावास	2752479	978032	1549376
15	स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन शिक्षक समिति, युवराज क्लब, कैंट रोड़, गुना, म.प्र.	गैर–आवासीय विद्यालय	570262	609090	0
16	युवक कल्याण सेवा प्रशिक्षण संस्थान, गांव रांगरी (ठोका), अनंगगांव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय (एस)	192500	0	977418
	कुल		**12718055**	**12019004**	**12618418**

महाराष्ट्र					
1	ए.बी.एम.समाज प्रबोधन संस्थान थाणे जिला, महाराष्ट्र	50. बालवाडी/क्रेच सेंटर	4141760	4349042	0
2	अभ्युदय संस्था मालेगांव, लक्ष्मीनारायण अपार्टमेंट, नासिक, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय	994019	0	0
3	देवोनिल शिक्षण प्रसारक मंडल, चंदरपुर, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	157500	508221	0
4	धर्मास्वामी मर्हषि श्री संत गुलाबराव महाराज वोरकारी एण्ड विकास शिक्षण संस्था, ग्राम एवं पोस्ट - कारला, जिला - अमरावती, महाराष्ट्र	10.बिस्तरों वाला अस्पताल और सचल औषधालय	0	1005705	0
5	हिंदुस्तान स्पोर्ट एण्ड जूडो कराटे एशोसिएशन, पिम्पालनू, जिला - धुले, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय	1127970	0	0
6	जयहिंद मित्र मंडल कोल्हा, जिला - फूलबनी, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय	588708	1371519	0
7	जय जगदम्बा बहुददेशीय संस्था सूरजपुर, तालुका - बरसी, जिला - शोलापुर, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1012098	0	0
8	खांडेराव एजूकेशन सोसायटी, बसार, जिला - धुले, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय और आवासीय विद्यालय (नया)	718169	0	3169050
9	नवयुवती महिला मंडल, शिरुर, जिला-लातूर, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1018373	571019	0
10	राजमाता जिजाऊ महिला मंडल, पारसोले, माध्यमिक विद्यालय, मेन रोड, तालोडा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय	0	545198	0
11	राजमाता शिक्षण प्रसारक मंडल, दोइथान, ताल-अशति जिला-बीड, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	157500	956592	0
12	राजीव बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, पोस्ट नालवाडी, जिला वार्धा, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय	784526	0	0
13	रेनुका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, कुकाणे, मालेगांव, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय	0	730769	0
14	सार्थक शिक्षण प्रसारक समाज, मालेगांव केम्प, तालुक मालेगांव, नासिक, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय	0	1131184	556574
15	संक्रूत्यायन शिक्षण प्रसारक मंडल, ग्राम मूल, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय	286751	0	0
16	शिव कृपा ग्रामीण ट्राइबल बहुउद्देशीय संस्थान, वार्ड न. 2, मानस मंदिर वार्धा, महाराष्ट्र	सचल औषधालय	778899	388170	0
17	शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, तकली, जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय (नया)	157500	0	2439754
18	श्री कालिकादेवी बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल कसार सिरशी तालुक निलांगा, जिला लाटूर, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1079042	0	0
19	श्री कन्हैयालाल महारज ट्रस्ट, सामोडे, जिला धुले	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1035448	0	2564685
20	श्री सांइनाथ एजूकेशन सोसायटी, प्रतापपुर, तालुक तालोडा, नंदुरबार, महाराष्ट्र	छात्रावास	1183868	0	2088661
21	श्री स्वामी स्वयं सेवा भावी संस्था, गणेशपुर, जिला धुले महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1028493	0	2606526

22	सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडल, नंदगांव, जिला नासिक	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	993888	1027458	1777770
23	सुषमा शिक्षण प्रसारक मंडल, बांद्रा, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	157500	0	0
24	तापी परिसर एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट, नेवादे, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	157500	0	0
25	उज्जवल रूरल डेवलपमेंट सोसायटी नेवादे, जिला धुले, महाराष्ट्र	छात्रावास	739944	753330	0
26	यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बुल्दाना, महाराष्ट्र	10. बिस्तरों वाला अस्पताल	381764	1690829	0
27	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापूर स्मारक सदन, नई दिल्ली-55, (नागपुर, महाराष्ट्र में परियोजनाएं)	श्रमिक प्रशिक्षण केन्द्र	376558	0	0
28	काई थानगुबी शंकर दिओरे देवाभावी संस्था, सोदाने, नवनाथ नगर, तालुक-मालेगांव, जिला-नासिक, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय	1106145	579313	0
29	साइ प्रसाद आदिवासी सेवा मंडल, पो. ओ. वाशिंद (वेस्ट), ताल, जिला थाणे, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	1431270	0
30	चंदराई महिला मंडल, पो. पिम्पाल्नर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	983745	1609470
31	स्व. यशवंत बाली राम पाटिल शिक्षण प्रसारक मंडल, तलाई, ताल.एरंडोल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	157500	0
	कुल		**20163923**	**18180864**	**16812490**
मणिपुर					
1	चिलचिल एशियन मिशन सोसायटी कांगला टांबी, मणिपुर	छात्रावास	411930	339930	1948950
2	क्रिश्चियन ग्रॉमर स्कूल (चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर) थिंगखाम, तामेंगलांग जिला, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	2299860	0	0
3	डा.अम्बेडकर स्कूल प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट सोसायटी न्यू लांबका, चुराचांदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	1676709	0
4	इन्टीग्रेटेड एजूकेशनल सोशल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन इम्फाल पूर्वी, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	1309140	665289	1146690
5	इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजूकेशनल आर्गेनाइजेशन वांगबाल, पोस्ट - थाऊ बाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय की दो यूनिटें	2284335	2332356	3551262
6	रूरल एजूकेशनल एण्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगेनाइजेशन, थांगा टाँगब्राम, लीकाई, जिला -विष्णुपुर, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	0	1753574	469125
7	सियामसिनपाल्पी, चुराचांदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	6814147	4544658	0
8	टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थाउबाल, मणिपुर	त्मेपकमदजपंस ैबीववस	1926000	0	2610450
9	सोसायटी फॉर वीमेन एजुकेशन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन अथोकपाम खुनोऊ, पो. थोउबाल, मणिपुर	सचल औषधालय	190485	574155	383670
10	यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस हीरोक, हीतूपोक्पी जिला - थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1965060	1039320	1545120

11	वालंटियर्स फॉर रूरल हेल्थ एण्ड एक्शन (वी ओ आर एच ए) लैमडिंग, बांगजिंग, मणिपुर	सचल औषधालय और टाइपिंग तथा शोर्टहेंड प्रशिक्षण केन्द्र	0	1648152	0
	कुल		**17200957**	**14574143**	**11655267**
मेघालय					
1	आर.के.मिशन, लाइथुमखूटपी.ओ. बॉक्स-9, शिलांग, मेघालय	छात्रावास, सचल औषधालय और दो-पुस्तकालय	1084300	1022800	1658730
2	आर.के.मिशन आश्रम, चेरापूंजी, जिला - ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	62.एलपी तथा एमई/ माध्यमिक विद्यालय, छात्रावास और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	31088385	30992553	53004425
3	सेवा भारती, शिलांग, मेघालय	2. सचल औषधालय और आवासीय विद्यालय	0	1594567	0
	कुल		**32172685**	**33609920**	**54663155**
मिजोरम					
1	मिजोरम हिमेथाई एशोसिएशन, अपर रिपब्लिक रोड, आइजोल, मिजोरम	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	0	0	4085899
2	सोशल गाइडेंस एजेंसी, तुईक्वल, आइजोल, मिजोरम	सचल औषधालय	299520	717300	0
3	थुंटक नूंटक नूनपुइतू टीम, जुंगटुई, आइजोल-796017, मिजोरम	आवासीय विद्यालय	0	764400	0
	कुल		**299520**	**1481700**	**4085899**
नागालैंड					
1	अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली, दीमापुर, नागालैंड में परियोजनाएं	छात्रावास	974070	0	0
2	अबायोजेनेसिस सोसायटी ममियास ब्लिस, 6, अंगामी खेल, नुटोन बोस्ती, दीमापुर, नागालैंड	सचल पुस्तकालय-सह-ए.वी. यूनिट	0	571894	0
3	ग्रेस सोसायटी, मोकोकचुंग, नागालैंड	छात्रावास	0	0	383039
4	हिकाई एंड सन्स सोसायटी, सताखा टाउन, जिला जुनहेबोतो, नागालैंड	आवासीय विद्यालय	157500	0	0
5	हिल व्यू वेलफेयर सोसायटी, दीफुपर, दीमापुर, नागालैंड	आवासीय विद्यालय	157500	1007820	0
6	के. होल्लोहोन वेलफेयर सोसायटी, दीमापुर, नागालैंड	गैर-आवासीय विद्यालय	54000	522630	0
7	नागालैंड चिल्ड्रन होम, दीमापुर, नागालैंड	छात्रावास	525906	562516	0
	कुल		1868976	2664860	383039
दिल्ली					
1	भारत सेवाश्रम संघ श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और छात्रावास	601775	649731	885182
2	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापूर स्मारक सदन, नई दिल्ली - 110055	छात्रावास और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	842339	0	2313978
3	सेवा भारती झण्डेवाला, नई दिल्ली	आवासीय विद्यालय	467680	0	0
	कुल		**1911794**	**649731**	**3199160**

उड़ीसा					
1	आदिवासी सोशल एण्ड कल्चरल सोसायटी, ग्राम एवं पोस्ट – कुचिण्डा, जिला – सबलपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	792925	3102470	0
2	अम्बेडकर एजूकेशनल काम्पलेक्स नीलाद्री विहार, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	छात्रावास	2113728	732600	0
3	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ग्राम – अस्वखोला, पोस्ट – कारामुल, जिला – ढेंकानॉल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1176705	1039320	1620270
4	एशोसिएशन फॉर वोल्यूंटरी एक्शन, दीमापुर, जिला – पुरी, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	3394027	1152252	1825470
5	बनवासी सेवा समिति, बालीगुडा, जिला – खंडमाल, उड़ीसा	छात्रावास	1446921	726120	0
6	बांकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, कटक, उड़ीसा	छात्रावास और क्रेच केन्द्र	2168662	1102860	1219590
7	भैरवी क्लब, कुमरपाडा, जिला – खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	2017755	0
8	कटक जिला हरिजन सेवा संस्कार योजना, हलादीबसाता बंस्ता, जिला – कण्डूपारा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	2958944	1607700
9	ग्लोबल विलेज फॉर रिहैबिलिटेशन एण्ड डेवलपमेंट, उदूलीबेडा, जिला – मलकानगिरि, उड़ीसा	सचल औषधालय	0	718626	337583
10	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, पाटा, कोयल कैम्पस, केआईआईटी, भुवनेश्वर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2275920	12874500	11509740
11	नेहरू सेवा संघ बांगपुर, जिला – खुर्दा, उड़ीसा	छात्रावास	1521725	997713	1594103
12	निखिल उत्कल हरिजन सेवक संघ नीलाद्री विहार, सलाश्री विहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2266883	1141920	2352822
13	आर्गेनाइजेशन फॉर दि रूरल वूमेन एंड यूथ डेवलपमेंट पो. हरेकृष्णपुर, वाया-नलगंजा, जिला मयूरभंज, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	748740	0	0
14	उड़ीसा हरिजन सेवक संघ भंजपुर, पोस्ट – बारीपाडा, जिला – मयूरभंज, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2216432	1282920	0
15	उड़ीसा सर्वोदय परिषद न्यूपाडा, उड़ीसा	छात्रावास	899820	1242720	0
16	उड़ीसा सोशल रूरल टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट, कटक, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2099138	1120788	0
17	आर.के.मिशन विवेकानंद मार्ग, भुवनेश्वर, उड़ीसा	छात्रावास और पुस्तकालय	592020	592020	1081980
18	आर.के.मिशन, पुरी, उड़ीसा	छात्रावास, सचल औषधालय और टाइपिंग तथा शोर्टहेंड प्रशिक्षण	1391597	684630	2089807
19	रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत आश्रम सारागालांजी, भवानी पटना, कालाहांडी, उड़ीसा	सचल औषधालय	0	1008897	70695
20	राष्ट्रीय सेवा समिति 9, ओल्ड हुजूर ऑफिस बिल्डिंग, तिरुपति, आंध्र प्रदेश (पदवा में परियोजना) कोरापुट, उड़ीसा	उड़ीसा में सचल औषधालय	0	827135	706950

21	सेवा समाज गुनपुर, जिला – रायगाडा, उड़ीसा	छात्रावास	1199245	599625	0
22	श्री आर.के.मिशन आश्रम रामपुर, कालाहांडी, उड़ीसा	छात्रावास, कृषि एवं सम्बद्ध विषय में प्रशिक्षण और सचल औषधालय	6487640	5300000	5395185
23	सोशल वीकर अवेयरनेस डेवलपमेंट एण्ड इकोनॉमिक सर्विस (स्वदेशी), गोपाल बंधु नगर, फूलबनी, जिला – कांधामल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	441541	1615307	1579230
24	विश्व जीवन सेवा संघ सरधपुर, खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2032083	1039320	2020820
25	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (डब्ल्यू), रिवर्स मीट रोड, जमशेदपुर, झारखंड (सुंदरगढ़ और मयूरभंज जिले में)	आवासीय विद्यालय, दो सचल औषधालय यूनिटें, 10–बिस्तरों वाला अस्पताल और बुनाई, कताई तथा हेंडलूम प्रशिक्षण	2552569	0	6287019
26	लक्ष्मी नारायण सेवा प्रतिष्ठा, तालुका – मनसापोल, जिला – जयपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	2078640	2587311
27	व्यक्ति विकास केन्द्र, नं. 19, 39वां क्रास, 11वां मेन चौथा टी ब्लॉक, जयनगर, बंगलौर–560041 (सुंदरगढ़ जिले में)	सचल औषधालय और पेयजल	0	0	196680
28	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली–110055 (बंधगढ़, कंधमाल पर)	छात्रावास	732690	851400	0
	कुल		**38551011**	**46808482**	**44719210**
राजस्थान					
1	वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली, जिला – टोंक, राजस्थान	वजीफा योजना	3885000	1286250	0
2	जनजाति महिला विकास संस्थान सवाई माधोपुर, राजस्थान	छात्रावास	667113	0	686070
3	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, हिंटा दि बलबनगरी, भिंडेर जिला – उदयपुर, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	2038471	1028605	0
4	संत श्री आसाराम जी आश्रम ट्रस्ट साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात (सुमेरपुर, जिला उदयपुर)	सचल औषधालय	0	401670	0
5	श्रद्धालय आश्रम समिति सूरजपोल, कोटा, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	0	2036646	2564280
	कुल		**6590584**	**4753171**	**3250350**
सिक्किम					
1	ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ, चोगनेटार, गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय और छात्रावास	1831508	0	0
2	मुयाल लियांग ट्रस्ट योंगड़ा हिल्स, डी.पी.सी.ए. गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय	2156108	2959851	2074320
	कुल		**3987616**	**2959851**	**2074320**
तमिलनाडु					
1	ग्रामीय मक्कल अबीविरूदी इयाक्कम (जीएमएआई), 125, कुमारन गार्डन, इदायरपलायाम पिरवु, कुनियामुथुर पोस्ट, जिला कोयम्बटूर, पिन–641008, तमिलनाडु	10.बिस्तरों वाला अस्पताल और सचल औषधालय	1082829	0	0

2	न्यू लाइफ एजेंसी फॉर ट्राइबल पीपुल तमिलनाडु, अपलिफ्टमेंट, वेल्लोर	छात्रावास	861795	0	1395605
3	साउथ इंडिया एस.टी. वेलफेयर एशेंसिएशन, साइदापेट, तमिलनाडु	आवासीय विद्यालय	0	2050787	0
	कुल		**1944624**	**2050787**	**1395605**
त्रिपुरा					
1	बहुजन हिताय एजुकेशन ट्रस्ट, बिशनुपुर, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	157500	0	0
2	आर.के.मिशन विवेकनगर, त्रिपुरा	कम्प्यूटर प्रशिक्षण, छात्रावास और जल बांध	582990	0	1445765
3	त्रिपुरा काउंसिल फार वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रामनगर, त्रिपुरा	सचल औषधालय	0	346500	0
4	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति, सलकामा, 9/4, कृष्णानगर, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	0	202500	0
5	व्यक्ति विकास केन्द्र, भारत, ट्राइबल वेलफेयर प्रोजेक्ट ऑफिस, कीर्ति स्टूडियो, देवीगंज रोड, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़-497001 (पश्चिम त्रिपुरा जिले में)	सचल औषधालय और पेयजल	401670	0	0
	कुल		**1142160**	**549000**	**1445765**
उत्तर प्रदेश					
1	सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, 846, शिवाजी नगर, पुणे, पिन-411001, महाराष्ट्र (बलरामपुर, लखीमपुर खीरी)	4 छात्रावास और आवासीय विद्यालय	0	2705840	1873172
2	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीटशूट, 7-ई, झंडेवाला एक्सटेंशन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली (जिला बलरामपुर, उ.प्र.)	सचल औषधालय और छात्रावास	0	0	925191
3	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली-55 (लखीमपुर खेरी जिला)	आवासीय विद्यालय	0	3335004	0
	कुल		**0**	**6040844**	**2798363**
उत्तराखंड					
1	अशोक आश्रम ग्राम एवं पोस्ट - अशोक आश्रम, वाया - डाक पत्थर, जिला - देहरादून, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	0	3007571	1734097
2	दीनदयाल रिसर्च इन्सटीट्यूट, 7-ई, झण्डेवालान एक्स., रानी झांसी रोड़, नई दिल्ली (जिला बलरामपुर यू.पी.)	सचल औषधालय और छात्रावास	0	1039320	1039320
3	सीमांत अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेवा संस्थान, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	0	599220	2192328
4	समग्र ग्रामीण विकास समिति, पी.ओ. ग्वालदान, जिला चमोली, उत्तरांचल	सचल औषधालय	0	803340	401598
5	सर्वेट्स ऑफ इंडियन सोसायटी, पुणे 846, शिवाजी नगर, पुणे, पिन-411001, महाराष्ट्र (जिला - बेजपुर, उद्यमसिंह नगर)	छात्रावास और आवासीय विद्यालय	0	1476486	1139832
	कुल		**0**	**6925937**	**6507175**
पश्चिम बंगाल					
1	भारत सेवाश्रम संघ, (औरंगाबाद), पो: औरंगाबाद, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषधालय	0	2531026	2058300

2	भारत सेवाश्रम संघ (बलुरघाट), बलुरघाट, जिला दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, पुस्तकालय और सचल पुस्तकालय -सह-ए.वी. यूनिट	8367800	4281000	6943100
3	भारत सेवाश्रम संघ, बेलडंगा (बेलडंगा), जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	2. आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय, 10.बिस्तरों वालो अस्पताल और टाइपिंग-शोर्टहेंड प्रशिक्षण केन्द्र	0	6854792	10762310
4	भारत सेवाश्रम संघ (मुलुक) वाया बोलपुर, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय, 2.सचल औषधालय और बुनाई/कताई तथा हेंडलूम	4101340	2047212	3787615
5	भारत सेवाश्रम संघ (सुरी), जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषधालय	1192410	1238850	1397025
6	भारत सेवाश्रम संघ (डोकरा) गांव-पो. डोकरा, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और आवासीय विद्यालय	1231797	0	4976896
7	भारत सेवाश्रम संघ (फरक्का) बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	0	875687	721755
8	भारत सेवाश्रम संघ, पो. बहरामपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	0	873450	721755
9	भारत सेवाश्रम संघ (घाकसोल), घाकसोल यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	949506	1955590	1727550
10	भारत सेवाश्रम संघ (हुगली), गांव पांजीपुरकुमर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और पुस्तकालय	0	1588340	0
11	भारत सेवाश्रम संघ (नादिया), ग्राम कुसुरिया, पो. प्रीतिनगर, जिला नाडिया, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, टाइपिंग और सचल औषधालय	1948539	2049155	2954033
12	भारत सेवाश्रम संघ (पुरुलिया), पो. रघुनाथपुर, जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, सीटीसी और सचल औषधालय	0	1434706	0
13	भारत सेवाश्रम संघ (रायगंज), रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	591705	401670	706950
14	भारत सेवाश्रम संघ (ताजपुर), ताजपुर यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	791294	1539547	1422225
15	भारत सेवाश्रम संघ (टियोर) गांव साहपुर, पो. टियोर, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	2520600	1260300	2102200
16	भारत सेवाश्रम संघ (कुनोर), गाँव/पो. कुनोर, जिला उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	732600	732600	1185030
17	बिकास भारती वेलफेयर सोसायटी, 20/1/बी, लाल बाजार, स्ट्रीट, कोलकता	सचल औषधालय	195435	781740	390870
18	बिरसा मुंडा एजूकेशन सेंटर ग्राम - क्रांति, पोस्ट - क्रांति हाट, जिला - जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	4897917	1973340	3282930
19	गोहालडिहा जाति उपजाति ब्लू बर्ड महिला कल्याण केंद्र गोहालडिहा, जिला - मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	1039320	2921616	2459520
20	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एशोसिएशन, बुद्ध केंद्र, सालूगाड़ा, पश्चिम बंगाल	गैर-आवासीय विद्यालय	601830	601830	1541970

21	खालिसगड़िहा सोसायटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट खालिसगड़िहा, जिला-मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	1039320	1024110	4196494
22	पश्चिम बंगा खोरिया साबर कल्याण समिति, पश्चिम बंगाल गांव-पो. राजनोवागढ़, जिला पुरुलिया, पिन-723128, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	294862	0	0
23	प्रणब कन्या संघ, प्रणब पैली, पोस्ट - कोरा चण्डीगढ़, मध्यम ग्राम, जिला - नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	0	1313550	0
24	आर.के.मिशन ब्वायेज होम, रहारा, जिला-नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल	छात्रावास-सह-आवासीय विद्यालय	0	2100240	1600470
	कुल		**30496275**	**40380351**	**54938998**

अनुबंधः 10-क का राज्यवार सारांश

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान गैर सरकारी संगठनों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2006-07	2007-08	2008-09
1	आंध्र प्रदेश	1.61	1.17	3.49
2	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.01	0.01	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	2.75	3.23	3.90
4	असम	0.69	0.85	0.74
5	छत्तीसगढ़	0.46	0.55	0.57
6	गुजरात	1.58	1.00	0.93
7	हिमाचल प्रदेश	0.58	1.06	0.58
8	झारखण्ड	1.89	3.09	3.48
9	जम्मू और कश्मीर	0.60	0.47	0.65
10	कर्नाटक	2.42	2.39	2.94
11	केरल	0.82	0.79	0.26
12	मध्य प्रदेश	1.27	1.20	1.26
13	महाराष्ट्र	2.02	1.82	1.68
14	मणिपुर	1.72	1.46	1.17
15	मेघालय	3.22	3.36	5.47
16	मिजोरम	0.03	0.15	0.41
17	नागालैण्ड	0.19	0.27	0.04
18	उड़ीसा	3.85	4.68	4.47
19	राजस्थान	0.66	0.48	0.33
20	सिक्किम	0.40	0.30	0.21
21	तमिलनाडु	0.19	0.20	0.14
22	त्रिपुरा	0.11	0.05	0.14
23	उत्तराखण्ड	0.00	0.69	0.65
24	उत्तर प्रदेश	0.00	0.61	0.28
25	पश्चिम बंगाल	3.05	4.04	5.49
26	दिल्ली	0.19	0.07	0.32
	योग	**30.31**	**33.99**	**39.60**

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान निर्मुक्त किया गया अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/प्राइवेट संस्थानों के नाम	2006-07	2007-08	2008-09
(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र :		**निर्मुक्त राशि**	**निर्मुक्त राशि**	**निर्मुक्त राशि**
1	आंध्र प्रदेश	15.76	46.38	0.00
2	बिहार	2.36	0.00	0.00
3	गुजरात	0.00	15.13	8.29
4	कर्नाटक	10.00	3.20	0.00
5	मध्य प्रदेश	22.06	35.29	11.71
(ख) विश्वविद्यालय :				
6	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	7.56	0.00	0.00
(ग) व्यावसायिक कोचिंग संस्थाएं :				
7	चाणक्य एकेडमी, दिल्ली	0.00	1.19	रोका गया
8	क्रेस्तर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, शिवपुरी, मध्य प्रदेश	0.00	18.00	33.90
9	स्टडी फार्म, जी-30, चान्मारी, आइजोल, मिजोरम	6.68	–	रोका गया
10	कैरियर प्लस एजूकेशनल सोसायटी, 302-ए-37-38-39, अंसल बिल्डिंग, तीसरा तल, बत्रा सिनेमा के पास, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 (छत्तीसगढ़ के लिये)	0.00	19.00	55.01
11	दिल्ली एजुकेशन सेंटर, 28ए/11, जीआ सराय, आईआईटी के पास, हौज खास, दिल्ली-110016 (छत्तीसगढ़ के लिये)	5.52	9.00	30.10
12	कैरियर प्लस एजूकेशनल सोसायटी, 302-ए-37-38-39, अंसल बिल्डिंग, तीसरा तल, बत्रा सिनेमा के पास, डॉ0 मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 (दिल्ली के लिये)	0.00	18.80	24.06
13	दिल्ली एजुकेशन सेंटर, 28ए/11, जीआ सराय, आईआईटी के पास, हौज खास, दिल्ली-110016 (दिल्ली के लिये)	0.00	8.80	5.65
14	अभिनव उड़ीसा, एफ/573, सेक्टर-6, सीडीए, कटक-14, उड़ीसा	0.00	10.20	22.83
15	एनएसए कृषि समिति, डी-23, जगन पथ, चौमू हाऊस, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-30200, राजस्थान	0.00	6.20	15.50
16	उत्कर्ष विकास समिति, 265 विश्व कर्मन नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, राजस्थान	0.00	6.20	15.50
17	बी.एल. सैनी कोचिंग सेंटर, टोंक फाटक, जयपुर, राजस्थान-302018, राजस्थान	0.00	17.60	28.39
18	कोठारी इंस्टीट्यूट, 7, शिववालास पैलेस, रजवाड़ा चौक, इंदौर, मध्य प्रदेश	0.00	15.00	29.94
	कुल	**69.94**	**229.99**	**280.88**

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक निजी संस्थाओं/राज्य सरकारों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2006-07	2007-08	2008-09
1	आंध्र प्रदेश	15.76	46.38	0.00
2	असम	0.00	0.00	0.00
3	बिहार	2.36	0.00	0.00
4	छत्तीसगढ़	0.00	28.00	55.01
5	दिल्ली	5.52	27.60	59.81
6	गुजरात	0.00	15.13	8.29
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
8	कर्नाटक	10.00	3.20	0.00
9	केरल	0.00	0.00	0.00
10	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
11	मध्य प्रदेश	22.06	68.29	75.55
12	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
13	मिजोरम	6.68	0.00	0.00
14	उड़ीसा	0.00	10.20	22.83
15	राजस्थान	7.56	30.00	59.39
16	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00
	कुल	**69.94**	**229.99**	**280.88**

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा को सुदृढ़ करने की योजना के तहत वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान वित्तपोषित संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर सरकारी संगठनों के नाम तथा पता	2006-07	2007-08	2008-09
आंध्र प्रदेश				
1	आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर आश्रम एण्ड रेजीडेंसियल एजूकेशन इंस्टीट्यूशन सोसायटी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) (श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, खम्माम, वारंगल, आदिलाबाद, गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर, कुडाप्पा, कुरनूल, महबूबनगर, रंगारेड्डी,	9850305	138097195	189418110
2	चैतन्य एजूकेशनल एण्ड रूरल डेवलपमेंट, जिला-कडप्पा, आंध्र प्रदेश	0	2652000	699000
3	नवोदय इंटीग्रेशन कल्चरल सोशल एजूकेशन एंड वॉलेंटरी एक्शन, कुरनूल, आं.प्र.	0	2672000	0
4	सरोजिनी देवी हरिजन महिला मंडली 10/11/635, बुरहानपुर, जिला - खम्माम, आं.प्र.	308469	0	867000
5	सोशल इंटीग्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, नलगोंडा, आं.प्र.	1900134	0	0
6	वेनेला एजूकेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, हैदराबाद	757192	0	0
	कुल	**12816100**	**143421195**	**190984110**
अरुणाचल प्रदेश				
1	भारत सेवाश्रम संघ, लखरा रोड, काहिलीपाडा, गुवाहाटी, असम (पक्के कसेंग, जिला - वेस्ट कमेंग)	0	0	375000
	कुल	**0**	**0**	**375000**
छत्तीसगढ़				
1	विवेकानन्द इंस्टीच्युट ऑफ सोशल हेल्थ एण्ड वेल्फेयर सर्विस, नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	1585800	1606000	3913218
	कुल	**1585800**	**1606000**	**3913218**
गुजरात				
1	गुजरात स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट रेजिडेंशियल एजूकेशन इंस्टीट्यूट सोसायटी (जीएसआईटीडीआरईआईएस), बिरसा मुंडा भवन, गांधीनगर (जिला-बड़ोदरा, गाँव खड़कवारा (फेरकुंआ), केदीघोघादेव, मलाजा (एकलबारा), छोड़वानी, मोगरा साइदीवासन, भीखापुर, मोवाड़ा, सलोज, धारसिमन, घुटियांबा, पिसायता), (जिला-दाहोद, गाँव-मण्डोर, नीमच, नीनामानी-वाव, गरेड़िया, नानी खजूरी, फतहपुरा, उसरवन), (जिला-वल्साड़, गाँव सुथरबाड़ा, कोरचंद), (जिला-पंचमहल, गाँव-सालिया मुवाड़ी, नरुकोट, घोघंबा, खैरवा), (जिला-बनासकण्ठा, गाँव-सरोत्रा), (जिला-नर्मदा, गाँव-डेडियापाड़ा), (जिला-बनासकण्ठा, गाँव-वीरमपुर, जेठी, महूड़ी (गध), रनपुर (अम्बा) (जिला-साबरकण्ठा, गाँव-खेतब्रह्मा) (जिला-तापी, गांव-बाबरघाट) (जिला-डांग, गाँव-पीपलपड़िया) (जिला मुख्यालय-जूनागढ़, गांव-जूना नागवाड़ा) (जिला-अहमदाबाद, गांव-शाहपुर)			

2	लोक निकेतन, एटी-ककनपुर, बनासकंठा, गुजरात	2005733	0	1352200
3	श्री सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट, सनाली, ता-दांता, जिला बनासकांथा, गुजरात	1124685	0	508000
	कुल	**3130418**	**0**	**40568600**
झारखंड				
1	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली (लुम्बई, जिला - वेस्टसिंहभूम)	300000	450000	0
2	झारखंड विकास संस्था, एल-104, अरगारा हाउसिंक कॉलोनी, रांची, झारखंड	0	0	375000
	कुल	300000	450000	375000
कर्नाटक				
1	कर्नाटक रेजीडेंशियल एजुकेशनल सोसायटी, कर्नाटक (गुरुगुंटा, हुसकुरमाला, काक्केरा हथीकुनी तथा सागर जिले में 5-शैक्षिक परिसर)	0	18016000	0
	कुल	0	18016000	0
मध्य प्रदेश				
1	आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे.आर. बिरला रोड, नियर ज्ञान मंदिर, हाइयर सेकेंडरी स्कूल, सतना, मध्य प्रदेश (2-शैक्षिक परिसर)	2820000	0	8184086
2	आम ग्रामीण उत्थान समिति, सी.एस.ए. मार्ग, राणापुर, जिला-झाबुआ, म.प्र.	0	0	212500
3	बंधेवाल शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	4193000	0	4536700
5	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, ग्राम-तिक्रिया, जिला-डिंडोरी, म.प्र.	0	0	750000
6	मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेजीडेंशियल एंड आश्रम एजूकेशनल इंस्टीट्यूट सोसायटी, सत्पमा भवन, भोपाल, म.प्र. (जिला-बड़वानी, सिद्धी, जिला-रतलाम, झाबुआ, खरगोन (पश्चिमी निमाड़), बेतूल, हरदा, उमरिया, शहडोल, धार, खंडवा (तत्कालीन पूर्वी निमाड़), डिंडोरी, माण्डला)	0	0	14889200
7	म.आ. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ, 166-ई, मुनिनगर, उज्जेन, मध्य प्रदेश	527957	0	2892100
8	पुष्पा कान्वेंट एजुकेशनल सोसायटी, भोपाल, म.प्र.	0	2793000	3472830
9	राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट, काठीवाड़ा, झबुआ, म.प्र.	1090000	1080000	2548400
10	रूरल डेवलपमेंट सर्विस सोसायटी, सिलवानी, मध्य प्रदेश	459000	450000	0
11	सव्य सांची सेंटर फोर अरबन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मध्य प्रदेश	1814000	2520200	0
12	सेवा भारती, भोपाल, मध्य प्रदेश	263872	0	0
13	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम, माई की बगिया, अमरकंटक, जिला अनुपुर, पिन-484886, मध्य प्रदेश	1181607	569867	2039693
14	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 7-ई, रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली	1095000	0	0
15	ग्रामीण सेवा केन्द्र, मंडलीनाथु, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश	549000	689000	0
	कुल	**13993436**	**8102067**	**39525509**
महाराष्ट्र				
1	एबीएम समाज प्रबोधन संस्था, जिला थाने, महाराष्ट्र	1238000	0	0
2	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वड़गाँव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र	1537200	1392200	0
	कुल	**2775200**	**1392200**	**0**

	उड़ीसा			
1	अरुण इंस्टीट्युट ऑफ रूरल अफेयर्स, एटी/अस्वखोला, पीओ- करमुल, जिला धेनकाना, पिन - 759014, उड़ीसा	2825466	1428000	3428718
2	ब्राइट कैरियर एकाडमी, कोरापुत, उड़ीसा	1413000	1440000	2853444
3	जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एसोसिएशन (जीआईटीए), ब्राह्मणपाद, जिला कंधामल, उड़ीसा	0	0	3063000
4	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमैंरियल ट्रस्ट, उत्कल ब्रांच, पीओ-सत्यभामापुर, जिला गोपालवाड़ी (केठिगुड़ा) जिला रायगडा, उड़ीसा	379886	0	459963
5	कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन ग्राउंड लोर, एनएसी कॉम्पलेक्स, सुनाबेदा, जिला कोरापुट, उड़ीसा	2014470	1440000	3136700
6	लिबरेशन एजूकेशन एण्ड एक्शन फोर डेवलपमेंट (एलईएडी) ग्रा. सुन्दरगढ़ जिला कोरापुट, उड़ीसा	2814200	1423000	3076700
7	मर-म्यूनिंग आश्रम, औरबिन्दो, कोरापुत, उड़ीसा	1456300	975000	2446200
8	एनवाईएसएडीआरआई, ऐट-संथसारा, पी.ओ.-संथापुर, जिला धेनकनाल, उड़ीसा	2570743	1179000	2706110
9	उड़ीसा मॉडल ट्राइबल एजुकेशन सोसायटी, भुवनेश्वर, उड़ीसा {जिला-रायगड़ा, गाँव-अरिश्कनी, परसली, कैरेबा}, {जिला-मयूर भंज, गाँव-अंगरपाड़ा, चिकतामतिया}, {जिला-अंगूल, गाँव-सीविदा}, {जिला-मलकानगिरी, गाँव-बड़बेल, नंदी निगोड़ा, बदापदा}, {जिला-नौपाड़ा, गाँव-सलेपाड़ा}, {जिला-सुंदरगढ़, गाँव-खूटा गाँव}, {जिला-देवगड़, गाँव-झराबहल}, {जिला-कालाहांडी, गाँव-बनिपगा}, {जिला-कंधमाल, गाँव-धूमामस्का}, {जिला-गंजाम, गाँव-लोकशाही}, {जिला-क्योंझर, गाँव-कोनासिका, उपरी कुशीमिता}	0	0	82527800
10	परकल्पा, क्योंझर, उड़ीसा	0	0	4876400
11	सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी रायगाडा	882452	430706	1336320
12	सेवा समाज, जिला रायगडा	1350000	678000	0
13	सोशल एजुकेशन फार एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (सीड), नायपल्ली	1752536	950800	2279990
14	सोशल वेलफेयर एण्ड रूरल डेवलपमेंट ग्राम एवं पोस्ट - बैनसिया, जिला - ढेंकानॉल	3137000	1401000	0
15	सोसायटी फॉर नेचर, हेल्थ एण्ड एजूकेशन भुवनेश्वर	2472000	1484000	0
16	श्री रामाकृष्णा आश्रम ग्राम एवं पोस्ट - बादारोहिला, जिला - आंगुल	2837826	1428000	3094700
17	टैगोर सोसायटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, भुवनेश्वर, उड़ीसा	1204000	1243000	3064904
18	सर्वोदय समिति, कोरापुट, उड़ीसा	1989000	424963	1015037
19	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली	900000	0	0
	कुल	**29998879**	**15925469**	**119365986**
राजस्थान				
1	जनजातीय महिला विकास संस्थान अनुराग निवास, जिला - सवाई माधोपुर	2595800	0	1247257
2	लोक भारतीय प्रतिष्ठान बदकाई, पी.ओ.-डुंगला, पिन-312402, जिला-चित्तौड़, राजस्थान	0	740269	0

3	महावीर जैन विद्यालय संस्थान उदयपुर, राजस्थान	966000	0	0
4	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति उदयपुर, राजस्थान	2293000	2544000	0
5	राजस्थान बाल कल्याण समिति ग्राम एवं पोस्ट - झाडोल, जिला - उदयपुर, राजस्थान	2813400	1634000	3645320
	कुल	**8668200**	**4918269**	**4892577**
पश्चिम बंगाल				
1	भारत सेवाश्रम संघ, बेलडांगा, जिला-मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल	5862100	3668800	0
	कुल	**5862100**	**3668800**	**0**

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत 2006-07 से 2008-09 के दौरान गैर सरकारी संगठनों/राज्य संचालित स्वायत्त समितियों को निर्मुक्त की गई राज्य-वार निधियां

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2006-07	2007-08	2008-09
1	आंध्र प्रदेश	1.28	14.34	19.10
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.04
3	छत्तीसगढ़	0.16	0.16	0.39
4	गुजरात	0.31	0.00	4.05
5	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
6	झारखंड	0.03	0.05	0.04
7	कर्नाटक	0.00	1.80	0.00
8	मध्य प्रदेश	1.40	0.81	3.95
9	महाराष्ट्र	0.28	0.14	0.00
10	उड़ीसा	3.00	1.59	11.94
11	राजस्थान	0.87	0.49	0.49
12	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00
13	पश्चिम बंगाल	0.58	0.37	0.00
	कुल	**7.91**	**19.75**	**40.00**

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	2006-07	2007-08	2008-09
असम				
1	डा. अम्बेडकर मिशन कामरूप, असम	1410000	1650000	1410000
2	ग्राम विकास परिषद, गांव रंगालू, डाकघर-जुमारमुर, जिला- नौगांव असम	1398000	1398000	1398000
3	पठारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट बार लाइब्रेरी, नौगांव, असम	1398000	1398000	1398000
	कुल	**4206000**	**4446000**	**4206000**
छत्तीसगढ़				
1	जिमोलॉजीकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ओल्ड आरटीओ बिल्डिंग देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़	842500	402571	परियोजना रोक दी गई
	कुल	**842500**	**402571**	**0**
गुजरात				
1	सेवा – रूरल सोसायटी फॉर एजूकेशन, वेलफेयर एण्ड एक्शन गुमानदेव, पी.ओ. – कपालसाडी, तालुका – झागाडिया, जिला – भरूच – गुजरात – 393110	0	2431500	405000
	कुल	**0**	**2431500**	**405000**
कर्नाटक				
1	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्यापीठ संस्था, देवेनगिरि	2796000	1398000	1398000
2	अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलोजी एंड दि इनवायरनमेंट, नं. 659, 5वां ए मेन रोड, हेब्बल, बंगलौर, पिन-560024	0	513750	0
	कुल	**2796000**	**1911750**	**1398000**
मध्य प्रदेश				
1	अंकित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति विनय नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	2796000	1398000	0
2	बंधेवाल शिक्षा समिति, भोपाल	0	2749500	2820000
	कुल	**2796000**	**4147500**	**2820000**
महाराष्ट्र				
1	प्रियदर्शिनी ग्रामीण एवं आदिवासी सेवाभावी संस्था, 1-दीपराज कॉम्पलैक्स, न्यू नगर रोड, संगमनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	2506201	1386000	0
	कुल	**2506201**	**1386000**	**0**
मेघालय				
1	नोंगक्रेम यूथ डेवलपमेंट एशोसिएशन पी.ओ. – नांगक्रेम, वाया – मैडमरिंतिंग, शिलांग – 793021	1380000	1078473	1398000
	कुल	**1380000**	**1078473**	**1398000**
नागालैंड				
1	विटोले वूमन सोसायटी कोहिमा, नागालैंड	0	1122766	1716000
2	वूमेन वेलफेयर सोसायटी जून्हेबोटो, नागालैंड	0	1362000	2796000
	कुल	**0**	**2484766**	**4512000**

राजस्थान			
1 लक्ष्मी गृह उद्योग सहकारी समिति लि0, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान (न्यू)	462000	0	0
कुल	**462000**	**0**	**0**
तमिलनाडु			
1 भरतियार मक्कल नलवालू संस्थानम् 82, सन्यासी कुण्डू एक्सटेंसन, किचीपलायम, सलेम – 636015	0	4211440	0
कुल	**0**	**4211440**	**0**

अनुबंध: 10-घ का राज्यवार (केवल गैर-सरकारी संगठनों के लिए) सारांश

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(केवल गैर-सरकारी संगठनों के लिए)

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2006-07	2007-08	2008-09
1	असम	0.420	0.440	0.420
2	छत्तीसगढ़	0.080	0.040	0.000
3	गुजरात	0.000	0.240	0.040
4	कर्नाटक	0.280	0.190	0.140
5	मध्य प्रदेश	0.280	0.420	0.280
6	महाराष्ट्र	0.250	0.140	0.000
7	मेघालय	0.140	0.110	0.140
8	नागालैंड	0.000	0.250	0.450
9	राजस्थान	0.050	0.000	0.000
10	तमिलनाडु	0.000	0.420	0.000
11	दिल्ली	0.000	0.000	0.000
	कुल	**1.500**	**2.250**	**1.470**

अध्याय 11

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए कार्यक्रम

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास के लिए योजना

11.1 अनुसूचित जनजातियों के बीच कुछ जनजातीय समूह ऐसे हैं जिनमें घटती हुई या स्थिर जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर, कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी है और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। 17 राज्यों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई है और उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। आदिम जनजातीय समूहों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची **अनुबंध: 11-क** पर है। इन समूहों मे से प्रत्येक समूह संख्या में कम हैं और इन्होंने सामाजिक और आर्थिक प्रगति के किसी महत्वपूर्ण स्तर को प्राप्त नहीं किया है तथा सामान्यतया उनका वास स्थान दूर है जहां प्रशासनिक तथा अवसंरचना आधार खराब है। इसलिए ये अनुसूचित जनजातियों में सबसे अधिक कमजोर समूह बन जाते हैं। अत: इसे प्राथिमकता दी जाती है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, उनकी आबादी के घटते रुझान को नियंत्रित किया जाए तथा उनके विकास को बढ़ावा दिया जाए।

11.2 उद्देश्य : चूंकि जनजातीय समूहों में आदिम जनजातीय समूह अत्यंत कमजोर वर्ग है इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित तथा राज्य योजनाओं से पर्याप्त धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता है। तथापि, यह देखने में आया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई निधियां पर्याप्त रूप से उन तक नहीं पहुंच रही हैं। अत: 1998-99 में आदिम जनजाति समूहों के अनन्य विकास के लिए 100% केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित एक अलग योजना आरंभ की गई। इस बीच ज्ञान और प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर वित्तीय वर्ष 2007-08 में इस योजना में सुधार किया गया था तथा वर्ष 2008-09 में इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया है।

11.3 कार्यक्षेत्र : इस योजना में अनुसूचित जनजातियों में से केवल 75 आदिम जनजातीय समूह शामिल किए गए हैं। यह योजना अत्यंत लचीली है क्योंकि यह प्रत्येक राज्य को उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने मे सक्षम बनाती है, जिन्हें वे अपने आदिम जनजातीय समूहों के लिए संगत तथा उनके सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के लिए उपयुक्त मानते हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों में आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशु विकास, संपर्क सड़कों का निर्माण, प्रकाश संबंधी आयोजन के लिए ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों की संस्थापना, जनश्री बीमा योजना सहित सामाजिक सुरक्षा अथवा पीटीजी, विशेषकर खानाबदोश प्रकार के पीटीजी, के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत कोई अन्य नवाचारी कार्यकलाप हैं। इस योजना के अंतर्गत निधियां उन मदों/कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो आदिम जनजातीय समूहों के जीवन, संरक्षण और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनके लिए राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना द्वारा अथवा संविधान के अनुच्छेद 275(1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन निधियों के उपयोग को अभिशासित करने वाले दिशानिदेंशों द्वारा विशेष रूप से निधियां प्रदान नहीं की गई हैं। निधियों और कार्यकर्ताओं की समाभिरूपता का सामान्य सिद्धांत भी लागू होता है।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संचालित आदिम जनजातीय समूहों के अस्पताल

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आदिम जनजातीय समूहों के लिए संचालित अस्पताल

11.4 योजना (सीसीडी योजनाओं) का कार्यान्वयन : वर्ष 2008-09 के दौरान दीर्घकालिक "आदिम जनजातियों के लिए संरक्षण-व-विकास (सी.सी.डी.) योजना" के कार्यान्वयन को जारी रखा गया। यह उल्लेख किया जा सकता है कि इन संरक्षण-व-विकास योजनाओं को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने वर्ष 2007-08 के दौरान पांच वर्षों के लिए स्वयं द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निवास स्थान विकास दृष्टिकोण को अपनाकर तैयार किया था और मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने इन्हें अनुमोदित किया था। संरक्षण-व-विकास योजनाओं में प्रत्येक वित्त वर्ष के वार्षिक प्रावधानों तथा उस कार्यकलाप के कार्यान्वयन में लगाए गए अभिकरण का भी उल्लेख किया जाता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से यह कहा गया है कि उनके राज्य में पाए गए सभी आदिम जनजातीय समूहों के लिए समानुपातिक रूप से वित्तीय संसाधन प्रदान करने को तथा इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उपायों को उपयुक्त रूप से शामिल करके कार्यकलापों को किया जाना सुनिश्चित किया जाए। किसी क्षेत्र में उपायों के दोहराव से बचा जाए। नवाचारी योजनाओं और प्रक्रियाविधियों के माध्यम से परिदान तंत्र को सुदृढ़ किया जाए। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर ने अपनी संरक्षण-व-विकास योजनाएं प्रस्तुत नहीं की हैं।

11.5 सीसीडी योजनाओं की जांच और अनुमोदन

एक विशेषज्ञ समिति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत सीसीडी योजनाओं की जांच करती है। विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :

1. सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष।
2. संबंधित संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय - सह-अध्यक्ष।
3. सलाहकार, योजना आयोग।
4. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
5. पीटीजी के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण से एक विशेषज्ञ।
6. निदेशक (एसजी-1 और एसजी-2), जनजातीय कार्य मंत्रालय।
7. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्य को देख रहे निदेशक/ उपसचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
8. निदेशक/उप-सचिव (एनजीओ) - सदस्य-सचिव।

अध्यक्ष को, जब कभी अपेक्षित हो, किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों)/गैर-सरकारी विशेषज्ञ सदस्य (सदस्यों) को सहयोजित करने की स्वतंत्रता है।

11.6 अनुमोदित संरक्षण-व-विकास योजनाओं के अनुसार वर्ष 2008-09 के प्राथमिकता वाले कार्यकलापों के आधार पर 13 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को निधियां निर्मुक्त की गई हैं।

11.7 राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किए जाने वाले कार्यकलापों की अनुसूची और उन्हें जारी रखने

तथा पूरे होने के संभावित समय के बारे में सूचना प्रस्तुत करें ताकि परियोजना का अनुवीक्षण कारगर ढंग से किया जा सके। उनसे यह सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि क्षेत्रीय स्तर पर उपयुक्त सुपुर्दगी तंत्र की व्यवस्था हो और संरक्षण-व-विकास योजनाओं को इस उद्देश्यार्थ राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के पर्यवेक्षण में कार्यान्वित किया जाए।

11.8 कार्यान्वयन अभिकरण : यह योजना राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभिन्न अभिकरणों जैसे समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं (आई टी डी पी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए), जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से संरक्षण-व-विकास योजनाओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती है।

11.9 वित्तपोषण पद्धति : यह एक 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। निधियां सीसीडी योजना में किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार एक किस्त में राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की जाती हैं। गैर-सरकारी संगठनों के पक्ष में निधियां, सीसीडी योजना के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे निर्मुक्त की जाती हैं।

11.10 मानीटरिंग : सीसीडी योजना के कार्यान्वयन को मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तथा इस प्रयोजन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त की जा सकने वाली स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा मॉनीटर किया जाना अपेक्षित है। मंत्रालय के पास किसी भी समय मानीटरिंग और प्रगति को सुधारने के लिए प्रपत्र अथवा दिशानिर्देश निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निर्धारित प्रपत्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती है। इस रिपोर्ट में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्यों को शामिल करना भी अपेक्षित होता है।

जनश्री बीमा योजना

11.11 वर्ष 2004-05 के दौरान मंत्रालय ने समस्त आदिम जनजातीय समूहों के प्रत्येक परिवार से एक अर्जक सदस्य को भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत बीमे के तहत कवर करने का निर्णय लिया और यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के शेष तीन वर्षों के भीतर समस्त आदिम जनजातीय समूहों के प्रत्येक परिवार को इसमें शामिल कर लिया जाए। वर्ष 2004-05 के दौरान मंत्रालय ने 16 राज्यों के आदिम जनजातीय समूहों के 1 लाख परिवारों में से प्रत्येक के एक अर्जक सदस्य को इस योजना के अंतर्गत बीमा कराने के लिए 5 करोड़ रुपए और वर्ष 2005-06 के दौरान 15 राज्यों/संघ शासित क्षेत्र के आदिम जनजातीय परिवारों के 2 लाख ऐसे अर्जक सदस्यों के लिए 10.00 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की। वर्ष 2006-07 के दौरान पीटीजी परिवारों के 1.095 लाख अर्जक सदस्यों को कवर करने के लिए 5.48 करोड़ रुपए की राशि 9 राज्यों को निर्मुक्त की गई है। वर्ष 2007-08 के दौरान 04 राज्यों को आदिम जनजातीय परिवारों के 22400 अर्जक सदस्यों को शामिल करने के लिए 1.12 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई। वर्ष 2008-09 के दौरान किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने इस योजना के लिए निधियों की मांग नहीं की। इस प्रकार वर्ष 2004-05 से आदिम जनजातीय परिवारों के 4,31,900 अर्जक मुखिया को कुल 21.59 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। जनश्री बीमा योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई निधियों का वर्षवार ब्यौरा **अनुबंध-11 (ख)** में दिया गया है। इस योजना को वर्ष 2009-10 में संशोधित किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होंगी :

(i) दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में बीमित व्यक्ति के नजदीकी संबंधी को 50,000 रुपए का भुगतान;

(ii) सामान्य मृत्यु की अवस्था में बीमित व्यक्ति के नजदीकी संबंधी को 20,000 रुपए;

(iii) आंशिक अपंगता की स्थिति में 20,000 रुपए; एवं

(iv) बीमित व्यक्ति के 9वीं कक्षा और उससे ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चों को 300 रुपए प्रति तिमाही शिक्षा अनुदान।

11.12 आबंटन : समग्र 11वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित परिव्यय 670.00 करोड़ रुपए है। वर्ष 2008-09 के दौरान आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के तहत किया गया वार्षिक आबंटन और इस संबंध में किया गया व्यय पिछले दो वर्षों के आबंटन और व्यय के ब्यौरे के साथ तालिका 11.1 में दिया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

तालिका 11.1 : वर्ष 2006-07 से वर्ष 2008-09 तक आबंटित और निर्मुक्त की गई राशि			
वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**व्यय**
2006–07	31.50	31.50	31.32
2007–08	40.00	58.46	57.86
2008–09 (31.03.2009 तक)	178.00	194.00	192.07

11.13 वर्ष के दौरान निष्पादन : संरक्षण–व–विकास योजनाओं के आधार पर वर्ष 2008–09 के दौरान 13 राज्यों को 192.07 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। इस योजना के तहत पिछले दो वर्षों और वर्ष 2008–09 के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों का विवरण **अनुबंध-११(ग)** में दिया गया है।

भारत में वर्ष 1961 से 1991 तक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) और उनकी जनसंख्या

(वास्तविक आंकड़े)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीटीजी का नाम	जनसंख्या 1961	1971	1981	1991	2001
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
आंध्र प्रदेश	1. चेचूं	17609	24178	28434	40869	49232
	2. बोडो गाडाबा	21840	25108	27732	33127	36078
	3. गुटोब गाडाबा					
	4. डोंगरिया खोण्ड	21754	34382	39408	66629	85324
	5. कुलतिया खोण्ड					
	6. कोलाम	16731	26498	21842	41254	45671
	7. कोण्डा रेड्डी	35439	42777	54685	76391	83096
	8. कोण्डासवारा		28189			
	9. बोण्डो पोरजा					
	10. खोण्ड पोरजा	9350	12347	16479	24154	32669
	11. पारेंगी पोरजा					
	12. थोटी	546	1785	1388	3654	2074
	योग	**123269**	**195264**	**189968**	**286078**	**334144**
बिहार (झारखण्ड सहित सहित 1991 तक; 2001 के लिए केवल बिहार)	13. असुर	5819	7026	7783	9623	181
	14. बिरहोर	2438	3461	4377	8083	406
	15. बिरजिया	4029	3628	4057	6191	17
	16. हिल खारिया	108983	127002	141771	151634	1501
	17. कोरवा	21162	18717	219940	24871	703
	18. मल पहारिया	45423	48636	79322	86790	4631
	19. परहइया	12268	14651	24012	30421	2429
	20. सौरिया पहारिया	55605	59047	39269	48761	585
	21. सावर	1561	3548	3014	4264	420
	योग	**257289**	**285719**	**325545**	**370638**	**10873**
गुजरात	22. कोलघा	–	29464	62232	82679	48419
	23. काथोडी	–	2939	2546	4773	5820
	24. कोतवालिया	–	12902	17759	19569	21453
	25. पधार	–	4758	10587	15896	22421
	26. सिधी	–	4482	5429	6336	8662
	योग	-	**54545**	**98553**	**129253**	**106775**
झारखण्ड	27. असुर					10347
	28. बिरहोर					7574
	29 बिरजिया					5365
	30. हिल खारिया					164022
	31. कोरवा					27177
	32. मल पहारिया					15093
	33. परहइया					20786

(वास्तविक आंकड़े)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीटीजी का नाम	1961	जनसंख्या 1971	1981	1991	2001
	34. सौरिया पहारिया					31051
	35. सावर					6004
	योग					**287358**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
कर्नाटक	36. जेनू कुरूबा	3623	6656	34747	29371	29828
	37. कोरागा	6382	7620	15146	16322	16071
	योग	**10005**	**14276**	**49893**	**45693**	**45899**
केरल	38. चोलानाइकायन	–	306	234	–	–
	39. कदार	–	1120	1503	2021	2145
	40. कट्टूनायकन	–	5565	8803	12155	14715
	41. कोरागा	–	1200	1098	1651	1152
	42. कुरूम्बा	–	1319	1283	1820	2174
	योग	–	**9510**	**12921**	**17647**	**20186**
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	43. अबूझ मारिया	11115	13000	15500	–	–
	44. बैगा	–	6194	248949	317549	332936
	45. भारिया	–	1589	1614	–	–
	46. बिरहोर	513	738	561	2206	143
	47. हिल कोरबा	23605	67000	19041	–	–
	48. कमार	–	13600	17517	20565	2424
	49. सहरिया	174320	207174	281816	332748	450217
	योग	**209551**	**309295**	**564998**	**673068**	**785720**
महाराष्ट्र	50. कथारी/कथोडी	–	146785	174602	202203	235022
	51. कोलाम	–	56061	118073	147843	173646
	52. मारिआ गोण्ड	–	53400	66750	–	–
	योग	-	**256246**	**359425**	**350046**	**408668**
मणिपुर	53. मारम नागा	–	**5123**	**6544**	**9592**	**1225**
उड़ीसा	54. चुकतिया भूंजिया	–	–	–	–	–
	55. बिरहोर	–	248	142	825	702
	56. बोड़ो	–	3870	5895	7315	9378
	57. डिडाई	–	3055	1978	5471	7371
	58. डोंगरिया खोण्ड	–	2676	6067	–	–
	59. जुआंग	–	3181	30876	35665	41339
	60. खारिया	–	1259	1259	–	–
	61. कुटिया खोण्ड	–	3016	4735	–	–
	62. लानजिया सावर	–	4233	8421	–	–
	63. लोधा	–	1598	5100	7458	8905
	64. मनकिरडिया	–	133	1005	1491	1050
	65. पौड़ी भूयान	–	4424	8872	–	–
	66. साउरा	–	2845	2917	–	–
	योग	–	**30528**	**77267**	**58225**	**68745**

(वास्तविक आंकड़े)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आदिम जनजातीय समूह का नाम	जनसंख्या 1961	1971	1981	1991	2001
राजस्थान	67. सहरिया	**23125**	**26796**	**40945**	**59810**	**76237**
तमिलनाडु	68. इरूलर	79835	89025	105757	138827	155606
	69. कअँूनायकन	6459	5042	26383	42761	45227
	70. कोटा	833	1188	604	752	925
	71. कोरूम्बा	1174	2754	4354	4768	5498
	72. पानियान	4779	6093	6393	7124	9121
	73. टोडा	714	930	875	1100	1560
	योग	**93794**	**105032**	**144366**	**195332**	**217937**
त्रिपुरा	74. रियांग	**56579**	**64722**	**84004**	**111606**	**165103**
उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित 1991 तक)	75. बुकसा	–	–	31807	34621	4367
	76. राजी	–	–	1087	1728	998
	योग	–	–	**32894**	**36349**	**5365**
उत्तराखंड	77. बुक्सा					46771
	78. राजी					517
	योग					**47288**
पश्चिम बंगाल	79. बिरहोर	–	–	658	855	1017
	80. लोधा	–	45906	53718	68095	84966
	81. टोटो	–	–	675	–	–
	योग	–	**45906**	**55051**	**68950**	**85983**
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	82. ग्रेट अण्डमानीज	–	–	42	32	43
	83. जरावा	–	–	31	89	240
	84. ओन्गे	–	–	97	101	96
	85. सेंटेनली	–	–	–	24	39
	86. शोम पेन	71	212	223	131	398
	योग	**71**	**212**	**393**	**377**	**816**
अखिल भारत	**कुल योग**	**773704**	**1403174**	**2042767**	**2412664**	**2592085**

अनुबंध: 11-ख

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पूर्ववर्ती आदिम जनजातीय समूह) के विकास की योजना के अंतर्गत जनश्री बीमा योजना के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और कवर किए गए पीटीजी परिवारों के मुखियाओं को 2004-05 से निर्मुक्त की गई राशि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परिवारों की अनुमानित संख्या	2004-05 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	2004-05 के लिए परिवारों की लक्षित संख्या	2005-06 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	2005-06 के लिए परिवारों की लक्षित संख्या	2006-07 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	2006-07 के लिए परिवारों की लक्षित संख्या	2007-08 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	2007-08 के लिए परिवारों की लक्षित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	58000	60.00	12000	120.00	24000	110.00	22000	68.00	13600
2	बिहार	5920	5.00	1000	10.00	2000	0.00	0	0.00	0
3	छत्तीसगढ़	45500	40.00	8000	90.00	18000	0.00	0	0.00	0
4	गुजरात	26000	25.00	5000	50.00	10000	55.00	11000	0.00	0
5	झारखंड	72000	70.00	14000	145.00	29000	0.00	0	0.00	0
6	केरल	4500	2.50	500	5.00	1000	15.00	3000	0.00	0
7	कर्नाटक	8500	10.00	2000	20.00	4000	12.50	2500	5.39	1078
8	मध्य प्रदेश	90000	100.00	20000	200.00	40000	150.00	30000	0.00	0
9	महाराष्ट्र	70000	70.00	14000	140.00	28000	0.00	0	0.00	0
10	मणिपुर	2500	10.00	2000	2.50	500	0.00	0	0.00	0
11	उड़ीसा	16000	12.50	2500	25.00	5000	42.50	8500	13.61	2722
12	राजस्थान	14000	12.50	2500	25.00	5000	0.00	0	0.00	0
13	तमिलनाडु	40000	40.00	8000	80.00	16000	80.00	16000	0.00	0
14	त्रिपुरा	25000	25.00	5000	50.00	10000	50.00	10000	25.00	5000
15	उत्तराखंड/उत्तर प्रदेश	6500	2.50	500	7.10	1420	0.00	0	0.00	0
16	पश्चिम बंगाल	15500	15.00	3000	30.00	6000	32.50	6500	0.00	0
17	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	80	0.00	0	0.40	80	0.00	0	0.00	0
	कुल	**500000**	**500.00**	**100000**	**1000.00**	**200000**	**547-50**	**109500**	**112.00**	**22400**

* एक परिवार में पांच सदस्यों को मानते हुए 1991 की जनगणना के आधार पर परिवारों की संख्या दी गई है।

अनुबंधः 11-ग

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी टी जी) के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. स.	राज्य का नाम	राज्य/गैर-सरकारी सगठनों/कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2006-07	2007-08	2008-09
(1)	आंध्र प्रदेश	1) आंध्र प्रदेश सरकार	374.000	860.000	985.000
(2)	छत्तीसगढ़	1) छत्तीसगढ़ सरकार	267.810	700.000	615.330
		2) विश्वास, नारायणपुर, जिला बस्तर	4.260	1.951	0.000
		3) रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला बस्तर	8.936	0.000	0.000
(3)	गुजरात	1) गुजरात सरकार	155.530	500.000	1943.220
(4)	हिमाचल प्रदेश	द डबलिंग हैंडीक्राफ्ट हेंडलूम डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर एसोसिएशन, शिमला, हिमाचल प्रदेश	3.300	0.000	0.000
(5)	झारखंड	1) झारखंड सरकार	380.000	0.000	1068.000
		2) भारत सेवा आश्रम संघ, सोनारी, जमशेदपुर	134.954	174.261	165.885
		3) भारत सेवाश्रम संघ, पाकुर, पश्चिम बंगाल	25.695	25.645	28.265
		4) विकास भारती, गुमला, ई. सिंहभूम	34.610	0.000	0.000
		5) भारत सेवा आश्रम संघ, बाराजुरी, वाया-घाटशिला, झारखंड	0.000	39.460	37.829
(6)	केरल	1) केरल सरकार	22.000	0.000	960.000
(7)	कर्नाटक	1) कर्नाटक सरकार	46.190	200.000	3227.000
		2) स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, मैसूर जिला	8.350	0.000	19.275
(8)	मध्य प्रदेश	1) मध्य प्रदेश सरकार	516.000	1000.000	3754.900
		2) बोंडेड लिब्रेशन फंड, नई दिल्ली	11.676	12.661	0.000
		3) सेवा भारती, भोपाल	41.504	31.921	0.000
(9)	महाराष्ट्र	1) महाराष्ट्र सरकार	440.600	497.000	2007.980
		2) आदिम ट्राइबल एंड वीकर सेक्शन एम्पावरमेंट सोसायटी, पुणे	16.363	0.000	0.000

		3) महारोगी सेवा समिति, वरोरा (लोक बिरादरी प्रकल्प), हेमलकासा, पी.ओ.-भाम्रागढ़ जिला-गढ़चिरोली, पिन-442710, महाराष्ट्र	0.000	49.776	0.000
(10)	मणिपुर	1) मणिपुर सरकार	0.000	0.000	0.000
		2) सेनापति जिला इकॉनोमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिला, सेनापति मणिपुर	20.786	0.000	0.000
(11)	उड़ीसा	1) उड़ीसा सरकार	75.500	1000.000	1243.000
(12)	राजस्थान	1) राजस्थान सरकार	77.000	0.000	1120.490
(13)	तमिलनाडु	1) तमिलनाडु सरकार	109.574	0.000	673.000
		2) नीलगिरी आदिवासी वेलफेयर एसोसिएशन, कोटागिरी, नीलगिरी जिला, तमिलनाडु	78.357	59.217	52.870
(14)	त्रिपुरा	1) त्रिपुरा सरकार	145.000	185.000	403.000
(15)	पश्चिम बंगाल	1) पश्चिम बंगाल सरकार	89.000	300.000	901.740
(16)	अंडमान व निकोबार	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन	0.000	0.000	0.000
		अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति	0.000	149.000	0.000
(17)	उत्तराखंड	1) उत्तराखंड सरकार	44.875	0.000	0.000
	कुल योग		**3131.870**	**5785.892**	**19206.784**

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष 2006-07 से वर्ष 2008-09 तक राज्यवार निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2006-07	2007-08	2008-09
1	आंध्र प्रदेश	374.000	860.000	985.000
2	बिहार	0.000	0.000	0.000
3	छत्तीसगढ़	281.006	701.951	615.330
4	गुजरात	155.530	500.000	1943.220
5	हिमाचल प्रदेश	3.300	0.000	0.000
6	झारखंड	575.259	239.366	1299.979
7	केरल	22.000	0.000	960.000
8	कर्नाटक	54.540	200.000	3246.275
9	मध्य प्रदेश	569.180	1044.582	3754.900
10	महाराष्ट्र	456.963	546.776	2007.980
11	मणिपुर	20.786	0.000	0.000
12	उड़ीसा	75.500	1000.000	1243.000
13	राजस्थान	77.000	0.000	1120.490
14	तमिलनाडु	187.931	59.217	725.870
15	त्रिपुरा	145.000	185.000	403.000
16	पश्चिम बंगाल	89.000	300.000	901.740
17	अंडमान व निकोबार	0.000	149.000	0.000
18	उत्तराखंड	0.000	0.000	0.000
19	उत्तर प्रदेश	44.875	0.000	0.000
	कुल	**3131.870**	**5785.892**	**19206.784**

अध्याय 12

अनुसंधान, सूचना और जनसंचार

अनुसंधान

12.1 अनुसूचित जनजातियों जैसे अति महत्वपूर्ण मानवशास्त्रीय मूल्यों वाले लोगों से संबंधित विषयों में अनुसंधान के महत्व को कम नहीं माना जा सकता है। हालांकि, इस प्रकार के अनुसंधान कई संगठनों, यथा–भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों द्वारा किए जा रहे हैं, तथापि जनजातीय कार्य मंत्रालय भी इस प्रकार के अनुसंधानों को एक सीमा तक निधियां देना महत्वपूर्ण मानता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुसंधान योजना के निम्नलिखित दो घटक हैं: –

(1) राज्य और केन्द्र के मध्य 50 : 50 के आधार पर जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुदान।

(2) अखिल भारतीय स्वरूप अथवा अन्तर्राज्यीय स्वरूप की परियोजनाओं को सहायता। अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन करने, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं को आयोजित करने तथा जनजातीय मुद्दों से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करने के लिये संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों को 100% के आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता - अनुदान

12.2.1 आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में इस योजना के अधीन अब तक स्थापित 18 जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं।

12.2.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को प्रदान करने के लिए प्रशासनिक लागत सहित अपने व्यय पूरे करने के लिए 50% केन्द्रीय हिस्सा तथा संघ शासित प्रदेशों को 100% अनुदान निर्मुक्त करता है।

12.2.3 ये संस्थान राज्य सरकारों को योजनाएं बनाने में सहायता करने, अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययनों का संचालन, आंकड़ें एकत्र करने, प्रशिक्षण संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने, पारम्परिक कानूनों का आलेखन करने, जनजातीय कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना करने तथा इनसे संबंधित अन्य कार्यकलाप संचालित करने में सहायता करने के कार्य में लगे हुए हैं ।

12.2.4 मंत्रालय जनजातीय कला, शिल्प एवं वास्तु संस्कृति के संरक्षण हेतु जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की अनुसंधान गतिविधियों के भाग के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में जनजातीय संग्रहालय के निर्माण के लिए भी सहायता देता है।

12.2.5 पूरे देश में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों में इस समय किए जा रहे सभी कार्यों का कारगर समेकन करने के लिए तथा इस संबंध में नए कार्यकलाप करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नोडल जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई) की संकल्पना तैयार की है। नोडल जनजातीय अनुसंधान संस्थान इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय को नीतिगत निवेश प्रदान करेगा, अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन संचालित करेगा तथा इन्हें समेकित करेगा तथा जनजातीय अनुसंधान संस्थान के इस प्रकार के अन्य संबंधित कार्यकलाप, जिन्हें इनके कार्यभार के तहत सम्मिलित किया गया है, को पूरा करेगा। निम्नलिखित तालिका में चुनिंदा नोडल जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और इनसे संबंधित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को दर्शाया गया है :

नोडल जनजातीय अनुसंधान संस्थान	समूह में अन्य जनजातीय अनुसंधान केन्द्र
उड़ीसा	आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह
महाराष्ट्र	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात
मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान
असम	मणिपुर और त्रिपुरा

नोडल जनजातीय अनुसंधान संस्थान के उद्देश्य और लक्ष्य इस प्रकार हैं :

(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्यों के कल्याण विभागों को नीतिगत निवेश प्रदान करना;

(ख) ऐसे अध्ययनों और कार्यक्रमों को बनाना जो जनजातीय व्यक्तियों की जीवनशैली के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं में सुधार कर सकें अथवा इनके संबंध में सहायता प्रदान कर सकें;

(ग) जनजातियों की समस्याओं, उनके अकादमिक, कार्यकारी तथा विधायी क्षेत्रों के मामलों से संबंधित मुद्दों का मुख्य केन्द्र बनाना;

(घ) संबंधित अनुसंधान संस्थानों और संगठनों तथा अकादमिक निकायों के साथ समेकन करना तथा इनके साथ नेटवर्क स्थापित करना;

(ङ) अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानदण्ड निर्धारित करना।

वर्ष 2008-09 का बजट अनुमान 11.26 करोड़ रुपए है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1.00 करोड़ रुपए शामिल हैं और इसकी तुलना में 6.87 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। वर्ष 2006-07 से वर्ष 2008-09 तक जारी की गई राशि **अनुबंध-12(क)** में दी गई है।

अखिल भारतीय या अन्तर्राज्यीय स्वरूप की सहायक परियोजनाएं -

12.3.1 यह योजना अध्ययन, सेमिनार/कार्यशालाओं और जनजातीय साहित्य को प्रकाशित करने के माध्यम से जनजातीय मुद्दों और विकास की योजनाओं/कार्यों के बारे में लोगों में ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने के लिए वर्ष 1979-80 से चलाई जा रही है। इस योजना के अधीन निम्नलिखित गतिविधियों के लिए 100% आधार पर गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है :

(i) अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन

(ii) अनुसूचित जनजातियों के लिए विकासोन्मुख कार्यक्रमों से संबंधित कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों तथा जनजातीय लोगों और उनके क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान एवं अनुभव का प्रचार-प्रसार एवं

(iii) जनजातीय विकास से संबंधित साहित्य का प्रकाशन।

12.3.2 अनुसंधान अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों को अनुसंधान मुल्यांकन अध्ययन करने के लिय सहायता दी जाती है। 8 से 12 माह में पूरी की जाने वाली प्रत्येक परियोजना के लिये अनुसंधान अनुदान सामान्यतया 2.50 लाख रुपए अधिकतम है।

12.3.3 अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन करने की इच्छुक अनुसंधान संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों को इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन करना होता है।

12.3.4 **संवीक्षा एवं स्वीकृति** : परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा की जाती है और उनका चयन अनुसंधान सलाहकार समिति करती है, जिसमें जनजातीय कार्य/विकास के क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति होते हैं और इसका गठन जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में किया जाता है।

12.3.5 संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों को कार्यशालाओं/सम्मेलन के लिए अथवा संस्थाओं के समूह को कार्यशालाओं/सम्मेलन आयोजित करने के लिए सहायता-अनुदान निर्मुक्त किया जाता है जिससे अनुसंधान निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार करने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अभिनिर्धारित करने, जनजातीय समूहों की कला, संस्कृति और परम्परा तथा जनजातीय विकास से संबंधित मुद्दों को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलती है। प्रस्तावों की संवीक्षा की जाती है और इनका चयन, जनजातीय कार्य मंत्रालय के

संयुक्त सचिव/उप-महानिदेशक/आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के अधिकारियों से गठित आंतरिक चयन समिति द्वारा किया जाता है।

12.3.6 सहायता की मात्रा : संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों को निम्नलिखित प्रतिमान पर अनुदान दिए जाते हैं :

संगोष्ठी/कार्यशाला की अवधि	धनराशि रु. में
एक दिन के लिए	50,000/-
दो दिन के लिए	75,000/-

12.3.7 वर्ष 2008-09 के दौरान 7 अनुसंधान अध्ययनों जो वर्ष 2007-08 में अनुमोदित किए गए थे, के लिए निधियां निर्मुक्त की गई हैं। 22 संगठनों को अनुसंधान अध्ययनों के लिए अनुदान की शेष किस्तें भी निर्मुक्त की गई थी। वर्ष 2007-08 में अनुमोदित किए गए 52 सम्मेलनों/कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए सहायता-अनुदान निर्मुक्त किया गया था। इस वर्ष के दौरान पूरे देश में सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए 10 प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया था। अनुसंधान अध्ययन करने के लिए 4 नए प्रस्तावों को भी स्वीकृत किया गया है। चुने गए मुख्य विषयों में अन्य के साथ-साथ जेण्डर मुद्दे; जनजातीय व्यक्तियों से संबंधित स्वास्थ्य और पर्यावरण मुद्दे तथा जनजातियों और उनकी संस्कृति के मध्य विकास और परिवर्तन विषय शामिल है। वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान 100.00 लाख रुपए के बजट परिव्यय की तुलना में 31.3.2009 तक 65.43 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त कर दी गई है। गत दो वर्षों के दौरान प्रायोजित कार्यशालाओं/सम्मेलनों और अनुसंधान अध्ययनों की सूची **अनुबंध-12 (ख)** में दी गई है।

12.3.8 जनजातीय मुददों/विकास से संबंधित हाल में किए गए अनुसंधान कार्य के प्रकाशन के लिए किसी संस्था या व्यक्तिगत अनुसंधानकर्त्ता को अनुदान दिए जाते हैं। एक परियोजना/पुस्तक के प्रकाशन के लिए अधिकतम 30,000 रु. की सहायता दी जाती है।

निगरानी एवं मूल्यांकन अध्ययन

12.4.1 इस योजना की शुरूआत वर्ष 2005-06 में की गई। इस योजना के अधीन, अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ एवं विकासार्थ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का मूल्यांकन विशिष्ट एजेंसियों द्वारा कराया जाता है तथा मंत्रालय द्वारा 100% अनुदान दिए जाते हैं।

12.4.2 वर्ष 2008-09 के दौरान पैनल में शामिल की गई संस्थाओं को मंत्रालय की चुनिन्दा योजनाओं के मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। वर्ष 2008-09 के दौरान 50.00 लाख रुपए के बजट परिव्यय में से 32.66 लाख रुपए की राशि पिछले वर्ष सौंपे गए मूल्यांकन अध्ययनों की बकाया किस्तों के रूप में निर्मुक्त की गई है।

सूचना तथा जनसंचार माध्यम

12.5 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय जीवन पर उनकी संस्कृति, परंपराओं, शिक्षा तथा सामाजिक - आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं सहित एवं मंत्रालय की कल्याण योजनाओं पर फिल्में/वृत्त-चित्र बनवाए। आशय यह है कि जनजातियों का एक वैज्ञानिक तथा शोधपूर्ण तरीके से प्रलेखन किया जाए जिसमें मुख्य रूप से उनके भौगोलिक फैलाव, ऐतिहासिक, सामाजिक-सांस्कृतिक ब्यौरों, आर्थिक स्थितियों, लोक नृत्यों आदि का उल्लेख हो ताकि इन्हें मंत्रालय के संदर्भ रिकॉर्ड के रूप में रखा जा सके और आम जनता में भी इससे संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार किया जा सके ।

राष्ट्रीय स्तर की फोटो प्रतियोगिता

12.6 जनजातियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फोटो प्रभाग के सहयोग से "जनजातियां : वन निवासी" विषय पर अक्तूबर, 2008 में द्वितीय राष्ट्रीय स्तर की फोटो प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस फोटो प्रतियोगिता के माध्यम से, उनकी जीवन शैली के सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक संघटकों को स्पष्ट करने का एक प्रयास किया गया है। भविष्य में जनजातियों के जीवन के असाधारण पहलुओं को खोजने के लिए तथा प्रदर्शन, संप्रेषण और मनोरंजन के कलात्मक रूप में उन्हें सुरक्षित करने के लिए ऐसी फोटो प्रतियोगिताएं सभी शौकीन और जनजातीय

फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करेंगी। देशभर के 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतियोगियों से प्राप्त 1165 प्रविष्टियों की जबर्दस्त प्रतिक्रिया में से, विशेषज्ञ अभिनिर्णायकों (जूरी) ने 191 प्रविष्टियों में से 13 पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रविष्टियों को चुना जिनमें 3 मुख्य पुरस्कार और 10 प्रशंसनीय पुरस्कार के लिए थी। विजेताओं को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए 21 फरवरी, 2009 को जनजातीय पर्व "प्रकृति" के दौरान नई दिल्ली में आमंत्रित किया गया।

*केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री पी.आर. किन्डिया, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फोटो प्रभाग के सहयोग से नई दिल्ली में दिनांक 21 फरवरी, 2009 को **"जनजातियां : वन निवासी"** विषय पर द्वितीय राष्ट्रीय स्तर की फोटोग्राफ प्रतियोगिता के पुरस्कार प्राप्त तथा चुनिन्दा फोटोग्राफ की फोटो प्रदर्शनी देखते हुए।*

इस उप-योजना के तहत बजट अनुमान 2008-09 के 1.25 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान 1.50 करोड़ रुपए) की तुलना में 1.37 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

जनजातीय त्यौहारों का आयोजन

12.7.1 'जनजातीय त्यौहारों के आयोजन' की योजना में अनुसूचित जनजातियों में अंतर-निहित प्रतिभा को प्रोत्साहित करके तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके स्थानीय, जिला; राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत जनजातीय कलाकारों/लोक कलाकारों तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और जनजातीय कलाओं तथा परम्परागत जनजातीय खेलकूद को संरक्षित रखने, प्रोत्साहित करने तथा प्रचार-प्रसार करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक मेले, त्यौहार तथा खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

12.7.2 इस योजना के तहत जागरूकता पैदा करने, जनजातीय कला और संस्कृति तथा परम्परागत खेलकूद कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर तरीके से अभिनिर्धारित तथा तात्कालिक आवश्यकता पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा।

12.7.3 इस स्कीम के तहत जनजातीय सांस्कृतिक त्यौहारों तथा परम्परागत खेलकूद कार्यकलापों इत्यादि को आयोजित करने के संबंध में जनजातीय कलाकारों तथा लोक कलाकरों को अपने राज्य अथवा अन्य राज्यों में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को सदस्यता/अनुदान भी प्रदान किए जाएंगे।

12.7.4 प्रत्येक वर्ष जनजातीय त्यौहार/सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित करने के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31 अक्तूबर होगी। प्रस्ताव को राज्य जनजातीय कल्याण विभाग/सामाजिक कल्याण विभाग संस्तुत करेगा।

12.7.5 राष्ट्रीय जनजातीय त्यौहार "प्रकृति" का दिनांक 21 से 23 फरवरी, 2009 तक नई दिल्ली में आयोजन किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने इस कार्यकलाप को संयुक्त रूप से आयोजित किया। देश के विभिन्न भागों से विभिन्न जनजातीय नृत्य और संस्कृति कलाकारों ने राष्ट्रीय जनजातीय त्यौहार "प्रकृति" 2009 में भाग लिया।

'प्रकृति' 2009

12.7.6 मंत्रालय ने वर्ष 2009-10 के दौरान अनुसूचित जनजातीय लड़कियों और लड़कों के लिए पांच राज्य स्तरीय तथा एक राष्ट्रीय स्तर की "जनजातीय धनुर्विद्या प्रतियोगिताएं" आयोजित करने की पहल शुरू की है। इस उद्देश्यार्थ मंत्रालय ने भारतीय धनुर्विद्या संघ (एएआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया है। इस मंत्रालय ने भारतीय धनुर्विद्या संघ को वर्ष 2008-09 के दौरान सहायता-अनुदान के रूप में प्रथम किस्त के 17.70 लाख रु. निर्मुक्त किए हैं ताकि वे तैयारी संबंधी कार्यकलाप शुरू करने में सक्षम हो सकें। इस पहल को "अनुसंधान, सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य त्यौहार (मुख्य योजना)- "जनजातीय त्यौहारों का आयोजन (उप-योजना)" योजना के तहत शामिल किया गया है।

12.7.7 इस योजना के तहत बजट अनुमान 2008-09 के लिए 70.00 लाख रुपए की तुलना में 69.92 लाख रुपए व्यय किए गए हैं।

राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार

12.8 मंत्रालय ने वर्ष 2008-09 से एक नई योजना **"राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार"** शुरू की है। इस पुरस्कार को राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार कहा जाता है। जनजातीय जनसंख्या की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जनजातियों के कुछ सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है। उनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां इस तथ्य के कारण भी बहुमूल्य हैं कि प्रतिकूल और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार की सफलता की कहानियों का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए ताकि उनसे संबंधित व्यक्ति जनजातीय जनसंख्या की भावी पीढ़ियों के आदर्श बन सकें। इस प्रकार की उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने से जनजातीय लोगों की सकारात्मक छवि को प्रस्तुत करने का मार्ग प्रशस्त होगा और समाज की सोच को भारतीय समाज में जनजातीय लोगों की बहुमुखी भूमिका को स्वीकार करने तथा इसे प्रोत्साहित करने के लिए परिवर्तित किया जा सकेगा। इस प्रकार की उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए वर्ष 2007-08 से वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है।

पुरस्कार का स्वरूप

(क) सर्वोत्तम जनजातीय उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार:

इस संबंध में इन क्षेत्रों अर्थात (i) खेलकूद, (ii) शिक्षा, (iii) संस्कृति, (iv) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और जैव-विविधता संरक्षण तथा किसी अन्य क्षेत्र में (उत्कृष्ट योगदान) करने के लिए दो पुरस्कारों (एक जनजातीय उपलब्धि प्राप्त करने वाली महिला के लिए और दूसरा जनजातीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले पुरुष के लिए) की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्राफी प्रदान की जाती है।

(ख) अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की गई अनुकरणीय सामुदायिक सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार :

अलग-अलग व्यक्तियों और संगठनों अर्थात गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक संगठनों और समुदाय आधारित समूहों द्वारा किसी अनुसूचित जनजातीय समुदाय के विकास के लिए किए गए अनुकरणीय योगदान के लिए एक पुरस्कार दिया जाएगा। इस श्रेणी के पुरस्कार में 3 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र तथा ट्राफी होगी।

(ग) सर्वोत्तम कार्य करने वाली एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार :

सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन करने वाली एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण (आईटीडीए) के लिए एक पुरस्कार होगा। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्राफी दी जाएगी। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना/एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण को पुरस्कार से प्राप्त धनराशि का उपयोग सामुदायिक परिसम्पत्तियां तैयार करने में करना होगा। पुरस्कार की धनराशि को उनकी किसी स्कीम के तहत उपलब्ध धनराशि अथवा उनकी स्वयं की निधियों में मिलाया जा सकता है।

उत्कृष्ट केन्द्र :

12.9.1 अनुसंधान संस्थान और संगठनों को जनजातीय कार्य मंत्रालय देश के जनजातीय समुदायों के मध्य अल्पकालिक अनुसंधान और विस्तारी कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। इन अनुसंधान अध्ययनों को नियमित आधार पर जारी रखने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों को देश की जनजातियों के विकास के लिए दीर्घकालिक और नीति आधारित अनुसंधान अध्ययनों को निर्धारित करने के संबंध में उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में चुना है और मान्यता प्रदान की है ताकि इन्हें इन अध्ययनों में शामिल किया जा सके :-

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद।

(ख) बी.ए.आई.एफ. विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान, पुणे।

(ग) भाषा अनुसंधान और प्रलेखन केन्द्र, वडोदरा।

12.9.2 इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों की जनजातीय समुदायों से संबंधित गुणवत्तामूलक, कार्योन्मुख और नीति आधारित अनुसंधान करने की सांस्थानिक संसाधन क्षमताओं में वृद्धि करना तथा इन्हें सुदृढ़ करना होंगे।

12.9.3 ऐसे कार्यक्षेत्रों जिनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, में अन्य बातों के साथ-साथ जनजातीय लघु वन उत्पाद (एम.एफ.पी.) अधिकार; अनुसूची v और अनुसूची vi के क्षेत्रों में महिला अधिकार; लघु और बड़ी परियोजना से प्रभावित जनजातीय परिवारों/जनजातीय क्षेत्रों के विस्थापन, अंतरण, पुनर्स्थापना और पुनर्वास से संबंधित अनुसंधान अध्ययन; जनजातीय मुद्दों इत्यादि से संबंधित मामले पर सम्मेलन/कार्यशालाओं का आयोजन; जनजातीय कलाकृतियों इत्यादि का प्रलेखन शामिल है।

12.9.4 अनुमोदित अनुसंधान अध्ययन के आधार पर सहायता-अनुदान प्रदान किया जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय उत्कृष्ट केन्द्रों में घोषित संस्थानों/संगठनों को शत-प्रतिशत सहायता-अनुदान प्रदान करेगा। वर्ष 2008-09 के दौरान बजट अनुमान 60.00 लाख रुपए की तुलना में 47.90 लाख रूपए निर्मुक्त किए गए थे।

जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान

12.10.1 इस योजना का उद्देश्य जनजातीय समुदायों/प्रतिनिधियों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में उनके हित से संबंधित और विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क संबंधी यात्राओं को आयोजित करना है जिससे वे कृषि पशुपालन, वन उत्पादों के प्रसंस्करण, रेशम प्रसंस्करण, लघु उद्योगों आदि में अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम तकनीकों से परिचित हो सकें। इस योजना में खेल या सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं/निष्पादनों के लिए देश के विभिन्न भागों की जनजातियों के मेल-मिलाप पर भी विचार किया जाता है। इस प्रकार की यात्राओं का अदान-प्रदान करने की व्यवस्था करने से मजबूत सामाजिक और सांस्कृतिक बंधनों को सुनिश्चित करने और साथ ही आदिवासियों में निहित प्रतिभाओं को निखारने और संवारने में दूरगामी प्रभाव पड़ने की आशा है। भ्रमण की अवधि यात्रा समय को छोड़कर 10 दिन की होती है। राज्यों को ऐसे भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

12.10.2 इस योजना के अनुसार 10 जनजातीय व्यक्तियों के एक दल/समूह में 3 महिलाएं तथा स्थानीय निकाय या पंचायतों के 3 चुने हुए सदस्य अनिवार्य रूप में शामिल होते हैं। एक समूह में एक ही जनजातीय समुदाय के 4 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। उनके साथ गृह राज्य से एक आरक्षी अधिकारी होगा। कोई भी व्यक्ति एक यात्रा से अधिक के लिए चुने जाने का पात्र नहीं है। ये सहभागी 3-टीयर ए सी से यात्रा करने के पात्र हैं। आवास और यात्राओं का प्रबंध मेजबान राज्य द्वारा किया जाता है। इस यात्रा के दौरान भाग लेने वालों को 150 रुपए प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाता है। राज्यों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया गया व्यय मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाता है, बशर्ते यह निर्धारित मानकों के अनुसार हो।

12.10.3 वित्तपोषण पद्धति : मंत्रालय 100% आधार पर सहायता देता है ।

वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सहायता-अनुदान योजना के तहत जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07		2007-08		2008-09	
		जन.अनु. संस्थान	अध्येतावृत्ति	जन.अनु. संस्थान	अध्येतावृत्ति	जन.अनु. संस्थान	अध्येतावृत्ति
1.	आंध्र प्रदेश	29.77	1.40	9.59	–	44.29	–
2.	असम	31.48	–	27.25	–	50.75	–
3.	छत्तीसगढ़	6.83	–	14.83	0.24	–	–
4.	गुजरात	12.87	–	–	–	8.65	–
5.	हिमाचल प्रदेश	36.335	–	–	–	–	–
6.	झारखंड	25.08	0.92	17.43	0.436	29.87	–
7.	कर्नाटक	25.00	–	15.50	–	–	–
8.	केरल	17.50	–	15.72	–	–	–
9.	मध्य प्रदेश	176.36	0.16	330.52	0.562	388.32	–
10.	महाराष्ट्र	32.91	–	23.79	0.436	48.45	–
11.	मणिपुर	21.00	–	47.62	0.436	–	–
12.	उड़ीसा	30.92	2.52	24.83	–	77.25	–
13.	राजस्थान	27.26	–	–	–	–	–
14.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–
15.	त्रिपुरा	31.68	–	25.13	–	39.13	–
16.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–
17.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	0.3754
	कुल (राज्य) :	**504.995**	**5.00**	**552.51**	**2.11**	**686.71**	**0.3754**
18.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	29.50	–	29.50	–	–	–
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**29.50**	–	**29.50**	–	–	–
	कुल (राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र)	**534.495**	**5.00**	**582.01**	**2.11**	**686.71**	**0.3754**
	कुल योग (जन.अनु. संस्थान तथा अध्येतावृत्ति)	**539.495**		**584.12**		**687.0854**	

वर्ष 2007-08 व 2008-09 के दौरान प्रायोजित कार्यशालाओं/सेमिनारों तथा शोध अध्ययनों की सूची

क्र.सं.	संगठन का नाम तथा पता (संगठन प्रमुख के नाम सहित)	विषय
1.	दादी हामजिओ चैरिटेबल सोसाइटी, मुख्यालय ईटानगर, पापुम पारे जिला, अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश की जनजातियों के स्वास्थ्य एव साफ-सफाई विषय पर सेमिनार।
2.	शक्ति शिखा, डाक-सिंगटिया, मार्फत-बारासाही, जिला-मयूरभंज, उड़ीसा-757026	जनजातीय महिलाओं अर्थात् उल्लंघनों विषय पर सेमिनार।
3.	अहमदाबाद जिला महिला तथा बाल विकास संघ, जी/75, रामेश्वर अपार्टमेंट्स, विकास ग्रूह रोड, पाल्डी, अहमदाबाद-380007	देवगढ़बरिया, जिला-दाहोड़, गुजरात में ग्रामीण विकास कार्यनीति संबंधी माइक्रो एंटरप्राइज नीति आधारित एनटीएफपी विषय पर सेमिनार।
4.	महिला विकास संगठन कांगचुप माई लेकाई, डाक-लामसंग बजार-795146, इम्फाल पश्चिम जिला, मणिपुर	बकरी पालन प्रोन्नयन और जनजातीय युवाओं विशेषत: जनजातीय युवाओं की बेरोजगारी संबंधी समस्याओं पर इसके प्रभाव के बारे में कार्यशाला।
5.	आरोही विकास तथा शोध केन्द्र, ग्राम व डाक-पार्सवाड़ा, तहसील-बैहर, जिला-मान्डला, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश के मांडला जिले में ''अनुसूचित जनजाति महिला कृषि श्रमिकों के स्वास्थ्य, साफ-सफाई तथा अधिकारिता'' विषय पर सेमिनार।
6.	संकल्प सांस्कृतिक समिति, कैलाश रेसीडेंसी, मीरा दातर रोड, शंकर नगर, रायपुर (सीजी)-492001	जल, स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई विषय पर सेमिनार।
7.	नागालैंड चाय उत्पादक संघ, मुख्यालय-चांदमाड़ी, कोहिमा-797001, नागालैंड	नागालैंड में ड्रग्स तथा जनजातीय महिलाओं से संबंधित सेमिनार।
8.	सामाजिक कल्याण केन्द्र, 47, द्वितीय, अमलतास बिल्डिंग, मालवीय नगर, भोपाल-460003 (म.प्र.)	बेतुल (मध्य प्रदेश) जनजातीय जिले में ''शिक्षा'' विषय पर समुदाय को संवेदनशील बनाना तथा जागरूकता सृजित करना।
9.	बीरबुमीर ग्रामीण उन्नयन सोसाइटी सुरी, सोनातोर पाड़ा, मदरसा रोड, जिला-बीरभूम, पिन-731101 (पश्चिम बंगाल)	बीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल में ''अनुसूचित जनजाति महिला कृषि श्रमिकों के सामाजार्थिक दोहनों का संरक्षण तथा सुरक्षा''।
10.	वर्ल्ड वाइड फाउण्ड फॉर नेचर-भारत केरल स्टेक कार्यालय, एमआरए 102, कमलालयम् सी.ओ. माधवन रोड वांचीयूर डाक-तिरूवनंतपुरम-35	केरल के तमिल वन संरक्षण समिति के सदस्यों के कौशल तथा ज्ञान का उन्नयन करके चिरस्थायी विकास हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण।
11.	सेंटर फॉर रीसर्च इन आयुर्वेद एंड सोशल मेडिसीन फॉर इंटरनेशनल ब्रदरहुड, सी-24, महेन्द्र पार्क, नई दिल्ली-110059	एड्स पर विशेष बल देते हुए जनजातीय औषधीय प्रणाली संबंधी स्वदेशी बुद्धिमत्ता के समेकन विषय पर सेमिनार।
12.	एल्विन गवेषणा परिषद, प्लाट सं. एल/184, बारामुण्डा, एच.बी. कॉलोनी, फकीर मोहन नगर, भुवनेश्वर-03 (उड़ीसा)	जंगल निवासी भूमि अधिकार, अधिनियम-2007 से संबंधित सूचना एवं भाव के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यशाला।
13.	ह्यूमन मिरर ट्रस्ट, 4/502-डीकेवीएमएस, इलम्, अंदावर नगर, नमाक्कल-637001, तमिलनाडु	नमाक्कल जिले में बेलनाुड, चित्तूर नाडु तथा इडाप्पुली नाडु के कोली हिल्स ब्लॉक में जनजातीय लोगों के पलायन का नियंत्रण।
14.	सामाजिक पर्यावरण और ग्रामीण विकास संगठन मार्फत-एस.के. शर्मा हाउस सं0 13, वोइलेयूगांग, शिमला-5, हिमाचल प्रदेश	स्थानीय औषधीय पौध संरक्षण तथा इसके चिरस्थायी उपयोग में जनजातीय सामुदायिक संगठनों के क्षमता विकास पर कार्यशाला।

15.	ग्राम सेवा न्यास, ग्राम, डाक व ब्लॉक : पार्सवाड़ा तहसील : बैहर, जिला : बालाघाट-481556 (मध्य प्रदेश)	बैधा जनजातीय महिलाओं की ऋण संबंधी जरूरतों और बालाघाट जिला, मध्य प्रदेश में स्वसहायता समूहों तथा थ्रिफ्ट व क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की भूमिका पर सेमिनार।
16.	सिटी एजुकेशन सोसाइटी डी.सं. 32-41-19, रेवेन्यू कॉलोनी, मछावरम डाउन, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	कनकीपाडु डिवीजन, कृष्णा जिले में जनजातीय महिला संस्कृति के मध्य पोषण शिक्षा को सुविधाजनक बनाने पर सेमिनार।
17.	द न्यू एज डेवलपमेंट सेंटर कैरेनबीखोक माई लेकाई, डाक-वांजिंग-795148, थौबल जिला, मणिपुर	''सूअर पालन और मणिपुर के जनजातीय युवाओं की बेरोजगारी में इससे आर्थिक मदद'' विषय पर सेमिनार।
18.	सतपुड़ा ग्रामीण विकास महिला समिति, ग्राम व डाक तथा ब्लॉक-पारसवाड़ा, तहसील-बैहर, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश	बालाघाट जिला, मध्य प्रदेश में ''जनजातीय महिलाओं में कुपोषण तथा प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सुलभता के संबंध में उनकी धारणाएं'' विषय पर सेमिनार।
19.	महकम कुष्ठ निवारणी समिति, मार्फत- डॉ. पुलक लाहिरी, 1, बालीगंज पैलेस, अपार्टमेंट सं.-8, कोलकाता-700019	जनजातियों में कुष्ठ रोग उन्मूलन पर मुख्य बल देते हुए जनजातीय समुदाय हेतु सुलभता एवं न्याय का अधिकार विषय पर कार्यशाला।
20.	जीवन मानव सेवा संगठन, जीवन नेत्र अस्पताल, एलुख रोड, गुडीवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश	कृष्णा जिले के गुडीवाड़ा में घरेलू हिंसा के विरूद्ध जागरूकता कार्यशाला।
21.	निविराज शिक्षा एवं कल्याण सोसाइटी, 190, सूरज नगर, जुडिशियल एकेडमी के सामने, भदभदा रोड, भोपाल (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश में जनजाति बहुल डिंडोरी जिले में ''शिक्षा'' विषय पर कार्यशाला।
22.	नोबल सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी, 303, अखिल अपार्टमेंट्स, नेहरू नगर, (आईएस महल थिएटर के पीछे) तिरूपति	पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) का आंध्र प्रदेश में जनजातीय विकास पर प्रभाव।
23.	ग्रामीण विकास कार्यक्रम मंच, रघुनाथपुर : झाड़ग्राम-721507, पश्चिम मेदिनीपुर : पश्चिम बंगाल : भारत	जनजातियों में जादू-टोने की प्रथा एवं इससे जुड़ी समस्याओं से संबंधित सेमिनार हेतु सहयोग प्राप्त करना।
24.	अर्श भारती सोशल कल्याण सोसाइटी, पी-32, राघवेन्द्र नगर कॉलोनी, बस डिपो रोड, हयातनगर, हैदराबाद	सिद्दिपेट, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में किशोरियों हेतु मुद्दों तथा विकल्पों पर कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और सुविधाओं हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन।
25.	एनएसए कृषि समिति, राष्ट्रीय कृषि विद्यालय, डी-23, जगन पथ, सरदार पटेल मार्ग, चोमू हाउस, सी-स्कीम, जयपुर	व्यावसायिक उद्यमों के जरिए अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण युवाओं हेतु प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक सशक्तिकरण।
26.	खेड़ा जिला महिला एवं बाल विकास संघ, सी-9, आयोजन नगर, श्रेयस क्रॉसिंग रोड, पलडी, अहमदाबाद-380007	अनुसूचित जनजातीय महिलाओं हेतु कानूनी सहायता जागरूकता विषय पर सेमिनार और जनजातीय महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता विषय पर सेमिनार।
27.	कुम्बी खुल्लापम लेकाई महिला संघ, बीपीओ तथा पीएस-कुम्बीबाजार, डाक-मोईरंग-793 133, विष्णुओर जिला, मणिपुर	हाओटक फाईलेन, सीसीपी जिले के जनजातीय क्षेत्रों में स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रोन्नयन विषय पर सेमिनार।
28.	श्री पंडित रामदास त्रिपाठी संस्कृत विद्यापीठ, ग्राम-सरौथर कठौतिया, डाक-महुआ बुजुर्ग, जिला-सिद्धार्थनगर (उ.प्र.)	जनजातीय, जनजातियों का विस्थापन तथा उनका विकास विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार।
29.	सोपुत्र, डाक-एएमएलओ, वाया-बैरोई, जिला-कटक, पिन-754010, उड़ीसा	''क्या लोधा जनजाति की ओर आसपास में समुदायों के निरंतर तिरस्कारपूर्ण रवैये से सामुदायिक सौहार्द तथा राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हो गया है'' - विषय पर सेमिनार।

30.	विश्वभारती सामाजिक विकास संगठन, प्लाट सं. 1450, एनसी नगर, जयदेव विहार, दशरथी एन्क्लेव के सामने, डाक-आरआरएल नयापल्ली, भुवनेश्वर-13, जिला-खुरदा (उड़ीसा)	''क्योझर जिला (उड़ीसा) के जनजाति बहुल क्षेत्रों में जन संवितरण प्रणाली को और कारगर बनाकर जनजातियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना''
31	सामाजिक कल्याण विकास संगठन, स्थान-सरना, डाक-कृष्णप्रसाद, वाया-नियाली, जिला-कटक, उड़ीसा-754004	एनटीएफपी नीति और गरीब जनजातियों की आजीविका में सुधार करने हेतु अवसरों से जुड़े विषय पर कार्यशाला।
32	नेदान फाउंडेशन वार्ड सं.7, बगनशाली डाक तथा जिला-कोकराझाड़ बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी), असम-783370	संघर्ष के कारण जनजातीय विस्थापन पर बोडोलैंड जन सुनवाई कार्यशाला।
33	ऑफिस ऑफ द जोमी किएट्रिकल सोसाइटी, कैथोलिक कॉलोनी, मंत्रीपुखरी, इम्फाल-795002, मणिपुर	इण्डो-म्यांमार सीमा, मणिपुर पर स्वास्थ्य, साफ-सफाई, कला एवं संस्कृति विषय पर सेमिनार।
34	रितु संगम रु 1-128, बी. सेतीपल्ली (ग्राम व डाक), चिलामाथुर (मंडल), अनंतपुर जिला (आं.प्र.)-515241	आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में ''जनजातीय महिलाओं का जीवन स्तर'' विषय पर कार्यशाला।
35	एकता पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इम्फाल, पश्चिम हाओरंगशबल, सीडी ब्लॉक, लामसंग बाजार-795146, मणिपुर, फोन सं. 9862271702	''स्व-सहायता समूह का प्रोन्नयन और जनजातीय महिलाओं की आर्थिक दशा पर इसका प्रभाव'' विषय पर कार्यशाला।
36	पांडिचेरी विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) आयोजना तथा विकास	अंगीकरण कठिनाईयां और प्राचीन जनजातियों की भावी उत्तरजीविता संबंधी समस्याएं।
37	पश्चिम महिला विकास संघ, जाईरांगबम, बीपीओ नाईरांगबम, डाक-लांजिंग, इम्फाल पश्चिम-1, मणिपुर	''मणिपुर के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण का संरक्षण'' विषय पर कार्यशाला।
38	सक्सेस फाउंडेशन, सी-3, सेलार, आनन्द मंगल-3, कोर हाउस के सामने, परीमल क्रॉसिंग ऑफ सी.जी. रोड के निकट, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद-380015	दाहोड़ जिला, दाहोड़, गुजरात में माइक्रो उद्यम आधारित एनटीएफपी नीति हेतु ग्रामीण विकास कार्यनीति पर सेमिनार।
39	हांगुल यूनाइटेड डेवलपमेंट एसोसिएशन, हांगुल, बीपीओ-सांथेल, डाक-मयांग, इम्फाल-795132, मणिपुर	''मणिपुर की ग्रामीण महिलाओं में कुपोषण'' विषय पर सेमिनार।
40	गायत्री महिला मंडल, डॉ0 के.एस. चौधरी डिस्पेन्सरी के सामने, वार्ड सं.-2, पटलेश्वर वार्ड, जिला-छिंदवाड़ा, पिन-480002, मध्य प्रदेश	''जनजातीय महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में धारणा तथा उनके लिए सुलभता और उन्हें कानूनी मौलिक अधिकारों से अधिकारसम्पन्न बनाना'' विषयक सेमिनार।
41	कल्याणी समाज कल्याण तथा शोध संगठन, मकान सं. 4ए, स्ट्रीट सं.67, सेक्टर-6, भिलाई नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़	ग्रामीण जल तथा साफ-सफाई संबंधी मुद्दा तथा समुदाय की जिम्मेदारी।
42	शिवबाई काचरू अहिरे सेवाभावी संस्था, डाक-मान्डवाड, तालुक-नंदगांव, जिला-नासिक, पिन-423104 (मध्य प्रदेश)	अनु. जनजातीय लोगों में केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक बनाना।
43	विकास में जन कार्रवाई (समूल्य), 30-21 सी, रेवेन्यू क्वार्टर्स, नंदयाल, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश	एनटीएफपी संबंधी जनजातीय विकास और गरीब जनजातियों की आजीविका में सुधार करने हेतु अवसर विषयक सेमिनार।
44	साईलता समेकित विकास संघ, रु30/57, सैनिक कॉलोनी, कोठापेटा, धर्मावरण-515672, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश	अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शिक्षा, कल्याण संबंधी योजनाओं को लागू करने पर सेमिनार।

45	केएएसएस, कृषि आदिवासी स्वसहायता सोसाइटी, डाक-बटीरा, रहामा, केन्द्रपाड़ा-754140	सोआरा जनजातियों की दीवार चित्रकारी के चिकित्सीय प्रभाव से संबंधित शोध निष्कर्षो पर सेमिनार।
46	नवोदय एजुकेशनल एंड हेल्थ रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, (आर) श्रीरामा नीलय, कन्नीका परमेश्वरी मंदिर के सामने, 8वां वार्ड, बागेपल्ली-561207, चिक्काबल्लापुर जिला	21वीं शताब्दी में विकास विकल्प तथा जनजातीय चुनौतियों को पूरा करने संबंध पहलें पर सेमिनार।
47	समुर्ना इवांजेलिकल गोस्पेल मिनिस्ट्रीज, राजमपल्ली, दारसी मंडल, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश	सरकार द्वारा लागू विभिन्न स्कीमों के संबंध में जनजातियों को शिक्षित बनाना।
48	ग्रामीण विकास संघ, सेनापति बाजार, सेनापति जिला (एसटी), मणिपुर-222464	मणिपुर के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु जनजातीय घरेलू ऊर्जा पर सेमिनार।
49	सनराइज क्लब, स्थान-बीड़ीखुंती, डाक-महिमागाड़ी, जिला-धेनकनाल-759014, उड़ीसा	जनजातीय महिलाओं एवं बच्चों हेतु उन्नत स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।
50	ओरम सांस्कृतिक समाज, उड़ीसा, क्वार्टर नं. एमआईजी 1/2, आर्य विहार, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751021	'कुरूख भाषा' पर सेमिनार।
51	गौरामारी पल्ली मंगल क्लब, ग्राम व डाक- गौरामारी, पुलिस स्टेशन-हबीबपुर, जिला-मालदा, पिन-732121, पश्चिम बंगाल	''जनजातीय महिला उत्पीड़न, पक्षपात, लाभ हनन, दोहन तथा लूट-खसोट पर रोक'' जिला मालदा, पिन-732121, पश्चिम बंगाल।
52	ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सहायता संघ, डाक-तूसरा, जिला-बोलनगीर (उड़ीसा)	''जनजातीय मामले, कारीगर तथा शिल्पकारों के विकास हेतु कला शिल्प तथा चिरस्थायी आयोजना;।

वर्ष 2008-09 के दौरान अनुमोदित नए सेमिनार/कार्यशालाएं

क्र.सं.	**संगठन का नाम तथा पता (संगठन प्रमुख का नाम सहित)**	**विषय**
1.	डेरा नाटुंग राजकीय कॉलेज, ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश सरकार	अरूणाचल प्रदेश में जनजातीय लोगों का विकास।
2.	प्रिंसीपल, यादव कॉलेज, गोविंदराजन, कैम्पस तिरूपल्लाई, मदुरई-625014, तमिलनाडु	अनुसूचित जनजातियों के बारे में जागरूकता पर राष्ट्रीय सेमिनार।
3.	''शालोम एजेंसी फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन'' लांगजांग, थांगल, तामेंगलांग जिला, मणिपुर	महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, एचआईवी/एड्स रोकथाम, कृषि एवं बागवानी की वैज्ञानिक पद्धति, खाद्य प्रसंस्करण एवं सरंक्षण विषयों पर राष्ट्रीय सेमिनार।
4.	सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्स्क्लूजन एंड इंक्लूजिव पॉलिसी (सीएसएसई-आईपी), आंध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम-530003	''आंध्र प्रदेश के जनजातियों के मध्य सामुदायिक सहभागिता विकास संबंधी दृष्टिकोण एवं विधियों'' पर कार्यशाला-व-प्रशिक्षण कार्यक्रम।
5.	प्रो0 पी.के. घोष, विभागाध्यक्ष, नृशास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007	''जनजाति : नृशास्त्र में नई शिक्षा पद्धतियों पर पुनर्विचार'' विषय पर 26-28 दिसम्बर, 2008 के दौरान राष्ट्रीय संगोष्ठी।
6.	सामाजिक, पर्यावरणीय तथा ग्रामीण विकास (एसईआरडी) संगठन, शिमला-2	जलवायु परिवर्तन और जनजातीय क्षेत्र में कृषि, बागवानी तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर इसके प्रभाव के संबंध में कार्यशाला/सेमिनार।
7.	मडोल, भारतीय जनजातीय कला तथा सांस्कृतिक सोसाइटी, 79/4 बी, एजीसी बोस रोड, कोलकाता-700014	''जनजातीय/ग्रामीण/लोक संस्कृति की उदीयमान चुनौतियों, परिप्रेक्ष्य तथा विकास'' विषय पर सेमिनार।
8.	नृशास्त्र विभाग, आंध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	जनजातीय महिलाओं का विशेष उल्लेख करते हुए जनजातीय विकास के आयामों पर सेमिनार।

9.	जनजातियों हेतु क्षेत्रीय चिकित्सा शोध केन्द्र, नागपुर रोड, डाक-गड़हा, जबलपुर-482003 (मध्य प्रदेश)	जनजातीय स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी।
10.	इंडियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स आईएसएचजी सचिवालय, एंथ्रोपोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 27, जवाहर लाल नेहरू रोड, इंडियन म्यूजियम, एफपीएस बिल्डिंग, कोलकाता-700016	एथिक्स, कल्चर एंड पॉपुलेशन जिनोमिक्स' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और भारतीय ह्यूमन जेनेटिक्स सोसाइटी का 34वां वार्षिक सम्मेलन, 17-20 मार्च, 2009 के बीच विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

वर्ष 2007-08 के दौरान अनुमोदित वर्ष 2008-09 के दौरान संस्वीकृत शोध अध्ययन

क्र.सं.	संगठन का नाम तथा पता (संगठन प्रमुख का नाम सहित)	विषय
1.	महात्मा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रीसर्च एंड सोशल एक्शन स्ट्रीट नं. 17, गगन महल रोड, डोमलगुडा, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	प्राचीन जनजातीय समूह के खानपान की आदतें तथा खाद्य वस्तुओं का एक अध्ययन : पोषण स्थिति का आकलन करने और खाद्य सुरक्षा हेतु एक हस्तक्षेपमूलक कार्यनीति सुझाने हेतु एक अभ्यास।
2.	आंचलिक ग्राम्य विकास पथागार, स्थान-कनकलुन्डा (टेरामाइल), डाक-महिमागढ़ी, जिला-धेनकनाल-759014, उड़ीसा	कुटिया कंधा, डोंगरिया जुआंगा तथा लांगिया शाबर को लुप्त होते जनजातीय "लोक साहित्य" पर शोध एवं प्रलेखन।
3.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिवीजन, बिजनी कॉम्प्लेक्स, लाइतुमखरा, शिलांग-793003 (मेघालय)	खासी परम्परागत खाद्य पदार्थ तथा कुछ प्रमुख पोषक तत्वों के संदर्भ में उनके खाद्य गुण।
4.	समूह (स्वैच्छिक सेवा संगठन), मकान सं. 8-3-18/11/एस/1, तीसरी मंजिल, जयप्रकाश नगर, येल्लारेड्डीगुडा, हैदराबाद-500073	खम्माम जिला, आंध्र प्रदेश में जनजातीय सांस्कृतिक पहलुओं पर विकास कार्यक्रम का प्रभाव।
5.	वुमिन इन सोशल एक्शन, रघुनाथपुर, डाक-झाड़ग्राम, पिन-721507, जिला-पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	मिदनापुर (पश्चिम), पश्चिम बंगाल में लोधा (प्राचीन) जनजाति की समाजार्थिक समस्याएं।
6.	तपस्या सामाजिक कल्याण समिति, "जसपेट कार", बालमुकुंद स्कूल के निकट, तालापाड़ा रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	कोरबा (छत्तीसगढ़) के जनजातीय जिले में शिक्षा।
7.	हरीमिता, दूधगंगा, 189-देवली रोड, खानपुर, नई दिल्ली-62	बक्सर की व्यावसायिक गतिशीलता और समाजार्थिक विकास पर सरकारी कार्यक्रमों तथा शिक्षा का प्रभाव।

वर्ष 2008-09 के दौरान अनुमोदित और संस्वीकृत शोध अध्ययन

क.सं.	संगठन का नाम तथा पता	विषय
1	नृशास्त्र विभाग, आंध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम-530003, प्रो0 के.ई. राजप्रमुख	पूर्वी घाटों में जनजातीय स्वास्थ्य
2	समाज विज्ञान विभाग, एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरूपति	आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के संस्थागत वित्तयन तथा विकास।
3	डॉ0 समिता मन्ना, प्रोफेसर, समाज विज्ञान विभाग, कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी-741235, नदिया, पश्चिम बंगाल	पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल के दो समेकित विकास ब्लॉकों में परम्परा बनाम आधुनिकता : मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य।

वर्ष 2008-09 के दौरान अनुमोदित मूल्यांकन अध्ययन

क.सं.	संगठन का नाम तथा पता	विषय
1	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, सिऑन, ट्रॉम्बे रोड, मुम्बई-400088	"राज्य-वार लघु वन्य उत्पादों, मूल्यवर्द्धक तथा बाजार के साथ पश्चगामी एवं अग्रगामी संबंध ताकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके"।

अध्याय 13

पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान

पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय विकास

13.1 योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए अपने बजट आबंटन में से कम से कम 10% का निर्धारण करना आवश्यक है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के विकास के लिए निधियों का आबंटन कर रहा है। सामान्यतया कुल बजट आबंटन के 10% से अधिक धनराशि आबंटित की जाती है।

13.2 मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदान निर्मुक्त करता है। मंत्रालय गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की योजनाओं के तहत कम साक्षरता वाले जिलों में जनजातीय लड़कियों की शिक्षा को सुदृढ़ करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को सीधे अनुदान देता है। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान को छोड़कर, राज्य सरकारों से नए प्रस्तावों की प्राप्ति पर तथा योजनाओं के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के अधीन सभी योजनाओं के अंतर्गत अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं। मंत्रालय ऐसी केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को अनुदान निर्मुक्त करते समय पूरा ध्यान रखता रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों को इन योजनाओं के अंतर्गत बजट आबंटन के कम से कम 10% का प्रवाह सुनिश्चित करता है।

13.3 वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत की गई निर्मुक्तियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-13(क)** में दर्शाया गया है। यह सूचना नीचे दी गई आकृति 13(i) में भी दी गई है:

आकृति 13(i) : केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में की गई निर्मुक्तियां

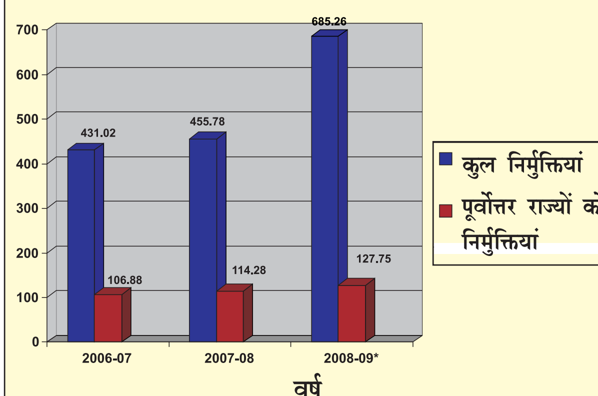

*अनंतिम

13.4 वित्तीय वर्ष 2008-09 (अनंतिम) के लिए इसी प्रकार के आंकड़े **अनुबंध-13(ख)** में दिए गए हैं।

13.5 वर्ष 2006-07 से वर्ष 2008-09 तक की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन वर्षवार निधियों के प्रवाह प्रतिशत को नीचे दी गई आकृति 13(ii) में दर्शाया गया है:

आकृति 13(ii) : केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को निधियों के प्रवाह की प्रतिशतता

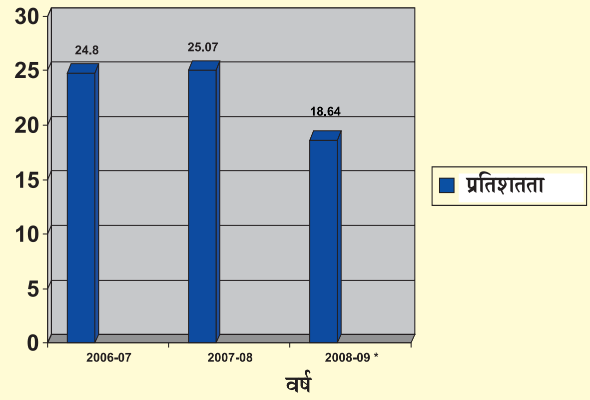

* अनंतिम

13.6 वित्तीय वर्ष 2008-09 (अनंतिम) के लिए यही आंकड़े **अनुबंध - 13ख** में दिए गए हैं ।

अनुबंध: 13-क

वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को वर्षवार निर्मुक्त की गई राशि

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	2006-07		2007-08		2008-09*	
		कुल	पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर
I	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं	122.00	14.40	189.58	13.00	353.08	22.41
II	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	309.02	92.48	266.20	101.28	332.18	105.34
	उप जोड़ (I+II)	431.02	106.88	455.78	114.28	685.26	127.75
	उपर्युक्त I और II की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्मुक्त की गई राशि का प्रतिशत		24.80		25.07		18.64
III	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	816.71	102.29	678.47	58.88	780.87	122.98
IV	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदान	400.00	40.65	390.28	46.84	339.78	33.37
	कुल (I से IV तक)	1647.73	249.82	1524.53	220.00	1805.91	284.10
	उपर्युक्त I से IV तक की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्मुक्त की गई राशि का प्रतिशत		15.16		14.43		15.73

*अनंतिम

वर्ष 2008-09 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त की गई राशि

(करोड़ रु. में)

राज्य	असम	अरूणाचल प्रदेश	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल	अखिल भारत कुल	अखिल भारतीय स्तर पर निर्मुक्त राशि में पूर्वोत्तर क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रतिशतता
जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	84.52	0.00	9.89	0.00	4.35	0.00	3.15	21.06	122.97	780.8683	15.75
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन सहायता-अनुदान	14.4488	3.0868	3.2444	1.5533	4.0357	2.00	0.65	4.3488	33.3678	339.7841	9.82
अ.ज.जा. लड़के तथा लड़कियों के लिए छात्रावास योजना	6.014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.875	0.00	13.809	20.6979	65.00	31.84
कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शिक्षा परिसर व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	40.00	0.10
राज्य	1.3074	0.00	0.00	0.00	0.5708	0.00	0.1830	1.0800	3.1412	6.9724	45.05
गैर-सरकारी संगठन	0.42	0.00	0.00	0.14	0.00	0.45	0.00	0.00	1.01	1.4739	68.53
जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
अनुसंधान सूचना, जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य त्यौहार अनुसंधान प्रशिक्षण (2225)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय जनजातीय कार्य पुरस्कार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्कृष्ट केन्द्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4790	0.00
अखिल भारतीय अथवा अंतर-राज्यीय स्वरूप की परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना	0.00	0.0110	0.050	0.0125	0.00	0.0045	0.00	0.00	0.0780	0.6543	11.92
सूचना और जन मीडिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00
जनजातीय त्यौहारों का आयोजन	0.0600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0600	0.6992	8.58
जनजातीय यात्राओं का आदान-प्रदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अनुसंधान और प्रशिक्षण- जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता -अनुदान (3601)	0.5080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.391	0.8990	6.87	13.09
सकल जोड़	0.5680	0.0110	0.0500	0.0125	0.00	0.0045	0.00	0.3910	1.0370	10.0725	10.30
लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता-अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	16.00	12.25
आदिम जनजातीय समूहों का विकास											
राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03	4.03	189.0266	2.13
गैर-सरकारी संगठन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.0412	0.00
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और जनजातीय विद्यार्थियों की योग्यता को स्तरोन्नत करने की योजना	16.9617	0.0000	19.1268	13.4212	14.2118	14.6727	0.5633	4.6439	83.6014	226.5961	36.89
राजीव गांधी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय अध्येतावृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.0324	0.00
राष्ट्रीय जनजातीय कार्य संस्थान (एनआईटीए)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्कृष्ट/सर्वोच्च संस्थान योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2161	0.00
राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0117	0.00
गैर-सरकारी संगठनों को कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार योजना सहित अनुसूचित जनजातियों के अन्य कार्यक्रमों के लिए सहायता-अनुदान	0.74	3.95	1.22	5.52	0.41	0.04	0.21	0.14	12.23	43.11	28.37
जनजातीय उत्पाद/उपज का विपणन विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00
सूचना प्रौद्योगिकी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1817	0.00
अनुवीक्षण और मूल्यांकन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3266	0.00
कुल	124.9798	7.0878	33.5312	20.6470	23.5783	18.0422	4.7563	49.5027	284.0853	1805.9124	15.73

* अनंतिम

अध्याय 14

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

14.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12.10.2005 से प्रभावी हुआ, जैसा कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में बताया गया है। मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी नियमावली तैयार करके उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) और 19(1) की शर्तों के अनुसार मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। संबंधित अनुदेशों को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। पीसी एंड वी अनुभाग को मंत्रालय से संबंधित 'सूचना का अधिकार' अधिनियम के तहत किए गए आवेदनों को प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है। प्राप्त सभी आवेदनों तथा फीस के रजिस्टर में सही ढंग से प्रविष्टियां करने के बाद, आवेदनों को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु मंत्रालय के संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के पास अग्रेषित किया जाता है। मंत्रालय से संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों का विवरण **अनुबंध: 14-क** में दिया गया है। इन अधिसूचनाओं को (यथा संशोधित) इस मंत्रालय की वेबसाइट (**www.tribal.gov.in**) पर डाल दिया गया है।

14.2 इसी प्रकार की अधिसूचनाएं/नियम पुस्तिकाएं (i) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड); (ii) नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसटीएफडीसी); और (iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रकाशित की हैं और उन्हें अपने-अपने संगठनों की वेबसाइट पर डाल दिया है तथा इन्हें इस मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 31.03.2009 तक प्राप्त आवेदनों तथा उनके दिए गए उत्तर के विवरण निम्नांकित हैं :

'सूचना का अधिकार अधिनियम' के अधीन प्राप्त आवेदनों की संख्या	– 283
उत्तर दिए गए आवेदनों की संख्या	– 269

अनुबंध: 14-क

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपीलीय प्राधिकारी (अ.प्रा.) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	नाम, पदनाम और पता	दूरभाष संख्या	प्रभाग/अनुभाग
1.	श्री एस.के. राय अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कमरा सं. 118, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23382696	एकीकृत वित्त प्रभाग
2.	डॉ. बचित्तर सिंह संयुक्त सचिव, कमरा सं. 741, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110115	23073489	एसजी/प्रशासन/सामान्य /पीसी एंड वी
3.	श्रीमती रूचिरा पंत संयुक्त सचिव, कमरा सं. 722, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110115	23383622	एनजीओ/शिक्षा/सी एंड एलएम
4.	श्री एच.के शर्मा उप-महानिदेशक (सांख्यिकी), कमरा सं. 241, अगस्त क्रांति भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066	26182094	सांख्यिकी
5.	श्रीमती उर्वशी साधवानी सलाहकार (आर्थिक), कमरा सं. 242, अगस्त क्रांति भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066	26182429	पी एण्ड एम/सी पी एण्ड आर/आर एण्ड एम

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों (के.जन. अधि.) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पता/दूरभाष सं०	विषय-वस्तु
1.	सुश्री जुथिका पाटणकर	निदेशक (शिक्षा)	कमरा सं. 736, ए-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष : 23073176	1. सभी शैक्षिक योजनाएं 2. सतर्कता 3. राजभाषा/हिंदी के मामले 4. वार्षिक रिपोर्ट (संकलन)
2.	श्री ए.के. श्रीवास्तव	निदेशक (राज्य अनुदान)	कमरा सं. 212, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष : 23387444	1. जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता 2. भारत के संविधान का अनुच्छेद 275(1) 3. आईटीडीपी/माडा/क्लस्टर सहित जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों का सीमांकन 4. वन अधिकार अधिनियम 5. पेसा एंड पीआरआई 6. एनएसटीएफडीसी
3.	श्री जगदीश कुमार पोपली	निदेशक (प्रशासन, पी एंड सी)	कमरा सं. 214, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष : 23073706	1. मंत्रालय तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना एवं लेखा संबंधी कार्य 2. सामान्य प्रशासन 3. सूचना प्रौद्योगिकी 4. संसद व अंत: मंत्रालयी समितियां 5. समन्वय 6. मंत्री की विवेक निधि 7. सूचना का अधिकार अधिनियम 8. नक्सल मामले 9. वार्षिक रिपोर्ट (मुद्रण एवं प्रकाशन)
4.	श्री जी. सजीवन	निदेशक (सांख्यिकी)	कमरा सं. 281, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष : 26182813	1. जनगणना/सांख्यिकी/राज्य प्रोफाइल 2. 20 सूत्री कार्यक्रम 3. प्रवास से संबंधित मामले
5.	श्री अनुराग बाजपेयी	निदेशक (एनजीओ)	कमरा सं. 401, बी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष : 23070508	1. सभी गैर-सरकारी संगठन संबंधी योजनाएं 2. आदिम जनजातीय समूहों का विकास 3. विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पुनर्वास एवं स्थापन 4. जनजातीय नीति

6.	श्री सी. गोसकन	उप-सचिव (सी पी एण्ड आर)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष : 26182814	1. ट्राइफेड 2. लघु वन उत्पाद 3. सभी प्रशासनिक व संरक्षण योजनाएं- आर एंड आर, एलए, अन्यसंक्रमण, अत्याचार/अवैध व्यापार 4. एनसीएमपी 5. एनएसी
7.	श्री एस.एन. हलदर	उप सचिव (आईएफडी)	कमरा सं. 216-एच, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष : 23387396	1. आंतरिक वित्त प्रभाग 2. महिलोन्मुखी बजट सहित बजट 3. अनुदान मांगे 4. वित्तीय निष्पादन 5. पूर्वोत्तर राज्यों में योजनावार व्यय का संकलन 6. लेखा परीक्षा 7. परिणामों की निगरानी
8.	श्री के. टोथांग	उप सचिव (अनुसंधान एवं मीडिया)	कमरा सं. 281, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष : 26182428	1. अनुसंधान सूचना, मास मीडिया, शिक्षा-जनजातीय उत्सव तथा संस्कृति 2. टी आर आई 3. अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं 4. निगरानी एवं मूल्यांकन 5. अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग 6. उत्कृष्टता केन्द्र
9.	श्रीमती संतोष	उप सचिव (पी एण्ड एम)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष : 26182823	1. विविध 2. वरिष्ठ पदों में आरक्षण 3. जेंडर योजना सहित योजना 4. नागरिक चार्टर 5. जनजातीय स्वास्थ्य से संबंधित मामले
10.	डॉ. एन.के. घटक	संयुक्त निदेशक (सी एंड एलएम)	कमरा सं.218-ए, 'डी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष : 23073176	1. सभी सांविधिक मामले 2. अनुसूचीकरण एवं अ-अनुसूचीकरण 3. जनजाति एवं आदिम जनजातीय समूहों की घोषणा 4. पांचवीं तथा छठी अनुसूची संबंधी मामले 5. राज्यपाल की रिपोर्ट एवं जनजातीय सलाहकार परिषदें 6. अंडमान एवं निकोबार 7. लक्षद्वीप 8. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अध्याय 15

प्रारूप राष्ट्रीय जनजातीय नीति

15.1 स्वतंत्रता प्राप्ति से, संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, विभिन्न संरक्षणात्मक कानूनों, पर्याप्त विकासात्मक शुरूआतों, जनजातीय उप योजना (टीएसपी) दृष्टिकोण और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम (पेसा) 1996, के बावजूद अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक दशाओं में केवल सीमान्त रूप से ही सुधार हुआ है। अनुसूचित जनजाति का मानव विकास सूचकांक शेष जनसंख्या की तुलना में बहुत ही कम है। साक्षरता स्तरों में अंतर और शिशु मृत्यदर काफी अधिक है। अन्य समुदायों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के अधिक परिवार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। इस प्रकार, उनकी दशा शेष जनसंख्या की तुलना में बहुत ही दयनीय है और वे विकास के उस परिकल्पित स्तर तक नहीं पहुंच सके हैं, जहां पहुंचकर वे तेजी से बढ़ रही अर्थ व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले नए अवसरों से लाभान्वित हो सकते हैं ।

15.2 ऊपर उल्लिखित के अलावा जनजातियों के लिए प्रमुख चिंता के विषय इस प्रकार हैं : जनजातीय अर्थ व्यवस्था की क्षमता में कमी, जनजातीय और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में खराब संरचना, जनजातीय क्षेत्रों में निजी उद्यमों और सरकारी- निजी भागीदारी की कमी, जिससे रोजगार का सृजन हो सकता है, वन घोषणा की दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण काश्तकारी असुरक्षा, बेदखली का भय, परम्परागत अधिकारों का धीरे-धीरे समाप्त होना और जनजातियों के कब्जों से निकलती जा रही उच्चभूमि; विस्थापन के लिए जिम्मेदार विकासात्मक गतिविधियों के कारण विस्थापन; उनके प्राकृतिक आवास एवं उनकी भूमि से उन्हें बेदखल किया जाना तथा 'पेसा' अधिनियम की भावना के अनुरूप उनकी अपनी भूमि और प्राकृतिक आवास से बलात बेदखली, कानून एवं नियम बनाने के लिए अधिकतर राज्य सरकारों की अनिच्छा।

15.3 यद्यपि भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा उनकी सुरक्षा हेतु अनेक प्रावधान हैं तथा अनेक केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियम, दस्तावेज तथा घोषणाएं, जिनका एक समान उद्देश्य है, विद्यमान हैं, परन्तु, अनुसूचित जनजातियों के समेकित एवं समग्र रूप में विकास एवं सुरक्षा से संबंधित कोई एक नीति नहीं है।

15.4 निम्नतर कम एचडीआई, घटिया आधारभूत अवसंरचना; प्राकृतिक संसाधन आधार पर घटता नियंत्रण, अपने रहने के स्थान से बेदखल होने का निरंतर बना हुआ भय, समाज की प्रमुख धारा से अलग-थलग और सम्पदा और अवसरों के वितरण में असमानता और गैर-सशक्तिकरण तथा संविधान के प्रावधानों के अपर्याप्त कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं के निदान तथा विकास कार्यों में उनकी सक्रियता और सुनिश्चित सहभागिता का सुनिश्चय करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातियों की चिंताओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों को समाहित करते हुए प्रारूप **राष्ट्रीय जनजाति नीति** तैयार की है।

15.5 यह नीति संविधान में निहित सिद्धांतों तथा पेसा अधिनियम, 1996 से शक्ति प्राप्त करती है। साथ ही यह नीति जनजातियों के रीति रिवाज एवं उनकी संस्कृति की शक्ति की पहचान करती है एवं इसके आधार पर विश्लेषणात्मक ढंग से विकासात्मक प्रक्रिया का निर्माण करती है।

15.6 इस नीति में प्रमुख विषय जनजातीय भूमि का अन्य संक्रमण; जनजातीय वन अंतरापृष्ठ, विस्थापन, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास; मानवीय विकास सूचकांक में वृद्धि; महत्वपूर्ण अवस्थापना का निर्माण; उग्र अभिव्यक्ति; विशेष रूप से कमजोर आदिम जनजाति समूहों (पीटीजी) की सुरक्षा एवं

विकास जनजातीय उपयोजना रणनीति को अपनाना; सशक्तिकरण योजना; स्त्री–पुरुष समानता; गैर सरकारी संगठनों के समर्थन का सूचीकरण; जनजातीय संस्कृति एवं परम्परागत ज्ञान; जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन तथा नियामक एवं सुरक्षात्मक प्रशासन व्यवस्था आदि से संबंधित है।

15.7 प्रारूप नीति का इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया तथा जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा संबोधित एक प्रेस कान्फ्रेंस में इसकी प्रतियां मीडिया के सदस्यों को वितरित की गईं। साथ ही मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से देश की जनता को इससे अवगत कराया गया और इसकी प्रतियां केन्द्रीय मंत्रियों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, विद्धानों, स्वैच्छिक संगठनों, नृविज्ञानियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विशेषज्ञों, जो जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु कार्यरत हैं तथा अन्य हितधारियों को उनकी टिप्पणी तथा उनके सुझाव हेतु वितरित की गईं।

15.8 बड़े पैमाने पर परामर्श किए गए। मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ने 11.10.2006 को नीति की जांच की और उस पर चर्चा की गई। नीति का अंतिम प्रारूप अनुमोदनार्थ केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष दिनांक 31.5.2007 को रखा गया। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नीति को राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के प्रावधानों के साथ समन्वित करने और विचार करने हेतु गृह मंत्री श्री शिवराज वी. पाटिल की अध्यक्षता के अधीन मंत्रियों के समूह के पास भेज दिया। अब तक मंत्रियों के समूह की तीन बैठकें की जा चुकी हैं।

15.9 विचार–विमर्श के उपरांत, मंत्रियों के समूह ने अपनी सिफारिशें की, जिन्हें तद्नुसार मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन हेतु रखे जाने से पहले केन्द्रीय सचिवालय को दिनांक 14.7.2008 को प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 7.11.2008 को पुन: प्रस्तुत किए गए मंत्रिमंडलीय नोट में शामिल किया गया। केन्द्रीय सचिवालय ने मार्च, 2009 में इस मंत्रिमंडलीय नोट को इस टिप्पणी के साथ वापस भेज दिया कि इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री कार्यालय से चर्चा किए जाने की आवश्यकता है तथा उसके बाद, यदि आवश्यक हो तो, एक संशोधित नोट केन्द्रीय सचिवालय को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तथा नई सरकार के बन जाने के उपरांत भेजा जा सकता है।

अध्याय 16

अनुसूचित जनजातियों का विस्थापन, पुनर्स्थापना और पुनर्वास

16.1 कई दशकों से राष्ट्र निर्माण के आयोजन से जनजातीय क्षेत्रों से प्राकृतिक संसाधनों का सतत रूप से दोहन हो रहा है। अनुसूचित जनजाति के पारम्परिक निवास स्थानों में बड़े पैमाने पर विद्यमान देश के संसाधन समृद्ध क्षेत्रों को पूरे देश के संसाधनों के रूप में देखा जा रहा है और राष्ट्र के लिए इनका दोहन हो रहा है। दुर्भाग्य से यह कार्य वन भूमि के लिए नाम मात्र की धनराशि से क्षतिपूर्ति प्रदान करके स्थानीय निवासियों, मुख्यत: अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का हनन करके किया जा रहा है। जनजातीय समुदायों को प्राय: उनके निवास स्थान से उजाड़ दिया गया है, गृह भूमि खंड-खंड कर दी गई है, उनकी संस्कृति विघटित कर दी गई है, उनके समुदायों को छिन्न-भिन्न कर दिया गया है, संसाधनों के स्वामी और भली प्रकार सुगठित संतुष्ट समुदाय शहरी भीड़ में मजदूर बन गए हैं, भविष्य अनिश्चित है और उनका जीवन खतरे में है।

16.2 चूंकि जनजातीय भूमि समान्यतया अहस्तांतरणीय है, भूमि बाजार अविकसित है तथा जनजातीय क्षेत्रों में अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का मूल्य अत्यधिक कम है, अतएव क्षतिपूर्ति की दर जो सांकेतिक बाजार मूल्य पर आधारित होती है, अपर्याप्त है। परियोजना के कार्यान्वयन के उपरांत भूमि का मूल्य व्यापक रूप से बढ़ जाता है परंतु इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। फलस्वरूप, आवश्यकता से अधिक भूमि अधिगृहित करने की प्रकृति होती है। खनन कंपनियां विशेषतया आमतौर पर आवश्यकता से काफी अधिक भूमि अधिगृहित करती हैं।

16.3 हालांकि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 31.10.2007 को अधिसूचित नई राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति, 2007 (एनआरआरपी), में जनजातियों से संबंधित कुछ मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया गया है, जिनमें मुआवजा पैकेज शामिल है और इसमें पेसा अधिनियम, 1996 के अनुसार ग्राम सभाओं के परामर्श के महत्व को मान्यता दी गई है, फिर भी ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो छूट गए हैं। प्रारूप राष्ट्रीय जनजातीय नीति के अंतर्गत प्रावधानों के साथ उन्हें सम्मिलित करने के लिए मंत्रियों के समूह द्वारा उन पर विचार कर लिया गया है।

अध्याय 17

जेंडर संबंधी मामले

17.1 संविधान में न केवल महिलाओं को समानता प्रदान की गई है, बल्कि राज्यों को भी महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद के उपाय अपनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था के ढांचे के भीतर, हमारे कानूनों, विकासात्मक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति करना रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा 1990 में किया गया था ताकि महिलाओं के अधिकारों और कानूनी हकदारिता का संरक्षण किया जा सके। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) में किए गए प्रावधान के अनुसार पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के लिए आरक्षण किया गया है। इस व्यवस्था से स्थानीय स्तरों पर निर्णय करने के कार्य में उनकी भागीदारी को ठोस आधार प्रदान किया गया है।

17.2 किसी भी देश के समग्र सामाजार्थिक विकास के लिए समस्त विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। इसलिए, सामान्य रूप से महिलाओं का दर्जा बढ़ाना और विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाओं का दर्जा बढ़ाना न केवल नैतिक दृष्टि से बल्कि योजनागत दृष्टि से भी आवश्यक है।

17.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रति चिंतित है। अनुसूचित जनजातियां अपने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन और अलग-थलग होने के कारण एक समूह के रूप में कष्ट झेलते हैं। मंत्रालय की प्रमुख नीतियों का लक्ष्य तद्नुसार, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं, दोनों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। तथापि, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं अक्सर अधिक नुकसान उठाती हैं। इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सामान्य योजनाओं से महिलाओं को समान रूप से लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के प्रयास करते समय कुछ विशेष योजनाएं भी बनाई हैं, जो अनुसूचित जनजाति महिलाओं और लड़कियों के लिए ही हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करते हुए योजना के तहत उपलब्धियों को **अनुबंध-17 (क)** में दर्शाया गया है। 2007-08 के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या **अनुबध-17 (ख)** में दी गई है।

17.4 मंत्रालय द्वारा भारतीय संविधान की धारा 275 (1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता दी जाती है। मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन भी किया जाता है जो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जनजातीय लड़कियों और महिलाओं के उन्नयन पर केन्द्रित हैं, ताकि वे आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा के साथ जीवन बिता सकें।

17.5 अनुसूचित जनजातियों में कम महिला साक्षरता एक विशेष चिंता की बात होने के कारण 1993-94 में जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकास के लिए "कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षणिक परिसरों की स्थापना" योजना की शुरूआत की गई थी। इसका वर्ष 2008-09 में संशोधन किया गया तथा इसका नाम ***"कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण"*** रखा गया। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। योजना का क्रियान्वयन 2001 की जनगणना के अनुसार 54 चिह्नित किए गए कम साक्षरता वाले जिलों में किया जा रहा है जहां अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम या इससे थोड़ी बहुत कम-ज्यादा है। उपरोक्त 54 चिह्नित किए गए जिलों के अतिरिक्त किसी

भी जनजातीय ब्लॉक या जिले में जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम या थोड़ी-बहुत कम ज्यादा है, को भी इसमें शामिल किया गया है। आदिम जनजातीय समूहों वाले क्षेत्रों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इस योजना का उद्देश्य सामान्य महिला जनसंख्या और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को कम करना है, ऐसा चिह्नित किए गए जिलों या ब्लॉको, विशेष तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा आदिम जनजाति समूहों के क्षेत्रों में जनजातीय लड़कियों का 100% नामांकन करके तथा प्रारंभिक स्तर पर उपयुक्त माहौल बनाकर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों में कमी लाकर किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासन की स्वायत्तशासी सोसायटी/संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा। मंत्रालय अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसरों के संचालन तथा उनकी देखरेख हेतु 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करता है जिसमें निःशुल्क शिक्षा, आवास एवं परिवहन, पुस्तकें, वर्दियां, चिकित्सा सहायता, कोचिंग, लड़कियों को प्रोत्साहन, आवधिक पुरस्कार इत्यादि शामिल हैं। संशोधित योजना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनाओं का अभिसरण करने की अभिकल्पना की गई है। यह प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ-साथ मिडिल/माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है तथा अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को स्कूल में बनाए रखने के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करती है। औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त, संशोधित योजना में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का विभिन्न व्यवसायों में दक्षता उन्नयन करने पर भी ध्यान दिया गया है। संशोधित योजना में प्रत्येक कम साक्षरता वाले जिले में जिला शिक्षा सहायता एजेंसी (डीईएसए) की स्थापना की भी अभिकल्पना की गई है जो 100 प्रतिशत नामांकन को सुनिश्चित करने तथा मॉनीटर, फेसिलिटेटर की भूमिका निभाने तथा विभिन्न संस्थाओं के साथ सहायता सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रयास करेगी।

17.6 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत' अनुदान प्रदान करने की योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों को शेष देश के बराबर लाने के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण अवसंरचना के सृजन और उन्नयन से संबंधित विशिष्ट परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, किसी योजना की आयोजना से लेकर उसके कार्यान्वयन तक महिलाओं की भागीदारी सहित परियोजनाएं/योजनाएं तैयार करने में महिलाओं को प्रभावित करने वाली चिन्तनीय बातों/मुद्दों को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। परियोजनाएं इस प्रकार बनायी जानी चाहिए कि परियोजनाओं से महिलाओं को पर्याप्त, कम से कम 30%, लाभ मिले।

17.7 योजना के तहत स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और व्यावसायिक शिक्षा स्तर पर अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत निधियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है जो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति तथा अपने गांवों से स्कूल दूर स्थित होने के कारण अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते, ऐसे विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करके जनजातीय विद्यार्थियों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में विद्यार्थियों के लिए नए छात्रावासों के निर्माण तथा वर्तमान छात्रावास भवनों का विस्तार करने का प्रावधान है। जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना हेतु इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय निधियां प्रदान की जाती हैं। इन संशोधनों को 1.4.2008 से लागू किया गया तथा यह आशा की जाती है कि अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा को बढ़ाने में इसका व्यापक प्रभाव होगा।

17.8.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसटीएफ डीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं/परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक शीर्ष संस्थान है। इस निगम ने जनजातीय महिलाओं के आय सृजन के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जनजातीय महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए "आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना" (एएमएसवाई) नामक योजना आारंभ की है। योजना के तहत, निगम 50,000 रु. की इकाई लागत तक वाली योजनाओं/परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लाभार्थियों से 4 प्रतिशत

वार्षिक की दर से अत्यधिक रियायती दर पर ब्याज वसूल किया जाता है।

17.8.2 वर्ष के दौरान, एएमएसवाई के तहत एनएसटीएफडीसी ने 10041 महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास हेतु एनएसटीएफडीसी हिस्सेदारी वाली 80 योजनाओं के लिए 15.73 करोड़ रु. वित्तीय सहायता प्रदान की।

17.8.3 निगम मार्केटिंग सहायता अनुदान सहित अन्य आय सृजन योजनाओं के तहत महिला लाभार्थियों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, निगम एनएसटीएफडीसी वित्तीय सहायता के तहत और अधिक महिला लाभार्थियों को भी शामिल करने का प्रयास कर रहा है।

17.9 वर्ष 2001–02 में "जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान–प्रदान" नामक योजना शुरू की गई है ताकि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोग 10–12 दिन की अवधि के लिए देश के अन्य भागों की यात्रा कर सकें। इसका पूरा व्यय मंत्रालय वहन करता है। योजना के अनुसार 10 जनजातीय लोगों के प्रत्येक दल/समूह में कम से कम तीन महिलाएं सम्मिलित होंगी। इससे उनके संदर्श को व्यापक बनाया जा सकेगा और देश में हो रहे विकास के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जा सकेगी ।

17.10 जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी कुछ योजनाओं में 50% लड़कियों अथवा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखता है। उदाहरण के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 50% सीटें अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के लिए होती हैं। एम.फिल एवं पी. एच.डी के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत यूजीसी को निर्देश जारी किए गए हैं कि 50% छात्रवृत्तियां महिलाओं को प्रदान करने के प्रयास किए जाएं। प्रत्येक वर्ष राज्य/संघ शासित क्षेत्र से दो जनजातीय लोगों को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक राज्य एक महिला और एक पुरुष को भेजे।

17.11 "विशेष क्षेत्र के अंतर्गत, जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता का अर्थ है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए समुदाय आधारित आय सृजनकारी कार्यकलाप। दिशानिर्देशों में यह अनुबंध है कि निधियों का 30% "महिला संघटक" के लिए अलग रखा जाना है और महिला लाभार्थियों के आय सृजनकारी कार्यकलापों के लिए खर्च किया जाना है।"

वर्ष 2008-2009 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्धियां

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजनाओं/कार्यक्रमों का नाम	उपयोजनाओं के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर 2008-09 का बजट अनुमान	पता लगाने योग्य, मापने योग्य और निगरानी करने योग्य आउटपुट/आउटकम	31.3.2009 तक उपलब्ध लक्ष्य
1.	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं**				
1.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.) की लड़कियों के बीच शिक्षा को सुदृढ़ करना (जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षणिक परिसर की पूर्ववर्ती योजना)	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.) लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	40.00	निधिपोषित शैक्षणिक परिसरों और लाभ प्राप्त अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की संख्या	योजना विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए है। वर्ष 2008–09 के दौरान (31.3.2009 तक), 126 शैक्षणिक परिसरों को निधिपोषित किया गया है जिसमें अनुसूचित जनजातियों की 26272 लड़कियों को कवर किया गया है और 40.00 करोड़ रु. निर्मुक्त किये गए हैं।
2.	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को सहायता	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	50.00	(i) सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (ii) क्षेत्रवार सृजित भौतिक परिसम्पत्तियां (क) कृषि और संबद्ध; (ख) औद्योगिक; (ग) सेवाएं	वर्ष (2008–09) के दौरान एनएसटीएफडीसी ने 41.00 करोड़ रु. आबंटित किए (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) जो वर्ष के लिए निर्धारित कुल सांकेतिक आबंटन का लगभग 30 प्रतिशत है। इसके लिए निगम ने 1,34,488 महिला लाभार्थियों के लिए। 39.77 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। वर्ष के दौरान किया गया संवितरण 21.00 करोड़ रु. है।
3	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजनाएं	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजनाएं	248.00	उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने (क) ग्रुप I (ख) ग्रुप II (ग) ग्रुप III (घ) ग्रुप IV समाप्त कर लिए हैं।	31.3.09 तक 226.56 करोड़ रु. की राशि के अनुदान निर्मुक्त किए गए। इसमें से 77.90 करोड़ रु. छात्रा-लाभार्थियों पर खर्च किए गए। 31.3.09 तक कुल लाभार्थियो की संख्या 1164383 है जिसमें अध्ययन के सभी ग्रुपों में 400349 प्रत्याशित छात्रा लाभार्थी शामिल हैं।

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रमों का नाम	उपयोजनाओं के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर 2008-09 का बजट अनुमान	पता लगाने योग्य, मापने योग्य और निगरानी करने योग्य आउटपुट/आउटकम	31.3.2009 तक उपलब्ध लक्ष्य
4.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	66.00	(i) निर्मित छात्रावासों की संख्या (ii) अधिभोग दर	31.3.09 तक 65.00 करोड़ रु. प्राप्त किए गए हैं। इसमें लड़कियों के 106 छात्रावासों के लिए 14.87 करोड़ रु. शामिल हैं।
5.	अनुसंधान, सूचना और जनशिक्षा, जनजातीय त्यौहार और अन्य	जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान	0.45	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि इस योजना में 10 व्यक्तियों के प्रत्येक समूह में कम से कम तीन महिलाओं को शामिल करने का प्रावधान है।
6.	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार	0.14	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	अलग-अलग श्रेणी के अन्तर्गत पुरस्कार प्राप्त करने वालों में एक महिला होनी चाहिए।
7.	जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	675.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 64.99 करोड़ रु.)	(i) सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजातीय लाभार्थियों की संख्या। (ii) संघटकवार भौतिक परिसम्पत्तियां/सृजित अवसर; (क) कृषि/बागवानी-हैक्ट. में (ख) वाटरशेड विकास/ मृदा एवं नमी संरक्षण-हैक्ट में (ग) पशुपालन-संख्या में (घ) पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जिसमें वनों का विकास शामिल है- हैक्ट. में अथवा प्राप्त लघुवन उत्पादों की मात्रा (ङ) वन ग्रामों का विकास-1500; (च) इन्टरप्रेनरशिप-का विकास-सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या (छ) सभी संघटकों में कवर की गई महिलाओं का प्रतिशत लक्ष्य और परिणाम राज्यों द्वारा की गई सभी परियोजनाओं के प्रकार पर निर्भर होंगे और परिणामों का निर्धारण सभी परियोजनाओं की स्वीकृति/ कार्यान्वयन के बाद ही किया जा सकता है।	2007-08 के लाभार्थी संलग्न सूची के अनुसार हैं। (अनुबंध: 17-ख। 2008-09 के दौरान लाभार्थियों संबंधी सूचना अभी प्रतीक्षित है। टीएसपी को एससीए के अंतर्गत 631.35285 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए हैं। इसमें से 189.40585 करोड़ रु. दिशानिर्देशों के अधीन महिला लाभार्थियों हेतु खर्च किए जाने के लिए निर्धारित हैं। परिमाणनीय आउटपुट/ आउटकम का मूल्यांकन निधियों की निर्मुक्ति के बाद उत्तरवर्ती 12 महीनों के दौरान ही किया जा सकता है

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रमों का नाम	उपयोजनाओं के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर 2008-09 का बजट अनुमान	पता लगाने योग्य, मापने योग्य और निगरानी करने योग्य आउटपुट/आउटकम	31.3.2009 तक उपलब्ध लक्ष्य
8.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) परन्तुक के अंतर्गत योजना	संविधान के अनुच्छेद 275(1) परन्तुक के अंतर्गत योजना	416.00	लाभार्थियों की संख्या शैक्षणिक भवन, अन्य भवन, स्थाई सड़कें (किलोमीटर में) पुलिया, रोकबांध, जलसंभरण संरचनाएं, लघुसिंचाई (हैक्ट. में), बिजली की व्यवस्था- (परिवारों/समुदायों की संख्या) रोकबांध और जलसंग्रहण संरचना जैसी संरचनाओं के माध्यम से लघु सिंचाई में सुधार। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	योजना के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि परियोजनाओं की योजना इस प्रकार बनाई जाए कि पर्याप्त लाभ, कम से कम 30 प्रतिशत अनुपात में, महिलाओं के लिए लक्षित हो। अवसंरचनात्मक विकास और लघु सिंचाई के संबंध में स्वीकृत निर्माण कार्यों की समाप्ति परियोजनाओं की निर्माण अवधि पर निर्भर करती है। उपलब्धियां सूचित करने की न्यूनतम अवधि एक वर्ष है।अत: वर्ष 2008-09 के दौरान स्वीकृत कार्य की उपलब्धि का ब्यौरा देना व्यवहार्य नहीं है।

टिप्पणी: जनजातीय कार्य मंत्रालय की 16 योजनाओं में से उपर्युक्त योजनाओं को महिला विकास और अधिकारिता पर विशेष बल देते हुए जेंडर बजटिंग के लिये प्रकाश में लाया गया है।

वर्ष 2007-08 के लिये जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता के अधीन लाभार्थी

क्र. सं.	राज्य का नाम	वास्तविक निष्पादन			
		लक्ष्य	उपलब्धि	लाभार्थियों की संख्या	
				महिला	कुल अनु. जनजाति लाभार्थी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	आंध्र प्रदेश	159287	224174	73977	224174
2	असम	–	–	–	22653–आईबीएस 276-एसएचजी (परिवार)
3	बिहार	–	–	–	–
4	छत्तीसगढ़	–	–	–	–
5	गोवा			–	–
6	गुजरात			–	–
7	हिमाचल प्रदेश	78587	122891	–	122891
8	झारखंड			–	–
9	जम्मू व कश्मीर			–	–
10	कर्नाटक	7679	7679	–	7679
11	केरल	3000	3143	562	3143
12	मध्य प्रदेश	148485	148485	44545	148485
13	महाराष्ट्र			–	–
14	मणिपुर	3125(परिवार)	3125 (परिवार)	–	3125
15	उड़ीसा	85525	87512	27383	87512
16	राजस्थान	30713	29624	5122	29624
17	सिक्किम	6683	6683	2990	6683
18	तमिलनाडु	–	–	–	–
19	त्रिपुरा	–	–	–	–
20	उत्तर प्रदेश	17761	481	..	481
21	उत्तराखंड	–	–	–	–
22	पश्चिम बंगाल	25000	1768	10685	17268

अनुसूचित जनजाति लाभार्थी	:	6,47,940
परिवार लाभार्थी	:	25778
स्व-सहायता समूह (एसएचजी)	:	276
अनुसूचित जनजाति महिला लाभार्थी (अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों का भाग)	:	1,65,264

जनजातीय अतिथियों के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री जी.बी. मुखर्जी

''प्रकृति 2009'' में जनजातीय नृत्य कलाकारों के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारीगण

ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड द्वारा मुद्रित